रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2000 REGISTERED No. DL—33001/2000

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 9, 2000 (भाद्रपद 18, 1922)
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 9, 2000 (BHADRA 18, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञपन और सूचनाएं सम्मिलित हैं,

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय(

केन्द्र I, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा

मुंबई-400005, दिनांक 30 जून 2000

सं. डीएनबीएस. 141/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनहित में इसे आवश्यक समझते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभ के लिए ऋण प्रणाली को विनियमित करने हेतु बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता से जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ञ, 45ट, 45ठ, 45ड के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा इस संबंध में सभी समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 118/डीजी (एसपीटी)/98 में निहित उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित रूप में संशोधित हो जाएंगे, अर्थात्-

1. पैराग्राफ 2 में, उप पैराग्राफ (1) में, खंड (xii) में उप खंड (छ) के बाद मौजूदा उप खंडों को (ज) और (झ) के रूप में नयी क्रम संख्या दी गई है, जो निम्न प्रकार है :

"(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युच्युअल फंड) विनियमावली, 1996 द्वारा शासित म्युच्युअल फंड से प्राप्त कोई राशि;

(झ) संकर (हाईब्रिड) ऋण अथवा अनुषंगी ऋण के रूप में स्वीकृत कोई राशि, जिसकी पूर्णता अवधि साठ महीने से कम नहीं है;"

2. पैराग्राफ 2 में, उप पैरा (1) में, खंड (xii) में निम्नलिखित नया उप खंड जोड़ा जायेगा, अर्थात्--

"(ञ) किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के किसी निदेशक के रिश्तेदार से प्राप्त कोई राशि"

टिप्पणी : जमाकर्ता द्वारा आवेदन करने पर ही जमाराशि स्वीकार की जाएगी। आवेदन पत्र में यह उल्लेख हो कि जमा करने की तारीख को वह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत परिभाषित रिश्तेदार की हैसियत से विशिष्ट निदेशक का रिश्तेदार है।

3. उक्त निदेशावली के परिशिष्ट की प्रथम अनुसूची यहां संलग्न विवरणी एनबीएस 1 द्वारा प्रस्थापित होगी।

वी. एस. एन मूर्ति
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

फार्म - एनबीएस 1

31 मार्च 20... की स्थिति के अनुसार जमाराशियों की वार्षिक विवरणी
(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने / रखने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा विविध गैर बैंकिंग कंपनियों - अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर - द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

फाइल संख्या	
आइ.डी नंबर	
कारोबार का स्वरूप	
जिला कूट	
राज्य कूट	
(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भरा जाना है)	

कंपनी का नाम : ....

विवरणी भरने के लिए अनुदेश - सामान्य

1. यह विवरणी 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 118/डीजी (एसपीटी)-98 के पैरा 8(3) द्वारा समाविष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी तथा 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी. 39/डीजी (एच)-77 के पैरा 11 द्वारा समाविष्ट विविध गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा **उसकी 31 मार्च की स्थिति के संदर्भ में** 31 मार्च के बाद तथा अधिक से अधिक 30 सितंबर तक वर्ष में एक बार भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए, जहां उस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित हो; चाहे संबंधित कंपनी के वित्तीय वर्ष की लेखाबंदी की तारीख कुछ भी हो । इसके साथ प्रस्तुत फार्मेट के अनुसार कंपनी के लेखा-परीक्षकों से प्राप्त कर एक प्रमाणपत्र विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए । तथापि, सिर्फ भाग -3 के संबंध में, सूचना नवीनतम परन्तु विवरणी की तारीख से पूर्व के तुलनपत्र के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

   नोट : *13.1.2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस. 135/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000 के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 31 मार्च 2001 को समाप्त लेखा वर्ष से हर साल 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपना तुलनपत्र और लाभ हानि लेखा तैयार करेंगी । अतः 31 मार्च 2001 को समाप्त लेखा वर्ष से विवरणी के भाग 3 में प्रस्तुत सूचना वर्तमान तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार होगी तथा इस प्रकार वह विवरणी की तारीख के अनुरूप होगी ।*

2. विवरणी प्रस्तुत करने में वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा को अंतिम रूप देने / पूरा होने जैसे किसी कारणवश देरी नहीं होनी चाहिए । विवरणी का संकलन कंपनी की लेखा-बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के

आधार पर किया जाना चाहिए तथा उसे इसके सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए ।

3. **खातों की संख्या** वास्तविक आंकड़ों में दी जानी चाहिए, जबकि **जमाराशियों की मात्रा लाख रुपयों में दर्शायी जानी चाहिए** । राशि निकटतम लाख में पूर्णांकित की जानी चाहिए । उदाहरण के तौर पर 4,56,100 रुपये को 5 के रूप में, न कि 4.6 या 5,00,000 के रूप में दर्शाया जाना चाहिए । इसी तरह, 61,49,500 रुपये की राशि को 61 के रूप में न कि 61.5 अथवा 61,00,000 के रूप में दर्शाया जाना चाहिए ।

4. विवरणी पर प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में परिभाषित है) और यदि ऐसा कोई प्रबंधक न हो तो प्रबंध निदेशक या कंपनी के किसी ऐसे अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए जिसे निदेशक मंडल द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो तथा जिसका नमूना हस्ताक्षर इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया हो । यदि नमूना हस्ताक्षर निर्धारित कार्ड में प्रस्तुत न किया गया हो, तो विवरणी पर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उनका नमूना हस्ताक्षर अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

5. यदि विवरणी के किसी भाग / मद में कुछ भी रिपोर्ट न किया जाना हो, तो 'खातों की संख्या' के लिए अभिप्रेत स्तंभ में संबंधित भाग / मद में 'शून्य' दर्शाया जाना चाहिए तथा 'राशि' के लिए अभिप्रेत स्तंभ में 00 दर्शाये जाने चाहिए ।

6. इस विवरणी में उल्लिखित 'अनुषंगी कंपनी' तथा 'उसी समूह की कंपनी' का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम में 31 अक्तूबर 1998 को हुए संशोधन के पूर्व कंपनी अधिनियम, 1956 की क्रमशः धारा 4 और धारा 372(11) में उन्हें दिया गया हो ।

7. यदि यह विवरणी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (इंटरनेट) से विनिर्दिष्ट वेब-सर्वर को प्रस्तुत की जा रही हो तो उसकी एक हार्ड कॉपी पर विधिवत् हस्ताक्षर कर उसे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाये ।

कंपनी की रूपरेखा

1.	कंपनी का नाम					
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता					
			पिन			
	फोन नम्बर		फैक्स नम्बर		ई-मेल का पता	
3.	उस राज्य का नाम, जिसमें कंपनी को पंजीकृत कराया गया है					
4.	कार्पोरेट / प्रधान कार्यालय का पता					
			पिन			
	फोन नम्बर		फैक्स नम्बर		ई-मेल का पता	
5.	निगमन की तारीख					
6.	कारोबार शुरू करने की तारीख					
7.	निम्नलिखित का नाम और निवास का पता : i) अध्यक्ष					
	ii) प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी					
8.	क्या यह सरकारी कंपनी है (कृपया टिक करें) :		हां		नहीं	
9.	कंपनी की स्थिति (कृपया टिक करें) :					
		(i) पब्लिक लि.		(ii) मानी गयी पब्लिक		
		(iii) प्राइवेट लि.		(iv) संयुक्त उद्यम		
10.	कंपनी का वित्तीय वर्ष					
11.	कारोबार का स्वरूप					

12.	भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकरण की स्थिति i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जाने की स्थिति में पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख	
	ii) यदि पंजीकृत न किया गया हो, तो कृपया सूचित करें कि क्या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत हुआ है / लंबित है	
13.	कंपनी का वर्गीकरण (यदि रिज़र्व बैंक ने उसे किराया खरीद /लीजिंग / ऋण / निवेश /परस्पर लाभवाली कंपनी आदि के रूप में वर्गीकृत किया हो तथा ऐसे वर्गीकरण की संदर्भ संख्या और तारीख)	
14.	**क्रेडिट रेटिंग** : i) दी गयी रेटिंग	
	ii) रेटिंग की तारीख	
	iii) रेटिंग एजेंसी का नाम	
	iv) पिछली रेटिंग से क्या कोई परिवर्तन हुआ है (ब्यौरे)	
15.	शाखाओं /कार्यालयों की संख्या (कृपया नोट 1 के अनुसार नीचे दिये गये फार्मेट में उनके नामों और पतों की सूची संलग्न करें)	
16.	यदि अनुषंगी कंपनी हो तो कृपया धारक कंपनी का नाम और पता सूचित करें	
17.	यदि कंपनी की अनुषंगी / सहयोगी कंपनियां हों, तो उनकी संख्या (कृपया नोट 2 के अनुसार नीचे दिये गये फार्मेट में नामों, पतों, निदेशकों के नामों की सूची तथा उनके व्यावसायिक कार्यकलापों के ब्यौरे संलग्न करें)	
18.	यदि संयुक्त उद्यम हो, प्रवर्तक संस्था (ओं) का नाम और पता	
19.	कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों का नाम, उनके पता और फोन नम्बर के साथ	
20.	कंपनी के बैंकरों का (के) नाम, उनके पता और फोन नम्बर के साथ	

नोट (1) : शाखाओं के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट:

क्रम सं.	शाखा का नाम	खुलने की तारीख	पता	शहर	जिला	राज्य	जनता की जमाराशि की मात्रा
	शाखाओं की कुल संख्या						सभी शाखाओं की जनता की कुल जमाराशियां ....(राशि)
							दिनांक ....के तुलनपत्र के अनुसार जनता की कुल जमाराशियां.......... ....(राशि)

नोट (2) : अनुषंगी कंपनियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट:

क्रम सं.	अनुषंगी कंपनी का नाम	पता	निदेशकों का नाम	कारोबार संबंधी कार्यकलाप

आस्तियों और देयताओं के ब्यौरे (31 मार्च 200.. की स्थिति)

भाग - 1

जनता की जमाराशियां

(राशि लाख रुपयों में)

मद संख्या	विवरण	मद कूट	खातों की संख्या	राशि
1.	सावधि जमाराशियों, आवर्ती जमाराशियों आदि के रूप में जनता से प्राप्त जमाराशियां	111		
2.	(i) पब्लिक लिमिटेड कंपनी (*निधियों* से इतर) द्वारा शेयरधारकों से प्राप्त जमाराशियां	112		
	(ii) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा पहले नाम वाले शेयरधारक से इतर संयुक्त शेयरधारकों के प्राप्त जमाराशियां	113		
3.	(i) अपरिवर्तनीय बेजमानती डिबेंचरों के निर्गम द्वारा प्राप्त राशि (कृपया नीचे दिया गया अनुदेश सं. 1 देखें)	114		
	(ii) अन्य किसी प्रकार की जनता की जमाराशियां	115		
4.	**जोड़ (111 से 115)**	**110**		
5.	उक्त मद 4 में दर्शायी गयी कुल जमाराशियों में से निम्नलिखित अवधि में देय (i) 1 वर्ष के भीतर	121		
	(ii) 1 वर्ष बाद परन्तु 2 वर्ष तक	122		
	(iii) 2 वर्ष बाद परन्तु 3 वर्ष तक	123		
	(iv) 3 वर्ष बाद परन्तु 5वर्ष तक तथा	124		
	(v) 5 वर्ष बाद	125		
6.	**जोड़ (121 से 125)**	**120**		
7.	निम्नलिखित ब्याज दर के अनुसार उक्त मद 4 में जनता की जमाराशियों के ब्यौरे (दलाली, यदि कोई हो, को छोड़कर) (i) 10% से कम	131		
	(ii) 10% या अधिक परन्तु 12% से कम	132		
	(iii) 12% या अधिक परन्तु 14% से कम	133		
	(iv) 14% या अधिक परन्तु 16% से कम	134		
	(v) 16%	135		
	(vi) 16% से अधिक परन्तु 18% तक	136		
	(vii) 18% से अधिक	137		
8.	**जोड़ (131 to 137)**	**130**		

9.	मात्रा के अनुसार जनता की जमाराशियों के ब्यौरे i) जनता से प्राप्त सावधि जमाराशियां आदि (उक्त मद सं. 1 देखें)			
	क) 10,000 रुपये तक	141		
	ख) 10,000 रुपये से अधिक	142		
	ii) पब्लिक लि. कंपनियों के मामले में शेयरधारकों से प्राप्त जमाराशियां (उक्त मद सं. 2 देखें)			
	क) 10,000 रुपये तक	143		
	ख) 10,000 रुपये से अधिक	144		
	iii) अपरिवर्तनीय बेजमानती डिबेंचर (उक्त मद सं. 3 देखें)			
	क) 10,000 रुपये तक	145		
	ख) 10,000 रुपये से अधिक	146		
10.	**जोड़ (141 से 146) [मद 110 के सामने दर्शायी गयी राशि से मिलना चाहिए]**	**140**		
11.	उक्त मद 4 में दर्शायी गयी जमाराशियों में से : i) अवधिपूर्ण हो गयी परंतु दावा न की गयी जमाराशियां	151		
	ii) अवधिपूर्ण हो गयी, दावा की गयी परंतु अदा न की गयी जमाराशियां (कृपया नीचे अनुदेश सं. 2 देखें) क) जनता से (उक्त मद सं. 1 देखें)	152 153		
	ख) शेयरधारकों से (उक्त मद सं. 2 देखें)	154		
	ग) डिबेंचर धारकों से (उक्त मद सं. 3 देखें) (कृपया (क) (ख) और (ग) के ब्यौरे अनुबंध सं. .... में प्रस्तुत करें)	155		
	iii) उक्त मद (ii) के सामने दर्शायी गयी ऐसी जमाराशियां जिनमें कंपनी विधि बोर्ड ने चुकौती के आदेश पारित कर दिये हैं	156		
12.	दलाली अदा करके वर्ष के दौरान जुटायी गयी जनता की जमाराशियां	157		
13.	अदा की गयी दलाली	158		
14.	12 में 13 का %	159		
15.	अवधिपूर्ण हो गयी परंतु सात वर्ष तक, अवधिपूर्णता के वर्ष को शामिल करते हुए, दावा न की गयी जनता की जमाराशियां	160		

अनुदेश :

1. आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों / बांडों के मामले में, परिवर्तनीय हिस्से को भाग - 2 की मद 9 के सामने दर्शाना चाहिए । अपरिवर्तनीय बेजमानती डिबेंचरों को इस मद के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए ।
2. प्रत्येक जमाराशि की चुकौती न किये जाने के कारण तथा कंपनी विधि बोर्ड के आदेश (यदि कोई हो) के अनुपालन सहित चुकौती के लिए उठाये गये कदमों के बारे में एक अनुबंध के रूप में सूचित किया जाना चाहिए ।

भाग - 2

अन्य उधार राशियों के विवरण

मद सं.	विवरण	मद कूट	खातों की सं.	राशि
1.	केंद्र / राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकरण / अन्यों से उधार ली गयी ऐसी राशियां, जिनकी चुकौती केन्द्र / राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत है	221		
2.	निम्नलिखित से उधार ली गयी राशि : i) विदेशी सरकार	222		
	ii) विदेशी प्राधिकरण	223		
	iii) विदेशी नागरिक या व्यक्ति	224		
	जोड़ (222 से 224)	225		
3.	निम्नलिखित से उधार ली गयी राशियां : (i) बैंक	226		
	(ii) अन्य विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाएं	227		
4.	किसी अन्य कंपनी से उधार ली गयी राशि	228		
5.	निदेशकों / प्रवर्तकों से लिये गये बेजमानती ऋण	229		
6.	प्राइवेट कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से उधार ली गयी राशि	230		
7.	कंपनी के कर्मचारियों से जमानती जमाराशि के रूप में प्राप्त तथा कंपनी और कर्मचारियों के नाम में अनुसूचित बैंक या डाकघर में संयुक्त खातों में रखी गयी राशि	231		
8.	सतर्कता राशि, उधारकर्ताओं, पट्टेधार, किरायेदारों से प्राप्त मार्जिन राशि अथवा जमानत के रूप में प्राप्त राशि अथवा कंपनी के कारोबार के दौरान एजेंटों से प्राप्त अग्रिम अथवा माल की आपूर्ति के लिए प्राप्त आदेशों या संपत्तियों या सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि	232		
9.	परिवर्तनीय या जमानती डिबेंचर / बांड जारी करके प्राप्त राशि (कृपया नीचे दिया गया अनुदेश देखें)	233		
10.	उक्त में से बैंकों / अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अभिदत्त डिबेंचर	234		

11.	आबंटन होने तक शेयरों, बांडों या डिबेंचरों में अभिदान के द्वारा प्राप्त राशि अथवा शेयरों पर अग्रिम मांग के द्वारा प्राप्त राशि (पुनर्वित्त के लिए पात्र नहीं)	235		
12.	वाणिज्यिक पत्र	236		
13.	निदेशकों के रिश्तेदारों से प्राप्त जमाराशियां	237		
14.	म्युच्युअल फंडों से उधार ली गयी राशियां	238		
15.	अन्य कोई (जनता की जमाराशि के रूप में न माना गया - कृपया विनिर्दिष्ट करें)	239		
16.	**जोड़ (221 + 225 + 226 to 233+ 235 से 239)**	250		

अनुदेश :

आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों / बांडों के मामले में सिर्फ परिवर्तनीय अंश को उक्त भाग - 2 की मद 9 के सामने दर्शाया जाना चाहिए ।

भाग - 3

शुद्ध स्वाधिकृत निधि

[विवरण की तारीख से पहले के नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार अथवा विवरण की तारीख की स्थिति के तुलनपत्र के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत किये जाने हैं]

[..................................की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र]

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1.	पूंजीगत निधियां : (i) प्रदत्त इक्विटी पूंजी	311	
	(ii) प्रदत्त अधिमान शेयर, जो अनिवार्यतः इक्विटी में परिवर्तनीय हैं	312	
	(iii) मुक्त प्रारक्षित निधियां (कृपया नीचे दिया गया अनुदेश सं. 1 देखें)	313	
2.	**जोड़ (311 +312 +313) = अ**	**310**	
3.	(i) हानि का संचित शेष	321	
	(ii) आस्थगित राजस्व व्यय की शेष राशि	322	
	(iii) अन्य अगोचर आस्तियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	323	
4.	**जोड़ (321+322 +323) = आ**	**320**	
5.	**स्वाधिकृत निधि (अ - आ) अर्थात् (310-320) = इ**	**330**	
6.	निम्नलिखित के शेयरों में निवेश का बही मूल्य : (i) कंपनी की अनुषंगी संस्थाएं	341	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां	342	
	(iii) अन्य सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (ब्यौरे अनुबंध सं.... में)	343	
7.	निम्नलिखित के डिबेंचरों और बांडों में निवेश का बही मूल्य : (i) कंपनी की अनुषंगी संस्थाएं	344	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां (ब्यौरे अनुबंध सं.... में)	345	
8.	निम्नलिखित के पास बकाया ऋण और अग्रिम जिनमें खरीद / भुनाये गये बिल, अंतर-कंपनी जमाराशियां किराया खरीद और पट्टा वित्त, वाणिज्यिक पत्र शामिल है : (i) कंपनी की अनुषंगी संस्थाएं	346	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां (ब्यौरे अनुबंध सं.... में) [कृपया नीचे दिया गया अनुदेश सं. 2 देखें]	347	
9.	**जोड़ (341 से 347) = ई**	**340**	
10.	**'इ' के 10% के ऊपर 'ई' (330 के 10% के ऊपर 340) = उ**	**351**	
11.	**शुद्ध स्वाधिकृत निधि (330 - 351) = ('इ - 'उ')**	**350**	
12.	नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार चुकता अधिमान शेयर पूंजी, जो अनिवार्यतः परिवर्तनीय नहीं है	361	
13.	इस विवरणी की तारीख को चुकता अधिमान शेयर पूंजी, जो अनिवार्यतः परिवर्तनीय नहीं है	362	

14.	विवरणी की तारीख के पहले के नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार कुल देयताएं	363	
15.	इस विवरणी की तारीख को कुल देयताएं	364	

अनुदेश :

1. उक्त मद 1(iii) के अंतर्गत उल्लिखित "**मुक्त प्रारक्षित निधियां**" में शेयर प्रीमियम खाते, पूंजी और डिबेंचर शोधन प्रारक्षित निधि तथा तुलन-पत्र में दर्शायी गयी या प्रकाशित किसी अन्य प्रारक्षित निधि में जमा शेष शामिल होगी, जो लाभ के आबंटन के माध्यम से निर्मित है परंतु जो :
   (i) भविष्य की किसी देयता की चुकौती या आस्तियों के मूल्यह्रास या अनर्जक आस्तियों / अशोध्य ऋणों हेतु प्रावधान के लिए निर्मित प्रारक्षित निधि नहीं हो; या
   (ii) कंपनी की आस्तियों के पुनर्मूल्यन द्वारा निर्मित प्रारक्षित निधि नहीं हो।

2. किराया खरीद और पट्टा वित्त का अर्थ है :
   (i) किराया खरीद आस्ति के मामले में, प्राप्य भावी किस्तों की राशि जिसमें से अपरिपक्व वित्त प्रभारों का जमा शेष घटाया जाये; और
   (ii) पट्टे वाली आस्तियों के मामले में, पट्टेवाली आस्ति का मूल्यह्रासित बही मूल्य जिसमें / जिसमें से पट्टा समायोजन खाते में जमा शेष जोड़ा / घटाया जाये।

प्राप्य परंतु प्राप्त न की गयी राशि को दोनों मामलों में जोड़ा जाये।

भाग - 4

अंतर-कंपनी जमाराशियों / वाणिज्यिक पत्रों सहित बकाया ऋण और अग्रिम

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1.	कंपनी की अनुषंगी कंपनियों में ऋण और अग्रिम आदि	411	
2.	एक ही समूह की कंपनियां	412	
3.	ऐसी कंपनियां, फर्में और स्वाम्य प्रतिष्ठान, जिनमें कंपनी के निदेशकों का पर्याप्त हित है / वे हितबद्ध हैं (कृपया नीचे दिया गया अनुदेश सं. 1 देखें)[ब्यौरे अनुबंध सं........में]	420	
4.	अन्य :		
	(i) कंपनियां, जो एक ही समूह की नहीं हैं	431	
	(ii) निदेशक / प्रवर्तक	432	
	(iii) शेयरधारी	433	
	(iv) स्टाफ-सदस्य	434	
	(v) जमाकर्ता	435	
	(vi) अन्य	436	
5.	**जोड़ (411 +412 +420 +431से 436)**	**400**	

अनुदेश:

(1) 'पर्याप्त हित' का वही अर्थ होगा, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 में उसे दिया गया है ।

(2) फुटकर देनदार, अग्रिम रूप में अदा किये गये कर और अन्य वसूलीयोग्य ऐसी मदों, जो ऋण और अग्रिम के स्वरूप की नहीं हैं, को उपर्युक्त भाग-4 में **नहीं** दर्शाया जाना चाहिए ।

(3) अन्य कंपनियों के पास रहनेवाली सावधि जमाराशियों को मामले के अनुसार मद 1, 2, 3 और 4(i) के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए ।

(4) भाव उद्धृत न किये जानेवाले डिबेंचरों में निवेश को ऋण माना जाना चाहिए, निवेश नहीं ।

भाग - 5 (i)

निवेश (बही मूल्य पर)

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1.	निम्नलिखित में निवेश -		
	(i) बैंकों के पास सावधि जमाराशियां / बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र	541	
	(ii) बैंक (बैंकों) के पास किन्हीं अन्य जमा खातों में जमा शेष	542	
	(iii) केन्द्र / राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां और केन्द्र / राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत बांड	543	
	(iv) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट	544	
	(v) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें....)	545	
2.	शेयरों में निवेश :		
	(i) उद्धृत किये जानेवाले	511	
	(ii) उद्धृत न किये जानेवाले	512	
3.	डिबेंचरों और बांडों में निवेश	515	
4.	जिन कंपनियों में निदेशकों का पर्याप्त हित है उनके शेयरों और डिबेंचरों / बांडों में निवेश (कृपया भाग - 4 का अनुदेश सं. 1 देखें) (ब्यौरे अनुबंध सं. . . . . में)	520	
5.	**जोड़ [541 से 545 + 511 + 512 + 515 + 520]**	**500**	

अनुदेश :

(1) निवेश खाते में या व्यापारगत स्टॉक के रूप में धारित शेयरों, डिबेंचरों और वाणिज्यिक पत्रों के ब्यौरे इस भाग में शामिल किये जाने चाहिए ।

(2) अन्य कंपनियों के पास सावधि जमाराशि को यहां शामिल नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु उसे भाग-4 में दिखाना चाहिए ।

(3) भाव उद्धृत न किये जानेवाले डिबेंचरों / बांडों में निवेश को ऋण माना जाना चाहिए, निवेश नहीं ।

भाग - 5 (ii)

उद्धृत शेयर / डिबेंचर / बांड / वाणिज्यिक पत्र

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1.	बही मूल्य	551	
2.	बाजार मूल्य	552	

भाग - 6

किराया खरीद कारोबार

मद सं.	किराये पर दिये जानेवाले माल का स्वरूप	मद कूट	खातों की संख्या	राशि
1.	ऑटोमोबाइल :			
	(i) भारी वाणिज्यिक वाहन	611		

	(ii) दुपहिया वाहनों सहित हल्के वाणिज्यिक वाहन	612		
	(iii) अन्य	613		
2.	**जोड़ [611+612+613]**	**610**		
3.	टिकाऊ घरेलू वस्तुएं	621		
4.	डाटा प्रोसेसिंग / ऑफिस ऑटोमेशन उपकरण	622		
5.	कृषि के उपकरण (ट्रैक्टर, बुलडोजर आदि)	623		
6.	औद्योगिक मशीनें या उद्योगों में उपयोग के लिए औजार या उपकरण	624		
7.	अन्य सभी	625		
8.	**जोड़ [610+ 621 से 625]**	**600**		
9.	उपर्युक्त 8 में से, निम्नलिखित से देय राशियां - अनुषंगी कंपनियां / एक ही समूह की कंपनियां / ऐसी कंपनियां, फर्म और स्वाम्य प्रतिष्ठान, जिनमें कंपनी के निदेशकों का पर्याप्त हित है	691		

भाग - 7

उपकरण पट्टे पर देने का कारोबार

मद सं.	पट्टे पर दिये जानेवाले उपकरण का स्वरूप	मद कूट	पट्टे पर दी गयी सकल आस्तियां	संचित मूल्यह्रास +/- पट्टा समायोजन खाता	पट्टे पर दी गयी शुद्ध आस्तियां तथा प्राप्य पर प्राप्त न की गयी राशियां
1.	संयंत्र और मशीनें	701			
2.	डाटा प्रोसेसिंग / कार्यालय उपकरण	702			
3.	वाहन	703			
4.	अन्य	704			
5.	**जोड़ (701+702+703+704)**	**700**			
6.	उपर्युक्त 5 में से, निम्नलिखित से देय राशि - अनुषंगी कंपनियां / एक ही समूह की कंपनियां / ऐसी कंपनियां, फर्म और स्वाम्य प्रतिष्ठान, जिनमें कंपनी के निदेशकों का पर्याप्त हित है / या वे हितबद्ध हैं।	791			

भाग - 8

बिल कारोबार

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1.	खरीदे गये / भुनाये गये ऐसे बिल, जिनमें आहर्ता, अदाकर्ता अथवा कोई पृष्ठांकिती निम्नलिखित में से हो : (i) कंपनियों की सहायक संस्थाएं	801	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां	802	
	(iii) ऐसी कंपनियां या फर्में, जिनमें कंपनी के किसी निदेशक का पर्याप्त हित हो अथवा उसके द्वारा स्वाधिकृत स्वाम्य प्रतिष्ठान	803	
2.	**उक्त 1 से इतर खरीदे गये / भुनाये गये बिल**	820	
3.	**जोड़ (801 + 802 + 803 + 820)**	**800**	

भाग - 9

अन्य अचल आस्तियों के बारे में विवरण

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1.	अचल आस्तियां		
	(i) अपने उपयोग के लिए भूमि और भवन	901	
	(ii) भूमि और भवन - अन्य	902	
	(iii) फर्नीचर और फिक्सचर	903	
	(iv) वाहन	904	
2.	अगोचर आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियां	905	
3	**अन्य आस्तियों का जोड़ (901 + 902 + 903 + 904+905)**	**910**	
4.	**कुल आस्तियां [अगोचर आस्तियों को छोड़कर] (400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 910]**	**900**	

भाग - 10

31 मार्च 200.. को समाप्त वर्ष के लिए व्यवसाय संबंधी आंकड़े / सूचना

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1	**I. संवितरण (निधि आधारित कार्यकलाप)** उपकरण पट्टे पर देना :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1001	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1002	
2	किराया खरीद :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1003	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1004	
3	**ऋण** (क) कंपनियों को शेयरों की जमानत पर ऋण :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1005	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1006	
	(ख) व्यक्तियों को शेयरों की जमानत पर ऋण :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1007	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1008	
	(ग) दलालों को शेयरों की जमानत पर ऋण :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1009	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1010	
	(घ) आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों को वित्तपोषित करने के लिए ऋण :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1011	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1012	
	(ङ) अंतर-कंपनी ऋण / जमाराशियां :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1013	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1014	
	(च) अन्य	1015	
4	खरीदे गये / भुनाये गये बिल :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1016	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1017	
5	4 में से, पुनः भुनाये गये बिल :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1018	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	1019	
6	**II. शेयरों / प्रतिभूतियों (कोट किये गये, एसएलआर से इतर) में लेनदेन** शेयरों / डिबेंचरों / वाणिज्यिक पत्रों की खरीद / बिक्री : (क) खरीद	1020	
	(ख) बिक्री	1021	
7.	**III. शुल्क आधारित कार्यकलाप** पूंजी बाजार संबंधी परिचालनों के लिए जारी की गयी गारंटियां :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1022	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	1023	

8.	अन्य प्रयोजनों के लिए जारी की गयी गारंटियां :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1024	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	1025	
9	वर्ष के दौरान समूहित (सिंडिकेटेड) लीज / किराया खरीद	1026	
10.	वर्ष के दौरान समूहित ऋण / अंतर-कंपनी जमाराशियां	1027	
11	वर्ष के दौरान समूहित बिल	1028	
12	हामीदारी :		
	(क) हामीदारी की कुल राशि	1029	
	(ख) न्यागत राशि	1030	
	(ग) बकाया वचनबद्धताएं	1031	

भाग - 10(अ)

अतिदेय राशियों की स्थिति

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1	12 महीने से अधिक समय से अतिदेय लीज	1041	
2	12 महीने तक अतिदेय लीज	1042	
3	12 महीने से अधिक समय से अतिदेय किराया खरीद	1043	
4	12 महीने तक अतिदेय किराया खरीद	1044	
5	6 महीने से अधिक समय से अतिदेय अन्य राशियां	1045	
6	6 महीने तक अतिदेय अन्य राशियां	1046	
7	**जोड़ (1041 से 1046)**	**1040**	

भाग - 11

चुनिंदा आय और व्यय के विवरण

(कृपया नीचे दिये गये अनुदेश देखें)

	निधि-आधारित आय :		
1	सकल लीज आय	1101	
2	घटायें : पट्टे पर दी गयी आस्तियों पर मूल्यह्रास + / - लीज समकरण	1102	
3	शुद्ध लीज आय (**1101-1102**)	1103	
4	किराया खरीद आय	1104	
5	बिल भुनाने से संबंधित आय	1105	
6	निवेश आय		
	(क) लाभांश / ब्याज	1106	
	(ख) शेयर / डिबेंचर / वाणिज्यिक पत्रों की बिक्री पर लाभ / हानि (+ / -)	1107	
7	ब्याज संबंधी आय		
	(क) अंतर-कंपनी जमाराशियां / ऋण	1108	
	(ख) अन्य ऋण और अग्रिम	1109	
8	अन्य निधि आधारित आय	1110	
9	कुल निधि आधारित आय (**1103 से 1110**)	**1111**	
	शुल्क आधारित आय		
10	व्यापारिक बैंकिंग संबंधी कार्यकलापों से आय	1112	
11	हामीदारी कमीशन	1113	
12	बिलों, ऋणों, अंतर-कंपनी जमाराशियों, लीज और किराया खरीद के समूहन से प्राप्त आय	1114	
13	विविध आय	1115	

	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	1023	
8.	अन्य प्रयोजनों के लिए जारी की गयी गारंटियां :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1024	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	1025	
9	वर्ष के दौरान समूहित (सिंडिकेटेड) लीज / किराया खरीद	1026	
10.	वर्ष के दौरान समूहित ऋण / अंतर-कंपनी जमाराशियां	1027	
11	वर्ष के दौरान समूहित बिल	1028	
12	हामीदारी :		
	(क) हामीदारी की कुल राशि	1029	
	(ख) न्यागत राशि	1030	
	(ग) बकाया वचनबद्धताएं	1031	

भाग - 10(अ)

अतिदेय राशियों की स्थिति

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1	12 महीने से अधिक समय से अतिदेय लीज	1041	
2	12 महीने तक अतिदेय लीज	1042	
3	12 महीने से अधिक समय से अतिदेय किराया खरीद	1043	
4	12 महीने तक अतिदेय किराया खरीद	1044	
5	6 महीने से अधिक समय से अतिदेय अन्य राशियां	1045	
6	6 महीने तक अतिदेय अन्य राशियां	1046	
7	**जोड़ (1041 से 1046)**	**1040**	

भाग - 11

चुनिंदा आय और व्यय के विवरण

(कृपया नीचे दिये गये अनुदेश देखें)

	निधि-आधारित आय :		
1	सकल लीज आय	1101	
2	घटायें : पट्टे पर दी गयी आस्तियों पर मूल्यह्रास + / - लीज समकरण	1102	
3	शुद्ध लीज आय **(1101-1102)**	1103	
4	किराया खरीद आय	1104	
5	बिल भुनाने से संबंधित आय	1105	
6	निवेश आय		
	(क) लाभांश / ब्याज	1106	
	(ख) शेयर / डिबेंचर / वाणिज्यिक पत्रों की बिक्री पर लाभ / हानि (+ / -)	1107	
7	ब्याज संबंधी आय		
	(क) अंतर-कंपनी जमाराशियां / ऋण	1108	
	(ख) अन्य ऋण और अग्रिम	1109	
8	अन्य निधि आधारित आय	1110	
9	कुल निधि आधारित आय **(1103 से 1110)**	**1111**	
	शुल्क आधारित आय		
10	व्यापारिक बैंकिंग संबंधी कार्यकलापों से आय	1112	
11	हामीदारी कमीशन	1113	
12	बिलों, ऋणों, अंतर-कंपनी जमाराशियों, लीज और किराया खरीद के समूहन से प्राप्य	1114	

प्रमाणपत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998* (समय-समय पर यथासंशोधित) / विविध गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1977*, जैसी स्थिति हो, में निहित निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है ।

2. साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी में प्रस्तुत ब्यौरों / सूचना का सत्यापन किया गया है तथा उन्हें सही और हर तरह से पूर्ण पाया गया है ।

(* जो लागू न हो उसे काट दें)

प्रबंधक / प्रबंध निदेशक / प्राधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर

दिनांक :
स्थान :

लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

हमने इस विवरणी में प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में ....कंपनी लिमिटेड द्वारा रखी गयी लेखा बहियों तथा अन्य रिकार्डों की जांच की है तथा हम सूचित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांचे गये रिकार्डों के अनुसार इस विवरणी में प्रस्तुत आंकड़े सही हैं ।

स्थान : हस्ताक्षर :

दिनांक : सनदी लेखाकारों का नाम

विवरणी के संलग्नक :

1. विवरणी के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाने चाहिए, अगर उन्हें पहले से प्रस्तुत न किया गया हो । कृपया संलग्न किये गये दस्तावेज़ों के लिए मद के सामने बॉक्स में टिक करें और अन्य मामलों में उन्हें प्रस्तुत किये जाने की तारीख का उल्लेख करें ।

   (i) विवरणी की तारीख के निकटतम तारीख के लेखा-परीक्षित तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखा की एक प्रति ।

   (ii) नमूना हस्ताक्षर कार्ड ।

   (iii) 2 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 118/डीजी (एसपीटी)-98 के पैराग्राफ 4(12) अथवा 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी. 39/डीजी(एच)-77 के पैराग्राफ 6 में संदर्भित आवेदनपत्र की एक प्रति ।

2. संलग्न फार्म में प्रधान अधिकारियों तथा निदेशकों के नाम और पतों की एक सूची इस विवरणी के साथ भेजी जानी है ।

भाग - 12

............................लि. के प्रधान अधिकारियों तथा निदेशकों की सूची

I. प्रधान अधिकारी

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पता और टेलीफोन नं.	यदि किसी कंपनी / कंपनियों में निदेशक हों, तो कंपनी / कंपनियों का/के नाम

II. निदेशक

क्रम सं.	नाम	पता	निदेशक, उसकी पत्नी / उसका पति तथा अवयस्क बच्चों द्वारा धारित कंपनी के इक्विटी शेयरों का प्रतिशत	उन अन्य कंपनियों के नाम जहां वे निदेशक हों

प्रबंधक / प्रबंध निदेशक / प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम : ______________________

पदनाम : ______________________

स्थान :

तारीख :

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
केंद्र 1, विश्व व्यापार केंद्र , कफ परेड, कोलाबा,
मुंबई 400 005

अधिसूचना सं. डीएनबीएस. 142 /सीजीएम (वीएसएनएम) - 2000 दिनांक : 30 जून 2000

भारतीय रिज़र्व बैंक, जनहित में इसे आवश्यक समझते हुए और देश के लाभ के लिए ऋण प्रणाली को विनियमित करने हेतु *बैंक* को समर्थ बनाने के प्रयोजन से इस बात से संतुष्ट होकर कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 जक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा इस संबंध में सभी समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 119 /डीजी (एसपीटी)/98 में निहित उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से निम्न-लिखित रूप में संशोधित हो जायेंगे, अर्थात् -

1. पैराग्राफ 8 में, उप पैराग्राफ (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात्
   "<u>पट्टे और किराया खरीद आस्तियां</u>

   (2) किराया खरीद और पट्टेवाली आस्तियों के संबंध में प्रावधान करने की अपेक्षाएं निम्नप्रकार होंगी :-

   <u>किराया खरीद आस्तियां</u>

   (i) किराया खरीद आस्तियों के संबंध में कुल देय राशियां (अतिदेय और भविष्य की किस्तों को एक साथ लेकर), निम्नलिखित को घटाकर

   (क) वित्त प्रभार जो लाभ और हानि खाते में नहीं ले जाया गया है और अवधिपूर्ण न हुए वित्त प्रभरों के रूप में आगे ले गये हैं; और

   (ख) अंतर्निहित आस्तियों का मूल्यह्रास घटाकर मूल्य,

शेष के बराबर प्रावधान करना होगा "

<u>स्पष्टीकरण</u>

इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए,

(1) मूल्यह्रास घटाकर आस्ति का मूल्य आस्ति की मूल लागत के रूप में काल्पनिक तौर पर निकाला जायेगा, जिसमें से ऋजु रेखा प्रणाली से 20 प्रतिशत वार्षिक की दर पर मूल्यह्रास घटाया जायेगा; और

(2) पुरानी (सेकेंड हैंड) आस्तियों के संबंध में प्राप्त करने के लिए ऐसी पुरानी आस्ति की वास्तविक लागत मूल लागत होगी ।

<u>किराया खरीद और पट्टेवाली आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान</u>

(ii) किराया खरीद और पट्टेवाली आस्तियों के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान निम्नप्रकार किया जायेगा :

(क) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टे के किराये की राशि 12 महीने तक के लिए अतिदेय हो	शून्य

<u>अवमानक आस्तियां</u> :

(ख) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टे के किराये की राशि 12 महीने से अधिक और 24 महीने तक के लिए अतिदेय हो	शुद्ध बही मूल्य का 10 प्रतिशत

<u>संदिग्ध आस्तियां</u> :

(ग) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टे के किराये की राशि [illegible] महीने से अधिक और 36 महीने तक के लिए अतिदेय हो	शुद्ध बही मूल्य का 40 प्रतिशत
(घ) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टे के किराये की राशि 36 महीने से अधिक और 48 महीने तक के लिए अतिदेय हो	शुद्ध बही मूल्य का 70 प्रतिशत

<u>हानि वाली आस्तियां</u> :

(ङ) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टे के किराये की राशि 48 महीने से अधिक के लिए अतिदेय हो	शुद्ध बही मूल्य का 100 प्रतिशत

(iii) किराया खरीद / पट्टे वाली आस्ति की पिछली किस्त की तारीख के 12 महीने बीतने के बाद संपूर्ण शुद्ध बही मूल्य के लिए प्रावधान किया जायेगा ।

टिप्पणियां :

(1) किराया खरीद करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास रखी गयी सावधानी राशि (कॉशन मनी) / मार्जिन राशि अथवा जमानत की राशि को उपर्युक्त खंड (i)

के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान में से घटा दिया जाये, यदि करार के अंतर्गत समान मासिक किस्तों की राशि तय करते समय पहले से ही हिसाब में न लिया गया हो । किराया खरीद करार के अनुसरण में उपलब्ध किसी अन्य जमानत के मूल्य को उपर्युक्त खंड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों में से ही घटाया जाये ।

(2) पट्टा करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास रखी गयी जमानत की राशि पट्टा करार के अनुसरण में उपलब्ध किसी अन्य जमानत के मूल्य को मिलाकर उपर्युक्त खंड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान में से ही घटाया जाये ।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि आय निर्धारण पर और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) पर प्रावधान विवेकपूर्ण मानदंडों के दो अलग-अलग पहलू हैं और मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए कुल बकाया राशियों, जो पट्टा समायोजन खाते में शेष राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद पट्टे वाली आस्ति के मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त बही मूल्य पर प्रावधान किये जाने हैं । प्रावधान न करने के लिए किसी अनर्जक आस्ति पर आय का निर्धारण नहीं हो सका, इस बात को नहीं माना जायेगा ।

(4) उक्त निदेशावली के पैराग्राफ (2)(xvi)(ख) में किये गये उल्लेख के अनुसार जिस आस्ति के बारे में पुनः समझौता हुआ है अथवा किस्तें पुनः निर्धारित की गयी हों वे अवमानक आस्ति बनी रहेंगी अथवा उस श्रेणी में रहेंगी जिसमें पुनः समझौता होने या किस्त पुनः निर्धारित होने से पहले संदिग्ध आस्ति के रूप में, यथास्थिति थी । इस प्रकार की आस्ति के लिए लागू होनेवाला आवश्यक प्रावधान तब तक अपेक्षित होगा जब तक कि वह आस्ति ऊपर की श्रेणी में न पहुंच जाये ।

(5) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिए तुलनपत्र पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (2) में किये गये प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जा सकता है ।"

3. उक्त निदेशावली के पैराग्राफ 13 में उल्लिखित छमाही विवरणी का फार्मेट इसके साथ संलग्न फार्मेट एनबीएस 2 के द्वारा प्रस्थापित किया जायेगा ।

वी. एस. एन. मूर्ति

(वी. एस. एन. मूर्ति)

प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

संलग्नक : एन बी एस 2

फार्म - एनबीएस - 2

मार्च / सितंबर 200... के अंत में पूंजीगत निधियों, जोखिम आस्तियों / जोखिमों और जोखिम आस्ति अनुपात आदि का छमाही विवरण

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम और पता

कंपनी कूट संख्या (रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी) ____________________

पंजीकरण संख्या (रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी) ____________________

कंपनी का वर्गीकरण (रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी) ____________________

(लाख रुपयों में)

भाग - अ

मद नाम	मद कूट	राशि
पूंजीगत निधियां - स्तर-I		
(i) चुकता इक्विटी पूंजी	111	
(ii) इक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर	112	
(iii) मुक्त प्रारक्षित निधियां		
(क) सामान्य प्रारक्षित निधियां	113	
(ख) शेयर प्रीमियम	114	
(ग) पूंजीगत निधियां (पृथक खाते में रखी गयी आस्तियों की बिक्री पर अधिशेष की द्योतक)	115	
(घ) डिबेंचर शोधन प्रारक्षित निधियां	116	
(ङ) पूंजी शोधन प्रारक्षित निधियां	117	
(च) लाभ-हानि लेखे में ऋण जमाशेष	118	
(छ) अन्य मुक्त प्रारक्षित निधियां (निर्दिष्ट की जायें)	119	
जोड़ (111 से 119)	**110**	
(iv) हानि का संचित जमा शेष	121	
(v) आस्थगित राजस्व व्यय	122	
(vi) अन्य गोचर आस्तियां	123	
जोड़ (121 से 123)	**120**	
(vii) स्वाधिकृत निधियां (110 - 120)	**130**	
(viii) निम्नलिखित के शेयरों में निवेश :		
(क) अनुषंगी कंपनियां	141	
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	142	
(ग) अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	143	

ix) डिबेंचरों, बांडों, बकाया ऋणों और अग्रिमों, खरीदे और भुनाये गये बिलों (किराया-खरीद और पट्टा वित्त सहित) का बही मूल्य जो निम्नलिखित को दिये गयें और उनके पास जमा किये गये		
(क) अनुषंगी कंपनियां	144	
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	145	
(x) जोड़ (141 से 145)	**140**	
(xi) उपर्युक्त मद 130 के 10% से अधिक मद 140 की राशि	**150**	
(xii) स्तर I पूंजी		
शुद्ध स्वाधिकृत निधि (130 -150)	**151**	

(लाख रुपयों में)

भाग - आ

मद नाम	मद कूट	राशि
पूंजीगत निधियां - स्तर II		
(निदेशावली का पैरा 2(1)(xx)(ख)		
(i) इक्विटी में अनिवार्यतः परिवर्तनीय से भिन्न अधिमान शेयर पूंजी	161	
(ii) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां	162	
(iii) सामान्य प्रावधान और हानि वाली प्रारक्षित निधियां	163	
(iv) संकर ऋण पूंजी लिखत	164	
(v) अधीनस्थ ऋण	165	
(vi) समग्र स्तर II पूंजी (मद 161 से 165)	**160**	
जोड़ पूंजीगत निधियां (151 + 160)	**170**	

(लाख रुपयों में)

भाग - इ

मद नाम	मद कूट	राशि
जोखिम आस्तियां और तुलन-पत्र बाह्य मदें		
(i) निधिक जोखिम आस्तियों का समायोजित मूल्य अर्थात् तुलन-पत्र में शामिल मदें (भाग 'ई' के साथ मिलान हो)	181	
(ii) गैर-निधिक और तुलन-पत्र बाह्य मदों का समायोजित मूल्य (भाग 'उ' के साथ मिलान हो)	182	
(iii) कुल जोखिम भारित आस्तियां / ऋण आदि (181 + 182)	180	
(iv) जोखिम भारित आस्तियों / ऋण आदि से पूंजीगत निधियों का प्रतिशत		
(क) स्तर I पूंजी (मद 180 से मद 151 का प्रतिशत)	191	

(ख) स्तर II पूंजी (मद 180 से मद 160 का प्रतिशत)	192
(ग) कुल (मद 180 से मद 170 का प्रतिशत)	193

(लाख रुपयों में)

भाग - 'ई'

भारित आस्तियां अर्थात् तुलनपत्र में शामिल मदें

मद नाम	मद कूट	बही मूल्य	जोखिम भार	समायोजित मूल्य
I. सावधि जमाराशियों और जमा प्रमाणपत्रों सहित नकदी और बैंक जमा शेष	210		0	0
II. निवेश [निदेशावली का पैरा 6 देखें]				
(क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में परिभाषित अनुमोदित प्रतिभूतियां	221		0	0
(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बांड और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की सावधि जमाराशियां /संचयी जमा / बांड				
(i) भाग 'अ' मद (x) (मद कूट 150) में काटी नहीं गयी राशि	222		0	0
(ii) भाग 'अ' मद (x) (मद कूट 150) में काटी गयी राशि	223		20	
उप जोड़ (222+223)	**उप जोड़ 223**			
(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट	224		20	
(घ) सभी कंपनियों के शेयर और उपर्युक्त (ख) से भिन्न कंपनियों के डिबेंचर/बांड /वाणिज्यिक पत्र /उपर्युक्त (ग) से भिन्न म्युच्युअल फंडों के यूनिट				
(i) भाग 'अ' मद (xi) (मद कूट 150) में काटी गयी राशि	225		0	0
(ii) भाग 'अ' मद (x) (मद कूट 150) में काटी नहीं गयी राशि	226		100	
उप जोड़ (225+226)	**उप जोड़ 226**			
III. चालू आस्तियां				
(क) किराये पर स्टाक (कृपया नीचे दिया नोट 2 देखें)				
(i) भाग 'अ' [मद (xi) (मद कूट 150)] में काटी गयी राशि	231		0	0
(ii) भाग 'अ' में काटी नहीं गयी राशि	232		100	

उप जोड़ (231+232)	**उप जोड़ 232**		
(ख) अंतर-कंपनी ऋण / जमाराशियां			
(i) भाग 'अ' [मद (xi) (मद कूट 150)] में काटी गयी राशि	233	0	0
(ii) भाग 'अ' में काटी नहीं गयी राशि	234	100	
उप जोड़ (233+234)	**उप जोड़ 234**		
(ग) कंपनी की अपनी जमाराशि द्वारा पूर्णतः सुरक्षित ऋण और अग्रिम	235	0	0
(घ) स्टाफ को दिये गये ऋण	236	0	0
(ङ) शोध्य समझे जाने वाले अन्य सुरक्षित ऋण और अग्रिम			
(i) भाग 'अ' [मद (xi) (मद कूट 150)] में काटी गयी राशि	241	0	0
(ii) भाग 'अ' में काटी नहीं गयी राशि	242	100	
उप जोड़ (235+236+241+242)	**उप जोड़ 242**		
(च) खरीदे / भुनाये गये बिल			
(i) भाग 'अ' [मद (xi) (मद कूट 150)] में काटी गयी राशि	243	0	0
(ii) भाग 'अ' में काटी नहीं गयी राशि	244	100	
उप जोड़ (243+244)	**उप जोड़ 244**		
(छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	245	100	
IV. अचल आस्तियां (मूल्यह्रास घटाकर)			
(क) <u>पट्टे पर दी गयी आस्तियां</u>			
(i) भाग 'अ' [मद (xi) (मद कूट 150)] में काटी गयी राशि	251	0	0
(ii) भाग 'अ' में काटी नहीं गयी राशि	252	100	
उप जोड़ (251+252)	**उप जोड़ 252**		
कुल ऋण जोखिम (उप जोड़ 232+उप जोड़ 234 + 236 + उप जोड़ 242 + उप जोड़ 244 + 245+ उप जोड़ 252)	**उप जोड़ 200**		
(ख) परिसर	253	100	
(ग) फर्नीचर और जुड़नार	254	100	
V. अन्य आस्तियां	255	0	0
(क) स्रोत पर काटा गया आय कर (प्रावधान घटाकर)			

(ख) अग्रिम अदा किया कर (प्रावधान घटाकर)	256	0	0
(ग) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज	257	0	0
(घ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	258	100	
कुल भारित आस्तियां (मद 210 से 258 कृपया 'उप जोड़' के बाद आनेवाली मद कूटों को शामिल न करें)	200		

टिप्पणी :

1. जहां मूल्यह्रास या अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है वहां आस्तियों के संदर्भ में शुद्ध राशि प्राप्त की जाये (नेटिंग) ।

2. किराये पर स्टाक को वित्त प्रभार घटा कर दर्शाया जाये अर्थात् वसूली योग्य ब्याज और अन्य प्रभार ।

3. शुद्ध स्वाधिकृत निधि की गणना करने के लिए स्वाधिकृत निधि से घटायी गयी आस्तियों (मद कूट 150) को '0' भार प्राप्त होगा ।

भाग - उ

भारित गैर-निधिक ऋण आदि / तुलन-पत्र बाह्य मदें

मद नाम	मद कूट	बही मूल्य	परिवर्तन घटक	समकक्ष मूल्य	जोखिम भार	समायोजित मूल्य
1. वित्तीय और अन्य गारंटियां	310		100		100	
2. शेयर/डिबेंचर ज़मीदारी देयतायें	320		50		100	
3. आंशिक रूप से अदा किये गये शेयर/डिबेंचर	330		100		100	
4. पुनः भुनाये गये बिल	340		100		100	
5. की गयी परंतु निष्पादित न हुई पट्टा संविदायें	350		100		100	
6. अन्य आकस्मिक देयतायें (निर्दिष्ट करें)	360		50		100	
कुल गैर निधिक ऋण आदि (मद 310 से 360)	300					

टिप्पणी : परिवर्तन घटक लागू करने के पहले नकद मार्जिन / जमाराशियों को घटाया जाये ।

भाग - ऊ

आस्ति वर्गीकरण

I. निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत ऋण जोखिमों का जोड़ :

मद नाम	मद कूट	राशि
(i) मानक आस्तियां	411	
(ii) अवमानक आस्तियां :		
(क) पट्टा और किराया खरीद आस्तियां	412	
(ख) अन्य ऋण सुविधायें	413	
(iii) संदिग्ध आस्तियां	414	
(iv) हानि वाली आस्तियां	415	
जोड़ (411 से 415)	**410**	

टिप्पणी : (मद 410 उप जोड़ 200 से मिलनी चाहिए)

II. निर्दिष्ट निदेशों के अनुसार उपर्युक्त I के संदर्भ में कुल प्रावधान

मद नाम	मद कूट	अपेक्षित प्रावधान	किये गये वास्तविक प्रावधान
(अ) ऋण, अग्रिम और अन्य ऋण सुविधाएं			
(i) अवमानक आस्तियां :			
(क) अनर्जक आस्ति बनने के पहले लाभ-हानि लेखे के जमा के अंतर्गत ले जायी गयी और वसूली के लिए शेष संपूर्ण राशि[निदेशावली का पैरा 3(2)]	421		
(ख) बकाया देय राशि के जमा शेष का10%	422		
(ii) संदिग्ध आस्तियां :			
(क) अनर्जक आस्ति बनने के पहले लाभ-हानि लेखे के जमा के अंतर्गत ले जायी गयी और वसूली के लिए शेष संपूर्ण राशि [निदेशावली का पैरा 3(2)]	423		

मद नाम	मद कूट	अपेक्षित प्रावधान	किया गया वास्तवित प्रावधान
(ख) प्रतिभूति के वसूलीयोग्य मूल्य द्वारा रक्षित न होने की सीमा तक 100% तथा जिस अवधि तक आस्ति संदिग्ध बनी रही उसके लिए रक्षित अंश का 20 से 50%	424		
(iii) <u>हानि वाली आस्तियां</u> :			
(क) अनर्जक आस्ति बनने के पहले लाभ-हानि लेखे के जमा के अंतर्गत ले जायी गयी और वसूली के लिए शेष संपूर्ण राशि [निदेशावली का पैरा 3(2)]	425		
(ख)बकाया जमा शेष का 100 %	426		
जोड़ : (मद सं. 421 से 426)	**उप जोड़ 426**		
(आ) किराया खरीद और पट्टे पर ली गयी आस्तियां			
(i) अवमानक आस्तियां : [निदेशावली का पैरा 8(2)]			
<u>किराया खरीद आस्तियां</u>			
(क) अनर्जक आस्ति बनने के पहले लाभ-हानि लेखे के जमा के अंतर्गत ले जायी गयी और वसूली के लिए शेष संपूर्ण राशि [निदेशावली का पैरा 3(3)]	427		
(ख) कुल देय राशि और मूल्यहासित मूल्य के बीच का घाटा [निदेशावली का पैरा 8 (2) (i)]	428		
(ग) शुद्ध बही मूल्य का 10% [निदेशावली का पैरा 8(2)(ii)]	429		
<u>पट्टाकृत आस्तियां</u>			
(घ) अनर्जक आस्ति बनने के पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया गया और वसूली के लिए शेष शुद्ध पट्टा किराया [निदेशावली का पैरा 3(4)]	430		
(ङ) शुद्ध बही मूल्य का 10% [निदेशावली का पैरा 8(2)(ii)]	431		

मद का नाम	मद कूट	अपेक्षित प्रावधान	किया गया वास्तविक प्रावधान
(ii) संदिग्ध आस्तियां			
किराया खरीद आस्तियां			
(क) अनर्जक आस्ति बनने के पहले लाभ-हानि लेखे के जमा के अंतर्गत ले जायी गयी और वसूली के लिए शेष संपूर्ण राशि [निदेशावली का पैरा 3(3)]	432		
(ख) कुल देय राशियों और मूल्यह्रासित मूल्य के बीच का घाटा [निदेशावली का पैरा 8(2)(i)]	433		
(ग) शुद्ध बही मूल्य का 40% [निदेशावली का पैरा 8(2)(ii)]	434		
पट्टे पर ली गयी आस्तियां			
(घ)अनर्जक आस्ति बनने के पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया गया और वसूली के लिए शेष शुद्ध पट्टा किराया [निदेशावली का पैरा 3(4)]	435		
(ङ) शुद्ध बही मूल्य का 40% [निदेशावली का पैरा 8(2)(ii)]	436		
किराया खरीद आस्तियां			
(च)अनर्जक आस्ति बनने के पहले लाभ-हानि लेखे के जमा के अंतर्गत ले जायी गयी और वसूली के लिए शेष संपूर्ण राशि [निदेशावली के पैरा 3(3)]	437		
(छ) कुल देय राशियों और मूल्यह्रासित मूल्य के बीच का घाटा [निदेशावली का पैरा 8(2)(i)]	438		
(ज) शुद्ध बही मूल्य का 70% [निदेशावली का पैरा 8(2)(ii)]	439		
पट्टे पर ली गयी आस्तियां			
(झ) अनर्जक आस्ति बनने के पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया गया और वसूली के लिए शेष शुद्ध पट्टा किराया [निदेशावली का पैरा 3(4)]	440		

मद का नाम	मद कूट	अपेक्षित प्रावधान	किया गया वास्तविक प्रावधान
(ञ) शुद्ध बही मूल्य का 70% [निदेशावली का पैरा 8(2)(ii)]	441		
(iii) <u>हानि वाली आस्तियां</u>			
<u>किराया खरीद आस्तियां</u>			
(क) अनर्जक आस्ति बनने के पहले लाभ-हानि लेखे के जमा के अंतर्गत ले जायी गयी और वसूली के लिए शेष संपूर्ण राशि [निदेशावली का पैरा 3(3)]	442		
(ख) कुल देय राशियों और मूल्यह्रासित मूल्य के बीच का घाटा [निदेशावली का पैरा 8(2)(i)]	443		
(ग) शुद्ध बही मूल्य का 100% [निदेशावली का पैरा 8(2)(ii)]	444		
<u>पट्टे पर ली गयी आस्तियां</u>			
(क) अनर्जक आस्ति बनने के पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया गया और वसूली के लिए शेष शुद्ध पट्टा किराया [निदेशावली का पैरा 3(4)]	445		
(ख) शुद्ध बही मूल्य का 100% [निदेशावली का पैरा 8(2)(ii)]	446		
उप-जोड़ : (मद सं. 427 से 446)	**उप-जोड़ 446**		
कुल प्रावधान (उप-जोड़ 426+ उप-जोड़ 446)	**420**		
III. निम्नलिखित के संबंध में अन्य प्रावधान:			
(i) अचल आस्तियों में मूल्यह्रास	451		
(ii) निवेशों में मूल्यह्रास	452		
(iii) हानि वाली /अगोचर आस्तियां	453		
(iv) कराधान के लिए प्रावधान	454		
(v) ग्रेच्युइटी /भविष्य निधि	455		
(vi) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाये)	456		
जोड़	**450**		

भाग - ए

उसी समूह की कंपनियों / फर्मों तथा अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में निवेश तथा अग्रिम संबंधी विवरण

	मद का नाम	मद कूट	राशि
(i)	अनुषंगी कंपनियों तथा उसी समूह की कंपनियों के बांडों एवं डिबेंचरों तथा उनके पास बकाया ऋण तथा अग्रिम और जमाराशियों का बही मूल्य (ब्यौरे परिशिष्ट सं. .....में संलग्न किये जायें)।	510	
(ii)	अनुषंगी कंपनियों तथा उसी समूह की कंपनियों और सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शेयरों में निवेश (ब्यौरे परिशिष्ट सं. .....में संलग्न किये जायें)।	520	
(iii)	अन्य कंपनियों, फर्मों तथा स्वाम्य प्रतिष्ठानों में, जिनमें में कंपनी के निदेशकों का पर्याप्त हित निहित हो, शेयरों, डिबेंचरों, ऋणों और अग्रिमों, लीजिंग, किराया खरीद वित्त, जमाराशियों आदि के रूप में निवेश (ब्यौरे परिशिष्ट सं.......में संलग्न किये जायें)।	530	

भाग - ऐ

उक्त भाग ए में दर्शाये गये पक्षकारों सहित पक्षकारों को दिये गये तुलन पत्र बाह्य ऋण आदि और निवेशों सहित अग्रिमों के संकेंद्रण संबंधी विवरण

	मद का नाम	मद कूट	राशि
(i)	किसी एक पार्टी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक ऋण और अग्रिम, तुलनपत्र बाह्य ऋण आदि सहित (ब्यौरे परिशिष्ट सं. .....में संलग्न किये जायें)।	610	
(ii)	पार्टियों के एक समूह को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक ऋण और अग्रिम, तुलनपत्र बाह्य ऋण आदि सहित (ब्यौरे परिशिष्ट सं. .....में संलग्न किये जायें)।	620	
(iii)	एक कंपनी में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक निवेश (ब्यौरे परिशिष्ट सं. .....में संलग्न किये जायें)।	630	
(iv)	कंपनियों के एक समूह द्वारा जारी किये गये शेयरों में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक निवेश।	640	

(v) किसी एक पार्टी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक ऋण, अग्रिम (डिबेंचर / बांड और तुलनपत्र बाह्य ऋण आदि सहित) तथा उसके शेयरों में निवेश	650
(vi) पार्टियों के एक समूह को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 40 प्रतिशत से अधिक ऋण, अग्रिम (डिबेंचर / बांड और तुलनपत्र बाह्य ऋण आदि सहित) तथा उसके शेयरों में निवेश	660

टिप्पणी :

(1) ऋण आदि (एक्सपोजर) संबंधी ये सभी सीमाएं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अपने समूह पर तथा ऋणकर्ता /निवेशिती कंपनी के समूह पर लागू हैं ।

(2) इस प्रयोजन के लिए डिबेंचरों में किये गये निवेश को ऋण माना जाना चाहिए, न कि निवेश ।

भाग - ओ

परिसरों तथा कोट न किये गये शेयरों में निवेश संबंधी विवरण

मद का नाम	मद कूट	राशि
"(i) कंपनी द्वारा धारित परिसरों (भूमि तथा भवन) में कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक का निवेश, निजी उपयोग संबंधी परिसरों को छोड़कर (विवरणी में दिये गये मद कूट 253 में से)		
(क) कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से अर्जित	710	
(ख) कंपनी के ऋण की चुकौती के रूप में अर्जित	720	
(ii) कोट न किये गये शेयरों में निम्नलिखित से अधिक का निवेश, अनुषंगी कंपनियों तथा उसी समूह की कंपनियों में किये गये निवेशों को छोड़कर (मद कूट 141 और 142 देखें)		
(क) उपकरण लीजिंग तथा किराया खरीद वित्त कंपनियों के मामले में स्वाधिकृत निधि का 10 प्रतिशत	730	
(ख) ऋण तथा निवेश कंपनियों के मामले में स्वाधिकृत निधि का 20 प्रतिशत"	740	

भाग - औ

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा तथा उसके विरुद्ध दायर तथा डिक्रीशुदा ऋणों के विवरण

मद का नाम	मद कूट	राशि
I		
(i) ऋण, अग्रिम, अन्य ऋण सुविधाएं, पट्टे पर दी गयी आस्तियां तथा किराया खरीद आस्तियां जिनके लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने डिक्रीशुदा ऋणों सहित अपनी देय राशियों की वसूली हेतु किसी न्यायालय में मुकदमा दायर किया हो :	810	
5 साल से अधिक समय से लंबित	811	
3 से 5 साल तक लंबित	812	
1 से 3 साल तक लंबित	813	
1 साल से कम समय से लंबित	814	
(ii) उक्त (I) में से ऐसे ऋण, अग्रिम, अन्य ऋण सुविधायें तथा किराया खरीद आस्तियां जिनके लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा डिक्री प्राप्त कर ली गयी हो	820	
(iii) मुकदमा दायर / डिक्रीशुदा ऋणों में की गयी वसूलियां (न्यायालय में जमा की गयी राशियों सहित)	830	
II. कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दायर तथा डिक्रीशुदा	840	

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

(1) इस विवरण में प्रस्तुत आंकड़े / सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय निर्धारण, लेखांकन मानकों, आस्ति वर्गीकरण, अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने, पूंजी पर्याप्तता तथा ऋण और निवेशों के सकेंद्रण के संबंध में जारी किये गये निदेशों के अनुसार हैं। विवरण का संकलन कंपनी की लेखा बहियों तथा अन्य रिकार्डों से किया गया है और मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वे सही हैं;

(2) कंपनी की आस्ति तथा आय के स्वरूप से प्रकट होनेवाले इसके मुख्य कारोबार के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा कंपनी का ....के रूप में वर्गीकरण जारी है / अब जारी नहीं है (जो लागू न हो उसे काट दें) ;

(3) कंपनी ने जनता से जमाराशि स्वीकार की है तथा ऐसी जमाराशि की मात्रा कंपनी के लिए लागू सीमा के भीतर है;

(4) कंपनी ने जमाराशियों पर निदेशावली के अंतर्गत निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक ब्याज / दलाली अदा नहीं की है;

(5) कंपनी ने अवधिपूर्ण जमाराशियों की चुकौती में चूक नहीं की है;

(6) ....(एजेंसी का नाम) नामक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा कंपनी की सावधि जमाराशियों के लिए दी गयी ....(रेटिंग का स्तर) क्रेडिट रेटिंग वैध है;

(7) भाग ई, उ और ऊ में दिये गये विवरणों को हिसाब में लेने के बाद विवरण के भाग इ में दर्शाये गये अनुसार पूंजी पर्याप्तता की सही तरीके से गणना की गयी है;

(8) विवरणी के भाग ऊ में दर्शाये गये अनुसार आस्तियों के वर्गीकरण का सत्यापन किया गया है तथा उन्हें सही पाया गया है। ऋणों, लीज तथा किराया खरीद लेनदेनों और भुनाये गये बिलों के नियत तारीखों के बाद रोलओवर / पुनर्निर्धारण के उदाहरण नहीं देखे गये हैं। जहां कहीं अवमानक या संदिग्ध या हानि वाली आस्ति को अपग्रेड किया गया है, वहां ऐसा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 के अनुरूप किया गया है ;

(9) विवरणी के भाग ए में दर्शाये गये अनुसार समूह कंपनियों में निवेश तथा छमाही विवरण के भाग ऐ में दर्शाये गये अनुसार व्यक्तियों / फर्मों / अन्य कंपनियों को ऋण / निवेश सकेंद्रण मानदंडों से अधिक दिये गये ऋण आदि तथा ऐसी आस्तियों का वर्गीकरण सही है ; और

(10) कंपनी की स्तर-I पूंजी के अनुसार शुद्ध स्वाधिकृत निधि की सही तरीके से गणना की गयी है।

स्थान :

कृते और की ओर से
(कंपनी का नाम)

दिनांक :

प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

हमने ....लिमिटेड द्वारा .... की स्थिति के अनुसार पूंजी निधियों, जोखिम आस्तियों / ऋण आदि और जोखिम आस्ति अनुपात आदि के संबंध में रखी गयी लेखा बहियों तथा अन्य रिकार्डों और कंपनी के प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इसमें इसके पहले दिये गये वक्तव्यों की जांच की है । हम सूचित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांचे गये रिकार्ड के अनुसार इसमें इसके पहले विवरण के भाग अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए और ऐ में दर्शाये गये आंकड़े सही हैं ।

स्थान :

दिनांक :

सांविधिक लेखा-परीक्षक

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्र 1, विश्व व्यापार केन्द्र,

कफ परेड, कोलाबा,

मुंबई - 400 005

अधिसूचना सं. डीएनबीएस.143/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000 दिनांक 30 जून 2000

भारतीय रिज़र्व बैंक लोकहित में यह आवश्यक समझे जाने पर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभार्थ ऋण प्रणाली को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ बैंक को समर्थ बनाने के लिए अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1987 का संशोधन करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञ, 45 ट, 45 ठ और 45 ड क द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे समर्थ बनानेवाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि 15 मई 1987 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 55/डीजी(ओ)-87 में निहित उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित होंगे, अर्थात् -

1. पैराग्राफ 4 ग के बाद निम्नलिखित नया पैराग्राफ 4 घ जोड़ा जायेगा, अर्थात् -

"<u>**विवेकपूर्ण मानदंडों का आदेशात्मक अनुपालन**</u>

4 घ. कोई भी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी दिनांक 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 199/डीजी (एसपीटी)-98 में निहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किये बिना जमाराशियां स्वीकार नहीं करेगी या नवीकृत नहीं करेगी ।"

2. पैराग्राफ 5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् -

"5. 1 जुलाई 2000 को और उस तारीख से किसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा उस तारीख से प्राप्त जमाराशियों के संदर्भ में ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ, चाहे उसे कोई भी नाम दिया जाये, के रूप में देय राशि निम्नलिखित के आधार पर परिकलित राशि से कम नहीं होगी -

(i) एकमुश्त रूप में या मासिक या दीर्घ अंतरालों पर जमा की गयी राशि पर वार्षिक 6 प्रतिशत की दर पर (वार्षिक चक्रवृद्धि लगाया जाये); और

(ii) दैनिक जमा योजना के अंतर्गत जमा की गयी राशि पर वार्षिक 4 प्रतिशत की दर पर (वार्षिक चक्रवृद्धि लगाया जाये) ।"

बशर्ते, जहां किसी जमाकर्ता के अनुरोध पर कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी एक वर्ष की समाप्ति के बाद परंतु जिस अवधि के लिए जमाराशि स्वीकार की गयी है उसकी समाप्ति से पहले जमाराशि की चुकौती करती तो, कंपनी द्वारा ब्याज, प्रीमियम, बोनस या ऐसी जमाराशि पर अन्य लाभ के रूप में देय राशि को उस दर में से एक प्रतिशत अंक जो कंपनी द्वारा ब्याज, बोनस, प्रीमियम या अन्य लाभ के रूप में सामान्यतः अदा करती, उस अवधि के लिए दिया जाता जिस अवधि के लिए वह जमाराशि सवीकार की गयी थी।

3. पैराग्राफ 6 में, उप पैराग्राफ 1 में खंड (ख), उप खंड (i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् -

(i) जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल् राशि के दो प्रतिशत से अनधिक भाग ऐसी म्युच्युअल फंड की किसी योजना / योजनाओं में निवेश किया जायेगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युच्युअल फंड) विनियमावली, 1996 द्वारा शासित है और ऐसे निवेश की कुल राशि जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

बशर्ते, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की किसी योजना / योजनाओं में निवेश जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि के दस प्रतिशत तक हो सकता है ।"

4. उक्त निदेशावली के साथ संलग्न अनुसूची 'अ', इसके साथ संलग्न विवरणी एनएसबी 1 अ द्वारा प्रतिस्थापित हो गयी है ।

बी. एस. एन. मूर्ति

(बी. एस. एन. मूर्ति)

प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

संलग्नक : एन एस बी अ

फार्म - एनबीएस 1 क

31 मार्च 20.... की स्थिति के अनुसार जमाराशियों की वार्षिक विवरणी

(बैंकिंग कंपनियों के सभी अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

फाइल संख्या	
आइडी नंबर	
कारोबार का स्वरूप	
जिला कूट	
राज्य कूट	
(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भरा जाना है)	

कंपनी का नाम : ...,..................................

विवरणी भरने के लिए अनुदेश - सामान्य

1. यह विवरणी 15 मई 1987 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 55 डीजी (ओ)- 87 के पैरा (14) के अंतर्गत आने वाली अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा उसकी **31 मार्च की यथा स्थिति के संदर्भ में**, भले ही संबंधित कंपनी के वित्तीय वर्ष की लेखाबंदी की तारीख कुछ भी हो, 31 मार्च के बाद तथा अधिक से अधिक 30 सितंबर तक वर्ष में एक बार भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यविक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जहां उस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित हो। इसके साथ प्रस्तुत फार्मेट के अनुसार कंपनी के लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। तथापि, सिर्फ **भाग 3** के संबंध में सूचना नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार, परन्तु विवरणी की तारीख से पूर्व की, प्रस्तुत की जानी चाहिए।

नोट : *दिनांक 13.1.2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस. 135/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000 के अनुसार अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 31 मार्च 2001 को समाप्त लेखा वर्ष से हर साल 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपना तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तैयार करेंगी। अतः 31 मार्च 2001 को समाप्त लेखा वर्ष से विवरणी के भाग 3 में प्रस्तुत सूचना वर्तमान तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार होगी तथा इस प्रकार यह विवरणी की तारीख के अनुरूप होगी।*

2. विवरणी प्रस्तुत करने में वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा को अंतिम रूप देने / पूर होने जैसे किसी कारणवश देरी नहीं होनी चाहिए। विवरणी का संकलन कंपनी की लेखा बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए तथा उसे इसके सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

3. **खातों की संख्या** वास्तविक आंकड़ों में दी जानी चाहिए, जबकि **जमाराशियों की मात्रा लाख रुपयों में दर्शायी जानी चाहिए** । राशि निकटतम लाख में पूर्णांकित की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर 4,56,100 रुपये को 5 के रूप में दर्शाया जाना चाहिए, न कि 4.6 के रूप में या

5,00,000 के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इसी तरह, 61,49,500 रुपये की राशि को 61 के रूप में दर्शाया जाये, न कि 61.5 के रूप में अथवा 61,00,000 के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

4. विवरणी पर प्रबंधक द्वारा (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में परिभाषित है) हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और यदि ऐसा कोई प्रबंधक न हो तो प्रबंध निदेशक या कंपनी के किसी ऐसे अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए, जिसे निदेशक मंडल द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो तथा जिसका नमूना हस्ताक्षर इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया गया हो। यदि नमूना हस्ताक्षर निर्धारित कार्ड में प्रस्तुत न किया गया हो, तो विवरणी पर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उनका नमूना हस्ताक्षर अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. यदि विवरणी के किसी भाग / मद में कुछ भी रिपोर्ट न किया जाना हो, तो 'खातों की संख्या' के लिए अभिप्रेत स्तंभ में '**शून्य**' दर्शाया जाना चाहिए तथा 'राशि' के लिए अभिप्रेत स्तंभ में **00** दर्शाये जाने चाहिए।

6. **इस विवरणी में उल्लिखित 'अनुषंगी कंपनी' तथा 'उसी समूह की कंपनी' का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम में 31 अक्तूबर 1998 को हुए संशोधन के पूर्व कंपनी अधिनियम, 1956 की** क्रमशः धारा 4 और धारा 372(11) में दिया गया है ।

7. यदि यह विवरणी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (इंटरनेट) से विनिर्दिष्ट वेब-सर्वर को या फ्लॉपी डिस्क पर (फ्लॉपी का आकार 3.5'') प्रस्तुत की जा रही हो तो विधिवत् हस्ताक्षर कर के उसकी कागज़ की एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाये।

कंपनी की रूपरेखा

1.	कंपनी का नाम				
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता		पिन		
	टेलीफोन नंबर		फैक्स नं.		ई-मेल
3.	इस राज्य का नाम जिसमें कंपनी पंजीकृत है				
4.	कारपोरेट / प्रधान कार्यालय का पता		पिन		
	फोन नंबर		फैक्स नं.		ई-मेल
5.	स्थापना की तारीख				
6.	कारोबार आरंभ करने की तारीख				
7.	निम्नलिखित का नाम और कार्यालय का पता : i) अध्यक्ष				
	ii) प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी				
8.	क्या यह सरकारी कंपनी है (कृपया सही का निशान लगायें :	हां		नहीं	
9.	कंपनी का स्वरूप (कृपया सही का निशान लगाये) :				
		(i) पब्लिक लिमिटेड		(ii) कंपनी के तुल्य	
		(iii) प्राइवेट लिमिटेड		(iv) संयुक्त उद्यम	

10.	कंपनी का वित्तीय वर्ष	
11.	कारोबार का स्वरूप	
12.	भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकरण की स्थिति : i) यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया है तो पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख	
	ii) यदि पंजीकृत नहीं है तो यह बतायें कि पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन रद्द किया गया है /विचाराधीन है	
13.	शाखाओं / कार्यालयों की संख्या : (कृपया नोट 1 के अनुसार नीचे दिये गये फार्मेट में उनके नाम और पतों की सूची संलग्न करें)	
14.	यदि सहायक कंपनी है तो नियंत्रक कंपनी का नाम और पता दें।	
15.	यदि कंपनी की अनुषंगी / सहायक कंपनियां हैं तो उनकी संख्या दें। (कृपया उनके नामों, पतों, निदेशकों के नामों और नोट के अनुसार नीचे दिये गये फॉर्मेट में उनके कारोबार की गतिविधियों के विवरणों की सूची संलग्न करें।)	
16.	यदि संयुक्त उद्यम है तो प्रवर्तक संस्था (ओं) का नाम और पता दें।	
17.	कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के नाम, उनके पते और टेलीफोन नंबरों सहित दें।	
18.	कंपनी के बैंकरों के नाम, उनके पतों और टेलीफोन नंबरों सहित दें।	

नोट (1) : शाखाओं के ब्योरे प्रस्तुत करने का फॉर्मेट :

क्रमांक	शाखा का नाम	खुलने की तारीख	पता	शहर	जिला	राज्य	जनता से प्राप्त जमाराशि
	शाखाओं की कुल संख्या						सभी शाखाओं की जनता की कुल जमाराशियां ....(राशि)
							दिनांक.............. के तुलनपत्र के अनुसार जनता की कुल जमाराशियां ....(राशि)

नोट (2) : सहायक कंपनियों के ब्योरे प्रस्तुत करने का फार्मेट :

क्रमांक	सहायक कंपनी का नाम	पता	निदेशकों के नाम	कारोबार की गतिविधियां

भाग - 1

31 मार्च 200.... को यथा बकाया जमाराशियों का ब्योरा

(लाख रुपयों में)

मद सं.	ब्योरे	मद कूट	बकाया प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (कृपया नोट 3 देखें)
1	अपरिवर्तनीय और वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर /बांड जारी करके प्राप्त धनराशि (नीचे नोट 1 के अनुसार) :			
	(i) जमानती	111		
	(ii) गैर जमानती	112		
2.	निम्नलिखित से प्राप्त जमाराशियां :			
	(i) शेयर धारक	113		
	(ii) अन्य	114		
3.	योग (111 से 114 तक)	**110**		
4.	ऐसी जमाराशियां जो विवरणी की तारीख को अवधिपूर्ण थीं, परंतु जिनके संबंध में दावा नहीं किया गया	115		
5.	ऐसी जमाराशियां जो अवधिपूर्ण हैं और जिनके संबंध में दावा नहीं किया गया है और अवधिपूर्णता के वर्ष सहित जो सात वर्षों से बकाया हैं	116		

नोट :

(1) आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों / बांडों के मामले में, अपरिवर्तनीय अंश को इस मद में शामिल किया जाये और परिवर्तनीय अंश भाग - 2 के मद 4 के सामने दर्शाया जाये।

(2) भाग - 1 में दर्शायी गयी राशियां भाग - 2 में नहीं दर्शायी जाये।

(3) मद 2 में दिखायी गयी राशि में अर्जित या जमाकर्ताओं को देय ब्याज शामिल होनी चाहिए।

(4) मद 5 में दर्शायी गयी राशि में अर्जित या जमाकर्ता को देय ब्याज, बोनस, प्रीमियम या अन्य लाभ सहित प्राप्त जमाराशियों की कुल राशि को शामिल किया जाये।

(5) ऊपर मद 2 में कुल जमाराशियों में से एकमुश्त प्राप्त जमाराशियों और / या किसी योजना के अंतर्गत किश्तों में अभिदान द्वारा प्राप्त जमाराशियों का योजनावार / अवधिवार निम्नलिखित ब्योरा दिया जाये ।

भाग - 1 की मद 2 के अंतर्गत दर्शायी गयी जमाराशियों का ब्योरा

I. जमाराशियों के अवधिवार ब्योरे

प्रमाणपत्र की अवधि / का मूल्य वर्ग	मद कूट	भाग - क स्वीकार की गयी जमाराशियां बेचे / 15.5.1987से पूर्व गये प्रमाणपत्र		भाग - ख 15.5.1987 को और 15.5.1987 से 11.4.1993 तक स्वीकार की गयी जमाराशियां / बेचे गये प्रमाणपत्र		भाग - ग 12.4.1993 को या उसके बाद स्वीकार की गयी जमाराशियां / बेचे गये प्रमाणपत्र		योग (क + ख + ग)	
		बकाया प्रमाण पत्रो की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(क) 5 वर्ष तक									
i) 5,000 तक	141								
ii) 5,001 से 10,000 तक	142								
iii) 10,001 से 15,000 तक	143								
iv) 15,001 से 25,000 तक	144								
v) 25,001 से 50,000 तक	145								
vi) 50,000 से ऊपर	146								
योग	**140**								
(ख) 5 वर्ष से ऊपर और 7 वर्ष तक									
i) 5,000 तक	151								
ii) 5,001 से 10,000 तक	152								
iii) 10,001 से 15,000 तक	153								
iv) 15,001 से 25,000 तक	154								
v) 25,001 से 50,000 तक	155								
vi) 50,000 से ऊपर	156								
योग	**150**								
(ग) 7 वर्ष से ऊपर									
i) 5,000 तक	161								
ii) 5,001 से 10,000 तक	162								
iii) 10,001 से 15,000 तक	163								
iv) 15,001 से 25,000 तक	164								
v) 25,001 से 50,000 तक	165								
vi) 50,000 से ऊपर	166								
योग	**160**								
कुल योग (140 +150 +160)	**170**								

II. जमाराशियों का ब्याज-दर वार ब्योरा

प्रमाणपत्र की अवधि / मूल्य	मद कूट	ब्याज दर 4%	ब्याज दर 6%		ब्याज दर 8%	ब्याज दर 10%	ब्याज दर 10 % से ऊपर	योग
			30 जून 2000 से पहले स्वीकार की गयी	30 जून 2000 के बाद स्वीकार की गयी				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(क) 5 वर्ष तक								
i) 5,000 तक	141 क							
ii) 5,001 से 10,000 तक	142 क							
iii) 10,001 से 15,000 तक	143 क							
iv) 15,001 से 25,000 तक	144 क							
v) 25,001 से 50,000 तक	145 क							
vi) 50,000 से ऊपर	146 क							
योग	**140 क**							
(ख) 5 वर्ष से ऊपर और 7 वर्ष तक								
i) 5,000 तक	151 क							
ii) 5,001 से 10,000 तक	152 क							
iii) 10,001 से 15,000 तक	153 क							
iv) 15,001 से 25,000 तक	154 क							
v) 25,001 से 50,000 तक	155 क							
vi) 50,000 से ऊपर	156 क							
योग	**150 क**							
(ग) 7 के ऊपर								
i) 5,000 तक	161 क							
ii) 5,001 से 10,000 तक	162 क							
iii) 10,001 से 15,000 तक	163 क							
iv) 15,001 से 25,000 तक	164 क							
v) 25,001 से 50,000 तक	165 क							
vi) 50,000 से ऊपर	166 क							
योग	**160 क**							
कुल योग (140 क +150 क+160 क)	**170 क**							

नोट :

1. स्तंभ 4, 6, 8 और 10 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियाँ जारी किये गये प्रमाणपत्रों के मूल्यों / स्वीकार की गयी जमाराशियों का सकल योग होनी चाहिए और उनमें, अर्जित या जमाकर्ताओं को देय ब्याज, बोनस, प्रीमियम और अन्य लाभ शामिल नहीं किये जाने चाहिए।

2. जारी प्रमाणपत्रों / स्वीकार की गयी जमाराशियों का अवधिवार वर्गीकरण उनकी आरंभ में जारी की गयी / स्वीकार की गयी / नवीकृत की गयी अवधियों के अनुसार किया जाना चाहिए, 31 मार्च अर्थात् इस विवरणी की तारीख से उनकी पूर्णता की अवधि के अनुसार नहीं ।

3. बचत योजनाओं के प्रकार, अंकित मूल्य, अवधि, देय किश्तों की संख्या और राशि तथा ब्याज, प्रीमियम, बोनस या किसी भी नाम की राशि अन्य लाभ से देय का संक्षिप्त ब्योरा अनुबंध / अनुबंधों के रूप में दिया जाये।

भाग I में मद 2 पर दर्शायी गयी जमाराशियों के संबंध में चूकों का ब्योरा

विवरण	मद कूट	बकाया प्रमाणपत्रों की संख्या	अंकित मूल्य	**31.3.20...** .को स्तंभ 3 के संबंध में जमाराशियों की कुल राशि
क. कुल जमाराशियों में से i) जो अवधिपूर्ण / देय हो गयी हैं परंतु जिनका दावा नहीं किया गया है।	181			
ii) जो देय /अभ्यर्पित / दावाकृत हो गयी हैं परंतु जिनका भुगतान नहीं किया गया है।				
क) वर्ष के प्रारंभ में बकाया	182			
ख) उपर्युक्त (क) में से वर्ष के दौरान चुकाई गयीं	183			
ग) वर्ष के दौरान अवधिपूर्ण / अभ्यर्पित / दावाकृत हुयी परंतु जिनका भुगतान नहीं हुआ है अर्थात् वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	184			
घ) वर्ष के अंत में बकाया	185			
ङ) उपर्युक्त (घ) में से जिनके संबंध में अदालत में वाद है।	186			
ख. कुल जमाराशियों में से i) वर्ष के दौरान बिक्री /जारी किये गये प्रमाणपत्र	187			
ii) वर्ष के दौरान नवीकृत / पुनरुद्धार किये गये प्रमाणपत्र	188			

नोट :

प्रत्येक जमाराशि का भुगतान न किये जाने के कारण और चुकौती के लिए किये गये उपाय एक अनुबंध में दिये जायें।

भाग - 2

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ (ख ख) के अनुसार जनता की जमाराशियों के रूप में न गिने जाने वाले छूट-प्राप्त उधारों का विवरण

मद कूट संख्या	विवरण	मद कूट	खातों की संख्या	राशि
1.	बैंकों और अन्य विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं से उधार	201		
2.	जमानत राशि के रूप में कंपनी के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि	202		
3.	कंपनी के कारोबार के दौरान खरीद एजेंटों, बिक्री एजेंटों या अन्य एजेंटों से जमानत या अग्रिम के रूप में प्राप्त धनराशि अथवा माल या संपत्तियो की आपूर्ति या सेवाएं प्रदान करने के आदेशों के आधार पर प्राप्त अग्रिम	203		
4.	परिवर्तनीय डिबेंचर / बांड जारी करके प्राप्त धन राशि (भाग - 1 की मद सं. 1 भी देखें)	204		
5.	आबंटन के लिए विचाराधीन किन्हीं शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों /बांडों के अभिदान से प्राप्त धन राशि अथवा संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार जब तक शेयर धारकों को ऐसी राशि की चुकौती नहीं की जानी हो, संस्था के नियमों के अनुसार शेयर धनराशि की अग्रिम मांग द्वारा प्राप्त धन राशि।	205		
6.	योग (201 to 205)	**200**		

भाग - 3

निवल स्वाधिकृत निधि

[आंकड़े विवरणी की तारीख से पूर्व के अद्यतन तुलन-पत्र या यथा विवरणी की तारीख के तुलन-पत्र के अनुसार दिये जायें]

[यथा ....का तुलन-पत्र]

मद संख्या	विवरण	मद कूट	राशि
1.	पूंजीगत निधि i) प्रदत्त ईक्विटी पूंजी	311	
	ii) निर्बंध आरक्षित निधियां *	312	
2.	योग (311 + 312) - **क**	**310**	
3.	(i) हानि का संचित शेष	321	
	(ii) आस्थगित राजस्व व्यय का शेष	322	
	(iii) अन्य अगोचर आस्तियां (कृपया उल्लेख करें)	323	
4.	योग (321 से 323) - **ख**	**320**	

5.	स्वाधिकृत निधि अर्थात् **ग = (310 - 320)** अर्थात् **(क - ख)**	**330**	
6.	निम्नलिखित के शेयरों में निवेशों का बही मूल्य		
	(i) कंपनी की अनुषंगी कंपनियां	341	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां	342	
	(iii) सभी अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (ब्योरा अनुबंध सं..... में)	343	
7.	निम्नलिखित के डिबेंचरों और बांडों का बही मूल्य		
	(i) कंपनी की अनुषंगी कंपनियां	344	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां (ब्योरा अनुबंध सं. ....में)	345	
8.	निम्नलिखित को दिये गये ऋणों और अग्रिमों (अंतर कारपोरेट जमाराशियों, किराया खरीद और पट्टेदारी वित्त सहित * *) और उनके साथ की गयी जमाराशियां		
	(i) कंपनी की अनुषंगी कंपनियां	346	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां (ब्योरा अनुबंध .... में)	347	
9.	341 से 347 तक का जोड़ = **घ**	**340**	
10.	330 के 10 प्रतिशत से अधिक 340 की राशि = **ङ**	**350**	
11.	निवल स्वाधिकृत निधि (330 - 350) अर्थात् **च = (ग - ङ)**	**300**	

<u>नोट</u> :

* भाग 3 की मद 1 के अंतर्गत उल्लिखित निर्बंध आरक्षित राशियों में शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि, पूंजी और डिबेंचर शोधन के प्रयोजनार्थ आरक्षित राशियां तथा तुलनपत्र में दर्शायी गयी या प्रकाशित और लाभों के किसी आबंटन के द्वारा सृजित कोई अन्य राशि शामिल होगी परंतु उसमें निम्नलिखित राशि शामिल नहीं होगी :

(i) भविष्य की किसी देयता की चुकौती के लिए या आस्तियों के मूल्यह्रास के लिए या अनर्जक आस्तियों / अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान हेतु सृजित कोई आरक्षित राशि या

(ii) उक्त कंपनी की आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के द्वारा सृजित आरक्षित राशि ।

** 'किराया खरीद' जोखिमों अर्ध अपरिपक्व वित्त प्रभारों को पटाकर किराये पर स्टॉक से होगा। 'पट्टेदारी वित्त' का अर्ध पट्टे पर दी हुयी आस्तियों का मूल्यह्रासित बही मूल्य + /- पट्टेदारी समायोजन खाते से होगा ।

भाग - 4

यथा पूर्वगामी 30 सितंबर और 31 मार्च 20..... इस विवरणी की तारीख को जमाकर्ताओं के लिए जमानत से संबंधित विवरण

नामित बैंक का नाम व शाखा --

मद सं.	विवरण	मद कूट	निदेशों के लागू होने से पहले अर्थात् 15 मई 1987 से पूर्व		निदेशों के लागू होने के बाद अर्थात् 15 मई 1987 को और इस तारीख से	
			30.9.20..	31.3.20...	30.9.20...	31.3.20...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	जमाराशियों की कुल राशि (कृपया नोट 1 देखें)	400				
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झख के अनुसार अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	410				
3.	जमाराशियों के लिए जमानत (किसी प्रभार या ग्रहणाधिकार से युक्त)					
	(क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक/कों और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के पास सावधि जमाराशियां और उनके द्वारा जारी जमाण प्रमाणपत्र	411				
	(ख) केंद्र और / या राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, सरकार द्वारा प्रत्याभूत बांडों तथा उपर्युक्त 2 में सूचित किये गये के अलावा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश (बाजार मूल्य पर)	412				
	(ग) निम्नलिखित के ऐसे डिबेंचरों / बांडों / वाणिज्यिक पत्रों में निवेश (बाजार मूल्य पर), जिनका श्रेणी निर्धारण ए ए + या उसके सम कक्ष से कम न हो :					
	i) उसी समूह की / अनुषंगी कंपनियों से भिन्न कंपनियां	413				

	ii) सरकारी कंपनी या सरकारी क्षेत्र का बैंक या सरकारी क्षेत्र की संस्था या केंद्र या राज्य सरकार के अधिनियमों के द्वारा स्थापित या गठित कोई निगम	414				
	(घ) निम्नलिखित की यूनिटों में निवेश (बाजार मूल्य पर)					
	(i) भारतीय यूनिट ट्रस्ट	415				
	(ii) सेबी द्वारा अनुमोदित अन्य म्युचुअल फंड (म्युचुअल फंड वार विवरण दें)	416				

नोट :

1. कुल जमाराशियों का अर्थ प्राप्त जमाराशियों के साथ-साथ अर्जित या जमाकर्ताओं को देय अन्य लाभ से होगा। इस भाग की मद 1 के सामने स्तंभ 5 और 7 के अंतर्गत राशियों का जोड़ भाग 1 की मद 2 के बराबर होना चाहिए।
2. यदि उपर्युक्त मद 3 (क) और 3 (ख) में दिये गये निवेश दिनांक 15.5.1987 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 55/डीजी (ओ)-87 के पैराग्राफ 6 (क) और (ख) में निर्धारित न्यूनतम से कम हों तो कंपनी इसके साथ एक पत्र संलग्न करते हुए उसके लिए कारण अवश्य स्पष्ट करें।
3. सरकारी क्षेत्र के उस बैंक के नाम का उल्लेख किया जाये जिसके पास उपर्युक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 6 (क) के अनुसार उपर्युक्त प्रतिभूतियां रखी हुयी है। यदि ऐसे किसी बैंक के पास प्रतिभूतियां नहीं रखी गयी है तो इसके साथ एक पत्र संलग्न करते हुए उसके कारणों का उल्लेख अवश्य किया जाये।
4. कृपया मद 2 और 3 के आगे सावधि जमाराशियों / प्रतिभूतियों के पूरे विवरण उनके बही मूल्य और -बाजार मूल्य प्रतिभूतियों के मामले में) का उल्लेख करते हुए एक अनुबंध में दे (अनुबंध सं.....)

भाग - 5

बही मूल्य पर निवेशों को दर्शाने वाला विवरण

(भाग - 3 की मद 6 एवं 7 में उल्लिखित से भिन्न

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1.	ऐसी कंपनियों के शेयरों और उनके द्वारा जारी डिबेंचरों/बांडों तथा वाणिज्यिक पत्रों में निवेश और उन फार्मों एवं स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों की पूंजी में अंशदान जिनमें कंपनी के निदेशकों का 'बड़ा हित' है। (कृपया नोट 1 देखें) (ब्योरा अनुबंध सं. .... में)	511	
2.	अन्य कंपनियों के शेयर, डिबेंचर / बांड और वाणिज्यिक पत्र	512	
3.	अन्य निवेश :		
	(i) बैंकों के पास सावधि जमा / उनके द्वारा जारी जमा प्रमाण पत्र (भाग - 4 में सम्मिलित के भिन्न)	513	

	(ii) बैंक (I) के पास किसी अन्य जमा खातों में शेष राशि	514	
	(iii) अन्य (कृपया बही मूल्य तथा बाजार मूल्य दर्शाते हुए सूची प्रस्तुत करें)	515	
4.	योग (513 से 515)	520	
5.	कुल योग (511 + 512 +520)	**500**	

नोट :

1. 'बड़ा हित' का अर्थ किसी एक व्यक्ति की या उसकी पत्नी /पति या नाबालिग बच्चे की अकेले या सब को मिला कर किसी कंपनी के शेयरों में संपत्ति पर प्रदत्त राशि उस कंपनी की प्रदत्त पूंजी या किसी साझेदारी फर्म के सभी साझीदारों द्वारा अभिदान की गयी कुल पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक है।
2. निवेश खाते में रखे गये शेयरों, डिबेंचरों और वाणिज्यक पत्रों या कारोबारी माल का ब्योरा इस भाग में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
3. कंपनियों के पास सावधि जमाराशियों को यहां **शामिल नहीं** किया जाये बल्कि भाग 3 एवं 6 में दर्शाया जाये।

भाग - 6

बकाया ऋण जोखिमों अर्थात् ऋणों और अग्रिमों, किराया खरीद एवं उपस्कर पट्टेदारी, बिल भुनाई, अंतर कारपोरेट जमाराशियों (भाग - 3 की मद 8 में उल्लिखित से भिन्न) को दर्शाने वाला विवरण

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1.	ऐसी कंपनियां, फर्म, स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान, जिनमें कंपनी के निदेशकों का 'बड़ा हित' निहित है (कृपया भाग - 5 का नोट 1 देखें) (ब्योरा अनुबंध सं.............में)	601	
2.	अन्य :		
	(i) वे कंपनियां जो उसी समूह की नहीं है	611	
	(ii) निदेशक गण	612	
	(iii) शेयर धारक	613	
	(iv) मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी	614	
	(v) खरीद, बिक्री और अन्य से संबंधित एजेंट	615	
	(vi) जमाकर्ता	616	
	(vii) अन्य	617	
3.	योग (611 से 617)	620	
4.	कुल योग (601 + 620)	**600**	

नोट : फुटकर देन दारों, अग्रिम रूप में प्रदत्त कर तथा वसूली जाने योग्य अन्य मदों को, जो ऋण और अग्रिमों के स्वरूप की नहीं है, इस विवरण में **नहीं** दर्शायी जानी चाहिए।

भाग- 7

31 मार्च 20.... को समाप्त वर्ष के लिए कारोबार से संबंधित आंकड़े / सूचना

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1	**I. वितरण (निधि आधारित कार्यकलाप) :** उपस्कर पट्टेदारी :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	701	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल वितरण	702	
2	किराया खरीद :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	703	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल वितरण	704	
3	**ऋण** :		
	(क) निगमित निकायों को शेयरों की जमानत पर ऋण :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	705	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल वितरण	706	
	(ख) व्यक्तियों को शेयरों को जमानत पर ऋण		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	707	

	(ii) वर्ष के दौरान कुल वितरण	708	
	(ग) दलालों को शेयरों की जमानत पर ऋण :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	709	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल वितरण	710	
	(घ)प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमों केप्रस्तावों के वित्तपोषण हेतु ऋण :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	711	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल वितरण	712	
	(ङ) अंतर कारपोरेट ऋण / जमाराशियां :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	713	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल वितरण	714	
	(च) अन्य	715	
4	क्रय किये गये / भुनाये गये बिल :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	716	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल वितरण	717	
5	उपर्युक्त 4 में से भुनाये गये बिल :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	718	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल वितरण	719	
6	**II. शेयरों / प्रतिभूतियों में (सांविधिक चलनिधि अनुपात से भिन्न उद्धृत) विपणन** शेयरों /डिबेंचरों / वाणिज्यिक पत्रों की खरीद / बिक्री		
	(क) खरीद	720	
	(ख) बिक्री	721	
7.	**III. शुल्क आधारित कार्यकलाप** पूंजी बाजार के परिचालनों के लिए जारी की गयी गारंटियां		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशिया	722	
	(ख) वर्ष के दौरान की कुल राशि	723	
8.	अन्य प्रयोजनों के लिए जारी की गयी गारंटिया		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	724	
	(ख) वर्ष के दौरान की कुल राशि	725	
9.	वर्ष के दौरान समूहित की गयी पट्टेदारी / किराया खरीद	726	
10.	वर्ष के दौरान समूहित किये गये ऋण / अंतर कारपोरेट जमाराशियां	727	
11	वर्ष के दौरान समूहित किये गये बिल	728	
12	हामीदारी :		
	(क) हामीदारी की कुल राशि	729	
	(ख) अभिदान की गयी राशि	730	
	(ग) बकाया बंधनबद्धताएं	731	

भाग - 8

अतिदेयों का स्वरूप

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1	12 माह से अधिक समय के पट्टेदारी अतिदेय	801	
2	12 माह तक के पट्टेदारी अतिदेय	802	

3	12 माह से अधिक समय के किराया -खरीद अतिदेय	803	
4	12 माह तक के किराया- खरीद अतिदेय	804	
5	6 माह से अधिक समय के अन्य अतिदेय	805	
6	6 माह तक के अन्य अतिदेय	806	
7	**योग (801 से 806 तक)**	**810**	

भाग - 9

आय तथा व्यय के चुनिंदा मापदंड

(कृपया नीचे दिये हुए अनुदेश देखें)

1	**निधि आधारित आय :** कुल पट्टेदारी आय, यदि कोई हो	901	राशि
2	घटायें : पट्टे पर दी गयी आस्तियों पर मूल्यह्रास + / -पट्टा साम्यकरण	902	
3	निवल पट्टेदारी आय (901- 902)	**903**	
4	किराया - खरीद आय, यदि कोई हो	904	
5	बिल भुनाई आय	905	
6	निवेश आय		
	(क) सावधि जमाराशियों / जमा प्रमाणपत्रों से	906	
	(ख) सरकारी / अनुमोदित प्रतिभूतियां से	907	
	(ग) अन्य निवेशों पर लाभांश /ब्याज	908	
	(घ) शेयरों /डिबेंचरों / वाणिज्यिक पत्रों की बिक्री पर लाभ / हानि (+ / -)	909	
7	ब्याज से आय		
	(क) अंतर कारपोरेट जमाराशयां / ऋण	910	
	(ख) अन्य ऋण व अग्रिम	911	
	(ग) विवरण पुस्तिका, आवेदन फार्म जारी करने एवं जमाकर्ता के खाते को बनाये रखने के सेवा प्रभारों पर खर्च की लागत स्वरूप नये जमाकर्ता से प्राप्त एक बार के प्रभार	912	
	(घ) बिल भुनाई आय (पुनर्भुनाई प्रभार कम करके निवल)	913	
8	अन्य निधि आधारित आय (कृपया उल्लेख करें)	914	
9	कुल निधि आधारित आय (903 से 914)	**920**	
10	**शुल्क आधारित आय** व्यापारिक बैंकिंग कार्यकलापों से आय	921	
11	हामीदारी कमीशन	922	
12	बिलों, ऋणों, अंतर कारपोरेट जमाराशियों, पट्टेदारी एवं किराया खरीद के समूहन से आय	923	
13	विविध आय	924	
14	**कुल शुल्क आधारित आय (921 से 924 तक)**	**930**	
15	**कुल आय (920+930)**	**940**	
16	**ब्याज तथा अन्य वित्तपोषण लागत** सावधि जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज	941	

17	अंतर कारपोरेट जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज	942	
18	दलालों / एजेंट का कमीशन	943	
19	दलालों / एजेंटों को खर्च की प्रतिपूर्ति	944	
20	अन्य वित्तपोषण लागत	945	
21	बिल पुनर्भुनाई प्रभार	946	
22	**कुल वित्तपोषण लागत (941 से 946 तक)**	**950**	
	परिचालनगत व्यय		
23	कर्मचारी लागत	951	
24	अन्य प्रशासनिक लागत	952	
25	**कुल परिचालनगत लागत (951 + 952)**	**955**	
26	स्वयं की आस्तियों पर मूल्यह्रास	956	
27	परिशोधित की गयी अगोचर आस्तियां	957	
28	निवेशों के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान	958	
29	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	959	
30	अन्य प्रावधान यदि हों तो	960	
31	**कुल व्यय (950 + 955 + 956 से 960 तक)**	**970**	
32	**कर पूर्व लाभ (940 - 970)**	**980**	
33	**कर**	**990**	
34	**कर के बाद लाभ (980 - 990)**	**900**	

<u>अनुदेश :</u>

(1) इस भाग में विवरण संपूर्ण वित्तीय वर्ष के दिये जाने चाहिए। यदि कंपनी 31 मार्च के अलावा किसी अन्य तारीख को अपनी बहियों की लेखाबंदी करती हो तो बहियों की लेखाबंदी की तारीख और अवधि दी जाये।

(2) ''कुल पट्टेदारी आय'' में पट्टेदारी किराया (छूट को घटाकर निवल), पट्टेदारी प्रबंध शुल्क, पट्टेदारी सेवा प्रभार, तत्काल (अप फ्रंट) शुल्क, किराये पर दी गयी आस्तियों की बिक्री से लाभ और पट्टेदारी कारोबार से संबंधित विलंबित / बिलंब भुगतान शुल्क (किये गये / अंतिम स्वरूप दिये गये पट्टेदारी करारों के संबंध में आस्तियों की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान पर ब्याज / प्रति कर प्रभारों सहित)शामिल हैं।

(3) ''पट्टेदारी साम्यकरण खाते'' का वही अर्थ है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पट्टेदारी के लिए लेखांकन (संशोधित) के मार्गदर्शक नोट में है।

(4) 'किराया खरीद आय' में वित्त प्रभार (छूट को घटाकर निवल), किराया सेवा प्रभार, विलंबित / भुगतान प्रभार, तत्काल (अप फ्रंट) शुल्क तथा किराया खरीद कारोबार से संबंधित अन्य आय (पहचान किये गये किरायेदारों के लिए किराया खरीद आस्तियों के अधिग्रहण हेतु अग्रिम भुगतान पर अर्जित ब्याज सहित) शामिल हैं ।

प्रमाणपत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां (रिजर्व बैंक) निदेश, 1987 (समय -समय पर यथा संशोधित) में निहित निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

2. आगे यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी में प्रस्तुत विवरण / सूचना का सत्यापन किया गया है तथा इसे सभी तरह से सही और पूर्ण पाया गया है।

प्रबंधक / प्रबंध निदेशक /
अधिकृत प्राधिकृत अधिकारी

तारीख :
स्थान :

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने ---------------- --------------------------कंपनी लिमिटेड द्वारा रखी गयी लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों की, इस विवरणी में प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में जाँच की है और यह सूचित करते हैं कि हमारी अधिकतम जानकारी और हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे जांच किये गये इन अभिलेखों में दर्शायी गयी सूचना के अनुसार इस विवरणी में दिये गये आंकड़े सही हैं।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : सनदी लेखाकारों के नाम

विवरणी के अनुलग्नक :

1. विवरणी के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें, यदि वे पहले ही नहीं भेजे गये हैं। कृपया संलग्न किये गये दस्तावेजों के लिए संबंधित मद के सामने खाते में सही का निशान लगायें और अन्य मामलों में दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें ।

   (i) विवरणी की तारीख की निकटतम तारीख के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि खाते की एक प्रति ।

   (ii) नमूना हस्ताक्षर कार्ड

   (iii) 15 मई 1987 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 55/डीजी(ओ)- 87 के पैराग्राफ 8 में उल्लिखित आवेदन पत्र की एक प्रति ।

2. इस विवरणी के साथ प्रधान अधिकारियों और निदेशकों के नामों व पतों की सूची संलग्न की जाये।

भाग - 10

..................................लिमिटेड के प्रधान अधिकारियों और निदेशकों की सूची

I. प्रधान अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	पता एवं टेलीफोन नं.	यदि किसी कंपनी में निदेशक हैं तो उस / उन कंपनी / कंपनियों का / के नाम

II. निदेशक

क्र.	नाम	पता	निदेशक, उसकी पत्नी या नाबालिग बच्चों द्वारा कंपनी के धारित ईक्विटी शेयरों का प्रतिशत	अन्य कंपनियों के नाम, जहां वह निदेशक हैं।

प्रबंधक / प्रबंध निदेशक / प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ____________

नाम : ____________

पदनाम : ____________

स्थान : ____________

तारीख : ____________

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्र 1, विश्व व्यापार केन्द्र,

कफ परेड, कोलाबा,

मुंबई - 400 005

अधिसूचना सं. डीएनबीएस.144/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000 दिनांक 30 जून 2000

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 झ ख की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 30 अप्रैल 1997 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 108/ईडी(जेआरपी) मे आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि तिमाही विवरणी I और II के फार्म तत्काल प्रभाव से इसके साथ संलग्न विवरण एनबीएस 3 और एनबीएस 3क द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

वी. एस. एन. मूर्ति

(वी. एस. एन. मूर्ति)

प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

फार्म - एनबीएस 3

मार्च /जून / सितंबर / दिसंबर, 200 .. को समाप्त तिमाही के लिए सांविधिक अर्थसुलभ आस्तियों संबंधी तिमाही विवरण

(भारतीय रिज़र्व बैंक (गै बै वि कं) विवरणी विनिर्देश, 1997 के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ ख (2) के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

1.	कंपनी का नाम			
2.	कंपनी कूट सं.			
3.	पंजीकृत कार्यालय का पता		पिन	
	फोन नं.		फैक्स नं.	ई-मेल का पता
4.	कार्पोरेट / प्रधान कार्यालय का पता		पिन	
	फोन नं.		फैक्स नं.	ई-मेल का पता
5.	भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकरण की स्थिति : i) पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया हो			
	ii) यदि पंजीकृत नहीं है, तो यह दर्शायें कि क्या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन रद्द किया गया है / लंबित है			
6.	कंपनी का वर्गीकरण (किराया खरीद / उपकरण पट्टे पर देने वाली / ऋण / निवेश आदि)			

भाग अ

जनता की जमाराशियों और अर्थसुलभ आस्तियों के रखरखाव के ब्यौरे

I. पूर्ववर्ती दूसरी तिमाही अर्थात् मार्च / जून/सितंबर / दिसंबर 20... (कृपया नीचे दिया गया नोट 1 देखें) के अंत में बकाया जनता की जमाराशियों के ब्यौरे :

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	ब्यौरे	मद कूट सं.	राशि
1.	सावधि जमाराशियों, आवर्ती जमाराशियों आदि के रूप में जनता से प्राप्त जमाराशियां	111	
2.	(i) पब्लिक लिमिटेड कंपनी (निधियों से इतर) द्वारा शेयरधारकों से प्राप्त जमाराशियां	112	
	(ii) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रथम नामित शेयरधारक से इतर संयुक्त शेयरधारकों से प्राप्त जमाराशियां	113	
3.	(i) अपरिवर्तनीय गैर-जमानती डिबेंचरों (कृपया नीचे दिया गया नोट 2 देखें) के निर्गम द्वारा प्राप्त राशि	114	
	(ii) जनता की जमाराशियों का अन्य कोई प्रकार	115	
4.	**जोड़ (111 से 115)**	**100**	

II. रखी गयी अर्थसुलभ आस्तियों के ब्यौरे :

1.	उक्त मद कूट सं. 100 के सामने दर्शायी गया जनता की जमाराशियों के ....% पर रखी जाने के लिए अपेक्षित अर्थसुलभ आस्तियों की निर्धारित राशि	121	
2.	वास्तविक रूप से रखी गयी सांविधिक अर्थसुलभ आस्तियां : (क) भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां (कृपया अनुबंध-1 के अनुसार प्रतिभूतियों की सूची प्रस्तुत करें)		
	(i) केंद्र सरकार	122	
	(ii) राज्य सरकार	123	
	(iii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में जमाराशियां (कृपया नीचे दर्शाये गये अनुबंध-2 के अनुसार सूची संलग्न करें)	124	
	(ख) अन्य (कृपया ब्यौरे अलग से प्रस्तुत करें)	125	
	जोड़ (122 से 125)	**120**	
3.	(क) नामित बैंक का नाम और पता, जहां प्रतिभूतियां जमा की गयी हैं (कृपया अनुबंध-3 में अलग से ब्यौरे प्रस्तुत करें) (ख) जमा की गयी प्रतिभूतियों की राशि		
	(i) बही मूल्य	126	
	(ii) बाजार मूल्य	127	

4.	(क) क्या कंपनी ने रिपोर्ट से संबंधित तिमाही के दौरान दैनिक आधार पर अपेक्षित सांविधिक अर्थसुलभ आस्तियों का रखरखाव किया है ? (कृपया टिक करें)		हां	
			नहीं	
	(ख) यदि नहीं, तो कृपया तिमाही के दौरान कमी की तारीख-वार स्थिति दर्शायें (कृपया अनुबंध - 4 के अनुसार ब्यौरे प्रस्तुत करें)		हां	
			नहीं	
5.	(क) क्या सांविधिक चलनिधि अनुपात की अपेक्षाओं का पिछली तिमाही के दौरान अनुपालन किया गया ? (कृपया टिक करें)		हां	
			नहीं	
	(ख) यदि नहीं, तो क्या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दांडिक ब्याज की मांग की गयी ? (कृपया टिक करें)		हां	
			नहीं	
	(ग) यदि हां,			
	(i) राशि	128		
	(ii) उसके भुगतान की तारीख	129		

भाग आ

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुपालन से संबंधित जानकारी

(लाख रुपयों में)

1.	शुद्ध स्वाधिकृत निधि (कंपनी के अंतिम लेखा-परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार)	131	
2.	पूंजी-पर्याप्तता अनुपात (कंपनी के अंतिम लेखा-परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार)	132	
3.	**क्रेडिट रेटिंग :** i) दी गयी रेटिंग	133	
	ii) रेटिंग की तारीख	134	
	iii) रेटिंग एजेन्सी का नाम	135	
	iv) क्या अंतिम रेटिंग के बाद कोई परिवर्तन किया गया है (कृपया ब्यौरे अलग से प्रस्तुत करें)	136	
4.	18 दिसंबर 1998 को कारोबार की समाप्ति पर बकाया जनता की जमाराशियां	137	
5.	18 दिसंबर 1998 को कंपनी द्वारा रखी गयी जनता की अतिरिक्त जमाराशियों, यदि कोई हों, की मात्रा	138	
6.	इस विवरणी की तारीख को (अर्थात् इस विवरणी से संबंधित तिमाही के अंतिम कार्यदिवस में) बकाया जनता की जमाराशियां	139	
7.	इस विवरणी की तारीख को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 के उपबंधों के अनुसार स्वीकार्य जनता की जमाराशियों की मात्रा	140	
8.	इस विवरणी की तारीख को नियमित किये जाने के लिए शेष जनता की अतिरिक्त जमाराशियों की मात्रा.	141	
9.	संदर्भाधीन तिमाही के दौरान स्वीकृत जमाराशियां	142	
10.	संदर्भाधीन तिमाही के दौरान नवीकृत जमाराशियां	143	
11.	अवधिपूर्ण परन्तु इस विवरणी की तारीख को अदा न की गयी / नवीकृत नहीं करायी गयी जमाराशियां (क) खातों की संख्या	144	
	(ख) राशि	145	
12.	उपर्युक्त 11 में से ऐसी जमाराशियां, जिनके संबंध में कंपनी विधि बोर्ड के आदेश प्राप्त हुए हैं (क) खातों की संख्या	146	
	(ख) राशि	147	

13.	(क) निदेशावली के अंतर्गत अनुमत समय-सीमा के भीतर जनता की अतिरिक्त जमाराशियों को नियमित करने के लिए किये गये / किये जा रहे उपाय (कृपया ब्यौरे अलग विवरण में प्रस्तुत करें)		
	(ख) कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों के अनुपालन के लिए किये गये उपाय (कृपया ब्यौरे अलग विवरण में प्रस्तुत करें)		

भाग ङ

जमाराशियों के संग्रहण के लिए खोली और बंद की गयी शाखाओं / कार्यालयों से संबंधित सूचना

(क) खोली गयी शाखाओं / कार्यालयों की सूची :

शाखाओं /कार्यालयों के नाम और पते	खोलने की तारीख	भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने की संदर्भ संख्या तथा तारीख	टिप्पणी

(ख) बंद की गयी शाखाओं / कार्यालयों की सूची :

शाखाओं / कार्यालयों के नाम और पते	प्रचार की तारीख	बंद करने की तारीख	भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने की संदर्भ संख्या और तारीख	टिप्पणी

हम घोषित करते है कि उक्त सूचना सत्य और सही है ।

स्थान :

दिनांक : प्राधिकृत अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

टिप्पणी :

1. इस विवरणी के प्रयोजन के लिए, आस्तियों का रखरखाव दैनिक आधार पर किया जाना चाहिए तथा उन्हें दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्यदिवस में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 के पैराग्राफ 1(1)(xii) में यथापरिभाषित जनता की जमाराशि संबंधी देयताओं (उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित) से संबंधित होना चाहिए । उदाहरण के लिए, 30 जून 2000 को समाप्त तिमाही (अर्थात् 1.4.2000 से 30.6.2000) के दौरान प्रत्येक दिन रखी जानेवाली चल आस्तियां 31 दिसंबर 1999 को समाप्त तिमाही के अंतिम कार्यदिवस में कारोबार की समाप्ति पर जनता की जमाराशि संबंधी देयताओं से संबंधित होनी चाहिए ।

2. अपरिवर्तनीय बेजमानती डिबेंचर / बांड, उन पर प्रोद्भूत ब्याज सहित, इस मद में शामिल किये जाने चाहिए।

अनुबंध - 1

अर्थसुलभ आस्तियों की अपेक्षा पूरी करने के लिए रखी गयी अनुमोदित प्रतिभूतियों की सूची

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	प्रतिभूति का नाम	राशि (बाजार मूल्य अथवा कारोबारी लागत जैसी स्थिति हो)	ब्याज वसूली की तारीखें

अनुबंध - 2

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास रखी गयी जमाराशियों की सूची

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	बैंक की शाखा का पता	राशि (प्रोद्भूत ब्याज सहित)

अनुबंध - 3

नामित बैंक (बैंकों) का नाम और पता

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखा का नाम और पता	टिप्पणी (भारतीय रिज़र्व बैंक को जिस पत्र द्वारा सूचना दी गयी उसकी संदर्भ सं.)

अनुबंध - 4

चल आस्तियों के रखरखाव में कमी के ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

तारीख			रखी जाने के लिए अपेक्षित राशि	वस्तुतः रखी गयी राशि	कमी
से	तक	दिनों की सं.			

DNBS Returns-NBS-3-H-5

फार्म - एनबीएस 3 ए

मार्च / जून / सितंबर / दिसंबर, 200... को समाप्त तिमाहियों के लिए सांविधिक चलनिधि आस्तियों के संबंध में तिमाही विवरणी

(भारतीय रिज़र्व बैंक (गै.बैं.वि.कं.)विवरणी विनिर्देश, 1997 के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झख (2) के अनुसार अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा प्रस्तुत)

1.	कंपनी का नाम				
2.	कंपनी कूट				
3.	पंजीकृत कार्यालय का पता				
			पिन		
	फोन नंबर		फैक्स नंबर		ई-मेल पता
4.	कार्पोरेट / प्रधान कार्यालय का पता				
			पिन		
	फोन नंबर		फैक्स नंबर		ई-मेल पता
5.	भा.रि.बैं.के साथ पंजीकरण की स्थिति : i) भा.रि.बैं.द्वारा यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया हो तो उसकी सं.और तारीख				
	ii) यदि पंजीकृत नहीं है तो उल्लेख करें कि क्या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत किया गया /लंबित है				

भाग अ

जमा राशियों के ब्यौरे और अर्थ सुलभ आस्तियां बनाये रखना

I. अंतिम कारोबार दिन को बकाया जमाराशियों का विवरण अर्थात् - मार्च /जून /सितंबर /दिसंबर 20.... को समाप्त तिमाही (कृपया नीचे दर्शायी गयी टिप्पणी सं. 1 देखें) :

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1	अपरिवर्तनीय, ऐच्छिक रूप से परिवर्तनीय, डिबेंचर /बांड जारी कर प्राप्त धन (कृपया नीचे दर्शाया गया नोट सं.2 देखें)	111	
2	निम्नलिखित से प्राप्त जमाराशियां		
	(i) शेयर धारक	112	
	(ii) निदेशक	113	
	(iii) कंपनियां	114	
	(iv) अन्य - जनता से प्राप्त जमाराशियों सहित	115	
	(ग) जोड़ (111 to 115)	100	

II. मद कूट 100 के सामने दर्शायी गयी जमाराशियों के प्रतिशत के रूप में बनाये रखे जानेवाले अनुमोदित और वास्तव में रखे गये निवेशों के ब्यौरे :

क्रम सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1	भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां (भारिबैं.अधिनियम की धारा 45-झख के अनुसार) (बनाये रखे जानेवाला न्यूनतम निवेश मद कूट 100 के सामने दर्शायी गयी जमाराशि का 10% है) (कृपया अनुबंध-1 के अनुसार अनुमोदित प्रतिभूतियों की सूची संलग्न करें) (i) बनायी रखी जानेवाली राशि	121	
	(ii) वास्तव में रखी गयी राशि	122	
	(iii)100 से 122 का %	123	
2	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां (रिजर्व बैंक) निदेशावली,1987 के पैरा 6(1)(क) के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों या सरकारी वित्तीय संस्थाओं की सावधि जमाराशियां /जमा प्रमाणपत्र (बनाये रखे जानेवाले न्यूनतम निवेश मद कूट सं.100 के सामने दर्शायी गयी जमाराशियों का 10 % है)[कृपया अनुबंध-2 के अनुसार सावधि जमाराशियों /जमा प्रमाणपत्रों की सूची संलग्न करें] (i) बनायी रखी जानेवाली राशि	124	
	(ii) वास्तव में रखी गयी राशि	125	
	(iii) 100 से 125 का %	126	

3	सरकारी कंपनी /सरकारी क्षेत्र के बैंक /सरकारी वित्तीय संस्था /किसी राज्य या केंद्र सरकार के अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित या गठित निगमों या कंपनी अधिनियम,1956 के अंतर्गत निगमित अन्य किसी कंपनी के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र या किसी अनुमोदित प्रतिभूति में या अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1987 के पैरा 6 (1)(ख) के अनुसार उपर्युक्त (क) में दिये गये तरीके से (बनाये रखा जानेवाला न्यूनतम निवेश मद कूट **100** के सामने दर्शायी गयी जमाराशि का 60% है)[कृपया निम्नलिखित अनुदेश सं.3 देखें]		
	(i) बनायी रखी जानेवाली राशि	127	
	(ii) वास्तव में रखी गयी राशि	128	
	(iii) 100 से 128 का %	129	
	(क) उपर्युक्त 3 में से यूटीआइ की योजनाओं /अन्य म्युच्युअल फंड में निवेश (अधिकतम अनुमत निवेश मद कूट 100 के सामने दर्शायी गयी राशि का 10% है) (i) बनाये रखने के लिए अनुमत राशि	130	
	(ii) वास्तव में रखी गयी राशि *भारतीय यूनिट ट्रस्ट----------------- *अन्य म्युच्युअल फंड ---------------	131	
	(iii)100 से 131 का %	132	
	(ख) उपर्युक्त 3 में से, कंपनी अधिनियम,1956 के अंतर्गत निगमित कंपनियों (जो अनुषंगी कंपनी या धारित कंपनी या सूचना देनेवाली अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी की एक ही समूह की कंपनी नहीं है) या सरकारी कंपनी या सरकारी वित्तीय संस्था के बांडों या डिबेंचरों या वाणिज्यिक पत्रों में निवेश (अधिकतम अनुमत निवेश मद कूट 100 के सामने दर्शायी गयी राशि का 10% है) (i) बनाये रखने के लिए अनुमत राशि	133	
	(ii) वास्तव में रखी गयी राशि	134	
	(iii) 100 से 134 का %	135	
4	कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य निवेश - अधिकतम राशि मद कूट 100 के सामने दर्शायी गयी जमाराशि का 20% या शुद्ध स्वाधिकृत निधियों का 10 गुना, जो भी कम हो, है (i) निवेश करने के लिए अनुमत राशि	136	
	(ii) वास्तव में निवेश की गयी राशि	137	
	(iii) 100 से 137 का %	138	

- यूटीआइ की योजनाओं और अन्य म्युचुअल फंडों में निवेश के ब्यौरे

भाग ख

शुद्ध स्वाधिकृत निधियों, अनुपालन आदि के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	मद कूट	राशि	
1.	कंपनी के पिछले लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शुद्ध स्वाधिकृत निधियां	141		
2.	(क) उस नामित शाखा का नाम और पता जहां प्रतिभूतियां जमा की गयी हैं (कृपया अनुबंध-3 में अलग से ब्यौरे दें)			
	(ख) जमा की गयी प्रतिभूतियों की राशि (i) बही मूल्य	142		
	(ii) बाजार मूल्य	143		
3.	(क) क्या कंपनी ने तिमाही के दौरान भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में दैनिक आधार पर अपेक्षित आस्तियां बनाये रखी हैं (नीचे दिया गया टिप्पणी सं.1 देखें)		हां	
			नहीं	
	(ख) यदि नहीं तो तिमाही के दौरान कमी की तारीख-वार स्थिति का उल्लेख करें (अनुबंध-4 के अनुसार अलग विवरण संलग्न करें)			
4.	(क) क्या पिछली तिमाही के दौरान सांविधिक चलनिधि अपेक्षा का पालन किया गया		हां	
			नहीं	
	(ख) यदि नहीं तो क्या रिजर्व बैंक द्वारा दंडस्वरूप ब्याज की मांग की गयी		हां	
			नहीं	
	(ग) यदि हां तो			
	(i) राशि	144		
	(ii) उसकी अदायगी की तारीख	145		
5.	पिछले लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार जनता की बकाया जमाराशियां	146		
6.	जिस तिमाही से यह विवरणी संबंधित है उस तिमाही के अंत में चुकौती के लिए अवधिपूर्ण जमाराशियां	147		
7.	उपर्युक्त 6 में से, वे जिनमें चुकौती के लिए कंपनी लॉ बोर्ड के आदेश दिये गये हैं	148		
8.	अवधिपूर्ण परंतु चुकायी न गयी जमाराशियों की चुकौती के लिए उठाये गये /उठाये जा रहे कदम : (i) वे जो कंपनी लॉ बोर्ड के आदेशों के अंतर्गत आती हैं			
	(ii) वे जो कंपनी लॉ बोर्ड के आदेशों के अंतर्गत नहीं आती हैं : (कृपया उपर्युक्त 8 (i) और (ii) के संदर्भ में स्थिति दर्शानेवाले, अलग विवरण संलग्न करें)			

भाग ड़

जमाराशियों के संग्रहण के लिए शाखाएं / कार्यालय खोलने और बंद के संबंध में जानकारी

(क) खोली गयी शाखाओं / कार्यालयों की सूची :

शाखाओं /कार्यालयों का नाम और पता	खोलने की तारीख	रिज़र्व बैंक को भेजे गये पत्र की संदर्भ सं.और तारीख	टिप्पणी

(ख) बंद की गयी शाखाओं /कार्यालयों की सूची :

शाखाओं /कार्यालयों का नाम और पता	प्रचार की तारीख	बंद करने की तारीख	रिज़र्व बैंक को भेजे गये पत्र की संदर्भ सं.और तारीख	टिप्पणी

हम यह घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी सत्य और सही है ।

स्थान :

दिनांक : प्राधिकृत अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

टिप्पणी:

(1) इस विवरणी के प्रयोजन के लिए, आस्तियां दैनिक आधार पर रखी जायें और वे पूर्ववर्ती दूसरी तिमाही के अंतिम कार्य दिन की जमा देयताओं से संबंधित होनी चाहिए । उदाहरण के लिए, 31 मार्च 2000 को समाप्त तिमाही (अर्थात् 1.1.2000 से 31.3.2000तक) के दौरान प्रत्येक दिन रखी जानेवाली अर्थसुलभ आस्तियां 30 सितंबर 1999 ो समाप्त तिमाही के अंतिम कार्य दिन की जमा देयताओं से संबंधित होनी चाहिए ।

(2) वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों के मूल्य सहित आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों /बांडों का अपरिवर्तनीय अंश इस मद के अंतर्गत शामिल होना चाहिए ।

(3) किसी अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा बांडों या डिबेंचरों को एए + या उसके समकक्ष से कम दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए तथा वाणिज्यिक पत्रों को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 11.12.1989 की अधिसूचना आईईसीडी.सं.1/87 (सीपी)-89-90 में की गयी अपेक्षानुसार दर्जा दिया जाना चाहिए ।

(4) नामित बैंकर /बैंकरों के विवरण तथा अर्थसुलभ (लिक्विड) आस्तियां बनाये रखने में कमी के ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-3 और अनुबंध-4 में दिये जायें ।

अनुबंध - 1

अर्थसुलभ आस्तियों की अपेक्षा हेतु धारित अनुमोदित प्रतिभूतियों की सूची

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	प्रतिभूति का नाम	राशि (बाजार मूल्य या कारोबारी लागत पर, जैसा भी मामला हो)	ब्याज संग्रहण की तारीख

अनुबंध - 2

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास धारित जमाराशियों की सूची

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	बैंक की शाखा का पता	राशि (प्रोद्भूत ब्याज सहित)

अनुबंध - 3

नामित बैंक / बैंकों का नाम और पता

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखा का नाम और पता	टिप्पणी (भारिबैं.को भेजी गयी जानकारी के पत्रों की संदर्भ सं.)

अनुबंध - 4

अर्थसुलभ आस्तियों को बनाये रखने में कमी के ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

तारीख			बनायी रखी जानेवाली राशि	वास्तव में रखी गयी राशि	कमी
निम्नलिखित से	तक	दिनों की संख्या			

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्र 1, विश्व व्यापार केन्द्र,
कफ परेड, कोलाबा,
मुंबई - 400 005

अधिसूचना सं. डीएनबीएस.145/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000 दिनांक 30 जून 2000

भारतीय रिज़र्व बैंक , जनहित में यह आवश्यक समझे जाने पर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभार्थ ऋण प्रणाली को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ बैंक को समर्थ बनाने के लिए विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1997 का संशोधन करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञ, 45 ट और 45 ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 39/डीजी(एच)-77 में निहित उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित होंगे, अर्थात् -

उक्त निदेश के साथ संलग्न पहली अनुसूची यहां संलग्न विवरणी एनबीएस 1 द्वारा प्रतिस्थापित हो गयी है।

वी. एस. एन. मूर्ति

(वी. एस. एन. मूर्ति)
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

फार्म - एनबीएस 1

31 मार्च 20... की स्थिति के अनुसार जमाराशियों की वार्षिक विवरणी
(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने / रखने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा विविध गैर बैंकिंग कंपनियों - अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर - द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

फाइल संख्या	
आइ डी नंबर	
कारोबार का स्वरूप	
जिला कूट	
राज्य कूट	
(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भरा जाना है)	

कंपनी का नाम : ....

विवरणी भरने के लिए अनुदेश - सामान्य

1. यह विवरणी 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 118/डीजी (एसपीटी)-98 के पैरा 8(3) द्वारा समाविष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी तथा 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी. 39/डीजी (एच)-77 के पैरा 11 द्वारा समाविष्ट विविध गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा **उसकी 31 मार्च की स्थिति के संदर्भ में** 31 मार्च के बाद तथा अधिक से अधिक 30 सितंबर तक वर्ष में एक बार भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए, जहां उस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित हो; चाहे संबंधित कंपनी के वित्तीय वर्ष की लेखाबंदी की तारीख कुछ भी हो। इसके साथ प्रस्तुत फार्मेट के अनुसार कंपनी के लेखा-परीक्षकों से प्राप्त कर एक प्रमाणपत्र विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। तथापि, सिर्फ भाग -3 के संबंध में, सूचना नवीनतम परन्तु विवरणी की तारीख से पूर्व के तुलनपत्र के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।

   नोट : *13.1.2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस. 135/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000 के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 31 मार्च 2001 को समाप्त लेखा वर्ष से हर साल 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपना तुलनपत्र और लाभ हानि लेखा तैयार करेंगी। अत: 31 मार्च 2001 को समाप्त लेखा वर्ष से विवरणी के भाग 3 में प्रस्तुत सूचना वर्तमान तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार होगी तथा इस प्रकार वह विवरणी की तारीख के अनुरूप होगी।*

2. विवरणी प्रस्तुत करने में वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा को अंतिम रूप देने / पूरा होने जैसे किसी कारणवश देरी नहीं होनी चाहिए। विवरणी का संकलन कंपनी की लेखा-बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के

आधार पर किया जाना चाहिए तथा उसे इसके सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

3. **खातों की संख्या** वास्तविक आंकड़ों में दी जानी चाहिए, जबकि **जमाराशियों की मात्रा लाख रुपयों में दर्शायी जानी चाहिए**। राशि निकटतम लाख में पूर्णांकित की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर 4,56,100 रुपये को 5 के रूप में, न कि 4.6 या 5,00,000 के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इसी तरह, 61,49,500 रुपये की राशि को 61 के रूप में न कि 61.5 अथवा 61,00,000 के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

4. विवरणी पर प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में परिभाषित है) और यदि ऐसा कोई प्रबंधक न हो तो प्रबंध निदेशक या कंपनी के किसी ऐसे अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए जिसे निदेशक मंडल द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो तथा जिसका नमूना हस्ताक्षर इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया हो। यदि नमूना हस्ताक्षर निर्धारित कार्ड में प्रस्तुत न किया गया हो, तो विवरणी पर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उनका नमूना हस्ताक्षर अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. यदि विवरणी के किसी भाग / मद में कुछ भी रिपोर्ट न किया जाना हो, तो 'खातों की संख्या' के लिए अभिप्रेत स्तंभ में संबंधित भाग / मद में 'शून्य' दर्शाया जाना चाहिए तथा 'राशि' के लिए अभिप्रेत स्तंभ में 00 दर्शाये जाने चाहिए।

6. इस विवरणी में उल्लिखित 'अनुषंगी कंपनी' तथा 'उसी समूह की कंपनी' का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम में 31 अक्तूबर 1998 को हुए संशोधन के पूर्व कंपनी अधिनियम, 1956 की क्रमशः धारा 4 और धारा 372(11) में उन्हें दिया गया हो।

7. यदि यह विवरणी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (इंटरनेट) से विनिर्दिष्ट वेब-सर्वर को प्रस्तुत की जा रही हो तो उसकी एक हार्ड कॉपी पर विधिवत् हस्ताक्षर कर उसे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाये।

कंपनी की रूपरेखा

1.	कंपनी का नाम					
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता		पिन			
	फोन नम्बर		फैक्स नम्बर		ई-मेल का पता	
3.	उस राज्य का नाम, जिसमें कंपनी को पंजीकृत कराया गया है					
4.	कार्पोरेट / प्रधान कार्यालय का पता		पिन			
	फोन नम्बर		फैक्स नम्बर		ई-मेल का पता	
5.	निगमन की तारीख					
6.	कारोबार शुरू करने की तारीख					
7.	निम्नलिखित का नाम और निवास का पता : i) अध्यक्ष					
	ii) प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी					
8.	क्या यह सरकारी कंपनी है (कृपया टिक करें) :		हां		नहीं	
9.	कंपनी की स्थिति (कृपया टिक करें) :					
		(i) पब्लिक लि.		(ii) मानी गयी पब्लिक		
		(iii) प्राइवेट लि.		(iv) संयुक्त उद्यम		
10.	कंपनी का वित्तीय वर्ष					
11.	कारोबार का स्वरूप					

12.	भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकरण की स्थिति i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जाने की स्थिति में पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख	
	ii) यदि पंजीकृत न किया गया हो, तो कृपया सूचित करें कि क्या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत हुआ है / लंबित है	
13.	कंपनी का वर्गीकरण (यदि रिज़र्व बैंक ने उसे किराया खरीद /लीजिंग / ऋण / निवेश /परस्पर लाभवाली कंपनी आदि के रूप में वर्गीकृत किया हो तथा ऐसे वर्गीकरण की संदर्भ संख्या और तारीख)	
14.	**क्रेडिट रेटिंग** : i) दी गयी रेटिंग	
	ii) रेटिंग की तारीख	
	iii) रेटिंग एजेंसी का नाम	
	iv) पिछली रेटिंग से क्या कोई परिवर्तन हुआ है (ब्यौरे)	
15.	शाखाओं /कार्यालयों की संख्या (कृपया नोट 1 के अनुसार नीचे दिये गये फार्मेट में उनके नामों और पतों की सूची संलग्न करें)	
16.	यदि अनुषंगी कंपनी हो तो कृपया धारक कंपनी का नाम और पता सूचित करें	
17.	यदि कंपनी की अनुषंगी / सहयोगी कंपनियां हों, तो उनकी संख्या (कृपया नोट 2 के अनुसार नीचे दिये गये फार्मेट में नामों, पतों, निदेशकों के नामों की सूची तथा उनके व्यावसायिक कार्यकलापों के ब्यौरे संलग्न करें)	
18.	यदि संयुक्त उद्यम हो, प्रवर्तक संस्था (ओं) का नाम और पता	
19.	कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों का नाम, उनके पता और फोन नम्बर के साथ	
20.	कंपनी के बैंकरों का (के) नाम, उनके पता और फोन नम्बर के साथ	

नोट (1) : शाखाओं के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट:

क्रम सं.	शाखा का नाम	खुलने की तारीख	पता	शहर	जिला	राज्य	जनता की जमाराशि की मात्रा
	शाखाओं की कुल संख्या						सभी शाखाओं की जनता की कुल जमाराशियां ....(राशि)
							दिनांक ....के तुलनपत्र के अनुसार जनता की कुल जमाराशियां.......... ....(राशि)

नोट (2) : अनुषंगी कंपनियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट:

क्रम सं.	अनुषंगी कंपनी का नाम	पता	निदेशकों का नाम	कारोबार संबंधी कार्यकलाप

आस्तियों और देयताओं के ब्यौरे (31 मार्च 200.. की स्थिति)

भाग - 1

जनता की जमाराशियां

(राशि लाख रुपयों में)

मद संख्या	विवरण	मद कूट	खातों की संख्या	राशि
1.	सावधि जमाराशियों, आवर्ती जमाराशियों आदि के रूप में जनता से प्राप्त जमाराशियां	111		
2.	(i) पब्लिक लिमिटेड कंपनी (*निधियों* से इतर) द्वारा शेयरधारकों से प्राप्त जमाराशियां	112		
	(ii) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा पहले नाम वाले शेयरधारक से इतर संयुक्त शेयरधारकों के प्राप्त जमाराशियां	113		
3.	(i) अपरिवर्तनीय बेजमानती डिबेंचरों के निर्गम द्वारा प्राप्त राशि (कृपया नीचे दिया गया अनुदेश सं. 1 देखें)	114		
	(ii) अन्य किसी प्रकार की जनता की जमाराशियां	115		
4.	**जोड़ (111 से 115)**	**110**		
5.	उक्त मद 4 में दर्शायी गयी कुल जमाराशियों में से निम्नलिखित अवधि में देय (i) 1 वर्ष के भीतर	121		
	(ii) 1 वर्ष बाद परन्तु 2 वर्ष तक	122		
	(iii) 2 वर्ष बाद परन्तु 3 वर्ष तक	123		
	(iv) 3 वर्ष बाद परन्तु 5वर्ष तक तथा	124		
	(v) 5 वर्ष बाद	125		
6.	**जोड़ (121 से 125)**	**120**		
7.	निम्नलिखित ब्याज दर के अनुसार उक्त मद 4 में जनता की जमाराशियों के ब्यौरे (दलाली, यदि कोई हो, को छोड़कर) (i) 10% से कम	131		
	(ii) 10% या अधिक परन्तु 12% से कम	132		
	(iii) 12% या अधिक परन्तु 14% से कम	133		
	(iv) 14% या अधिक परन्तु 16% से कम	134		
	(v) 16%	135		
	(vi) 16% से अधिक परन्तु 18% तक	136		
	(vii) 18% से अधिक	137		
8.	**जोड़ (131 to 137)**	**130**		

9.	मात्रा के अनुसार जनता की जमाराशियों के ब्यौरे i) जनता से प्राप्त सावधि जमाराशियां आदि (उक्त मद सं. 1 देखें)			
	क) 10,000 रुपये तक	141		
	ख) 10,000 रुपये से अधिक	142		
	ii) पब्लिक लि. कंपनियों के मामले में शेयरधारकों से प्राप्त जमाराशियां (उक्त मद सं. 2 देखें)			
	क) 10,000 रुपये तक	143		
	ख) 10,000 रुपये से अधिक	144		
	iii) अपरिवर्तनीय बेजमानती डिबेंचर (उक्त मद सं. 3 देखें)			
	क) 10,000 रुपये तक	145		
	ख) 10,000 रुपये से अधिक	146		
10.	**जोड़ (141 से 146) [मद 110 के सामने दर्शायी गयी राशि से मिलना चाहिए]**	**140**		
11.	उक्त मद 4 में दर्शायी गयी जमाराशियों में से : i) अवधिपूर्ण हो गयी परंतु दावा न की गयी जमाराशियां	151		
	ii) अवधिपूर्ण हो गयी, दावा की गयी परंतु अदा न की गयी जमाराशियां (कृपया नीचे अनुदेश सं. 2 देखें) क) जनता से (उक्त मद सं. 1 देखें)	152 153		
	ख) शेयरधारकों से (उक्त मद सं. 2 देखें)	154		
	ग) डिबेंचर धारकों से (उक्त मद सं. 3 देखें) (कृपया (क) (ख) और (ग) के ब्यौरे अनुबंध सं. .... में प्रस्तुत करें)	155		
	iii) उक्त मद (ii) के सामने दर्शायी गयी ऐसी जमाराशियां जिनमें कंपनी विधि बोर्ड ने चुकौती के आदेश पारित कर दिये हैं	156		
12.	दलाली अदा करके वर्ष के दौरान जुटायी गयी जनता की जमाराशियां	157		
13.	अदा की गयी दलाली	158		
14.	12 में 13 का %	159		
15.	अवधिपूर्ण हो गयी परंतु सात वर्ष तक, अवधिपूर्णता के वर्ष को शामिल करते हुए, दावा न की गयी जनता की जमाराशियां	160		

<u>अनुदेश :</u>

1. आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों / बांडों के मामले में, परिवर्तनीय हिस्से को भाग - 2 की मद 9 के सामने दर्शाना चाहिए । अपरिवर्तनीय बेजमानती डिबेंचरों को इस मद के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए ।
2. प्रत्येक जमाराशि की चुकौती न किये जाने के कारण तथा कंपनी विधि बोर्ड के आदेश (यदि कोई हो) के अनुपालन सहित चुकौती के लिए उठाये गये कदमों के बारे में एक अनुबंध के रूप में सूचित किया जाना चाहिए ।

भाग - 2

अन्य उधार राशियों के विवरण

मद सं.	विवरण	मद कूट	खातों की सं.	राशि
1.	केंद्र / राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकरण / अन्यों से उधार ली गयी ऐसी राशियां, जिनकी चुकौती केन्द्र / राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत है	221		
2.	निम्नलिखित से उधार ली गयी राशि :			
	i) विदेशी सरकार	222		
	ii) विदेशी प्राधिकरण	223		
	iii) विदेशी नागरिक या व्यक्ति	224		
	जोड़ (222 से 224)	**225**		
3.	निम्नलिखित से उधार ली गयी राशियां :			
	(i) बैंक	226		
	(ii) अन्य विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाएं	227		
4.	किसी अन्य कंपनी से उधार ली गयी राशि	228		
5.	निदेशकों / प्रवर्तकों से लिये गये बेजमानती ऋण	229		
6.	प्राइवेट कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से उधार ली गयी राशि	230		
7.	कंपनी के कर्मचारियों से जमानती जमाराशि के रूप में प्राप्त तथा कंपनी और कर्मचारियों के नाम में अनुसूचित बैंक या डाकघर में संयुक्त खातों में रखी गयी राशि	231		
8.	सतर्कता राशि, उधारकर्ताओं, पट्टेदार, किरायेदारों से प्राप्त मार्जिन राशि अथवा जमानत के रूप में प्राप्त राशि अथवा कंपनी के कारोबार के दौरान एजेंटों से प्राप्त अग्रिम अथवा माल की आपूर्ति के लिए प्राप्त आदेशों या संपत्तियों या सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि	232		
9.	परिवर्तनीय या जमानती डिबेंचर / बांड जारी करके प्राप्त राशि (कृपया नीचे दिया गया अनुदेश देखें)	233		
10.	उक्त में से बैंकों / अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अभिदत्त डिबेंचर	234		

11.	आबंटन होने तक के शेयरों, बांडों या डिबेंचरों में अभिदान के द्वारा प्राप्त राशि अथवा शेयरों पर अग्रिम मांग के द्वारा प्राप्त राशि (पुनर्वित्त के लिए पात्र नहीं)	235		
12.	वाणिज्यिक पत्र	236		
13.	निदेशकों के रिश्तेदारों से प्राप्त जमाराशियां	237		
14.	म्युच्युअल फंडों से उधार ली गयी राशियां	238		
15.	अन्य कोई (जनता की जमाराशि के रूप में न माना गया - कृपया विनिर्दिष्ट करें)	239		
16.	**जोड़ (221 + 225 + 226 to 233+ 235 से 239)**	**250**		

<u>अनुदेश :</u>

आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों / बांडों के मामले में सिर्फ परिवर्तनीय अंश को उक्त भाग - 2 की मद 9 के सामने दर्शाया जाना चाहिए ।

भाग - 3

शुद्ध स्वाधिकृत निधि

[विवरण की तारीख से पहले के नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार अथवा विवरण की तारीख की स्थिति के तुलनपत्र के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत किये जाने हैं]

[..................................की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र]

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1.	पूंजीगत निधियां :		
	(i) प्रदत्त इक्विटी पूंजी	311	
	(ii) प्रदत्त अधिमान शेयर,जो अनिवार्यतः इक्विटी में परिवर्तनीय हैं	312	
	(iii) मुक्त प्रारक्षित निधियां (कृपया नीचे दिया गया अनुदेश सं. 1 देखें)	313	
2.	**जोड़ (311 +312+313) = अ**	**310**	
3.	(i) हानि का संचित शेष	321	
	(ii) आस्थगित राजस्व व्यय की शेष राशि	322	
	(iii) अन्य अगोचर आस्तियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	323	
4.	**जोड़ (321+322+323) = आ**	**320**	
5.	**स्वाधिकृत निधि (अ - आ) अर्थात् (310-320) = इ**	**330**	
6.	निम्नलिखित के शेयरों में निवेश का बही मूल्य :		
	(i) कंपनी की अनुषंगी संस्थाएं	341	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां	342	
	(iii) अन्य सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (ब्यौरे अनुबंध सं.... में)	343	
7.	निम्नलिखित के डिबेंचरों और बांडों में निवेश का बही मूल्य :		
	(i) कंपनी की अनुषंगी संस्थाएं	344	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां (ब्यौरे अनुबंध सं.... में)	345	
8.	निम्नलिखित के पास बकाया ऋण और अग्रिम जिनमें खरीद / भुनाये गये बिल, अंतर-कंपनी जमाराशियां किराया खरीद और पट्टा वित्त, वाणिज्यिक पत्र शामिल है :		
	(i) कंपनी की अनुषंगी संस्थाएं	346	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां (ब्यौरे अनुबंध सं.... में) [कृपया नीचे दिया गया अनुदेश सं. 2 देखें]	347	
9.	**जोड़ (341 से 347) = ई**	**340**	
10.	**'इ' के 10% के ऊपर 'ई'** **(330 के 10% के ऊपर 340) = उ**	**351**	
11.	**शुद्ध स्वाधिकृत निधि (330 - 351) = ('इ - 'उ')**	**350**	
12.	नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार चुकता अधिमान शेयर पूंजी, जो अनिवार्यतः परिवर्तनीय नहीं है	361	
13.	इस विवरणी की तारीख को चुकता अधिमान शेयर पूंजी, जो अनिवार्यतः परिवर्तनीय नहीं है	362	

14.	विवरणी की तारीख के पहले के नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार कुल देयताएं	363	
15.	इस विवरणी की तारीख को कुल देयताएं	364	

अनुदेश :

1. उक्त मद 1(iii) के अंतर्गत उल्लिखित "मुक्त प्रारक्षित निधियां" में शेयर प्रीमियम खाते, पूंजी और डिबेंचर शोधन प्रारक्षित निधि तथा तुलन-पत्र में दर्शायी गयी या प्रकाशित किसी अन्य प्रारक्षित निधि में जमा शेष शामिल होगी, जो लाभ के आबंटन के माध्यम से निर्मित है परंतु जो :
   (i) भविष्य की किसी देयता की चुकौती या आस्तियों के मूल्यह्रास या अनर्जक आस्तियों / अशोध्य ऋणों हेतु प्रावधान के लिए निर्मित प्रारक्षित निधि नहीं हो; या
   (ii) कंपनी की आस्तियों के पुनर्मूल्यन द्वारा निर्मित प्रारक्षित निधि नहीं हो।

2. किराया खरीद और पट्टा वित्त का अर्थ है :
   (i) किराया खरीद आस्ति के मामले में, प्राप्य भावी किस्तों की राशि जिसमें से अपरिपक्व वित्त प्रभारों का जमा शेष घटाया जाये; और
   (ii) पट्टे वाली आस्तियों के मामले में, पट्टेवाली आस्ति का मूल्यह्रासित बही मूल्य जिसमें / जिसमें से पट्टा समायोजन खाते में जमा शेष जोड़ा / घटाया जाये।

प्राप्य परंतु प्राप्त न की गयी राशि को दोनों मामलों में जोड़ा जाये।

भाग - 4

अंतर-कंपनी जमाराशियों / वाणिज्यिक पत्रों सहित बकाया ऋण और अग्रिम

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1.	कंपनी की अनुषंगी कंपनियों में ऋण और अग्रिम आदि	411	
2.	एक ही समूह की कंपनियां	412	
3.	ऐसी कंपनियां, फर्में और स्वाम्य प्रतिष्ठान, जिनमें कंपनी के निदेशकों का पर्याप्त हित है / वे हितबद्ध हैं (कृपया नीचे दिया गया अनुदेश सं. 1 देखें)[ब्यौरे अनुबंध सं........में]	420	
4.	अन्य :		
	(i) कंपनियां, जो एक ही समूह की नहीं हैं	431	
	(ii) निदेशक / प्रवर्तक	432	
	(iii) शेयरधारी	433	
	(iv) स्टाफ-सदस्य	434	
	(v) जमाकर्ता	435	
	(vi) अन्य	436	
5.	**जोड़ (411 +412 +420 +431से 436)**	**400**	

अनुदेश:

(1) 'पर्याप्त हित' का वही अर्थ होगा, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 में उसे दिया गया है ;

(2) फुटकर देनदार, अग्रिम रूप में अदा किये गये कर और अन्य वसूलीयोग्य ऐसी मदों, जो ऋण और अग्रिम के स्वरूप की नहीं हैं, को उपर्युक्त भाग-4 में **नहीं** दर्शाया जाना चाहिए ।

(3) अन्य कंपनियों के पास रहनेवाली सावधि जमाराशियों को मामले के अनुसार मद 1, 2, 3 और 4(i) के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए ।

(4) भाव उद्धृत न किये जानेवाले डिबेंचरों में निवेश को ऋण माना जाना चाहिए, निवेश नहीं ।

भाग - 5 (i)

निवेश (बही मूल्य पर)

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1.	निम्नलिखित में निवेश -		
	(i) बैंकों के पास सावधि जमाराशियां / बैंकों द्वारा आरी जमा प्रमाणपत्र	541	
	(ii) बैंक (बैंकों) के पास किन्हीं अन्य जमा खातों में जमा शेष	542	
	(iii) केन्द्र / राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां और केन्द्र / राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत बांड	543	
	(iv) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट	544	
	(v) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें ...)	545	
2.	शेयरों में निवेश :		
	(i) उद्धृत किये जानेवाले	511	
	(ii) उद्धृत न किये जानेवाले	512	
3.	डिबेंचरों और बांडों में निवेश	515	
4.	जिन कंपनियों में निदेशकों का पर्याप्त हित है उनके शेयरों और डिबेंचरों / बांडों में निवेश (कृपया भाग - 4 का अनुदेश सं. 1 देखें) (ब्यौरे अनुबंध सं. . . . . में)	520	
5.	**जोड़ [541 से 545 + 511 + 512 + 515 + 520]**	**500**	

अनुदेश :

(1) निवेश खाते में या व्यापारगत स्टॉक के रूप में धारित शेयरों, डिबेंचरों और वाणिज्यिक पत्रों के ब्यौरे इस भाग में शामिल किये जाने चाहिए ।

(2) अन्य कंपनियों के पास सावधि जमाराशि को यहां शामिल नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु उसे भाग-4 में दिखाना चाहिए ।

(3) भाव उद्धृत न किये जानेवाले डिबेंचरों / बांडों में निवेश को ऋण माना जाना चाहिए, निवेश नहीं ।

भाग - 5 (ii)

उद्धृत शेयर / डिबेंचर / बांड / वाणिज्यिक पत्र

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1.	बही मूल्य	551	
2.	बाजार मूल्य	552	

भाग - 6

किराया खरीद कारोबार

मद सं.	किराये पर दिये जानेवाले माल का स्वरूप	मद कूट	खातों की संख्या	राशि
1.	ऑटोमोबाइल -			
	(i) भारी वाणिज्यिक वाहन	611		

	(ii) बुपहिया वाहनों सहित हल्के वाणिज्यिक वाहन	612		
	(iii) अन्य	613		
2.	**जोड़ [611+612+613]**	**610**		
3.	टिकाऊ घरेलू वस्तुएं	621		
4.	डाटा प्रोसेसिंग / ऑफिस ऑटोमेशन उपकरण	622		
5.	कृषि के उपकरण (ट्रेक्टर, बुलडोजर आदि)	623		
6.	औद्योगिक मशीनें या उद्योगों में उपयोग के लिए औजार या उपकरण	624		
7.	अन्य सभी	625		
8.	**जोड़ [610+ 621 से 625]**	**600**		
9.	उपर्युक्त 8 में से, निम्नलिखित से देय राशियां - अनुषंगी कंपनियां / एक ही समूह की कंपनियां / ऐसी कंपनियां, फर्म और स्वाम्य प्रतिष्ठान, जिनमें कंपनी के निदेशकों का पर्याप्त हित है	691		

भाग - 7

उपकरण पट्टे पर देने का कारोबार

मद सं.	पट्टे पर दिये जानेवाले उपकरण का स्वरूप	मद कूट	पट्टे पर दी गयी सकल आस्तियां	संचित मूल्यह्रास +/- पट्टा समायोजन खाता	पट्टे पर दी गयी शुद्ध आस्तियां तथा प्राप्य पर प्राप्त न की गयी राशियां
1.	संयंत्र और मशीनें	701			
2.	डाटा प्रोसेसिंग / कार्यालय उपकरण	702			
3.	वाहन	703			
4.	अन्य	704			
5.	**जोड़ (701+702+703+704)**	**700**			
6.	उपर्युक्त 5 में से, निम्नलिखित से देय राशि - अनुषंगी कंपनियां / एक ही समूह की कंपनियां / ऐसी कंपनियां, फर्म और स्वाम्य प्रतिष्ठान, जिनमें कंपनी के निदेशकों का पर्याप्त हित है / या वे हितबद्ध हैं।	791			

भाग - 8

बिल कारोबार

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1.	खरीदे गये / भुनाये गये ऐसे बिल, जिनमें आहर्ता, अदाकर्ता अथवा कोई पृष्ठांकिती निम्नलिखित में से हो : (i) कंपनियों की सहायक संस्थाएं	801	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां	802	
	(iii) ऐसी कंपनियां या फर्में, जिनमें कंपनी के किसी निदेशक का पर्याप्त हित हो अथवा उसके द्वारा स्वाधिकृत स्वाम्य प्रतिष्ठान	803	
2.	उक्त 1 से इतर खरीदे गये / भुनाये गये बिल	820	
3.	**जोड़ (801 + 802 + 803 + 820)**	**800**	

भाग - 9
अन्य अचल आस्तियों के बारे में विवरण

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1.	अचल आस्तियां		
	(i) अपने उपयोग के लिए भूमि और भवन	901	
	(ii) भूमि और भवन - अन्य	902	
	(iii) फर्नीचर और फिक्सचर	903	
	(iv) वाहन	904	
2.	अगोचर आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियां	905	
3	**अन्य आस्तियों का जोड़ (901 + 902 + 903 + 904+905)**	**910**	
4.	**कुल आस्तियां [अगोचर आस्तियों को छोड़कर] (400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 910]**	**900**	

भाग - 10

31 मार्च 200.. को समाप्त वर्ष के लिए व्यवसाय संबंधी आंकड़े / सूचना

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
	I. संवितरण (निधि आधारित कार्यकलाप)		
1	उपकरण पट्टे पर देना :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1001	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1002	
2	किराया खरीद :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1003	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1004	
3	**ऋण**		
	(क) कंपनियों को शेयरों की जमानत पर ऋण :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1005	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1006	
	(ख) व्यक्तियों को शेयरों की जमानत पर ऋण :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1007	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1008	
	(ग) दलालों को शेयरों की जमानत पर ऋण :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1009	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1010	
	(घ) आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों को वित्तपोषित करने के लिए ऋण :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1011	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1012	
	(ङ) अंतर-कंपनी ऋण / जमाराशियां :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1013	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1014	
	(च) अन्य	1015	
4	खरीदे गये / भुनाये गये बिल :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1016	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1017	
5	4 में से, पुनः भुनाये गये बिल :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1018	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	1019	
	II. शेयरों / प्रतिभूतियों (कोट किये गये, एसएलआर से इतर) में लेनदेन		
6	शेयरों / डिबेंचरों / वाणिज्यिक पत्रों की खरीद / बिक्री :		
	(क) खरीद	1020	
	(ख) बिक्री	1021	
	III. शुल्क आधारित कार्यकलाप		
7.	पूंजी बाजार संबंधी परिचालनों के लिए जारी की गयी गारंटियां :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1022	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	1023	

8.	अन्य प्रयोजनों के लिए जारी की गयी गारंटियां :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1024	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	1025	
9	वर्ष के दौरान समूहित (सिंडिकेटेड) लीज / किराया खरीद	1026	
10.	वर्ष के दौरान समूहित ऋण / अंतर-कंपनी जमाराशियां	1027	
11	वर्ष के दौरान समूहित बिल	1028	
12	हामीदारी :		
	(क) हामीदारी की कुल राशि	1029	
	(ख) न्यागत राशि	1030	
	(ग) बकाया वचनबद्धताएं	1031	

भाग - 10(अ)

अतिदेय राशियों की स्थिति

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1	12 महीने से अधिक समय से अतिदेय लीज	1041	
2	12 महीने तक अतिदेय लीज	1042	
3	12 महीने से अधिक समय से अतिदेय किराया खरीद	1043	
4	12 महीने तक अतिदेय किराया खरीद	1044	
5	6 महीने से अधिक समय से अतिदेय अन्य राशियां	1045	
6	6 महीने तक अतिदेय अन्य राशियां	1046	
7	**जोड़ (1041 से 1046)**	**1040**	

भाग - 11

चुनिंदा आय और व्यय के विवरण

(कृपया नीचे दिये गये अनुदेश देखें)

	निधि-आधारित आय :		
1	सकल लीज आय	1101	
2	घटायें : पट्टे पर दी गयी आस्तियों पर मूल्यह्रास + / - लीज समकरण	1102	
3	शुद्ध लीज आय (1101-1102)	1103	
4	किराया खरीद आय	1104	
5	बिल भुनाने से संबंधित आय	1105	
6	निवेश आय		
	(क) लाभांश / ब्याज	1106	
	(ख) शेयर / डिबेंचर / वाणिज्यिक पत्रों की बिक्री पर लाभ / हानि (+ / -)	1107	
7	ब्याज संबंधी आय		
	(क) अंतर-कंपनी जमाराशियां / ऋण	1108	
	(ख) अन्य ऋण और अग्रिम	1109	
8	अन्य निधि आधारित आय	1110	
9	कुल निधि आधारित आय (1103 से 1110)	**1111**	
	शुल्क आधारित आय		
10	व्यापारिक बैंकिंग संबंधी कार्यकलापों से आय	1112	
11	हामीदारी कमीशन	1113	
12	बिलों, ऋणों, अंतर-कंपनी जमाराशियों, लीज और किराया खरीद के समूहन से प्राप्त आय	1114	
13	विविध आय	1115	

	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	1023	
8.	अन्य प्रयोजनों के लिए जारी की गयी गारंटियां :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशियां	1024	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	1025	
9	वर्ष के दौरान समूहित (सिंडिकेटेड) लीज़ / किराया खरीद	1026	
10.	वर्ष के दौरान समूहित ऋण / अंतर-कंपनी जमाराशियां	1027	
11	वर्ष के दौरान समूहित बिल	1028	
12	हामीदारी : (क) हामीदारी की कुल राशि	1029	
	(ख) न्यागत राशि	1030	
	(ग) बकाया वचनबद्धताएं	1031	

भाग - 10(अ)

अतिदेय राशियों की स्थिति

मद सं.	विवरण	मद कूट	राशि
1	12 महीने से अधिक समय से अतिदेय लीज़	1041	
2	12 महीने तक अतिदेय लीज़	1042	
3	12 महीने से अधिक समय से अतिदेय किराया खरीद	1043	
4	12 महीने तक अतिदेय किराया खरीद	1044	
5	6 महीने से अधिक समय से अतिदेय अन्य राशियां	1045	
6	6 महीने तक अतिदेय अन्य राशियां	1046	
7	**जोड़ (1041 से 1046)**	**1040**	

भाग - 11

सुविधा आय और व्यय के विवरण

(कृपया नीचे दिये गये अनुदेश देखें)

	निधि-आधारित आय : सकल लीज़ आय	1101	
2	घटाएं : पट्टे पर दी गयी आस्तियों पर मूल्यह्रास + / - लीज़ समकरण	1102	
3	शुद्ध लीज़ आय (1101-1102)	1103	
4	किराया खरीद आय	1104	
5	बिल भुनाने से संबंधित आय	1105	
6	निवेश आय (क) लाभांश / ब्याज	1106	
	(ख) शेयर / डिबेंचर / वाणिज्यिक पत्रों की बिक्री पर लाभ / हानि (+ / -)	1107	
7	ब्याज संबंधी आय (क) अंतर-कंपनी जमाराशियां / ऋण	1108	
	(ख) अन्य ऋण और अग्रिम	1109	
8	अन्य निधि आधारित आय	1110	
9	कुल निधि आधारित आय (1103 से 1110)	1111	
10	**शुल्क आधारित आय** व्यापारिक बैंकिंग संबंधी कार्यकलापों से आय	1112	
11	हामीदारी कमीशन	1113	
12	बिलों, ऋणों, अंतर-कंपनी जमाराशियों, लीज़ और किराया खरीद के समूहन से प्राप्त	1114	

प्रमाणपत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998* (समय-समय पर यथासंशोधित) / विविध गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1977*, जैसी स्थिति हो, में निहित निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है ।

2. साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी में प्रस्तुत ब्यौरों / सूचना का सत्यापन किया गया है तथा उन्हें सही और हर तरह से पूर्ण पाया गया है ।

(* जो लागू न हो उसे काट दें)

प्रबंधक / प्रबंध निदेशक / प्राधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर

दिनांक :
स्थान :

लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

हमने इस विवरणी में प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में ....कंपनी लिमिटेड द्वारा रखी गयी लेखा बहियों तथा अन्य रिकार्डों की जांच की है तथा हम सूचित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांचे गये रिकार्डों के अनुसार इस विवरणी में प्रस्तुत आंकड़े सही हैं ।

स्थान : हस्ताक्षर :

दिनांक : सनदी लेखाकारों का नाम

विवरणी के संलग्नक :

1. विवरणी के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहिए, अगर उन्हें पहले से प्रस्तुत न किया गया हो । कृपया संलग्न किये गये दस्तावेजों के लिए मद के सामने बॉक्स में टिक करें और अन्य मामलों में उन्हें प्रस्तुत किये जाने की तारीख का उल्लेख करें ।

   (i) विवरणी की तारीख के निकटतम तारीख के लेखा-परीक्षित तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखा की एक प्रति ।

   (ii) नमूना हस्ताक्षर कार्ड ।

   (iii) 2 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 118/डीजी (एसपीटी)-98 के पैराग्राफ 4(12) अथवा 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी. 39/डीजी(एच)-77 के पैराग्राफ 6 में संदर्भित आवेदनपत्र की एक प्रति ।

2. संलग्न फार्म में प्रधान अधिकारियों तथा निदेशकों के नाम और पतों की एक सूची इस विवरणी के साथ भेजी जानी है ।

भाग - 12

..............................लि. के प्रधान अधिकारियों तथा निदेशकों की सूची

I. प्रधान अधिकारी

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पता और टेलीफोन नं.	यदि किसी कंपनी / कंपनियों में निदेशक हों, तो कंपनी / कंपनियों का/के नाम

II. निदेशक

क्रम सं.	नाम	पता	निदेशक, उसकी पत्नी / उसका पति तथा अवयस्क बच्चों द्वारा धारित कंपनी के इक्विटी शेयरों का प्रतिशत	उन अन्य कंपनियों के नाम जहां वे निदेशक हों

प्रबंधक / प्रबंध निदेशक / प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

स्थान :

तारीख :

भारतीय स्टेट बैंक
सहयोगी एवं समनुषंगियां समूह
मुंबई

एसबीडी. क्र. 7 /2000 अगस्त 19, 2000

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने श्री बी. वी. वी. राजेश्वर राव, उप महाप्रबंधक (सहयोगी बैंक), भारतीय स्टेट बैंक, सहयोगी एवं समनुषंगियां समूह, मुंबई को दिनांक 1 अक्तूबर 2000 से स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के निदेशक पद पर नामित किया है।

(जी. जी. वैद्य)
अ ध्य क्ष

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय
कलकत्ता

अ धि सू च ना

दिनांक 31 जुलाई, 2000

सं.2/2000. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केंद्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, जो इस प्रकार है :-

1. (1) इन विनियमों का नाम युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी-कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 है ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रभावी होंगे ।

2. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी-कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 (इसके पश्चात् जो अब उक्त विनियम के रूप में संदर्भित) में, विनियम 6 में, -

(i) उप-विनियम (3) के लिए, निम्नोक्त उप विनियम उस स्थान पर विकल्प होगा, जो इस प्रकार है :-

"(3)जहां जांच का प्रस्ताव किया गया है, अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध आरोपों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी निर्दिष्ट और स्पष्ट आरोप तैयार करेगा और आरोप की मदें जिनके साथ आरोपों का एक विवरण, जिन दस्तावेजों पर विश्वास किया गया हो उसकी सूची तथा ऐसे दस्तावेजों की प्रतिलिपि और गवाहों की सूची तथा गवाहों के बयान की प्रतिलिपि, यदि हों, जिनको आधार बनाया गया है, लिखित रूप से अधिकारी-कर्मचारी को सूचित करते हुए दिया जाएगा ; जिसे अपने बचाव में एक लिखित विवरण, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय (अनधिक 15 दिन) के भीतर अथवा उक्त प्राधिकारी द्वारा मंजूर ऐसे वर्धित समय के भीतर जमा देना अपेक्षित होगा ।"

"बशर्ते कि जहां दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना संभव न हो, अनुशासनिक प्राधिकारी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को ऐसे दस्तावेजों के, इस हेतु निर्धारित समय के भीतर निरीक्षण की अनुमति देगा ;"

ii) उप विनियम (10) के लिए, निम्नलिखित उप विनियम विकल्प होगा जो यह है :-

"(10) जांच प्राधिकारी उप विनियम (9) के अनुसार मामले को स्थगित करते समय इस आशय के एक आदेश के द्वारा यह रिकार्ड भी करेगा कि अधिकारी-कर्मचारी बचाव की तैयारी के उद्देश्य से –

(i) उसे उपलब्ध कराई गई सूची में उल्लिखित दस्तावेजों का निरीक्षण तुरंत पूरा कर सकता है और यदि उसने उप विनियम (3) के परंतुक में दिए गए के अनुसार पहले ऐसा नहीं किया है, तो ऐसे आदेश की तिथि से किसी भी स्थिति में अनधिक 5 दिन के भीतर ;

(ii) दस्तावेजों और गवाहों, जो वह जांच के लिए चाहता हो, की सूची जमा दे सकता है :

(iii) आदेश के 10 दिन के भीतर अथवा ऐसे अधिक समय जो 10 दिन से अनधिक हो, के भीतर नोटिस दे सकता है जैसा कि जांच प्राधिकारी उपर्युक्त मद (ii) में उल्लिखित दस्तावेजों का पता लगाने या प्रस्तुत करने की अनुमति दे ।

नोट : उपर्युक्त मद (ii) में उल्लिखित दस्तावेजों और गवाहों के परीक्षण की प्रासंगिकता, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी द्वारा दी जाएगी ।

फुट नोट : मूल विनियमों के संशोधन निम्नवर्णित विवरणों के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे :-

अधिसूचना सं.		दिनांक
1.	शून्य	
2.		
3.		
4.		

दीपक कुमार भट्टाचार्य

(डी. के. भट्टाचार्य)

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सं॰ 3/2000। युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, क्रमांक सं॰ ____________, दिनांक ________ का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, जो इस प्रकार है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का नाम युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी-कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्रांतर्गत संस्थाओं में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 2000 है ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. लागू होना :

ये विनियम निम्नलिखित को छोड़ कर बैंक के सभी अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू होंगे :-

(i) बैंक के अध्यक्ष ;
(ii) बैंक के प्रबंध निदेशक ;
(iii) पूर्णकालिक निदेशक, यदि हों ;
(iv) बैंक के (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत समाहित अधिकारी-कर्मचारीगण ;
(v) वे जो आकस्मिक नियोजन में हों अथवा जिन्हें आकस्मिक निधि से भुगतान किया जाता हो ;
(vi) पंचाट कर्मचारी ;
(vii) संविदा पर अधिकारी ।

3. परिभाषा :

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "बैंक" से अभिप्रेत है युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक बोर्ड ;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है इन विनियमों के उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा शक्तिप्राप्त प्राधिकारी ;

(घ) "निजी संस्थाओं में नियोजन" से अभिप्रेत है :-

(i) किसी कंपनी (जिसमें सम्मिलित है बैंककारी कंपनी), सहकारी समिति, फर्म के अधीन में किसी भी हैसियत में एक नियोजन जिसमें शामिल है अभिकर्ता की नौकरी भी अथवा व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय या व्यावसायिक कारोबार में लगे व्यक्ति और ऐसी कंपनी (जिसमें सम्मिलित है बैंकिंग कंपनी) का निदेशकत्व तथा ऐसे फर्म की भागीदारी शामिल है; परंतु केन्द्र

सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से स्वामित्व अथवा नियंत्रित किसी कंपनी निकाय के अधीन नियोजन शामिल नहीं है;

§ii§ स्वतंत्र रूप से अथवा किसी फर्म में भागीदार के रूप में व्यवसाय शुरू करना, सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में ऐसे मामलों में जिनके संबंध में उस व्यक्ति की :-

§क§ कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं है और जिन विषयों के संबंध में व्यवसाय शुरू करना है, वे उसके कार्यालयीन ज्ञान या अनुभव से संबंधयोग्य है, अथवा

§ख§ कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं है, परंतु जिन विषयों के संबंध में व्यवसाय शुरू करना है वे ऐसे हैं जो उसके, पूर्व कार्यालयीन हैसियत के कारण उसके ग्राहकों को अनुचित सुविधा दे सकते हैं; अथवा

§ग§ उसे ऐसे कार्य करने हैं जिनके लिए उसे बैंक के कार्यालयों या अधिकारियों से संपर्क या संयोग करना है ।

व्याख्या : इस खंड के उद्देश्य के लिए, "सहकारी समिति के अधीन नियोजन" अभिव्यक्ति में सम्मिलित है किसी कार्यालय का धारण, चाहे निर्वाचन-सापेक्ष हो या अन्यथा, यथाः सभापति, अध्यक्ष, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष और ऐसे ही पद, जैसा भी ऐसी कंपनी में होते हों ।

§ङ0§ "अधिकारी-कर्मचारी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने बैंक में पर्यवेक्षक, प्रशासनिक या प्रबंधकीय पद धारण किया है अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसे बैंक में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और/अथवा सेवानिवृत्ति के समय में, चाहे पदनाम जो भी हो, जिसने अधिकारी के रूप में कार्य किया हो ।

4. सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन की स्वीकृति :

§1§ यदि किसी व्यक्ति ने अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले अधिकारी-कर्मचारी का पद धारण किया हो और अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व यदि वह गैर-सरकारी संस्था में नौकरी स्वीकार करना चाहता हो, तो वह ऐसी स्वीकृति के लिए बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगा ।

§2§ उप विनियम §3§ के प्रावधान के अधीन किसी व्यक्ति के, उसके आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट की गई निजी संस्था में नौकरी स्वीकार करने के लिए, आवेदन पर, बैंक लिखित रूप में आदेश द्वारा उसे, कुछ ऐसी शर्तों के अधीन, यदि हों, जो वह आवश्यक समझे, उसे अनुमति दे सकता है या अनुमति अस्वीकार कर सकता है जिसके कारणों का उल्लेख उस आदेश में हो ।

§3§ किसी व्यक्ति को कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करने के लिए उप विनियम §2§ के अंतर्गत अनुमति मंजूर करने अथवा अस्वीकार करने में, बैंक निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखेगा, जो इस प्रकार हैं :-

§क§ स्वीकार किए जानेवाले नियोजन की प्रकृति और नियोजक का पूर्ववृत्त;

§ख§ जिस नियोजन को स्वीकार करने का वह प्रस्ताव रखता है क्या उसमें उसकी ड्यूटी ऐसी है जो उसे बैंक के साथ द्वन्द्व में डाल सकता है;

(ग) क्या अधिकारी-कर्मचारी ने सेवा के दौरान उस नियोजक, जिसके अधीन वह नियोजन स्वीकार करने का प्रस्ताव रखता है, से लेनदेन की थी; क्योंकि इससे इस संदेह को औचित्यपूर्ण आधार मिलता है कि उस व्यक्ति ने उस नियोजक को अनुकूलता दिखाई थी;

(घ) क्या प्रस्तावित वाणिज्यिक नियोजन की ड्यूटी में बैंक के साथ संपर्क या संयोग-कार्य सम्मिलित है;

(ङ0) क्या उसकी वाणिज्यिक ड्यूटी ऐसी है कि उसके, बैंक में पूर्व आधिकारिक हैसियत या ज्ञान या अनुभव प्रस्तावित नियोजक को अनुचित सुविधा देने का काम आ सकती है;

(च) प्रस्तावित नियोजक द्वारा दी जानेवाली परिलब्धियां; और

(छ) अन्य कोई संगत तथ्य ।

(4) जहां उप विनियम (2) के अंतर्गत आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर बैंक आवेदन की गई अनुमति की मंजूरी अस्वीकार नहीं करता है अथवा आवेदक को ऐसी अस्वीकृति की सूचना नहीं देता है तो यह मान लिया जाएगा कि बैंक ने आवेदन की गई अनुमति की मंजूरी दे दी है;

बशर्ते कि किसी भी स्थिति में, जहां आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण अथवा अपर्याप्त सूचना दी गई हो और आगे उसके स्पष्टीकरण या जानकारी मांगना बैंक के लिए आवश्यक हो गया हो; उस स्थिति में साठ दिन की अवधि की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि को आवेदक द्वारा उन त्रुटियों को दूर किया गया हो अथवा संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई हो ।

(5) जहां बैंक किन्हीं शर्तों के अंतर्गत, आवेदन की गई अनुमति की मंजूरी देता है अथवा अनुमति अस्वीकार करता है; आवेदक, बैंक के उस आशय के आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी किसी शर्त या अस्वीकृति के विरुद्ध अभ्यावेदन दे सकता है और बैंक जैसा उचित समझे, उस पर अपने आदेश दे सकता है;

बशर्ते कि उस आदेश के सिवाय कि ऐसी शर्त को रद्द करते हुए अथवा बिना किसी शर्त के ऐसी अनुमति को मंजूर करते हुए; अभ्यावेदन देनेवाले उस व्यक्ति को, दिए जानेवाले प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का एक मौका दिए बिना, इस उप विनियम के अंतर्गत अन्य कोई आदेश नहीं दिया जाएगा ।

(6) बैंक द्वारा इस विनियम के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश की सूचना संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी ।

दीपक कुमार भट्टाचार्य
(डी.के. भट्टाचार्य)
महाप्रबंधक (कार्मिक)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई

R-7

यूटी/डीबीडीएम/एसपीडी-119-बी/99-2000 **20 अगस्त, 2000**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई यूनिट योजना मासिक आय योजना 2000 (द्वितीय) के संबंध में कथित अधिनियम की धारा 19(1)(8)(सी) के अंतर्गत बनाए गए मासिक आय प्लान 2000 (द्वितीय) का पेशकश दस्तावेज, जिसे 18 जनवरी, 2000 को परिचालन संकल्प द्वारा अनुमोदिन किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

एस. चटर्जी

एस चटर्जी
उप महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
मासिक आय प्लान 2000 (सेकंड)
पेशकश (ऑफर) दस्तावेज

पेशकश 19 मई, 2000 से 24 जून, 2000 तक खुली है

यूटीआई मासिक आय प्लान 2000 (सेकंड)

मासिक आय प्लान 2000 (सेकंड) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1)(8)(सी) के अंतर्गत बनाया गया है जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई यूनिट योजना, मासिक आय योजना 2000 (सेकंड) के संबंध में है। यह पेशकश दस्तावेज योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है जिसे भावी निवेशक निवेश करने से पहले जानना चाहते हैं। पेशकश दस्तावेज भविष्य के संदर्भ हेतु रखे जाने चाहिए।

योजना के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार तैयार किए गए हैं, यथा तिथि तक संशोधित एवं सेबी के पास पंजीकृत हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।

प्लान का उद्देश्य

यह एक आयोन्मुख प्लान है। प्लान का उद्देश्य मासिक/वार्षिक आधार पर नियमित आय प्रदान कर अथवा 4 वर्ष 9 महीने की अवधि के दौरान आय की संवृद्धि को उपलब्ध करा कर निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

विशिष्टताएं

- यह चार वर्ष नौ महीने की अवधि वाला एक नियत कालिक आय प्लान है।
- यह प्लान निवासियों तथा अ-निवासियों दोनों के लिए खुला है।
- इस प्लान के तहत तीन विकल्प हैं : 1) मासिक आय विकल्प 2) वार्षिक आय विकल्प एवं 3) संचयी विकल्प।

- यूनिट का अंकित मूल्य रु. 10/- है एवं यूनिटों की बिक्री सम-मूल्य पर की जाएगी।

- न्यूनतम निवेश रु. 10,000/- है। अधिकतम कोई सीमा नहीं है।

- तीनों विकल्पों के अंतर्गत आय वितरण की घोषणा एवं आय वितरण वारंटों का प्रेषण/आय वितरण का संचयन इस प्रकार किया जाएगा:

विकल्प	लागू अवधि	आय वितरण की दर	वारंट/वारंटों का प्रेषण/ आय का संचयन
मासिक आय	जुलाई 2000 - मार्च 2001	9.25% प्र.व.	सदस्यता सूचना के साथ
	अप्रैल 2001 - जून 2001	9.25% प्र.व.	मार्च/अप्रैल 2001
	जुलाई 2001 - मार्च 2002	मार्च 2001 में घोषित किया जाएगा।	मार्च/अप्रैल 2001
	2005 तक प्रत्येक उत्तरवर्ती अप्रैल - मार्च अवधि हेतु	प्रत्येक वर्ष मार्च माह में घोषणा की जाएगी	मार्च/अप्रैल 2002 और तदुपरांत
वार्षिक आय	जुलाई 2000- जून 2001	9.65% प्र.व.	जून 2001
	जुलाई 2001 - मार्च 2002	मार्च 2001 में घोषित किया जाएगा।	मार्च/अप्रैल 2002
	2005 तक प्रत्येक उत्तरवर्ती अप्रैल - मार्च अवधि हेतु	प्रत्येक वर्ष मार्च माह में घोषणा की जाएगी	मार्च/अप्रैल 2003 और तदुपरांत
संचयी (आय का संचयन किया जाएगा)	जुलाई 2000 - जून 2001	9.65% प्र.व.	जून 2001
	जुलाई 2001 - मार्च 2002	मार्च 2001 में घोषित किया जाएगा।	मार्च/अप्रैल 2002
	2005 तक प्रत्येक उत्तरवर्ती अप्रैल - मार्च अवधि हेतु	प्रत्येक वर्ष मार्च माह में घोषणा की जाएगी	मार्च/अप्रैल 2003 और तदुपरांत

- आवेदन की स्वीकृति तिथि से 30 जून, 2000 तक की अवधि हेतु तीनों विकल्पों के अंतर्गत आनेवाले निवेशकों को 9.25% प्रति वर्ष की दर से आय वितरण का भुगतान किया जाएगा।

- आय वितरण 22 केंद्रों पर ईसीएस के जरिए तथा अन्य स्थानों पर आय वितरण वारंटों को जारी करके किया जाएगा।

- अभिदान बंद हो जाने की तिथि से छः माह के भीतर योजना की यूनिटों को एनएसई के थोक ऋण खंड पर सूचीबद्ध कराया जाएगा।

- तीनों विकल्पों के अंतर्गत पुनर्खरीद 1 जुलाई, 2003 से एनएवी आधारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जा सकती है।

- **जब यूनिटों का प्रतिदान एनएवी या सम-मूल्य, जो भी अधिक हो, पर किया जाएगा, योजना में निवेशित पूंजी परिपक्वता पर सुरक्षित रहेगी। ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) द्वारा इस पूंजी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। 01 जुलाई, 2003 से 31 मार्च, 2005 के बीच किए गए पुनर्खरीदों के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं है तथा ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित शुद्ध आस्ति मूल्य के अनुसार होगा।**

- एनआरआई तथा ओसीबी निवेशकों को देय आय वितरण और पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय हैं, जहां निवेश विदेशों में विप्रेषण के माध्यम से या अपने एनआरई खाते को नामे करके अथवा एफसीएनआर जमाओं की राशि से चेक/ड्राफ्ट जारी करके किया गया हो और ऐसे भुगतान/ विप्रेषण के समय निवेशक अनिवासी बना रहता हो।

- वर्तमान में ट्रस्ट के सभी योजनाओं/प्लानों के अंतर्गत सभी वर्गों के निवेशकों को प्राप्त होने वाला आय वितरण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (33) के अंतर्गत कर से पूरी तरह मुक्त होगा।

- प्रचलित कर कानूनों के अनुसार सभी निवेशकों के लिए यूटीआई द्वारा वितरित आय पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी, भले ही निवेशक को योजना से प्राप्त होने वाली आय कितनी भी क्यों न हो। वित्त अधिनियम 2000 के अनुसार प्लान को 01.06.2000 के बाद वितरित आय, यदि कोई हो, पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 आर के अंतर्गत, 20% आय वितरण कर तथा उस पर 10% अधिभार अदा करना आवश्यक है।

- योजना के अंतर्गत निवेश का मूल्य धनकर की उगाही से पूर्णतया मुक्त है।

- उपहार कर अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 01 अक्तूबर, 1998 को या उसके बाद दिए गए उपहारों के संबंध में उपहार कर की उगाही को समाप्त कर दिया गया है। अत: यूटीआई के यूनिटों के उपहार पर उपहार कर की उगाही नहीं होगी।

- पूंजी वृद्धि से होने वाला पूंजीगत अभिलाभ, यदि कोई हो, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 एवं 112 के अंतर्गत कर लाभ के अधीन होगा।

- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54ईए के अंतर्गत 31/3/2000 तक बेची/अंतरित की गई दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से होने वाली बिक्री प्राप्तियां निवेश के लिए पात्र होंगी बशर्ते

ऐसा निवेश ऐसी बिक्री/अंतरण के छ: महीने के भीतर किया जाए, ऐसे निवेश से प्राप्त होने वाली यूनिटों की पुनर्खरीद/ अंतरण/गिरवी योजना के प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्षों की अवरुद्ध अवधि समाप्त होने के बाद ही किया जा सकता है।

II. नियत तत्परता प्रमाणपत्र

एमआईपी 2000 (सेकंड) हेतु सेबी को प्रस्तुत किया गया नियत तत्परता प्रमाणपत्र

इस बात की पुष्टि की जाती है कि :

I. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को भेजा गया पेशकश दस्तावेज का ड्राफ्ट सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 एवं समय-समय पर सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं निर्देशों के अनुसार है ;

II. इस योजना के प्रारंभ किए जाने से संबंधित सभी विधिक आवश्यकताएं एवं साथ ही इस संबंध में सरकार या अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश, निर्देश आदि का विधिवत् अनुपालन किया गया है ;

III. पेशकश दस्तावेज में किए गए प्रकटीकरण सत्य, उचित एवं प्रस्तावित योजना में निवेश के लिए निवेशकों को सोच समझकर निर्णय लेने में सहायता देने के लिए पर्याप्त हैं ;

IV. पेशकश दस्तावेज में उल्लिखित सभी बिचौलिए सेबी के साथ पंजीकृत हैं और आज की तिथि के अनुसार ऐसा पंजीकरण वैध है।

दिनांक : 23.02.2000
स्थान : मुंबई

हस्ताक्षर

ह/-
अजीत प्रसाद
अनुपालन अधिकारी

मुहर के साथ

III. परिभाषाएं

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) "वैकल्पिक आवेदक" का अर्थ नाबालिग के मामले में माता-पिता के अलावा उस माता-पिता से है जिन्होंने नाबालिग की ओर से आवेदन किया हो।

(घ) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो अवयस्क नहीं होगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित वैकल्पिक आवेदक सहित जब मानसिक विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिटों की बिक्री की गयी हो और प्लान के खण्ड V के अंतर्गत आवेदन करता हो।

(ङ) चार वर्ष नौ माह की अवधि वाली योजना/प्लान की "प्रारंभ होने की तिथि" 01 जुलाई, 2000 है।

(च) "पात्र संस्था" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है।

(छ) "फर्म", " भागीदार" और "भागीदारी" के अर्थ भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में दिए गए अर्थ हैं, परंतु अभिव्यक्त भागीदार में कोई भी व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है, जो नाबालिग हो और जिसे भागीदारी के लाभ प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया हो।

(ज) "सूचीबद्धता" का अर्थ एनएसई के थोक ऋण खंड या अन्य किसी स्टॉक एक्सचेंज/खंड, जैसा कि सेबी के अनुमोदन से निश्चित किया जाए, पर व्यवसाय करने के प्रयोजन से यूनिटों का सूचीबद्ध किया जाना है।

(झ) योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में "सदस्य" के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ और इसमें शामिल उस आवेदक से है, जिसे इस योजना में यूनिट आबंटित किए गए हों।

(ञ) "मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति" का अर्थ वह व्यक्ति है, जो ऐसी मानसिक अक्षमता से ग्रस्त हो, जो उसे जीवन के सामान्य कार्य करने से वंचित रखती हो।

(ट) "अनिवासी भारतीय (एनआरआई)" का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों से है। जैसा कि मूलत: अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, किसी भी व्यक्ति

को "भारतीय मूल का व्यक्ति" माना जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता या पितामह-पितामही में से कोई भी, श्रेणी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे पितृपक्ष या मातृपक्ष से हो, भारत में जन्मा हो/जन्मी हो।

(ठ) "जारी समझे जानेवाले यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की कुल संख्या है।

(ड) "विदेशी निगमित निकाय" (ओसीबी) के अंतर्गत विदेशी कंपनियां, भागीदारी फर्म, समितियां और अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम 60% तक की सीमा का स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयता अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेशी ट्रस्ट जिनमें कम से कम 60% लाभप्रद हित अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हो, शामिल हैं।

(ढ) "व्यक्ति" में ऊपर यथापरिभाषित कोई संस्था शामिल है।

(ण) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकें।

(त) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964 है।

(थ) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड।

(द) "समिति" का अर्थ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्थापित समिति या फिलहाल प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत स्थापित अन्य कोई समिति है।

(ध) "ट्रेडिंग" का तात्पर्य यूनिटों के पहले आबंटन के बाद शेयर बाजार के जरिए यूनिटों की खरीद अथवा बिक्री में व्यवहार से है।

(न) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है।

(प) "यूनिट पूंजी" का तात्पर्य फिलहाल यूनिट योजना के अंतर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है।

(फ) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है।

(ब) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में दिये गये हैं।

(भ) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुल्लिग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल हैं।

IV. जोखिम के तत्व

- म्यूचुअल फंड एवं प्रतिभूतियों में निवेश पर बाजार का जोखिम होता है। 01 जुलाई, 2003 से 31मार्च, 2005 के बीच किए गए पुनर्खरीद हेतु पूंजी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित शुद्ध आस्ति मूल्य पर निर्भर होगा ।

- जैसे प्रतिभूतियों में किए जाने वाले किसी भी निवेश में होता है, योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों का एनएवी पूंजी बाजार को प्रभावित करनेवाली शक्तियों एवं कारकों पर निर्भर करते हुए ऊपर या नीचे जा सकता है।

- पूर्व योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है।

- मासिक आय प्लान 2000 (सेकंड)[एमआईपी 2000 (सेकंड)] केवल प्लान का नाम है और यह किसी भी प्रकार से प्लान की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है।

- सभी नियतकालिक योजनाओं के समान इसमें अनियमित सौदों का जोखिम एवं यूनिटों के बाजार मूल्य के एनएवी पर बट्टा काटे जाने की संभावना होती है।

- **डेरीवेटीव्ज़ :** ऑप्शन्स एवं फ्यूचर्स जैसे डेरीवेटीव्ज़ प्रतिभूतियों में लेन-देन करना एक अत्यंत विशेषीकृत कार्य है एवं इसमें सामान्य निवेश के जोखिमों से कहीं अधिक जोखिम होता है। हालांकि प्लान का अभिप्राय केवल पोर्टफोलियो के बचाव के उद्देश्य के लिए ही डेरीवेटीव्ज़ में लेन-देन करना है,इस खंड में समग्र बाजार बहुत ही अनिश्चित हो सकता है जो इस बाजार में अन्य प्रतिभागियों के कार्य के कारण है। डेरीवेटीव्ज़ में लेन-देन की सफलता निधि प्रबंधक के बाजार की भावी प्रवृत्ति का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता पर निर्भर करती है और यदि निधि प्रबंधक अपने पूर्वानुमान में गलत होता है तो निधि का कार्यनिष्पादन, यदि यह निवेश योजना प्रयोग में न लाई गई होती तो जो रहा होता, उसकी तुलना में घट गया होता।

- **विदेशी बाजारों में निवेश :** विदेशी बाजारों में निवेश की सफलता निधि प्रबंधक की बाजार की उन परिस्थितियों एवं जानकारियों का विश्लेषण करने की योग्यता पर निर्भर करता है जो भारतीय बाजारों से भिन्न हो सकती हैं । जैसा कि इसमें विदेशी बाजारों में परिचालन शामिल है, बाजार के जोखिमों के अलावा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के जोखिम भी हो सकते हैं।

- **स्टॉक उधार देना :** यह न्यून जोखिम के साथ प्लान के लिए अतिरिक्त आय जुटाने का साधन है । स्क्रिप उधार दिए जाने की अवधि के दौरान बिक्री हेतु सुलभ स्टॉक की अनुपलब्धता के रूप में जोखिम हो सकता है। प्लान की प्रतिभूतियों के पुनर्भुगतान में उधारकर्ता/मध्यस्थ द्वारा चूक किए जाने की

संभावना के रूप में भी जोखिम हो सकता है। तथापि, जोखिम को इस प्रक्रिया में शामिल हुए मध्यस्थ द्वारा उधारकर्ता से उचित ऋणाधार लेकर पर्याप्त रूप से वसूल किया जाएगा।ऐसे ऋणाधार पर यूटीआई का ग्रहणाधिकार रहेगा। प्रतिभूतियों के उधार देने की प्रक्रिया में शामिल किसी भी जोखिम को न्यूनतम करने हेतु हमारी उचित जांच एवं नियंत्रण भी होंगे

- ट्रस्ट मासिक आय प्लान के अंतर्गत यूनिट पूंजी में से आय अदा करने की प्रक्रिया अपनाता रहा है और जो सदस्य परिपक्वता अवधि से पहले ही यूनिटों की पुनर्खरीद करते हैं, उनको इस प्रक्रिया के कारण कम एनएवी मिल सकती है । इसलिए, योजना की अवधि के दौरान, प्रतिफल यूनिट पूंजी में से अदा किया जा सकता है और उस हद तक एनएवी कम हो जाएगी।

- ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) द्वारा गारंटी प्रदान करने के आधार पर इस योजना के अंतर्गत आय का आश्वासन दिया गया है। डीआरएफ की गारंटी के साथ आश्वासित आय वाली 22 योजनाओं के अंतर्गत दिनांक 31.03.2000 को 22224.02 करोड़ रुपए की निवेश योग्य निधियों के प्रति 31.03.2000 को डीआरएफ की मात्रा 941.85 करोड़ रुपए थी। डीआरएफ की आस्तियों का करीब 54.05% इक्विटियों में , 2.07% ऋणों में और 43.88% आस्तियां मुद्रा बाजार लिखतों में हैं।

V. यूनिटें एवं पेशकश

1. यह योजना मासिक आय योजना 2000 (सेकंड)[एमआईएस '2000 (सेकंड)] कही जाएगी और इस योजना के अंतर्गत बनाया गया प्लान मासिक आय प्लान 2000 (सेकंड) कहा जाएगा।

2. यह योजना चार वर्ष और नौ महीने की अवधि के लिए अर्थात् 1 जुलाई 2000 से 31 मार्च, 2005 तक के लिए होगी।

3. यूनिटों की बिक्री 19 मई, 2000 से 24 जून,2000 तक 37 दिनों के लिए या ऐसी विस्तारित अवधि जो 30 जून,2000 से अधिक न हो,होगी। बशर्ते, यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टॉक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणों से अखबारों में 7 दिन का नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निर्णय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकता है।

4. इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपए होगा।

5. **यूनिटों के लिए आवेदन**

यूनिटों के लिए आवेदन निवासियों और अनिवासियों द्वारा भी निमनलिखित रूप से किये जा सकते हैं:

(i) निवासी व्यक्ति या अनिवासी एकल या अन्य व्यक्ति के साथ या दो व्यक्तियों तक संयुक्त/ एकल या उत्तरजीवी आधार पर।

(ii) निवासी या अनिवासी नाबालिग की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक। बालिग और नाबालिग संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकते हैं।

(iii) योजना में यथापरिभाषित पात्र संस्था, जिसमे अप्रतिसंहरणीय और लिखत द्वारा निर्मित निजी न्यास शामिल है।

(iv) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए कोई व्यक्ति।

(v) योजना में यथापरिभाषित कोई समिति।

(vi) पंजीकृत सहकारी समिति।

(vii) कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्मित कंपनी सहित निगमित निकाय एवं बैंक।

(viii) निवासी या अनिवासी हिन्दू अविभक्त परिवार।

(ix) सेना/नौसेना/वायु सेना/पैरामिलिट्री निधियां।

(x) भागीदारी फर्म।

(भागीदारी फर्म द्वारा आवेदन, फर्म के अधिकतम तीन सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए तथा ट्रस्ट सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए प्रथम नामित सदस्य को ही सदस्य के रूप में मान्यता देगा।) और

(Xi) विदेशी निगमित निकाय जिनमें अनिवासी भारतीयों का स्वत्वाधिकार कम से कम 60% तक हो।

6. न्यूनतम निवेश राशि

सभी विकल्पों के अंतर्गत आवेदन न्यूनतम रु. 10,000/- के लिए किया जाना चाहिए। कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। यदि आवेदन रु. 10/- के गुणकों में न हो, तो यूनिटों का आबंटन भिन्नांक में दशमलव के बाद तीन अंकों तक किया जाएगा। रु. 50,000/- और उससे अधिक के निवेश के मामले में, अनिवासी सामान्य खाते के जरिए निवेश करने वाले निवासी या अनिवासी भारतीय को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीएएन/जीआईआर संख्या तथा आय कर सर्किल का पता है, तो वह उसे प्रस्तुत करे।

7. निर्गम की लक्ष्य राशि

योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए की राशि की उगाही का लक्ष्य रखा गया है।

यदि लक्ष्य राशि का अभिदान न हो, तो योजना के अंतर्गत एकत्र की गई सम्पूर्ण राशि को यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताह के भीतर ट्रस्ट द्वारा आदाता के खाते में चेक/धन-वापसी आदेश द्वारा धन वापस किया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में निवेशक स्वीकृति तिथि से योजना की समाप्ति की तिथि तक 9.25% प्र.व. की दर से आय वितरण प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। उक्त अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि के 43वें दिन से धन-वापसी की तिथि तक ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा।

8. सूचीबद्धता

योजना के अंतर्गत जारी यूनिट को एनएसई के थोक ऋण खंड या अन्य किसी स्टॉक एक्सचेंज/खंड, जैसा सेबी की अनुमति से निश्चित किया जाए, पर अभिदान बंद होने की तिथि से छः माह के भीतर सूचीबद्ध किया जाएगा। सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के विनियम 32 के अनुसार सेबी से योजना का अनुमोदन प्राप्त होने के तुरंत बाद शेयर बाजार को सूचीबद्धता के लिए आवेदन किया जाएगा। बिक्री योग्य 100 यूनिटों का लॉट रु.10/- प्रति यूनिट के अंकित मूल्य का है।

9. सदस्यता सूचना

प्लान के अंतर्गत बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताह के भीतर ट्रस्ट सदस्यता सूचना भेजेगा। जो सदस्य यूनिट के अंतरण या स्टॉक एक्सचेंज के जरिए यूनिट बेचने के इच्छुक हैं और यदि वे सदस्यता सूचना के बदले में यूनिट प्रमाण-पत्र बिक्री योग्य लॉट या एकल प्रमाण-पत्र में चाहते हैं, तो वे इस बात का उल्लेख करते हुए रजिस्ट्रार को लिख सकते हैं। ऐसे अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रार द्वारा यूनिट प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों को जारी किया जाएगा।

अनिवासी भारतीय सदस्यता सूचना के स्थान पर सदस्यता सूचना या यूनिट प्रमाणपत्र/यूनिट प्रमाणपत्रों के प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसी एक तरीके का चयन कर सकते हैं :

(i) आवेदक के भारतीय/विदेशी पते पर या
(ii) आवेदक के भारत स्थित रिश्तेदार के पते पर या
(iii) सुरक्षित अभिरक्षा हेतु उसके भारत स्थित बैंक को।

10. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखा जाना/समनुदेशन :

सदस्यता सूचना अंतरणीय/गिरवी रखे जाने योग्य/समनुदेशनीय नहीं है। जो सदस्य स्टॉक एक्सचेंज के जरिए यूनिट बेचने के इच्छुक हैं या यूनिट का अंतरण करना चाहते हैं, वे उपरोक्त अनुच्छेद 9 में बताए गए अनुसार सदस्यता सूचना के स्थान पर यूनिट प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों के लिए रजिस्ट्रार को लिख सकते हैं। इस तरह जारी किया गया यूनिट प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरण/गिरवी रखे जाने/समनुदेशन के योग्य होगा :

(i) अंतरण उपरोक्त अनुच्छेद V(5) के अंतर्गत दर्शाए अनुसार निवेशकों की श्रेणियों के पक्ष में होगा।

(ii) अंतरण यूनिटधारण करने की क्षमता रखनेवाले अंतरणकर्ता और अंतरिती के द्वारा और उनके मध्य प्रभावकारी होगा। किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा।

(iii) विधिवत् मुहर लगा हुआ निर्दिष्ट अंतरण विलेख संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र के साथ और अंतरण माह (मासिक आय विकल्प के मामले में) और उसके बाद के अनभुनाये गए आय वितरण वारंट। ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय को प्रस्तुत किए गए अथवा उसके द्वारा स्वीकृत कोई भी अंतरण विलेख रजिस्ट्रार के निकटतम कार्यालय को भेज दिया जाएगा।

(iv) प्रत्येक अंतरण लिखत पर अंतरणकर्ता (संयुक्त धारिता के मामले में सभी अंतरणकर्ता) तथा अंतरिती (संयुक्त खरीद के मामले में सभी अंतरिती)के हस्ताक्षर होंगे और रजिस्ट्रार द्वारा अंतरिती का नाम धारकों के रजिस्टर में दाखिल करने तक अंतरणकर्ता को ही यूनिट का धारक समझा जाएगा।

(v) अंतरणकर्ता के स्वत्वाधिकार या यूनिटों का अंतरण करने के उसके अधिकार के समर्थन में रजिस्ट्रार ऐसा कोई भी सबूत मांग सकते हैं, जो उन्हें आवश्यक लगे।

(vi) यदि यूनिट प्रमाणपत्र खो गया हो, चुरा लिया गया हो, नष्ट हो गया हो तो कुछ अपेक्षाओं, जिन्हें रजिस्ट्रार जरुरी समझे, को पूरा करने के बाद मूल यूनिट प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के संबंध में रजिस्ट्रार छूट दे सकते हैं।

(vii) अंतरण के सभी लिखत और यूनिट प्रमाणपत्र, यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने तक रजिस्ट्रार के पास रखे जा सकते हैं।

(viii) अंतरण को मान्यता देने वाले तथा पंजीकरण करनेवाले रजिस्ट्रार, अंतरण तथा सदस्यता सूचना अथवा यूनिट प्रमाणपत्रों तथा वारंटों को जारी करने के संबंध में देय प्रभारों की अदायगी तथा वसूली के बाद, मूल या नया यूनिट प्रमाणपत्र अथवा सदस्यता सूचना और आय वितरण वारंट (मासिक आय विकल्प के मामले में), यदि कोई हों, अंतरिती को जारी कर सकते हैं।

(ix) यदि कोई अंतरिती आधिकारिक क्षमता के कारण, विधि के परिचालन से अथवा गिरवी लागू होने पर अनुसूचित बैंक यूनिटों का धारक बन जाता है, तो रजिस्ट्रार ऐसे साक्ष्य जिसे पर्याप्त समझें, के प्रस्तुतीकरण के अधीन, अंतरिती के यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर, अंतरण प्रभावी करेंगे।

(x) विशिष्ट परिस्थितियों में, कंपनी अथवा अन्य निगमित निकाय द्वारा दूसरी कंपनी अथवा निगमित निकाय अथवा किसी व्यक्ति /व्यक्तियों के साथ, जिनमें से कोई भी नाबालिग न हो, यूनिटों के धारण करने हेतु ट्रस्ट द्वारा ध्यान में लिया जाएगा।

(xi) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट अंतरण को पंजीकृत करेगा और आय वितरण वारंट, यदि कोई हो, के साथ यूनिट प्रमाणपत्र संबंधित अंतरण लिखत के साथ यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को वापस करेगा।

संयुक्त अंतरितियों के मामले में यूनिट प्रमाणंपत्र का प्रेषण और यूनिट प्रमाणपत्र के संबंध में सभी भुगतान केवल पहले सदस्य के नाम से किया जाएगा।

11. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति/रोल ओवर/परिसमापन

(i) योजना 31/03/2005 को समाप्त हो जाएगी, सदस्यों के बकाया यूनिटों का प्रतिदान किया जाएगा और सदस्यों को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी ट्रस्ट द्वारा निर्धारित प्रतिदान मूल्य पर की जाएगी। प्रतिदान एनएवी या रु. 10/-, जो भी अधिक हो, पर होगा। विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) इस पूंजी की सुरक्षा की गारंटी देगा। 01 जुलाई, 2003 से 31 मार्च, 2005 के बीच किए गए पुनर्खरीद हेतु ऐसी कोई गारंटी नहीं है और ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित एनएवी पर आधारित होगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित पुनर्खरीद/प्रतिदान मूल्य प्राप्त करने के अलावा पुनर्खरीद/प्रतिदान मूल्य में वृद्धि के रूप में या पुनर्खरीद/प्रतिदान की तिथि के पश्चात्वर्ती अवधि हेतु आय के रूप में किसी भी प्रकार का कोई लाभ सदस्यों को उपार्जित नहीं होगा।

(ii) फिर भी, ट्रस्ट, सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को 4 वर्ष एवं 9 माह से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में सदस्यों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें। ट्रस्ट द्वारा निवेशक को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को आरंभ की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित कर सके।

4 वर्ष और 9 महीने से अधिक योजना की अवधि में विस्तार सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के विनियम 33 के उप-विनियम 4 के अनुसार होगा। उप विनियम के प्रावधान हैं :

"एक नियतकालिक योजना परिपक्वता अवधि के उपरांत पूरी तरह उन्मोचित होगी।

बशर्ते, नियतकालिक योजना को रोल-ओवर की अनुमति दी जाएगी यदि रोल-ओवर के उद्देश्य, अवधि एवं अन्य शर्तें एवं रोल-ओवर के तुरंत पहले आस्तियों के संभावित निपटान सहित योजना की महत्वपूर्ण जानकारियां, शुद्ध आस्तियां एवं योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य का प्रकटीकरण यूनिटधारकों को किया गया हो और इसकी एक प्रति सेबी को भेजी गई हो।

परंतु यह भी कि केवल उन्हीं यूनिटधारकों के मामले में रोल-ओवर की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने लिखित में अपनी सहमति दी हो एवं जो यूनिटधारक रोल-ओवर का विकल्प नहीं चुनते हैं या लिखित सहमति नहीं देते हैं उन्हें शुद्ध आस्ति मूल्य पर अपनी धारिताओं का मोचन करने की अनुमति दी जाएगी।"

(iii) ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :

(क) योजना के चार वर्ष और नौ महीने पूरे होने पर अर्थात् 31 मार्च, 2005 को अथवा चार वर्ष और नौ महीन के आगे ऐसी तारीख की समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथा निर्धारित हो।

(ख) कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति आवश्यक हो, या

(ग) प्लान के 75% सदस्यों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर ; या

(घ) प्लान के सदस्यों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दे।

(iv) जहां उपर्युक्त उप खण्ड (iii) के मद (ख), (ग) व (घ) के अनुसरण में योजना परिसमाप्त की जाती है, तो ट्रस्ट योजना को समाप्त करने वाले कारणों की सूचना, समापन के कम से कम एक सप्ताह पहले सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुंबई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देगा।

(v) समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट -

(क) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा।

(ख) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा।

(ग) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा।

(vi) न्यासी मंडल सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित [illegible] विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और बैठक में मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

परन्तु यदि योजना परिपक्वता अवधि के पूरा होने पर समाप्त की जाती है तो बैठक की आवश्यकता नहीं होगी।

(vii) (क) न्यासी मंडल या योजना के उप खंड (vi) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के सदस्यों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा।

(ख) ऊपर दिए गए उप खण्ड (vii)(क) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने वाली तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

(viii) परिसमापन पूरा होने पर, ट्रस्ट सेबी और सदस्यों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा ।

जिसमें ऐसी परिस्थितियां, जिनके कारण योजना समाप्त हुई, परिसमापन से पूर्व योजना की आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, परिसमापन के लिए किया गया योजना का व्यय, सदस्यों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियां और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाणपत्र भेजेगा।

(ix) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, जब तक योजना समाप्त न हो जाए या समापन की कार्यवाही पूरी न हो जाए, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे।

(x) उपरोक्त खण्ड (viii) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाता है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है, तो योजना समाप्त हो जाएगी।

(xi) ट्रस्ट, रजिस्ट्रार के कार्यालय में सदस्य/सदस्यों द्वारा विधिवत् उन्मोचित पुनर्खरीद अनुरोध (सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के पिछले पृष्ठ पर मुद्रित) प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान करेगा। सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र पुनर्खरीद के लिए प्राप्त अनुरोध पत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रख लिए जाएंगे।

(xii) **अनिवासी निवेशकों के मामले में, पुनर्खरीद/प्रतिदान राशियां निवेश के स्रोत पर निर्भर करते हुए निम्नानुसार विप्रेषित की जाएंगी :**

(क) जब यूनिटों की खरीद विदेश से विप्रेषित विदेशी मुद्रा से की गई हो अथवा सदस्य की एफसीएनआर जमाओं की राशि से की गई हो अथवा सदस्य के भारत स्थित बैंक में सदस्य के अनिवासी बाह्य खाते (एनआरई) में धारित निधियों से की गई हो, तो प्राप्तियां सदस्य को विदेशी मुद्रा में विप्रेषित की जा सकती हैं या एनआरई खाते या अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खाते में जमा की जा सकती हैं अथवा भारत स्थित उसके रिश्तेदार को अदा की जा सकती हैं।

(ख) जब यूनिटों की खरीद तब की गई हो जब आवेदक भारत का निवासी था या सदस्य के एनआरओ खाते में धारित निधियों से की गई हो तो परिपक्वता प्राप्तियां या तो निवेशक के भारत स्थित बैंक को उसके एनआरओ खाते में जमा कराने या भारत में निवेशक के रिश्तेदार को प्रेषित की जाएंगी।

VI. व्यय

1) **प्रारंभिक निर्गम व्यय**

(i) योजना के प्रारंभिक निर्गम व्यय का अनुमान निम्नानुसार है :

मद	**योजना के अंतर्गत उगाही गई निधियों का %**
मुद्रण और डाक	1.75
प्रचार, विपणन और विक्रय संवर्धन	3.50
रजिस्ट्रारों का प्रभार	0.50
बैंक प्रभार	0.25
योग	**6.00**

सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्यय एकत्रित निधि के 6% की सीमा के भीतर होंगे। इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये में से कम से कम 94 पैसे का इस योजना में निवेश किया जाएगा।

(ii) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई योजनाओं का प्रारंभिक निर्गम व्यय इस प्रकार है :

योजना	**व्यय (एकत्रित निधि का %)**
एमआईपी-98(III)	2.81
एमआईपी-98(IV)	2.95
आईआईएसएफयूएस 98(II)	0.14
एमआईपी-98(V)	3.06
एमईपी-99	34.08
सीजीजीएफ (पुन:आरंभ) *	7.82
आरयूपी (पुन:आरंभ) *	9.40
एमआईपी-99	2.38
जीएसएफ ब्रांड वैल्यू	5.55
जीएसएफ फार्मा	4.84
जीएसएफ सॉफ्टवेयर	4.83
जीएसएफ पेट्रो	4.85
जीएसएफ सर्विसेज	4.89

*** ये आश्वासित आय वाली सेबी-पूर्व योजनाएं हैं जिन्हें गिरते हुए ब्याज दर को ध्यान में** रखते हुए काफी अंतराल के बाद स्थगित एवं प्रारंभ किया गया था।

(iii) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई योजनाओं के संबंध में ट्रस्ट द्वारा वहन किए गए व्यय (डीआरएफ द्वारा प्रभारित) इस प्रकार हैं :

योजना	**व्यय (एकत्रित निधि का %)**
एमईपी 99	28.08

(2) **आवर्ती व्यय**

(i) आवर्ती आधार पर योजना में निम्नलिखित व्यय प्रभारित किए जाएंगे। अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय निम्नानुसार हैं :

मद	औसत साप्ताहिक एनएवी का %
प्रशासनिक व्यय	0.90
अभिरक्षण शुल्क	0.15
डीआरएफ में अंशदान	0.25
कर्मचारी कल्याण निधि	0.10
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क	0.85
योग	**2.25**

(ii) उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं।

(iii) योजना का कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, आरंभिक निर्गम व्ययों एवं प्रतिदान व्ययों के परिशोधन को छोड़कर परंतु प्रशासनिक व्ययों, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित सीमा के अधीन होंगे :

(क) योजना की औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों के प्रथम 100 करोड़ रुपए पर - 2.25%
(ख) योजना की औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों के अगले 300 करोड़ रुपए पर - 2.00%
(ग) योजना की औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों के अगले 300 करोड़ रुपए पर - 1.75%
(घ) योजना की शेष आस्तियों पर - 1.50%

(iv) प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान एवं कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान, सेबी (एमएफ) विनियम, 1996 के विनियम 52 के खण्ड 2 के अंतर्गत उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होंगे, नामत:

(क) योजना के लिए प्रत्येक लेखा वर्ष में बकाया साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्तियों का सवा प्रतिशत जब तक कि शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो जातीं, और

(ख) 100 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त राशि का एक प्रतिशत, जहां इस प्रकार परिगणित शुद्ध आस्तियाँ 100 करोड़ से अधिक हों।

(3) सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली अधिनियम, 1996 के अनुसार, यूटीआई निवेश प्रबंधन शुल्क एवं परामर्श शुल्क नहीं लेता है। तथापि, यूटीआई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि

निर्गम पूर्व व्यय एवं वार्षिक आवर्ती व्यय, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के विनियम 52 के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा के भीतर ही हों।

(4) विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान

(i) साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.25% प्र.व. ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा। डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा।

(ii) ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके। इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों, जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों, जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, तथा ट्रस्ट की किन्हीं भी योजनाओं में दिए गए आश्वासित प्रतिफल की दर में कमी के साथ ही भारहीन योजनाओं हेतु निर्गम व्ययों की पूर्ति करने के लिए भी किया जा सकता है।

(5) कर्मचारी कल्याण निधि (एसडब्ल्यूएफ) में अंशदान

औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% प्र.व. कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान के रूप में रखा जाएगा। ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं।

VII. यूनिटों की बिक्री

1. बिक्री संविदा/सदस्यता सूचना जारी करना

(क) पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी। ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री-संविदा, स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी। बिक्री-संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र आवेदक को सदस्यता सूचना जारी करेगा। ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था, फर्म या निगमित निकाय को जारी सदस्यता सूचना पात्र संस्था/फर्म/निगमित निकाय के नाम से जारी की जाएगी। इस प्रकार प्रेषित सदस्यता सूचना के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा।

(ख) संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्र दस्तावेजों के साथ केवल यूटीआई कार्यालयों में स्वीकार किए जाएंगे

(ग) ट्रस्ट, प्लान के अंतर्गत बिक्री बंद होने की तिथि से 6 हफ्तों के भीतर सदस्यता सूचना भेजेगा।

2. भुगतान विधि

(क) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। यदि आवेदन यूटीआई के शाखा कार्यालयों में जमा किए जाएं, तो चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किए जाएं, जिस शहर में स्थित शाखा कार्यालय में आवेदन जमा किया जाता है।

लेकिन, जहां व्यक्ति निवेशक ट्रस्ट के शाखा कार्यालय/संग्रहण केंद्र/विशेष अधिकृत कार्यालय वाले स्थान की बजाए किसी दूसरे स्थान से आवेदन करता है तो उसे ट्रस्ट के शाखा कार्यालय को आवेदन बैंक ड्राफ्ट के साथ बैंक ड्राफ्ट में से बैंक ड्राफ्ट खरीदने हेतु रु. 25/- तक का बैंक प्रभार या वास्तविक खर्च की गई राशि, जो भी कम हो, घटाकर भेजना चाहिए। ऊपर बताए गए अनुसार व्यक्ति निवेशक द्वारा रु. 25/- से अधिक अदा किया गया बैंक ड्राफ्ट कमीशन प्रभार, निवेशक को स्वयं वहन करना होगा। संग्रहण केंद्र/फ्रेन्चाइस कार्यालय/एजेंसी बैंक स्थानीय देय चेक या यूटीआई की संबंधित शाखा कार्यालय पर देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ आवेदन स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत हैं, जिसमें व्यक्ति निवेशक रु. 25/- की सीमा तक या उसके द्वारा वास्तविक खर्च की गई राशि, जो भी कम हो, काट सकता है। ड्राफ्ट कमीशन प्रभार प्लान के आरंभिक निर्गम व्ययों का एक अंश होगा।

(ख) जहां व्यक्ति-इतर आवेदक द्वारा बैंक ड्राफ्ट का भुगतान किया जाता है, वहां बैंक ड्राफ्ट हेतु कमीशन प्रभार आवेदक को स्वयं वहन करना होगा।

(ग) किंतु, जहां ट्रस्ट के शाखा कार्यालय/संग्रहण केंद्र/विशेष बिक्री कार्यालय हैं और आवेदन स्थानीय बैंक ड्राफ्ट के साथ मिला है तो बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही वहन करना होगा।

(घ) यदि भुगतान चेक/ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो आवेदन प्राप्ति की तिथि, ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो।

(ङ) यदि इस प्लान के अंतर्गत आवेदन राशि न्यूनतम निवेश से कम है, तो सम्पूर्ण राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से आवेदक को उसके खर्चे पर वापस लौटा दी जाएगी।

(च) अनिवासी भारतीय (एनआरआई)/विदेशी निगमित निकाय (ओसीबी) बेहतर हो यदि अपने आवेदन एनआरआई शाखा, मुंबई में प्रस्तुत करें या यूटीआई की किसी भी शाखा में एनआर(ई)/एनआर(ओ) चेक या रुपए में ड्राफ्ट के साथ उस स्थान पर देय जहां आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, पर प्रस्तुत करें।

3) *प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश की भुगतान विधि*

एनआरआई/ओसीबी द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यावर्तन का अधिकार निवेशित पूंजी और उस पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि कोई हो) पर तब तक होगा जब तक निवेशक भारत के बाहर का

निवासी बना रहता है। इन स्थितियों में निवेश निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है :

(क) विदेश में परिचालित बैंक/विनिमय गृह द्वारा यूटीआई के पक्ष में रुपये में जारी किया गया ड्राफ्ट जो उनके भारतीय संपर्ककर्ता बैंक पर आहरित हो।

(ख) भारत स्थित बैंक में निवेशक द्वारा कायम रखे गए एनआरई खाते पर आहरित चेक द्वारा।

(ग) निवेशक की एफसीएनआर जमाओं की राशि से जारी किए गए चेक/ड्राफ्ट द्वारा।

टिप्पणी : नेपाल व भूटान की मुद्राओं में भुगतान स्वीकार नहीं किया जाता है।

4) प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश की भुगतान विधि

(क) जहां एनआरओ खाते में धारित निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया जाता है तो इस प्रकार निवेश की गई निधियां और पूंजी वृद्धि (यदि कोई हो), भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के योग्य नहीं होगी। इसी प्रकार निवेशक के भारत का निवासी रहने के दौरान रुपए में खरीदे गए यूनिट में निवेश और तत्पश्चात् उसके अनिवासी हो जाने पर यूनिटों की पुनर्खरीद राशि प्रत्यावर्तन हेतु योग्य नहीं होगी।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19 अगस्त, 1994 के परिपत्र ए.डी. (एम.ए.शृंखला) सं. 18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान और उसके उपरांत अर्जित सम्पूर्ण आय पूर्ण प्रत्यावर्तन के योग्य होगी। इन मामलों में यूटीआई एनआरओ खाते में जमा करने के लिए रुपये में अदायगी करेगा। निवेशकों को यह सूचना दी जाती है कि यदि वे यूनिटों पर आय वितरण का विदेश में विप्रेषण चाहते हैं तो अपने बैंक/कर सलाहकार से संपर्क करें।

5. पात्र संस्थाओं, नाबालिगों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए आवेदक आदि द्वारा आवेदन और प्लान के सदस्य के रूप में पंजीकरण

(i) पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय और समितियां (सहकारी समितियों सहित) सदस्य के रूप में पंजीकृत की जा सकती हैं।

(ii) पात्र संस्थाओं, निगमित निकायों या समितियों से जब कभी अपेक्षा की जाएगी, उन्हें यूनिट में निवेश करने की आवेदक की क्षमता से संबंधित सभी दस्तावेज, जैसे संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम उप-नियम आदि, प्रबंध निकाय द्वारा यूनिट में निवेश हेतु प्राधिकृत करने के लिए पारित संकल्प की प्राधिकृत प्रति और आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को दिए गए प्राधिकार की प्रति ट्रस्ट को पेश करनी होगी।

(iii) वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता, सौतेला माता-पिता या विधिक अभिभावक है, अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2ए) के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख

सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है। अपेक्षानुसार ऐसा वयस्क, ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा। आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किये गये कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा।

(iv) जहां किसी व्यक्ति द्वारा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए आवेदन किया जाए वहां ट्रस्ट प्रस्तुत कथन के आधार पर कार्य करेगा और ऐसा करने में यह समझा जाएगा कि ट्रस्ट सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है। ट्रस्ट को हक होगा कि वह केवल आवेदक के साथ व्यवहार करे और उसकी मृत्यु की स्थिति में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करे तथा उक्त आवेदक या वैकल्पिक आवेदक को ट्रस्ट द्वारा यूनिट के संबंध में किया गया भुगतान ट्रस्ट के लिए सही उन्मोचन माना जाएगा।

(v) फर्म को सदस्य के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र फर्म के नाम से बनाया जाएगा।

6. आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक के अनुसार योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके। ट्रस्ट निम्नलिखित परिस्थितियों में यूनिटें जारी करने हेतु आवेदन अस्वीकृत कर सकता है :

(i) यदि आवेदन रु. 10,000/- की न्यूनतम निवेश राशि से कम के लिए प्राप्त हुआ हो।

(ii) यदि आवेदन, पहले आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

(iii) यदि आवेदक, योजना में निवेश करने के लिए पात्र न हो। योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा।

(iv) आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, बिना किसी देयता के उसे नामंजूर किया जाएगा।

(v) **प्रथम आवेदक के बैंक विवरण के बिना कोई भी आवेदन अस्वीकार किए जाने के योग्य होगा।**
अस्वीकार किए गए ऐसे मामलों में धन-वापसी ब्याज या अन्य कोई राशि, चाहे जो भी हो, बिना किसी देयता के आवश्यक परिचालनगत एवं प्रक्रियागत औपचारिकताओं के बाद की जाएगी।

7. यूनिट जारी होने से पहले आवेदक को योजना के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करना होगा

(क) नाबालिग/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति की तरफ से योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं, जैसे नाबालिग की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में जन्म प्रमाणपत्र/मानसिक विकलांगता के मामले में मनोचिकित्सक या नेत्र चिकित्सक का प्रमाणपत्र, पूरी करनी होंगी।

(ख) भागीदारी फर्मों/सहकारी समितियों/निगमित निकायों/कंपनियों जैसे निकायों की तरफ से यूनिटों के लिए आवेदन के साथ भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति/समिति के उप-नियम/निगमित निकायों को शासित करने वाला अधिनियम/योजना में निवेश करने हेतु प्रबंध समिति के संकल्प के साथ कंपनी के अंतर्नियम एवं बहिर्नियम (यदि वह ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में पहले ही पंजीकृत है तो दस्तावेज के पंजीयन संख्या का उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा) प्रस्तुत करने होंगे। यूनिटों की पुनर्खरीद के समय, पुनर्खरीद हेतु अधिकृत करने वाला समिति का संकल्प एवं औपचारिकताओं के अनुपालन के लिए निकाय के संबंधित अधिकारी/(अधिकारियों)को पुनर्खरीद चेक को स्वीकार करने के प्राधिकार को प्रस्तुत करना होगा।

(ग) गलत घोषणा करके/प्रमाणपत्र यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम सदस्यों की पंजी से काट दिया जाएगा।

(घ) उपरोक्त मामलों में, ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य या एनएवी, जो भी कम हो, पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किये गये आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे। पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिये कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8. सदस्यों द्वारा नामांकन

(i) नामांकन सुविधा केवल अपनी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्तियों अर्थात् एकल या संयुक्त रूप से दो तक के लिए उपलब्ध है।

(ii) आवेदक केवल एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं ।

(iii) अनिवासी भारतीय अवयस्क सहित किसी भी अवयस्क को नामित किया जा सकता है।

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गये दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवासी भारतीय नामित किए जा सकते हैं।

(v) प्लान के चालू रहने के दौरान आवेदक किसी भी समय नामांकन में परिवर्तन कर सकता है।

(vi) सदस्य जो नाबालिग की ओर से माता-पिता या विधिक अभिभावक हों तथा पात्र संस्था, समिति, निगमित निकाय, एचयूएफ, भागीदारी फर्में और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट हेतु "आवेदन करने वाले आवेदक को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा।

(vii) अन्य प्रावधान विनियमों में उपलब्ध कराई गई सीमा तक रहेंगे।

(viii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 39ए के अंतर्गत सदस्य को सांविधिक नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। तदनुसार, जहां यूटीआई सामान्य विनियम, 1964 के अनुसार किसी यूनिट के संदर्भ में नामांकन किया गया है, सदस्य/सदस्यों की मृत्यु के उपरांत सदस्य को देय राशि पर

अधिकार नामिति का होगा और इस प्रकार धारित यूनिटों के संबंध में नामिति को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा बशर्ते उपरोक्त यूनिटों के संदर्भ में किसी प्रभार या बाधा न हो। उपरोक्त के अनुसार ट्रस्ट द्वारा किया गया भुगतान कथित यूनिटों के संदर्भ में ट्रस्ट का सभी देयताओं से पूर्ण उन्मोचन माना जाएगा।

VIII. यूनिटों की पुनर्खरीद

1. योजना और उसके अंतर्गत बनाए प्लान के अंतर्गत पहले तीन वर्ष के दौरान मृत्यु संबंधी दावों के निपटान के मामले छोड़कर कोई पुनर्खरीद नहीं की जाएगी। तीनों विकल्पों के अंतर्गत, प्लान के यूनिटों की पुनर्खरीद प्लान के आरंभ होने के तीन वर्ष के बाद अर्थात् 1 जुलाई, 2003 से आरंभ होगी। पुनर्खरीद मूल्य यूनिटों के एनएवी पर (पूर्ववर्ती आधार पर) आधारित होगा और उसे प्लान के आरंभ होने की तारीख से छः माह पश्चात् अर्थात् 1 जनवरी 2001 को तथा उसके बाद साप्ताहिक आधार पर समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा। सप्ताह (सोमवार से रविवार तक) के लिए वैध पुनर्खरीद मूल्य पिछले सप्ताह के बुधवार के एनएवी पर आधारित होगा। यदि बुधवार को महाराष्ट्र राज्य में छुट्टी हो तो उससे एक दिन पूर्व के कार्यदिवस के एनएवी को ध्यान में लिया जाएगा। पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट को प्रशासनिक लागत और अन्य प्रभार, जो प्रति यूनिट एनएवी के 5% से अधिक न हों, की कटौती करने की स्वतंत्रता होगी।

2. मासिक आय विकल्प

(i) पुनर्खरीद, रजिस्ट्रार के कार्यालय में सदस्यों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित (सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के पिछले पृष्ठ पर मुद्रित) पुनर्खरीद अनुरोध की प्राप्ति पर प्रभावी होगी।

(ii) आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी, बशर्ते सदस्य द्वारा न्यूनतम शेष रु. 10,000/- (अंकित मूल्य) कायम रखा जाए।

(iii) पुनर्खरीद के लिए आवेदन करते समय सदस्य को पुनर्खरीद माह सहित तथा उसके बाद के महीनों के बचे हुए शेष अनभुनाए हुए आय वितरण वारंट ट्रस्ट को सौंपने होंगे।

(iv) मासिक आधार पर प्रदत्त पूरे वर्ष के आय वितरण के हकदार बनने के लिए सदस्य को यूनिट पूरे वर्ष तक रखने होंगे। यूनिटों की पुनर्खरीद करने वाले तथा वर्ष के किसी भाग के लिये यूनिट रखनेवाले यूनिट धारक के मामले में वह केवल धारण अवधि के

लिये, जो हमेशा पूर्ण अंग्रेजी कैलेन्डर मास की होगी, आनुपातिक आय वितरण प्राप्त करने का हकदार होगा और माह के भाग को, चाहे वह कितने भी दिन का क्यों न हो, हमेशा छोड़ दिया जाएगा।

(v) पूर्ण रूप से पुनर्खरीद की स्थिति में, ट्रस्ट विधिवत् उन्मोचित पुनर्खरीद अनुरोध पत्र (सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के पिछले पृष्ठ पर मुद्रित) प्राप्त होने पर स्वीकृति के महीने या भावी महीने के लिए यूनिट पर आय वितरण का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही पुनर्खरीद की प्राप्तियों पर कोई ब्याज देय होगा, बशर्ते पुनर्खरीद आय का भुगतान म्यूचुअल फंड द्वारा निर्धारित अधिनियमों के अधीन किया गया हो।

(vi) प्राप्त सभी दस्तावेज और अनभुनाए आय वितरण वारंट, यदि कोई हों, निरस्तीकरण के लिये ट्रस्ट द्वारा रख लिये जाएंगे।

(vii) पूर्ववर्ती उप-खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी बात के बावजूद, ट्रस्ट यूनिटों की पुनर्खरीद करते समय, सदस्य द्वारा उस समय तक बकाया आय वितरण वारंटों को अभ्यर्पित नहीं करने की स्थिति में पुनर्खरीद राशि में से आय वितरण वारंटों, जो अभ्यर्पित नहीं किए गए, पर भविष्य में देय राशि घटाकर सदस्य को शेष राशि का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होगा। ट्रस्ट विधिवत् उन्मोचित पुनर्खरीद अनुरोध पत्र (सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के पिछले पृष्ठ पर मुद्रित) की स्वीकृति के बाद तथा पूर्ण पुनर्खरीद की स्थिति में सदस्य को स्वीकृति माह के आय वितरण सहित भावी आय वितरण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और ऐसे बकाया आय वितरण की राशि का दावेदार ट्रस्ट होगा।

(viii) आंशिक पुनर्खरीद की स्थिति में, अपने पास रखे जानेवाले यूनिटों की संख्या पर निर्भर करते हुए सदस्य को नयी सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र और स्वीकृति माह सहित शेष अवधि के लिए आय वितरण वारंटों का नया सेट जारी किया जाएगा। पुनर्खरीद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा बशर्ते पुनर्खरीद आय का भुगतान म्यूचुअल फंड द्वारा निर्धारित अधिनियमों के अधीन किया गया हो

(ix) सदस्य/सदस्यों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विधिक प्रतिनिधि या नामिती द्वारा सदस्यता सूचना/ यूनिट प्रमाणपत्र, यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए पुनर्खरीद अनुरोध और बकाया अनभुनाए आय वितरण वारन्ट ट्रस्ट को सौंपे जाने के बाद वह (ट्रस्ट) दावे की मान्यता संबंधी निर्धारित आवश्यकता पूरी होने पर अपने नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें ऊपर उपखण्ड (iv) और (vii) में यथावर्णित रूप में यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा और दावे की निपटान तिथि तक के बकाया मासिक आय वितरण का आनुपातिक भुगतान करेगा।

(3) वार्षिक एवं संचयी विकल्प

आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी, बशर्ते सदस्य द्वारा दोनों विकल्पों के अंतर्गत न्यूनतम शेष रु. 10,000/- (अंकित मूल्य) कायम रखा जाए।

(4) ट्रस्ट द्वारा पुन:खरीदे गए यूनिटों के लिए भुगतान, कटौती, यदि कोई हो, करने के बाद विधिवत् उन्मोचित पुनर्खरीद अनुरोध पत्र (सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के पिछले पृष्ठ पर मुद्रित) तथा आय वितरण वारंटों, यदि कोई हों, के प्राप्त हो जाने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर (बशर्ते आवेदन सही हो) ऐसे केन्द्र पर किया जाएगा जहां पुनर्खरीद अनुरोध संसाधित किए जाते हैं।

आवेदक को देय पुनर्खरीद की राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज देय नहीं होगा बशर्ते पुनर्खरीद आय का भुगतान म्यूचुअल फंड द्वारा निर्धारित अधिनियमों के अधीन किया गया हो तथा ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चेक या ड्राफ्ट का वसूली खर्च या प्रेषण की लागत (डाक खर्च सहित) आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।

(5) अनिवासी भारतीय/ओसीबी निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद राशि निवेश के स्रोत पर निर्भर रहते हुए अनुच्छेद v(11) (xii) में बताए अनुसार प्रेषित की जाएगी।

(6) यूनिटों की पुनर्खरीद पर प्रतिबंध

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :

(i) ऐसे दिन, जो कार्य-दिवस नहीं हों; और

(ii) रिकॉर्डों को अद्यतन करने तथा यूनिट पूंजी के समामेलन के लिए जब सदस्यों की पंजी बंद हो, ऐसी (15 दिन से अनधिक) अवधि के दौरान।

स्पष्टीकरण : इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो

(i) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो और न ही

(ii) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि उस दिन ट्रस्ट का कार्यालय बंद रहेगा।

IX. आय वितरण

(क) सदस्य को निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प के चुनाव का अधिकार होगा :

1) मासिक आय विकल्प या

2) वार्षिक आय विकल्प या

3) संचयी विकल्प

यह योजना में निवेश करते समय चुना जाएगा। निवेशक द्वारा विकल्प नहीं दिए जाने के मामले में उसे मासिक आय विकल्प समझा जाएगा। ट्रस्ट के पास निवेशकों को ऐसी शर्त पर जैसा कि भविष्य में तय किया जाए, आय वितरण विकल्प को बदलने (अर्थात मासिक से वार्षिक या संचयी विकल्प या उसके विपरीत) का अधिकार सुरक्षित है। निवेशकों को इसकी सूचना उचित माध्यम से दे दी जाएगी।

1. मासिक आय विकल्प

(i) मासिक आय विकल्प के अंतर्गत आय वितरण की घोषणा और आय वितरण वारंटों का प्रेषण निम्नानुसार किया जाएगा :

लागू अवधि	आय वितरण की दर	वारंट/वारंटों का प्रेषण
जुलाई 2000 - मार्च 2001	9.25% प्र.व.	सदस्यता सूचना के साथ
अप्रैल 2001-जून 2001	9.25% प्र.व.	मार्च/अप्रैल 2001

जुलाई 2001-मार्च 2002	घोषणा मार्च 2001 में की जाएगी	मार्च/अप्रैल 2001
प्रत्येक परवर्ती अप्रैल - मार्च वर्ष 2005 तक की अवधि हेतु	घोषणा प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में की जाएगी	मार्च/अप्रैल 2002 और उससे आगे

प्लान के निवेश उद्देश्यों और प्रचलित नीतियों तथा लिखतों से अनुमानित लाभ, जिनमें योजना की निधियों का निवेश किया जाएगा, के आधार पर योजना प्लान के अंतर्गत 9.25% प्रति वर्ष की दर से मासिक रूप से देय प्लान के प्रथम वर्ष के लिए आश्वासित आय अदा करने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त कर सकेगी।

(ii) प्रत्येक माह के लिये आय वितरण अगले महीने के प्रारंभ में देय होगा और बैंकों के साथ पूर्व भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक की शाखाओं पर सममूल्य पर देय आय वितरण वारंट या ईसीएस द्वारा या किसी लिखत के माध्यम से किया जाएगा।

(iii) आवेदन की स्वीकृति की तिथि पर निर्भर करते हुए एक आय वितरण वारंट स्वीकृति तिथि से 31 अगस्त, 2000 तक की अवधि हेतु तथा 7 वारंट सितंबर 2000 से मार्च 2001 तक की अवधि हेतु ईसीएस या आय वितरण वारंट के जरिए सदस्यता सूचना के साथ भेज दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष मार्च माह के लिए आय वितरण वारंट 31 मार्च को बनाया जाएगा।

(iv) उप खण्ड (iii) के उपबंधों के प्रावधानों के अधीन, मासिक आधार पर आय वितरण के भुगतान के लिए वारन्ट सदस्य को अग्रिम रूप से भेजे जाएंगे। वारंट को इस प्रकार दिनांकित किया जाएगा कि सदस्य भुगतान के लिए परिपक्व होने पर प्रत्येक वारन्ट को भुना सकें। हरेक वारंट तीन महीने के लिए वैध रहेगा।

(v) वैध अवधि पूरी होने के पहले सदस्य के पास कोई वारंट नहीं पहुंचने या उनके पुराने हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट ब्याज का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा।

(vi) पुनर्खरीद की स्थिति में, सदस्य द्वारा अनभुनाए वारंटों को अभ्यर्पित नहीं करने पर, ऐसे आय वितरण वारंटों की राशि पुनर्खरीद प्राप्तियों में से काट ली जाएगी और ऐसे मामलों में सदस्य परवर्ती

माह हेतु बकाया वारंटों तथा वारंटों के परिपक्वता तिथि तक सदस्य के पास रहे वारंटों को भुनाने का पात्र होगा।

(vii) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में यदि नामिती/विधिक उत्तराधिकारी यूनिट रखने का पात्र है और आगे भी यूनिट रखना चाहता है, तो ऐसा नामिती/विधिक उत्तराधिकारी अपने पक्ष में आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के अनभुनाए सभी वारन्ट वापस करने के लिए बाध्य होगा। तथापि, आगे यूनिट रखने के इच्छुक नामिती/ विधिक उत्तराधिकारी मृत सदस्य के पक्ष में पहले से जारी वारन्ट को सुधार कर नये प्रविष्ट सदस्य के पक्ष में करने में लगनेवाले समय के लिये कोई ब्याज या मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(viii) किसी आवेदक की मृत्यु की स्थिति में जहां मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिये आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है, वहां वैकल्पिक आवेदक को आवश्यक सुधार के लिये भावी महीनों के अनभुनाए सभी आय वितरण वारंट वापस करने होंगे। लेकिन, ऐसा वैकल्पिक आवेदक मृत आवेदक के पक्ष में पहले से जारी वारंट को सुधार करके नये प्रविष्ट आवेदक के पक्ष में करने में लगनेवाले समय के लिए कोई ब्याज या मुआवज़ा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

2. वार्षिक आय विकल्प

वार्षिक आय विकल्प के अंतर्गत आय वितरण की घोषणा और ईसीएस भुगतान अथवा आय वितरण वारंटों का प्रेषण निम्नानुसार किया जाएगा :

लागू अवधि	आय वितरण की दर	वारंट/वारंटों का प्रेषण
जुलाई 2000 - जून 2001	9.65% प्र.व.	जून 2001
जुलाई 2001-मार्च 2002	घोषणा मार्च 2001 में की जाएगी	मार्च/अप्रैल 2002
वर्ष 2005 तक प्रत्येक परवर्ती अप्रैल - मार्च की अवधि हेतु	घोषणा प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में की जाएगी	मार्च/अप्रैल 2003 और उससे आगे

इस विकल्प के अन्तर्गत कोई आय वितरित नहीं की जाएगी। संचयी विकल्प के अंतर्गत आय वितरण की घोषणा एवं आय का संचयन निम्नानुसार किया जाएगा :

लागू अवधि	**आय वितरण की दर**	**वारंट/वारंटों का प्रेषण**
जुलाई 2000 - जून 2001	9.65% प्र.व.	जून 2001
जुलाई 2001-मार्च 2002	घोषणा मार्च 2001 में की जाएगी	मार्च/अप्रैल 2002
वर्ष 2005 तक प्रत्येक परवर्ती अप्रैल - मार्च की अवधि हेतु	घोषणा प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में की जाएगी	मार्च/अप्रैल 2003 और उससे आगे

सभी तीनों विकल्पों के अंतर्गत, निवेशक को आवेदन की स्वीकृति की तिथि से 30 जून, 2000 तक की अवधि के लिए सभी तीनों विकल्पों के अंतर्गत 9.25% प्र.व. की दर से आय वितरण का भुगतान सदस्यता सूचना के साथ चेक के माध्यम से किया जाएगा।

4) प्लान के अंतर्गत पहले वर्ष के लिए 9.65% प्र.व. प्रतिलाभ का औचित्य

(i) मान लीजिये 100 करोड़ रुपये एकत्र होते है और आरंभिक निर्गम व्यय 3% हैं और उन्हें 4 वर्ष 9 माह की अवधि के दौरान अपलिखित किया जाता है। पहले वर्ष के लिए उपलब्ध निवेश योग्य निधियां 97 करोड़ रुपये होंगी ।

(ii) साथ ही यह मान लेते हैं कि योजना 70% ऋण लिखतों में निवेश करेगी, जिनका जोखिम तत्व न्यून से मध्यम हो, इन लिखतों का वाईटीएम 11% से 12.5% की सीमा में है, तो निवेश 11.75% औसत भारित प्रतिलाभ अर्जित करेगा।

(iii) इक्विटी में निवेश की गई 30% राशि पर लाभांश के रूप में वार्षिकीकृत आय, इक्विटी पोर्टफोलियो के मूल्य में हुई मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास एवं प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए 16% के करीब रहेगी।

(iv) उपरोक्त उदाहरण में योजना द्वारा प्रथम वर्ष में 13.03% आय अर्जित करने का अनुमान है, जैसे कि नीचे दिया गया है :

लिखतें	**पोर्टफोलियो का %**	**निवेश योग्य निधियां**	**प्रतिलाभ (%)**
डिबेंचर	70	67.90	11.75
इक्विटी	30	29.10	16.00

(V) पोर्टफोलियो पर भारित औसत प्रतिलाभ = $\frac{67.90 * 11.75 + 29.10 * 16}{100.00}$ = 13.03%

(vi) वार्षिक व्यय एवं प्रावधानों को 1.25% मानते हुए, वितरण के लिए उपलब्ध आय 11.78% होगी। यह सभी विकल्पों के अंतर्गत प्लान के प्रथम वर्ष हेतु आय वितरण पर 22% प्र.व. कर का भुगतान करने के बाद मासिक आय विकल्प के अंतर्गत 9.25% प्र.व. और वार्षिक आय व संचयी विकल्प के अंतर्गत 9.65% प्र.व. की दर से आय का भुगतान करने हेतु पर्याप्त होगी।

(vii) यह एक दृष्टांत है और प्लान की शुरुआत के समय बातों को मानते हुए बाजार की स्थितियों पर आधारित है

क) जुटाई गई संपूर्ण निधि को कम से कम समय में जैसे 1-2 माह में अभिनियोजन करने के पर्याप्त अवसर होंगे।

ख) इक्विटी पोर्टफोलियो में तरल स्क्रिप्स होंगे और सक्रिय व्यापारिक रणनीति अपनाई जाएगी।

5. बैंक विवरण और *इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस)* :

(i) निवेशकों के लिए आवेदन पत्र में उचित स्थान पर अपने बैंक खाते का पूर्ण विवरण जैसे, खाते की प्रकृति, खाता संख्या तथा बैंक शाखा का नाम, पता और पिन कोड देना अनिवार्य है।

(ii) हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पेश की गई इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) के अंतर्गत एक नई सुविधा अहमदाबाद, वल्लभगढ/ फरीदाबाद, बेंगलूर, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चंडीगढ, चेन्नई, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, जमशेदपुर, लुधियाना, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पुणे, शिमला, सिलिगुड़ी, सूरत और त्रिचूर (कालक्रम में केंद्रों की संख्या जोड़ी/घटाई जा सकती है) के निवेशकों को संबंधित केंद्रों पर उनके बैंक खातों में सीधे जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां एकल लिखत की राशि रु. 5,00,000/- से अधिक नहीं है। निवेशकों को उनके बैंक खाते में हुए मासिक जमा का ब्योरा देने वाली विवरणी दी जाएगी।

(iii) बैंक शाखा निवेशक के खाते में जमा करेगी तथा पासबुक/खाता विवरणी में जमा प्रविष्टि को "ईसीएस" से निर्दिष्ट करेगी। जो आवेदक यह सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, वे आवेदन पत्र में अपने बैंक का नाम और पता, खाते का प्रकार और नंबर, 9 अंकों वाली बैंक एवं शाखा कूट संख्या इत्यादि भरें।

(iv) यदि इस सुविधा पर मिली प्रतिक्रिया इसके संचालन हेतु पर्याप्त नहीं हो या कोई अन्य कारण हो तो ट्रस्ट "ईसीएस" के जरिए आय का भुगतान करने के बजाय आय वारंट जारी करके आय की अदायगी कर सकता है।

(v) अनिवासी भारतीय निवेशक को आय वितरण

प्लान के अंतर्गत आय विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार अदा की जाएगी। आय के भुगतान की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

क) वारंट निवेशक के नाम जारी किया जा सकता है तथा सदस्य के एनआरई/एनआरओ खाते में जमा करने के लिए, जैसा भी मामला हो, उसके किसी ऐसे रिश्तेदार को भेजा जा सकता है जो भारत का निवासी हो। अथवा

ख) वारंट किसी ऐसे रिश्तेदार के नाम जारी किया जा सकता है जो भारत का निवासी हो तथा उसे भेजा जा सकता है ताकि वह अपने खाते में जमा कर सके।

एनआरआई निवेशक के मामले में जहां भुगतान उसके निवासी रिश्तेदार के पक्ष में किया जाना अपेक्षित है, वहां ऐसे रिश्तेदार का बैंक खाता विवरण देना आवश्यक है।

(vi) ईसीएस की सुविधा उन अनिवासी भारतीय निवेशकों के लिए भी उपलब्ध है, जिनके मुंबई में अपने बैंक खाते हैं। जो अनिवासी भारतीय निवेशक आय वितरण अपने निवासी संबंधी के खाते में जमा कराने के इच्छुक हैं, उनके लिए ईसीएस की सुविधा उपरोक्त खण्ड (ii) में दर्शाए गए स्थानों पर उपलब्ध कराई जा सकती है।

X. निवेश उद्देश्य, नीतियां, स्टॉक उधार एवं सहवर्ती (डेरिवेटिव्स)

1. निवेश उद्देश्य

(i) योजना का निवेश उद्देश्य मुख्यत: सदस्य को नियमित आय उपलब्ध कराना तथा योजना की परिपक्वता पर ग्राहक की पूंजी में वृद्धि के लिए प्रयत्न करना भी है। योजना के अंतर्गत संग्रहीत

निधियों का सभी आरंभिक निर्गम व्यय अदा करने के बाद सामान्यत: निम्नलिखित रूप में निवेश किया जाएगा :

(क) निधियों का कम से कम 70% मुद्रा बाज़ार लिखतों सहित ऋण लिखतों में निवेश किया जाएगा। निवेश का जोखिम तत्व न्यून से मध्यम होगा।

(ख) निधियों का 30% से अनधिक इक्विटी और इक्विटी संबंधी लिख़तों में निवेश किया जाएगा। इक्विटी निवेश में जोखिम तत्व उच्च हो सकता है।

(ii) न्यूनतम एवं अधिकतम आस्ति आबंटन :
(क) ऋण - न्यूनतम 70%, अधिकतम 100%
(ख) इक्विटी - अधिकतम 30%

(iii) सामान्यत: मुद्रा बाजार लिखतों के लिए सामान्यत: कोई नियत नियोजन नहीं किया जाएगा।

मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश न्यूनतम रखा जाएगा ताकि प्लान की तरलता की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। तथापि, ऊपर कथित निवेश उद्देश्य के अनुसरण में, प्रतिभूतियों में योजना की निधियों का अभिनियोजन लंबित रखकर, मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश कर सकता है ।

(iv) ट्रस्ट रक्षात्मक सोच-विचार पर लघु अवधि हेतु आस्ति आबंटन में परिवर्तन करने का विकल्प अपने पास रखता है ।

2. मूल विशेषताएं

(i) "मूल विशेषताओं" का अर्थ निम्नलिखित है :

(क) योजना का प्रकार	:	मासिक आय प्लान 2000 (द्वितीय)एक नियतकालिक आय निधि है।
(ख) निवेश उद्देश्य	:	जैसा कि इस पेशकश दस्तावेज़ के खंड X के अंतर्गत बताया गया है।
(ग) निर्गम की शर्तें	:	सूचीबद्धता, यूनिटों की पुनर्खरीद एवं व्यय के संबंध में इस पेशकश दस्तावेज में प्रावधान है।

(ii) योजना की मूल विशेषताओं में कोई भी परिवर्तम कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की सहमति से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन होने पर जो अपनी सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी यूनिटधारिताओं का मोचन करने की अनुमति होगी।

(iii) बोर्ड समय-समय पर योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा उसमें संशोधन कर सकता है तथा ऐसा कोई संशोधन/परिवर्धन भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की शर्तों के अनुसार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

(iv) योजना की मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन सेबी के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। अन्य कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन, जो मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं है और जो यूनिटधारकों के हितों को प्रभावित नहीं करते हैं, उनके बारे में सेबी को सूचित किया जाएगा।

3. निवेश नीतियां

(i) योजना अपने एनएवी के 15% से अधिक का निवेश किसी एकल जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए ऋण लिखतों में नहीं करेगी, जिसका निर्धारण सेबी के अंतर्गत ऐसा कार्यकलाप करने हेतु प्राधिकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा निवेश श्रेणी के नीचे नहीं किया जाता है। ऐसे निवेश की सीमा न्यासी मंडल के पूर्व अनुमोदन से योजना के एनएवी के 20% तक बढ़ाई जा सकती है। बशर्ते कि यह सीमा सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों में किए जाने वाले निवेशों के लिए लागू न हो।

(ii) योजना अपने एनएवी के 10% से अधिक का निवेश किसी एकल जारी कर्ता द्वारा जारी किए गए अनिर्धारित ऋण लिखतों में नहीं करेगी और ऐसे लिखतों में कुल निवेश योजना के एनएवी के 25% से अधिक नहीं होगा। ऐसे सभी निवेश न्यासी मंडल के पूर्व अनुमोदन से किए जाएंगे।

(iii) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिये जाएंगे।

(iv) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सुपुर्दगियों के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेगा और किसी भी मामले में खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे मंदड़िया बिक्री करनी पड़े या सौदे का वायदा (कैरी फारवर्ड) करना पड़े या बदला वित्त में लिप्त होना पड़े । बशर्ते कि म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बचाव करने और पोर्टफोलियो संतुलित करने के उद्देश्य से मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में डेरिवेटिवों के कारोबार में प्रवेश करेंगे।

(v) ट्रस्ट प्रतिभूतियों की खरीद या अंतरण ट्रस्ट के नाम से करवाएगा।

(vi) आवश्यक अनुमोदन की शर्त पर, यूटीआई उपयुक्त परिस्थितियों में फ्यूचर्स एवं ऑप्शन्स और अन्य सहवर्ती जैसी तकनीक एवं लिखतों का, लागू विनियमों एवं प्रतिपक्ष जोखिम निर्धारण की शर्त

पर, जब वे भारतीय बाजारों में लागू हो जाते हैं, प्लान की निवेश नीति सिद्ध करने के उद्देश्यों या बचाव या जोखिम न्यून करने हेतु प्रयोग कर सकता है।

(vii) (क) यह योजना सेबी द्वारा घोषित, प्रतिभूतियां उधार देने की शर्तों के अनुसार, स्टाक उधार देने के क्रियाकलाप में सहभागी हो सकती है। यह क्रियाकलाप किसी स्वीकृत मध्यस्थ के जरिए किया जाएगा।

(ख) स्टाक उधार देने वाले कार्यक्रम में किसी एकल मध्यस्थ का योजना में अधिकतम प्रभावन किसी भी समय योजना के इक्विटी पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य का 10% तक हो सकता है।

(ग) म्यूचुअल फंडों और यूटीआई को स्टाक उधार लेने की अनुमति है। योजना इस संबंध में सेबी

दिशानिर्देशों के अनुसार उचित स्थितियों में स्टाक उधार ले सकती है।

(viii) योजना, समुद्रपारीय/विदेशी कंपनियों द्वारा जारी एवं विदेश में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या भारतीय निकायों द्वारा विदेशी/ समुद्रपारीय निवेशकों को जारी एवं विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में समय-समय पर जारी सेबी/ आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे निर्गमों में अभिदान करके या विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए क्रय करके सीधे निवेश कर सकती है।

(ix) योजना इनमें से किसी में निवेश नहीं करेगी ;

क) ट्रस्ट की सहायक या समूह कंपनी की कोई असूचीबद्ध प्रतिभूति ; या

ख) ट्रस्ट की सहायक या समूह कंपनी द्वारा निजी स्थापन के माध्यम से जारी की गई कोई प्रतिभूति; या

ग) ट्रस्ट की समूह कंपनी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियां जो ट्रस्ट की सभी योजनाओं के शुद्ध आस्तियों के 25% का आधिक्य है।

(x) सेबी द्वारा सूचित किए अनुसार यूटीआई सिक्योरिटीज लि. के जरिए प्लान के लिए प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री किसी भी तीन महीने की अवधि के दौरान प्लान द्वारा की गई प्रतिभूतियों की समग्र खरीद और बिक्री के 5% से अधिक नहीं होगी।

(xi) जनता को पेश न किए गए ऋण लिखतों में निवेश : योजना उपलब्ध आय पर निर्भर करते हुए जनता को पेश न किए गए ऋण प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती है।

(xii) तरलता की आवश्यकताओं के आधार पर, योजना बिना किसी निवेश सीमा के भारत सरकार/ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती है।

(xiii) योजना किसी कंपनी की इक्विटी संबंधित लिखतों अथवा इक्विटी शेयरों में उसकी एनएवी का 10% से अधिक का निवेश नहीं करेगी।

(xiv) योजना किसी कंपनी की इक्विटी संबंधित लिखतों अथवा असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में उसकी एनएवी का 10% से अधिक निवेश नहीं करेगी।

4. ट्रस्ट की योजनाओं में कार्पोरेट निवेश और इन कंपनियों में ट्रस्ट का निवेश

(i) 31/12/99 के अनुसार उन योजनाओं की सूची जिनमें कंपनियों ने योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य का 5% से अधिक निवेश किया है।

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना की आस्तियों के 5% से अधिक धारिता वाली कंपनी का नाम
1.	आईआईएसएफयूएस,97	एचडीएफसी हिन्दुस्तान लीवर लि.
2.	आईआईएसएफयूएस 97 (II)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
		द पियरलेस जनरल फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट कं.लि.

3.	आईआईएसएफयूएस 98	द पियरलेस जनरल फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट कं.लि.
4.	आईआईएसएफयूएस 98 (II)	नेशनल हाऊसिंग बैंक
5.	एमआईपी 97(IV)	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
6.	एमआईएफ	द पियरलेस जनरल फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट कं.लि.
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
7.	एमवीयूपी	आईडीबीआई
		एसबीआई
8.	ग्रोथ सेक्टर फंड (ब्रांड वैल्यू)	अरानिक सिक्योरिटीज प्रा. लि.
9.	ग्रोथ सेक्टर फंड (फार्मा)	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
10.	ग्रोथ सेक्टर फंड (सर्विसेज)	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
11.	जी सेक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
12.	यूटीआई-एमएमएफ	बेनेट, कोलमन एण्ड कं. लि.
		यूटीआई बैंक लि.
		द अरविंद मिल्स लि.
		भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि.

(ii) **31/12/99** को उपरोक्त योजना द्वारा या यूटीआई की किसी अन्य योजना द्वारा उपरोक्त कंपनियों या उसकी सहायक कंपनियों में सकल आधार पर किया गया निवेश ।

(रु. करोड़ में)

कंपनी का नाम	**इक्विटी (लागत)**	**ऋण (लागत)**	**जमा**	**कुल**
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0.18	0.00	0.00	0.18
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.00	0.76	0.00	0.76
आईडीबीआई बैंक	0.85	0.00	0.00	0.85
भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि.	7.33	0.00	0.00	7.33
हिन्द लीवर केमिकल्स लि. (हिन्दुस्तान लीवर लि. की सहयोगी)	20.45	0.00	0.00	20.45
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	29.07	0.00	0.00	29.07
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स (एसबीआई की सहयोगी)	0.00	35.45	0.00	35.45
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.00	50.00	0.00	50.00
द अरविन्द मिल्स लि.	58.35	1.07	0.00	59.42
सिडबी (आईडीबीआई की सहयोगी)	0.00	75.96	0.00	75.96
यूटीआई बैंक लि.	89.12	0.00	0.00	89.12
एचडीएफसी	234.50	91.63	0.00	326.13
एसबीआई	599.33	57.01	0.00	656.34
हिन्दुस्तान लीवर लि.	1782.16	0.00	0.44	1782.60
आईडीबीआई	352.73	2012.16	0.00	2364.89
योग	**3174.07**	**2324.04**	**0.44**	**5498.55**

(ii) **31/12/98** को उपरोक्त योजना द्वारा या यूटीआई की किसी अन्य योजना द्वारा उपरोक्त कंपनियों या उसकी सहायक कंपनियों में सकल आधार पर किया गया निवेश ।

(रु. करोड़ में)

कंपनी का नाम	इक्विटी (लागत)	ऋण (लागत)	जमा	कुल
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0.18	0.00	0.00	0.18
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.00	0.65	0.00	0.65
आईडीबीआई बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00
भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि.	7.51	0.00	0.00	7.51
हिन्द लीवर केमिकल्स लि. (हिन्दुस्तान लीवर लि. की सहयोगी)		0.00	0.00	0.00
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	31.66	0.00	0.00	31.66
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स (एसबीआई की सहयोगी)	0.00	0.00	0.00	0.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.00	0.00	0.00	0.00
द अरविन्द मिल्स लि.	97.76	2.24	0.00	100.00
सिडबी (आईडीबीआई की सहयोगी)	0.00	75.36	0.00	75.36
यूटीआई बैंक लि.	89.12	0.00	0.00	89.12
एचडीएफसी	303.39	150.00	0.00	453.39
एसबीआई	844.50	52.33	0.00	896.83
हिन्दुस्तान लीवर लि.	1082.68	6.60	0.87	1090.15
आईडीबीआई	363.39	1883.92	0.00	2247.31
योग	**2820.19**	**2171.10**	**0.87**	**4992.16**

यूटीआई द्वारा यह निवेश अपने सामान्य कारोबार के दौरान किया गया ।

XI. अंतर योजना अंतरण

इस योजना से ट्रस्ट की दूसरी योजना / प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब -

क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पॉट आधार पर किए गए हों।

स्पष्टीकरण : "स्पॉट आधार" का अर्थ वही होगा जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्पॉट सौदों के लिए निर्दिष्ट है।

ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं।

ग) प्लान से/में असूचीबद्ध या अनोद्धृत निवेश का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में/से अंतरण ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

XII. संयुक्त सौदे एवं उधार

1. योजना यूनिटों की पुनर्खरीद, प्रतिदान या सदस्यों को आय या ब्याज की अदायगी करने की योजना की अस्थाई नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के अलावा उधार नहीं लेगी।

परन्तु उधार योजना की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी।

2. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 20 के अनुसार ट्रस्ट को निम्नलिखित उधार लेने की शक्तियां प्राप्त हैं :

(i) ट्रस्ट, भारत या भारत से बाहर के किसी प्राधिकरण या व्यक्ति, जो सरकार या रिज़र्व बैंक न हो, से ऐसी प्रतिभूति के प्रति एवं ऐसी शर्तों एवं परिस्थितियों पर जिस पर वे आपस में सहमत हों, उधार ले सकता है।

(ii) ट्रस्ट रिज़र्व बैंक से उधार ले सकता है -

(क) भारत में इस समय लागू किसी कानून द्वारा जिससे न्यासी ट्रस्ट का धन निवेश करने हेतु प्राधिकृत है, स्टॉक, निधियों एवं प्रतिभूतियों के प्रति (अचल संपत्तियों के अतिरिक्त) मांग पर या नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिदेय जो इस प्रकार ली गई राशि की तिथि से नब्बे दिन से अधिक न हो ;

(ख) केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से बांडों की प्रतिभूति के प्रति, जिसे ट्रस्ट जारी कर सकता है, मांग पर या जिस तिथि से ऐसी राशि उधार ली गई है, उस तिथि से अठारह महीनों की अवधि के भीतर प्रतिदेय है;

(ग) प्रथम यूनिट योजना के अतिरिक्त किसी अन्य योजना के प्रयोजन हेतु जिसे इस संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ट्रस्ट की ऐसी अन्य संपत्तियों की प्रतिभूति के प्रति या ऐसी शर्तों एवं नियमों पर :

बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत उधार ली गई कोई राशि एवं किसी एक समय पर बकाया राशि -

(क) ऐसी प्रत्येक योजना के संबंध में पांच करोड़ रुपए से ज्यादा न हो ; एवं

(ख) समग्र रूप से ऐसी समस्त योजनाओं के संबंध में दस करोड़ रुपए से अधिक न हो ।

(iii) ट्रस्ट द्वारा धारा 20 की उप धारा (ii) के अंतर्गत जारी बांड के मूल राशि की अदायगी की गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाएगी एवं ब्याज का भुगतान बांड जारी करते समय केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा।

XIII. एनएवी निर्धारण एवं आस्तियों का मूल्यांकन

1. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का परिकलन और प्रकटीकरण :

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपचयों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। योजना का एनएवी मासिक आय विकल्प, वार्षिक आय विकल्प और संचयी विकल्प के लिए अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा। अभिदान बंद होने की तिथि से छः माह के भीतर और उसके बाद साप्ताहिक आधार पर (अगले सोमवार से रविवार तक जिसमें मूल्यांकन तिथि पिछले बुधवार की होगी) शुद्ध आस्ति मूल्य (पूर्ववर्ती आधार पर) समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा।

2. इस योजना की आस्तियों का मूल्यांकन

(i) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों, यदि कोई हों, सहित उद्धृत निवेशों परंतु सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर, का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार में बंद मूल्य पर किया जाता है तथा इसके उपलब्ध न होने पर मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल ही की उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु, कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोद्धृत निवेश माना जाता है।

(ii) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां मूल्यांकन तिथि को अंतिम एनएसई बाजार दरों पर मूल्यांकित की जाती हैं और इसकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन तिथि से पहले 7 दिन की अवधि के अंदर उपलब्ध नवीनतम भाव को मूल्यांकन के लिए लिया जाता है। यदि मूल्यांकन की तिथि से सात दिन पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं हो तो उसे अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां माना जाएगा।

(iii) उद्धृत डिबेंचरों और बांडों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्त्व यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है।

(iv) शेयरों के अधिकार पात्रता का मूल्यांकन, लाभांश तत्व हेतु बट्टा काटकर, जहां लागू हो, बाजार दर पर किया जाता है।

(v) अनोद्धृत अधिमान शेयर/संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर लागत पर लिए जाते हैं।

(vi) अनोद्धृत इक्विटी शेयर जैसे कि न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित किया जाए, उचित मूल्यांकन आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

(vii) अनोद्धृत डिबेंचर, बॉण्ड एवं अंतरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल पर मूल्यांकित किए जाते हैं, जो न्यासी मंडल द्वारा मूल्य वृद्धि के अनुमोदन के साथ भारत सरकार की प्रतिभूतियों (आय कर्व) से जुड़ा है।

(viii) अनोद्धृत वारंट, अंतरनिहित इक्विटी शेयरों के बाजार दर पर, लाभांश तत्त्व के लिए बट्टा काटकर, यदि कोई हो, तथा देय प्रायोगिक मूल्य से कम करके मूल्यांकित किए जाते हैं। जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

(ix) अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन प्रचलित ब्याज दर पर परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर किया जाता है।

(x) परिवर्तनीय डिबेंचर एवं बॉण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन संबंधित इक्विटी शेयरों के बाज़ार दर पर, जिनमें लाभांश तत्त्व, यदि कोई हो, काट कर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों एवं बॉण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि कोई हो, का मूल्यांकन, उपरोक्त (vi) के अनुसार किया जाता है। जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है।

(xi) पूंजी सूचकांकित बॉण्ड लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

(xii) ***मुद्रा बाजार लिखतों के लिए मूल्यांकन नीति :-***

(क) मुद्रा बाज़ार लिखतें एवं अन्य निवेश बही मूल्य पर लिए जाते हैं।

(ख) अंतर बैंक कॉल बाज़ार में निवेशित राशि लागत पर ली जाती है।

(ग) बट्टे /ब्याज उपार्जन लिखतों में निवेशित राशि का मूल्यांकन,उस प्रतिफल पर किया जाता है जिसमें लिखत का सौदा पिछली बार किया गया था। इस उद्देश्य हेतु भाव मूल्यांकन तिथि से पहले दो कार्य दिवसों की अवधि के भीतर उपलब्ध हाल ही का भाव ध्यान में लिया जाता है। जब पिछले दो कार्य दिवसों में कोई भाव उपलब्ध न हो, तो लिखत लागत एवं लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों के लिए लागू एक समान लागत और पृष्ठ मूल्य के मध्य अंतर पर मूल्यांकित किया जाता है।

(घ) अनोद्धृत डिबेंचरों सहित अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत एवं लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों पर लागू एक समान लागत और पृष्ठ मूल्य के अंतर पर किया जाता है।

खंड X (3), XIII (1) एवं XIII (2) के संदर्भ में किसी बात के बावजूद, निवेश नीतियां, आस्तियों का मूल्यांकन, एनएवी की गणना, पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण एवं एनएवी के प्रकटीकरण की आवृत्तियां, पुनर्खरीद मूल्य/पोर्टफोलियो समय-समय पर सेबी द्वारा जारी सेबी (एमएफ) विनियमों/दिशानिर्देशों /निदेशों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

XIV. लेखा नीतियां

1. आय की मान्यता

(ग) क्या अधिकारी-कर्मचारी ने सेवा के दौरान उस नियोजक, जिसके अधीन वह नियोजन स्वीकार करने का प्रस्ताव रखता है, से लेनदेन की थी; क्योंकि इससे इस संदेह को औचित्यपूर्ण आधार मिलता है कि इस व्यक्ति ने उस नियोजक को अनुकूलता दिखाई थी;

(घ) क्या प्रस्तावित वाणिज्यिक नियोजन की ड्यूटी में बैंक के साथ संपर्क या संयोग-कार्य सम्मिलित है;

(ङ) क्या उसकी वाणिज्यिक ड्यूटी ऐसी है कि उसके, बैंक में पूर्व कार्यालयीन हैसियत या ज्ञान या अनुभव प्रस्तावित नियोजक को अनुचित सुविधा देने का काम आ सकते हैं;

(च) प्रस्तावित नियोजक द्वारा दी जानेवाली परिलब्धियां; और

(छ) अन्य कोई संबंधित तथ्य ।

(4) जहां उप विनियम (2) के अंतर्गत आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर बैंक आवेदन की गई अनुमति की मंजूरी अस्वीकार नहीं करती है अथवा आवेदक को ऐसी अस्वीकृति की सूचना नहीं देता है तो यह मान लिया जाएगा कि बैंक ने आवेदन की गई अनुमति की मंजूरी दे दी है;

बशर्ते कि किसी भी स्थिति में, जहां आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण अथवा अपर्याप्त सूचना दी गई हो और आगे उससे स्पष्टीकरण या जानकारी मांगना बैंक के लिए आवश्यक हो गया हो; उस स्थिति में साठ दिन की अवधि की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि को आवेदक द्वारा उन त्रुटियों को दूर किया गया हो अथवा संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई हो ।

(5) जहां बैंक किन्हीं शर्तों के अंतर्गत, आवेदन की गई अनुमति की मंजूरी देता है अथवा अनुमति अस्वीकार करता है; आवेदक, बैंक के उस आशय के आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी किसी शर्त या अस्वीकृति के विरूद्ध अभ्यावेदन दे सकता है और बैंक जैसा उचित समझे, उस पर अपने आदेश दे सकता है;

बशर्ते कि इस आदेश के सिवाय कि ऐसी शर्त को रद्द करते हुए अथवा बिना किसी शर्त के ऐसी अनुमति को मंजूर करते हुए; अभ्यावेदन देनेवाले उस व्यक्ति को, दिए जानेवाले प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शाने का एक मौका दिए बिना, इस उप विनियम के अंतर्गत अन्य कोई आदेश नहीं दिया जाएगा ।

(6) बैंक द्वारा इस विनियम के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश की सूचना संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी ।

दीपक कुमार भट्टाचार्य

(डी. के. भट्टाचार्य)

महाप्रबंधक (कार्मिक)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
मुंबई

R-7

यूटी/डीबीडीएम/एसपीडी-119-बी/99-2000 २० अप्रैल, **2000**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई यूनिट योजना मासिक आय योजना 2000 (द्वितीय) के संबंध में कथित अधिनियम की धारा 19(1)(8)(सी) के अंतर्गत बनाए गए मासिक आय प्लान 2000 (द्वितीय) का पेशकश दस्तावेज, जिसे 18 जनवरी, 2000 को परिचालन संकल्प द्वारा अनुमोदिन किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

एस चटर्जी
उप महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
मासिक आय प्लान 2000 (सेकंड)
पेशकश (ऑफर) दस्तावेज

पेशकश 19 मई, 2000 से 24 जून, 2000 तक खुली है

यूटीआई मासिक आय प्लान 2000 (सेकंड)

मासिक आय प्लान 2000 (सेकंड) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1)(8)(सी) के अंतर्गत बनाया गया है जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई यूनिट योजना, मासिक आय योजना 2000 (सेकंड) के संबंध में है। यह पेशकश दस्तावेज योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है जिसे भावी निवेशक निवेश करने से पहले जानना चाहते हैं। पेशकश दस्तावेज भविष्य के संदर्भ हेतु रखे जाने चाहिए।

योजना के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम,1996 के अनुसार तैयार किए गए हैं, यथा तिथि तक संशोधित एवं सेबी के पास पंजीकृत हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।

प्लान का उद्देश्य

यह एक आयोन्मुख प्लान है । प्लान का उद्देश्य मासिक/वार्षिक आधार पर नियमित आय प्रदान कर अथवा 4 वर्ष 9 महीने की अवधि के दौरान आय की संवृद्धि को उपलब्ध करा कर निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

विशिष्टताएं

- यह चार वर्ष नौ महीने की अवधि वाला एक नियत कालिक आय प्लान है।
- यह प्लान निवासियों तथा अ-निवासियों दोनों के लिए खुला है।
- इस प्लान के तहत तीन विकल्प हैं : 1) मासिक आय विकल्प 2) वार्षिक आय विकल्प एवं 3) संचयी विकल्प।

- यूनिट का अंकित मूल्य रु. 10/- है एवं यूनिटों की बिक्री सम-मूल्य पर की जाएगी।

- न्यूनतम निवेश रु. 10,000/- है। अधिकतम कोई सीमा नहीं है।

- तीनों विकल्पों के अंतर्गत आय वितरण की घोषणा एवं आय वितरण वारंटों का प्रेषण/आय वितरण का संचयन इस प्रकार किया जाएगा:

विकल्प	लागू अवधि	आय वितरण की दर	वारंट/वारंटों का प्रेषण/ आय का संचयन
मासिक आय	जुलाई 2000 - मार्च 2001	9.25% प्र.व.	सदस्यता सूचना के साथ
	अप्रैल 2001 - जून 2001	9.25% प्र.व.	मार्च/अप्रैल 2001
	जुलाई 2001 - मार्च 2002	मार्च 2001 में घोषित किया जाएगा।	मार्च/अप्रैल 2001
	2005 तक प्रत्येक उत्तरवर्ती अप्रैल - मार्च अवधि हेतु	प्रत्येक वर्ष मार्च माह में घोषणा की जाएगी	मार्च/अप्रैल 2002 और तदुपरांत
वार्षिक आय	जुलाई 2000- जून 2001	9.65% प्र.व.	जून 2001
	जुलाई 2001 - मार्च 2002	मार्च 2001 में घोषित किया जाएगा।	मार्च/अप्रैल 2002
	2005 तक प्रत्येक उत्तरवर्ती अप्रैल - मार्च अवधि हेतु	प्रत्येक वर्ष मार्च माह में घोषणा की जाएगी	मार्च/अप्रैल 2003 और तदुपरांत
संचयी (आय का संचयन किया जाएगा)	जुलाई 2000 - जून 2001	9.65% प्र.व.	जून 2001
	जुलाई 2001 - मार्च 2002	मार्च 2001 में घोषित किया जाएगा।	मार्च/अप्रैल 2002
	2005 तक प्रत्येक उत्तरवर्ती अप्रैल - मार्च अवधि हेतु	प्रत्येक वर्ष मार्च माह में घोषणा की जाएगी	मार्च/अप्रैल 2003 और तदुपरांत

- आवेदन की स्वीकृति तिथि से 30 जून, 2000 तक की अवधि हेतु तीनों विकल्पों के अंतर्गत आनेवाले निवेशकों को 9.25% प्रति वर्ष की दर से आय वितरण का भुगतान किया जाएगा।

- आय वितरण 22 केंद्रों पर ईसीएस के जरिए तथा अन्य स्थानों पर आय वितरण वारंटों को जारी करके किया जाएगा।

- अभिदान बंद हो जाने की तिथि से छः माह के भीतर योजना की यूनिटों को एनएसई के थोक ऋण खंड पर सूचीबद्ध कराया जाएगा।

- तीनों विकल्पों के अंतर्गत पुनर्खरीद 1 जुलाई, 2003 से एनएवी आधारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जा सकती है।

- **जब यूनिटों का प्रतिदान एनएवी या सम-मूल्य, जो भी अधिक हो, पर किया जाएगा, योजना में निवेशित पूंजी परिपक्वता पर सुरक्षित रहेगी। ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) द्वारा इस पूंजी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। 01 जुलाई, 2003 से 31 मार्च, 2005 के बीच किए गए पुनर्खरीदों के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं है तथा ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित शुद्ध आस्ति मूल्य के अनुसार होगा।**

- एनआरआई तथा ओसीबी निवेशकों को देय आय वितरण और पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय हैं, जहां निवेश विदेशों में विप्रेषण के माध्यम से या अपने एनआरई खाते को नामे करके अथवा एफसीएनआर जमाओं की राशि से चेक/ड्राफ्ट जारी करके किया गया हो और ऐसे भुगतान/ विप्रेषण के समय निवेशक अनिवासी बना रहता हो।

- वर्तमान में ट्रस्ट के सभी योजनाओं/प्लानों के अंतर्गत सभी वर्गों के निवेशकों को प्राप्त होने वाला आय वितरण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (33) के अंतर्गत कर से पूरी तरह मुक्त होगा ।

- प्रचलित कर कानूनों के अनुसार सभी निवेशकों के लिए यूटीआई द्वारा वितरित आय पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी, भले ही निवेशक को योजना से प्राप्त होने वाली आय कितनी भी क्यों न हो। वित्त अधिनियम 2000 के अनुसार प्लान को 01.06.2000 के बाद वितरित आय, यदि कोई हो, पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 आर के अंतर्गत, 20% आय वितरण कर तथा उस पर 10% अधिभार अदा करना आवश्यक है।

- योजना के अंतर्गत निवेश का मूल्य धनकर की उगाही से पूर्णतया मुक्त है।

- उपहार कर अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 01 अक्तूबर, 1998 को या उसके बाद दिए गए उपहारों के संबंध में उपहार कर की उगाही को समाप्त कर दिया गया है। अतः यूटीआई के यूनिटों के उपहार पर उपहार कर की उगाही नहीं होगी।

- पूंजी वृद्धि से होने वाला पूंजीगत अभिलाभ, यदि कोई हो, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 एवं 112 के अंतर्गत कर लाभ के अधीन होगा।

- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54ईए के अंतर्गत 31/3/2000 तक बेची/अंतरित की गई दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से होने वाली बिक्री प्राप्तियां निवेश के लिए पात्र होंगी बशर्ते

ऐसा निवेश ऐसी बिक्री/अंतरण के छ: महीने के भीतर किया जाए, ऐसे निवेश से प्राप्त होने वाली यूनिटों की पुनर्खरीद/ अंतरण/गिरवी योजना के प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्षों की अवरुद्ध अवधि समाप्त होने के बाद ही किया जा सकता है।

II. नियत तत्परता प्रमाणपत्र

एफआईपी 2000 (सेकंड) हेतु सेबी को प्रस्तुत किया गया नियत तत्परता प्रमाणपत्र

इस बात की पुष्टि की जाती है कि :

I. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को भेजा गया पेशकश दस्तावेज का ड्राफ्ट सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 एवं समय-समय पर सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं निर्देशों के अनुसार है ;

II. इस योजना के प्रारंभ किए जाने से संबंधित सभी विधिक आवश्यकताएं एवं साथ ही इस संबंध में सरकार या अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश, निर्देश आदि का विधिवत् अनुपालन किया गया है ;

III. पेशकश दस्तावेज में किए गए प्रकटीकरण सत्य, उचित एवं प्रस्तावित योजना में निवेश के लिए निवेशकों को सोच समझकर निर्णय लेने में सहायता देने के लिए पर्याप्त है ;

IV. पेशकश दस्तावेज में उल्लिखित सभी बिचौलिए सेबी के साथ पंजीकृत हैं और आज की तिथि के अनुसार ऐसा पंजीकरण वैध है।

दिनांक : 23.02.2000
स्थान : मुंबई

हस्ताक्षर

ह/-
अजीत प्रसाद
अनुपालन अधिकारी

मुहर के साथ

III. परिभाषाएं

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) "वैकल्पिक आवेदक" का अर्थ नाबालिग के मामले में माता-पिता के अलावा उस माता-पिता से है जिन्होंने नाबालिग की ओर से आवेदन किया हो।

(घ) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो अवयस्क नहीं होगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित वैकल्पिक आवेदक सहित जब मानसिक विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिटों की बिक्री की गयी हो और प्लान के खण्ड V के अंतर्गत आवेदन करता हो।

(ङ) चार वर्ष नौ माह की अवधि वाली योजना/प्लान की "प्रारंभ होने की तिथि" 01 जुलाई, 2000 है।

(च) "पात्र संस्था" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है।

(छ) "फर्म", "भागीदार" और "भागीदारी" के अर्थ भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में दिए गए अर्थ हैं, परंतु अभिव्यक्त भागीदार में कोई भी व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है, जो नाबालिग हो और जिसे भागीदारी के लाभ प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया हो।

(ज) "सूचीबद्धता" का अर्थ एनएसई के थोक ऋण खंड या अन्य किसी स्टॉक एक्सचेंज/खंड, जैसा कि सेबी के अनुमोदन से निश्चित किया जाए, पर व्यवसाय करने के प्रयोजन से यूनिटों का सूचीबद्ध किया जाना है।

(झ) योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में "सदस्य" के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ और इसमें शामिल उस आवेदक से है, जिसे इस योजना में यूनिट आबंटित किए गए हों।

(ञ) "मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति" का अर्थ वह व्यक्ति है, जो ऐसी मानसिक अक्षमता से ग्रस्त हो, जो उसे जीवन के सामान्य कार्य करने से वंचित रखती हो।

(ट) "अनिवासी भारतीय (एनआरआई)" का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों से है। जैसा कि मूलत: अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, किसी भी व्यक्ति

को "भारतीय मूल का व्यक्ति" माना जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता या पितामह-पितामही में से कोई भी, श्रेणी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे पितृपक्ष या मातृपक्ष से हो, भारत में जन्मा हो/जन्मी हो।

(ठ) "जारी समझे जानेवाले यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की कुल संख्या है।

(ड) "विदेशी निगमित निकाय" (ओसीबी) के अंतर्गत विदेशी कंपनियां, भागीदारी फर्म, समितियाँ और अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम 60% तक की सीमा का स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयता अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेशी ट्रस्ट जिनमें कम से कम 60% लाभप्रद हित अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हो, शामिल हैं।

(ढ) "व्यक्ति" में ऊपर यथापरिभाषित पात्र संस्था शामिल है।

(ण) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकें।

(त) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964 है।

(थ) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड।

(द) "समिति" का अर्थ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्थापित समिति या फिलहाल प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत स्थापित अन्य कोई समिति है।

(ध) "ट्रेडिंग" का तात्पर्य यूनिटों के पहले आबंटन के बाद शेयर बाजार के जरिए यूनिटों की खरीद अथवा बिक्री में व्यवहार से है।

(न) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है।

(प) "यूनिट पूंजी" का तात्पर्य फिलहाल यूनिट योजना के अंतर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है।

(फ) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है।

(ब) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में दिये गये हैं।

अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (xii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (xiii)अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (xiv) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) (xv) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा) (xvi) उपाध्यक्ष, शासी मंडल - इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ बैंकर्स (xvii) निदेशक - राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (xviii) निदेशक - भारतीय आयात-निर्यात बैंक (xix) निदेशक - साधारण बीमा निगम (xx) सदस्य, शासी मंडल एवं अध्यक्ष, वित्त समिति - राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्था, (xxi) सदस्य, शासी मंडल एवं अध्यक्ष, वित्त समिति एवं कार्यालय परिसर समिति एवं आईबीपीएस कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासक समिति - बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (xxii) सदस्य - बैंकिंग टेक्नॉलोजी विकास एवं अनुसंधान संस्था (xxiii) निदेशक - इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास वित्त निगम (xxiv) निदेशक - इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग एवं फाइनेंस सर्विसेज़ लि. (xxv) निदेशक - भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम।

8. **श्री के सी चौधरी -** (i) अध्यक्ष - बैंक अंकेक्षण पर लघु समूह, भारतीय बैंक संघ, (ii) अध्यक्ष - बैंकिंग परिचालन, भारतीय बैंक संघ, (iii) अध्यक्ष - ऋण संबंधी मामलों पर लघु समूह, भारतीय बैंक संघ, (iv) अध्यक्ष - आईबीए व्यापार निकाय/संघों के साथ समन्वय हेतु कार्य समूह, (v) अध्यक्ष - भारतीय बैंक संघ (vi) सदस्य - प्रबंध समिति, भारतीय बैंक संघ - (vii) अध्यक्ष - सेंटबैंक गृह वित्त लि. (viii) अध्यक्ष - सेंटबैंक फाइनेंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेज लि., (ix) निदेशक - भारतीय कृषि वित्त निगम , (x) निदेशक - मास्टरकार्ड एशिया/पेसेफिक बोर्ड, (xi) निदेशक - द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि., (xii) सदस्य - टास्क फोर्स, भारतीय बैंक संघ।

9. **डॉ. राकेश मोहन -** (i) अध्यक्ष- रेलवे विशेषज्ञ समूह, (ii) सदस्य - प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, (iii) सदस्य - राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मंडल, (iv) अंशकालिक सदस्य - टेलिकाम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, (v) सदस्य - राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, (vi) सदस्य

- कमिटी ऑन कंपिटिशन लॉ एण्ड एमआरटीपी एक्ट, (vii) सदस्य - बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इंस्टिट्यूट ऑफ इकार्नामिक ग्रोथ, नई दिल्ली, (viii) सदस्य - लोकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रेसनर बैंक, (ix) ऑनररी विजिटिंग प्रोफेसर - इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली (x) निदेशक - इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फाइनांस कार्पोरेशन, चेन्नई, (xi) सदस्य - न्यासी मंडल, आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान संस्था, तंजानिया, (xii) निदेशक - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक , लखनऊ, (xiii) सदस्य सचिव - लघु उद्योग पर विशेषज्ञ समिति, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, 1996, (xiv) सदस्य - टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, (xv) अध्यक्ष - राष्ट्रीय लेखों हेतु सलाहकार समिति, सांख्यिकीय विभाग, भारत सरकार, (xvi) सदस्य - सार्वजनिक उद्यम विभाग, राजस्थान सरकार।

निधि का प्रबंधन -

श्री ए वी एस रामानुजन, प्रबंधक निधि प्रबंधक होंगे।

योग्यता : एम. एससी. (टेक.), पीजीडीएम

अनुभव एवं पृष्ठभूमि : जून 1996 से आज तक निधि प्रबंधन विभाग में कार्यरत हैं। यह विभाग घरेलू आय उन्मुख योजनाओं के निधि प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

साथ ही, जुलाई 1991 से जुलाई 1993 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. में इंजीनियर के पद पर कार्य किया है।

XVIII. योजना के लिए अन्य सेवाएं देने वाले

1. अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई -400 021 में स्थित है।

अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/फ़ंडों/प्लानों की सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें। अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे। जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा।

अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोर्टें अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/फ़ंडों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे।

भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि. (एसएचसीआईएल) का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर आईएन/सीयूएस/011 है।

एसएचसीआईएल शुल्क की दर इस प्रकार है :

	इलेक्ट्रॉनिक	वास्तविक
डीमैटिरियलाजेशन	रु. 5 प्रति प्रमाणपत्र	-
खरीद	कारोबार मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु	प्रति डीआईपी रु. 100
बिक्री	कारोबार मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु	प्रति डीआईएस रु. 100
अभिरक्षा	अभिरक्षा में आस्ति मूल्य पर 1.5 आधार बिंदु	अभिरक्षा में आस्ति मूल्य पर 8 आधार बिंदु
गैर बाजार खरीद	कारोबार मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु	-
गैर बाजार बिक्री	कारोबार मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु	-
रीमैटिरियलाइजेशन	प्रति प्रमाणपत्र 15 रुपए अथवा परिवर्तन मूल्य के 15 आधार बिंदु, जो भी अधिक हो।	-

2. लेखा परीक्षक

मेसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, 60 बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता 700 069 एवं मेसर्स बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित, सनदी लेखाकार , नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग, 204, डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 । योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं।

3. रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

(i) मेसर्स यूटीआई आईएसएल लि. (सेबी रजिस्ट्रेशन सं. आईएनआर 00000121) को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ii) यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों, अंतरण फार्मों एवं पुनर्खरीद अनुरोधों को संसाधित करने, सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्रों एवं आय वितरण वारंटों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की पर्याप्त क्षमता है।

(iii) आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवाएं रजिस्ट्रार की निम्नलिखित शाखाओं द्वारा प्रदान की जाएंगी :

पश्चिमी अंचल : प्लॉट सं. 369, मरोल मरोशी रोड, मरोल मरोशी बस डिपो के समीप, विजय नगर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059.

पूर्वी अंचल : बॉम्बे म्यूचुअल बिल्डिंग, 4 थी मंजिल, 9, बीटीएम सरणी, ब्रेबोर्न रोड, इंडिया टी बोर्ड के सामने, डलहौसी स्क्वेयर, कलकत्ता 700001.

दक्षिणी अंचल : 45, जस्टिस बशीर अहमद सय्यद बिल्डिंग, दूसरी लाइन बीच, चेन्नई 600 001.

उत्तरी अंचल (उत्तर प्रदेश को छोड़कर): 174/175, 1 ली मंजिल, राजेंद्र भवन, डीडीए, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008 .

लखनऊ (केवल उत्तर प्रदेश राज्य के लिए) : शॉप नं. 8 एवं 9, 2 री मंजिल, सरन चैम्बर्स 2, नं. 5, पार्क रोड, लखनऊ 226001.

4. संग्रहणकर्ता एवं भुगतानकर्ता बैंक

(i) भारतीय स्टेट बैंक अखिल भारतीय आधार पर संग्रहणकर्ता एवं भुगतानकर्ता बैंक के रूप में कार्य करेगा। चेक इस प्रकार लिखे जाएंगे कि वे अंचल के भीतर सम मूल्य पर देय हों। यूटीआई बैंक को संग्रहण एवं स्थानीय भुगतान तथा साथ ही सीमित स्थानों पर सम-मूल्य भुगतानों हेतु नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, केनरा बैंक भी दक्षिणी अंचल के लिए संग्रहणकर्ता एवं भुगतानकर्ता बैंक के रूप में कार्य करेगा।

(ii) आवेदन यूटीआई शाखा कार्यालयों, सीआर संग्रहण केंद्रों एवं विशेष बिक्री कार्यालयों में भी स्वीकार किए जाएंगे। यूटीआई शाखा कार्यालयों के पते अंतिम पृष्ठ पर दिए गए हैं। ओमान सल्तनत में

ओमान अंतर्राष्ट्रीय बैंक की चुनी हुई शाखाएं, अनिवासियों से आवेदन पत्रों का संग्रहण करने हेतु नियुक्त की गई हैं। सभी अनिवासी आवेदन प्रमुख रूप से मुंबई कार्यालय द्वारा व्यावहारित तथा संसाधित किए जाएंगे।

बैंकों के मुख्य व्यापार के पते :

भारतीय स्टेट बैंक
(विकास एवं व्यक्तिगत बैंकिंग)
(आईएनबी 100000038)
स्थानीय मुख्य कार्यालय, मादाम कामा रोड,
पो. बॉ. नं 10003, मुंबई - 400 021

यूटीआई - बैंक लि.
(आईएनबी 100000017)
केंद्रीय कार्यालय, मेकर टॉवर - 'एफ'
13वीं मंज़िल, कफ परेड, कोलाबा,
मुंबई - 400 005.

ओमान अंतर्राष्ट्रीय बैंक
एस.ए.ओ.जी
1-ए, मित्तल कोर्ट, नरीमन प्वाइंट,
मुंबई - 400 021

XIX. निवेशकों की शिकायतों का निवारण

1. सभी निवेशक अपनी शिकायतें निवेश संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए संबंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

पश्चिमी अंचल :

सुश्री तन्वी उपाध्ये/
श्री प्रकाश सहस्त्रबुद्धे
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
'जीएन' ब्लाक, बान्दरा-कुर्ला कॉम्पलेक्स
बान्दरा (पूर्व), मुंबई 400 051

पूर्वी अंचल :

श्री एम ओ पनीक्कर
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
4 फेयरली प्लेस, 1 ली मंजिल,
पोस्ट बॉक्स सं. 60
कलकत्ता-700 001

टेली : 652 0850

टेली : 220 3047

दक्षिणी अंचल :

सुश्री जयसुधा के
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
यूटीआई हाउस, 29, राजाजी सालै,
चेन्नई-600 001
टेली : 5260146

उत्तरी अंचल :

श्री डी के गांधी
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
हेरॉल्ड हाउस, 2री मंजिल,
5ए, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली 110 002
टेली : 332 1801/3315574

2. निवेशकों की शिकायतों, जिनका निवारण किया गया, का रिकॉर्ड

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतें, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, इस प्रकार हैं:

अवधि	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
01-04-96 से 31-03-97	470169	447495	22675	4.82%
01-04-97 से 31-03-98	551929	539318	12611	2.28%
01-04-98 से 31-03-99	287260	274580	12680	4.41%

01-04-99 से 31-03-2000 तक की अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, उनका योजनावार विवरण नीचे दिया गया है :

योजना	**शिकायतों की संख्या**			**कुल प्राप्त में से**
	प्राप्त शिकायतें	**जिनका निवारण किया गया**	**निवारणाधीन**	**निवारणाधीन शिकायतें %**
सीसीसीएफ	673	[illegible]	10	1.49
सीजीजीएफ	7671	[illegible]	81	1.06
सीजीयूएस-91	45	[illegible]	1	2.22
सीआरटीएस	348	[illegible]	5	1.44
डीआईपी-91	911	[illegible]	5	0.55
डीआईयूपी-93	2303	[illegible]	21	0.91
डीआईयूपी-95	241	[illegible]	0	0.00
डीआईयूएस-90	113	[illegible]	0	0.00
डीआईयूएस-91	40	40	0	0.00

डीआईयूएस-92	65	61	4	6.15
ईओएफ	54	52	2	3.70
ईटीएस प्लान	22	19	3	13.64
जीसीजीआई	1832	1777	55	3.00
जीएमआईएस-91	456	437	19	4.17
जीएमआईएस-92 (I)	103	96	7	6.80
जीएमआईएस-92 (II)	420	415	5	1.19
जीएमआईएस-बी-92	857	849	8	0.93
जीएमआईएस-बी-92(II)	129	126	3	2.33
ग्रैंडमास्टर-93	609	594	15	2.46
गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान	1128	1099	29	2.57
आवास यूनिट योजना	33	33	0	0.00
आईईएफ-97	14	14	0	0.00
आईआईएसएफयूएस 95,96,97	9	9	0	0.00
मास्टर इंडेक्स फंड	208	203	5	2.40
मास्टर वैल्यू यूनिट प्लान	5	5	0	0.00
मास्टरगेन-92	34513	33819	694	2.01
मास्टरग्रोथ-93	4488	4061	427	9.51
मास्टरप्लस-91	56067	54642	1425	2.54
मास्टरशेयर-86	17383	15132	2251	12.95
एमईपी-91	1656	1602	54	3.26
एमईपी-92	8576	8273	303	3.53
एमईपी-93	5514	5409	105	1.90
एमईपी-94	5345	5227	118	2.21
एमईपी-95	5462	5351	111	2.03
एमईपी-96	1982	1949	33	1.66
एमईपी-97	109	104	5	4.59
एमईपी-98	106	106	0	0.00
एमईपी-99	39	39	0	0.00
एमआईपी 2000	6	6	0	0.00
एमआईपी-93	1294	1282	12	0.93
एमआईपी-94(I)	398	391	7	1.76
एमआईपी-94(II)	621	615	6	0.97
एमआईपी-94(III)	1950	1885	65	3.33
एमआईपी-95	551	550	1	0.18
एमआईपी-95(II)	441	439	2	0.45
एमआईपी-95(III)	352	347	5	1.42
एमआईपी-96	277	276	1	0.36
एमआईपी-96(II)	630	629	1	0.16
एमआईपी-96(III)	564	555	9	1.60
एमआईपी-96(IV)	7386	7284	102	1.38
एमआईपी-97	784	779	5	0.64

एमआईपी-97(II)	1105	1096	9	0.81
एमआईपी -97(III)	1679	1664	15	0.89
एमआईपी -97(IV)	904	883	21	2.32
एमआईपी -97(V)	348	347	1	0.29
एमआईपी 98	1972	1945	27	1.37
एमआईपी -98(II)	1025	1010	15	1.46
एमआईपी -98(III)	6268	6178	90	1.44
एमआईपी -98(IV)	1573	1565	8	0.51
एमआईपी -98(V)	6670	6624	46	0.69
एमआईपी -99(I)	934	919	15	1.61
एमआईपी -99(II)	388	359	29	7.47
एमआईएस-बी-93	432	426	6	1.39
एमआईएसजी-90(I)	680	651	29	4.26
एमआईएसजी-90(II)	1999	1983	16	0.80
एमआईएसजी-91	2199	2169	30	1.36
मनी मार्केट फंड	2	2	0	0.00
एन.आर.आई. फंड	68	68	0	0.00
निफ्टी	1	1	0	0.00
ओमनी-प्लान	21	20	1	4.76
प्राइमरी इक्विटी फंड	1017	987	30	2.95
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	2029	1944	85	4.19
सेवानिवृत्ति लाभ प्लान	1047	1021	26	2.48
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	311	295	16	5.14
यूजीएस-10000	731	707	24	3.28
यूजीएस-2000	2620	2522	98	3.74
यूजीएस-5000	2027	1934	93	4.59
यूलिप	11342	10996	346	3.05
यूएस -64	38949	38493	456	1.17
यूएस -92	857	852	5	0.58
यूटीआई बॉण्ड फंड	503	478	25	4.97
यूटीआई जी-सेक फंड	126	120	6	4.76
यूटीआई -जीएसएफ	721	680	41	5.69
कुल	**265331**	**257702**	**7629**	**2.88**

(iii) शिकायतें लंबित रहने के कारण :

(क) संग्रहणकर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना।

(ख) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण

(ग) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना / अद्यतन नहीं किया जाना।

(घ) मार्ग में ही खो जाना।

(ङ) डाक सेवा में विलंब

(च) अंतरण / मृत्यु दावों / पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(छ) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा

(ज) कमीशन प्राप्त न होना / विलंब से प्राप्त होना

(झ) पत्रों / दस्तावेजों को गलत कार्यालय / रजिस्ट्रार को भेजा जाना।

XX. जुर्माना, लंबित मुकदमा, निरीक्षणों / जांच-पड़तालों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

1. भारतीय यूनिट ट्रस्ट / न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी में से किसी (विशिष्टत: निधि प्रबंधक) के प्रति सेबी अधिनियम या उसकी कोई विनियमों के अंतर्गत सेबी द्वारा या किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा (जहां यूटीआई की योजना की यूनिटें सूचीबद्ध हैं)जुर्माना लगाने का कोई मामला नहीं है।

2. न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुकदमे की कार्यवाही लंबित नहीं है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी के प्रति कोई अपराधिक मामला लंबित नहीं है।

3. न तो सेबी और न ही किसी अन्य नियामक एजेन्सी ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के परिचालनों या सिस्टम्स में किसी कमी को पेशकश दस्तावेज़ में दर्शाए जाने की विशेष रूप से सलाह दी है।

4. भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल / न्यासी या मुख्य कर्मी के प्रति सेबी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन कोई पूछताछ / अधिनिर्णय की कार्यवाही नहीं है।

XXI. लीप ईयर में वाई2के के संदर्भ में सफलता

यूटीआई की आईटी प्रणालियों ने एक और सफलता हासिल की है - अधि वर्ष सफलता। इसके सभी शाखा कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्पोरेट कार्यालय में सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में 29 फरवरी 2000 और उसके बाद 1 मार्च 2000 की तिथि सफल रूप से पार की गई। नेटवर्किंग कनेक्टिविटी भी सामान्य रूप से कार्यरत है। सभी रजिस्ट्रारों और अंतरण एजेंटों के यहां भी सामान्य तौर पर कामकाज किया गया।

XXII. संक्षिप्त वित्तीय जानकारी

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रारंभ की गई सभी योजनाओं हेतु वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 तथा 31/12/1999 को समाप्त छमाही के लिए संक्षिप्त वित्तीय जानकारी संलग्न है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
के न्यासी मंडल के लिए
और की ओर से

ह/-
(बी.जी. डागा)
कार्यपालक निदेशक
व्यवसाय विकास एवं विपणन
स्थान : मुंबई
दिनांक : 10-03-2000

संक्षिप्त वित्तीय जानकारी

(i) पूर्ववर्ती प्रति यूनिट आंकड़े

योजना (आबंटन की तिथि)	एमएमएमएफ(23-04-97)££				एमआईपी 96 (III) (01.10.96)				डीआईपी-91 (15.10.96)			
	1996-97	1997-98	1998-99	31.12.99	1996-97	1997-98	1998-99	31.12.99	1996-97	1997-98	1998-99	31.12.99
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	10.17	11.2316	12.47	10.00	ƒ11.51 ¶10.21	ƒ13.30 ¶10.13	ƒ15.17 ¶10.06	10.00	@10.60 $11.42 &11.38	@9.21 $12.65 &12.59	@10.24 $13.43 &15.77
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.14	0.74	0.70	0.80	0.90	1.44	1.32	0.81	1.18	1.41	1.45	0.96
3. आय वितरण (%) प्र.व.	--	--	--	—	15.00	#13.00	£10.75	10.75	15.00	15.00	£10.85 $28.00	@10.85 $28.00
4. प्रारक्षितों मे अंतरण (यदि कोई हो)	--	0.79	0.70	0.80	-0.08	0.37	0.39	0.35	0.75	1.17	1.00	0.71
5. वर्ष के अंत में एनएवी	10.17	11.2316	12.4685	13.08	ƒ11.51 ¶10.21	ƒ13.30 ¶10.13	ƒ15.17 ¶10.06	ƒ16.81 ¶10.41	@10.60 $11.42 &11.38	@ 9.21 $ 12.65 & 12.59	@10.24 $13.43 &15.77	@10.52 $12.37 &18.09
6. वार्षिकीकृत आय (%)	Ψ1.70	10.41	10.62		Ψƒ15.10 ¶13.25	ƒ17.75 ¶16.58	ƒ16.39 ¶15.18	ƒ17.33 ¶15.62	Ψ@16.63 $14.20 &13.80	@10.87 $ 14.77 & 14.45	@15.59 $19.75 &18.33	@15.75 $17.46 &20.27
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	37.99	105.39	302.29	202.5984	416.50	413.56	429.10	436.39	241.41	254.44	291.70	320.45
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात (%)	0.001	0.002	0.11	0.27	0.008	0.010	1.04	0.52	0.007	0.009	0.82	0.37

योजना (आबंटन की तिथि)	आईआईएसएफयूएस-96 (01.01.97)				एमआईपी 96 (IV) (01.01.97)				एमईपी -97 (31.03.97)			
	1996-97	1997-98	1998-99	31.12.99	1996-97	1997-98	1998-99	31.12.99	1996-97	1997-98	1998-99	31.12.99
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	11.09	10.60	10.85	10.00	ƒ11.03 ¶10.21	ƒ12.01 ¶9.45	ƒ14.06 ¶9.66	10.00	12.09	9.70	11.67
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	1.01	1.42	1.59	1.07	0.67	1.31	1.34	0.66	0.11	0.71	-1.88	1.27
3. आय वितरण (%) प्र.व.	16.00	16.00	14.00	14.00	15.00	#13.00	£10.75	10.75	--	--	—	—
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	0.05	- 0.16	0.15	0.37	0.02	0.27	0.52	0.25	—	0.82	-1.87	1.27
5. वर्ष के अंत में एनएवी	11.09	10.60	10.85	12.00	ƒ11.03 ¶10.21	ƒ12.01 ¶9.45	ƒ14.06 ¶9.66	ƒ15.55 ¶9.99	12.09	9.70	11.67	*14.98
6. वार्षिकीकृत आय (%)	Ψ18.90	20.04	18.59	21.00	Ψƒ10.30 ¶9.60	ƒ13.05 ¶11.97	ƒ14.65 ¶13.53	ƒ15.87 ¶14.30	Ψ20.90	-2.37	7.11	15.84
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	206.50	174.06	178.07	197.54	891.29	841.61	888.93	929.93	88.69	71.14	85.55	110.96
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात (%)	0.003	0.003	0.29	0.13	0.007	0.011	1.06	0.52	0.006	0.011	0.95	0.50

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी-97 (01.05.97)				एमआईपी-97(II) (01.07.97)				आईआईएसएफयूएस-97 (01.07.97)			
	1996-97	1997-98	1998-99	31.12.99	1996-97	1997-98	1998-99	31.12.99	1996-97	1997-98	1998-99	31.12.99
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	ƒ10.09 ¶9.85	ƒ9.31 ¶9.06	9.17 8.59	10.00	10.09	ƒ9.50 ¶9.25	ƒ9.50 ¶8.73	10.00	10.14	9.48	9.74
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.25	1.02	0.51	1.22	0.11	1.08	0.69	1.22	0.12	1.07	1.40	1.36
3. आय वितरण (%) प्र.व.	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	-0.06	- 0.29	-0.86	0.78	0.03	- 0.08	-0.75	0.87	--	- 0.49	-0.25	1.34
5. वर्ष के अंत में एनएवी	ƒ10.09 ¶9.85	ƒ9.31 ¶9.06	ƒ9.17 ¶8.59	10.59 9.05	10.09	ƒ9.50 ¶9.25	ƒ9.50 ¶8.73	ƒ11.31 ¶9.51	10.14	9.48	9.74	11.62
6. वार्षिकीकृत आय (%)	Ψƒ 0.90 ¶0.83	ƒ5.00 ¶6.40	ƒ8.71 ¶8.33	12.94 11.47	--	ƒ5.65 ¶6.96	ƒ10.20 ¶8.45	ƒ15.87 ¶13.03	--	9.05	13.80	18.15
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	1195.73	1118.75	1145.98	1261.64	1462.16	1478.46	1545.74	1771.24	685.15	640.48	666.05	805.7
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात (%)	0.006	0.012	1.13	0.50	0.001	0.011	1.05	0.46	0.000	0.005	0.43	0.18

योजना (आबंटन की तिथि)	आईईएफ (01.08.97)				एमआईपी-97(III) (01.09.97)			एमआईपी-97(IV) (01.11.97)		
	1996-97	1997-98	1998-99	31.12.99	1997-98	1998-99	31.12.99	1997-98	1998-99	31.12.99
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	10.00	9.33	14.94	--	ƒ9.70 ¶9.38	ƒ9.98 ¶9.40	--	ƒ9.99 ¶9.53	ƒ10.36 ¶9.67
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.00	0.00	1.14	1.38	0.84	1.02	1.28	0.81	0.89	0.99
3. आय वितरण (%) प्र.व.	--	--	--	--	13.00	13.00	13.00	12.50	12.50	12.50
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	--	0.10	1.15	1.39	- 0.26	-0.31	0.78	0.01	-0.34	0.60
5. वर्ष के अंत में एनएवी	10.00	9.33	14.94	*19.56	ƒ9.70 ¶9.38	ƒ9.98 ¶9.40	ƒ11.63 ¶10.10	ƒ9.99 ¶9.53	ƒ10.36 ¶9.67	ƒ11.61 ¶10.08
6. वार्षिकीकृत आय (%)	--	-6.70	23.26	30.61	Ψ ƒ 4.81 ¶4.63	ƒ11.85 ¶10.51	ƒ16.58 ¶14.23	Ψƒ5.41 ¶3.64	ƒ13.72 ¶11.27	ƒ16.33 ¶13.62
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	31.28	30.91	49.48	65.76	829.79	873.84	965.19	924.40	997.61	1075.42
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात (%)	0.001	0.017	1.13	0.41	0.011	1.04	0.5	0.007	0.74	0.38

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी-97 (II) (01.01.98)			एमपी-98 (31.03.98)			आईआईएसएफयूएस-97(II) (01.02.98)			एमआईपी-98 (01.04.98)			एमआईपी-98(II)(01.07.98)			एमआरआई फंड (01.05.98)		
	1997-98	1998-99	31.12.99	1997-98	1998-99	31.12.99	1997-98	1998-99	31.12.99	1997-98	1998-99	31.12.99	1997-98	1998-99	31.12.99	1997-98	1998-99	31.12.99
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	--	f9.98 □10.27 ¶9.71	f10.08 □ 10.29 ¶9.64	--	8.35	11.59	--	9.74	10.14	--	f9.81 □ 9.74 ¶9.48	f10.41 □ 10.33 ¶10.09	--	--	f10.53 □ 10.06 ¶10.21	--	□ 9.94	f10.94 □ 10.92
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.70	0.65	0.88	0.23	-1.16	3.02	0.60	1.00	1.05	0.31	1.11	0.67	12.50	0.97	0.99	0.04	1.19	1.12
3. आय वितरण (%) प्र.व.	11.75	11.75	¶11.75 12.40	--	--	--	12.75	12.75	12.75	12.50	12.50	□f 13.25 ¶12.50	-0.07	12.50	□f 13.25 ¶12.50	13.50	13.50	13.50
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	0.27	-0.55	0.25	0.23	-1.13	3.02	-0.07	-0.39	1.04	-0.02	-0.11	0.30	9.75	-0.28	-0.28	-0.06	-0.15	1.13
5. वर्ष के अंत में एनएवी	f9.98 □10.27 ¶9.71	f10.08 □10.29 ¶9.64	f11.73 □ 10.48 ¶10.47	8.35	11.59	*15.91	9.74	10.14	11.29	f9.81 □ 9.74 ¶9.48	f10.41 □ 10.33 ¶10.09	f10.75 □ 10.67 ¶9.69	--	f10.53 ¶10.21 □ 10.06	f11.59 □ 11.07 ¶10.47	Δ 9.94	f10.94 □ 10.92	f11.55 □ 11.53
6. वार्षिकीकृत आय (%)	Ψf1.86 □ 2.70 ¶2.97	f10.22 □10.40 ¶9.98	f16.03 □ 14.66 ¶14.73	Ψ -16.50	12.53	30.43	Ψ 2.10	13.47	15.85	Ψf -2.60 □ -1.90 ¶-2.07	f14.11 □ 13.39 ¶14.03	f11.89 □ 11.55 ¶11.44	--	f15.65 □ 13.89 ¶15.51	f17.41 □ 16.01 ¶16.41	Ψ-0.60	f22.21 □ 21.05	f17.49 □ 17.08
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	475.12	490.53	536.11	18.06	25.12	37.99	656.31	688.35	777.37	928.05	1019.42	1014.39	770.12	901.65	962.64	63.45	75.97	80.22
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात (%)	0.006	1.02	0.48	0.012	2.63	0.69	0.004	0.41	0.19	0.01	1.03	0.56	--	1.03	0.49	0.01	0.91	0.41

योजना (आबंटन की तिथि)	आईआईएसएफयूएस-98(01.06.98)			यूजीएस 10000 (01.06.98)££			यूबीएफ (18.06.98)££			एमवीयूपी (01.07.98)		एमआईएफ ££ (01.06.98)	
	1997-98	1998-99	31.12.99	1997-98	1998-99	31.12.99	1997-98	1998-99	31.12.99	1998-99	31.12.99	1998-99	31.12.99
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	--	9.64	10.23	--	9.57	14.08	--	9.93	11.58	10.00	14.34	9.89	12.75
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.08	1.26	1.11	-0.41	1.29	2.09	-0.07	0.74	0.56	0.76	0.69	0.09	3.41
3. आय वितरण (%) प्र.व.	13.50	13.50	13.50	--	--	--	--	--	--	--		--	
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	-0.18	-0.22	1.12	-0.41	1.28	2.10	-0.07	0.76	0.56	0.76	0.69	0.17	3.41
5. वर्ष के अंत में एनएवी	9.64	10.23	11.95	9.57	14.08	*18.12	9.93	11.58	12.09	14.34	*22.50	12.75	*15.08
6. वार्षिकीकृत आय (%)	Ψ-2.48	15.75	21.36	Ψ-4.30	37.66	54.46	Ψ-0.70	13.53	11.66	43.40	71.96	25.38	31.60
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	944.49	1007.21	1205.03	67.40	131.00	147.19	136.39	690.50	999.79	143.59	233.11	198.01	168.02
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात (%)	0.00	0.41	0.18	0.05	2.08	1.18	0.01	1.10	0.81	1.19	0.36	2.14	0.89

योजना (आबंटन की तिथि)	एसआईएस (06.07.98)		एसआईपी 98 (III) (01.09.98)		एसएसईपी 98 (IV) (01.12.98)		आईआईएसएफयूएस 98 (II) (04.04.99)		एसएसईपी 98 (V) (01.02.99)		एसडीबी 99 (31.03.99)		बीएसएफ-ग्रोथ (27.05.99)££	बीएसएफ-फार्मा (27.05.99)££	बीएसएफ-सॉफ्टवेयर (27.05.99)££	बीएसएफ-पेट्रो (27.05.99)££	बीएसएफ-सर्विस (27.05.99)££	बी-सेक फंड (27.05.99)££	एसएसईपी 99 (01.06.99)
	1998-99	31.12.99	1998-99	31.12.99	1998-99	31.12.99	1998-99	31.12.99	1998-99	31.12.1999	1998-99	31.12.99	31.12.99	31.12.99	31.12.99	31.12.99	31.12.99	31.12.99	31.12.99
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	9.89	11.33	–	*f* 10.80	–	*f* 10.83	–	10.30	–	*f* 10.33	–	11.26	10.02	9.94	10.08	9.99	9.99		10.09
				□ 11.63		□ 11.26				□ 10.53									
				¶10.21		¶10.41				¶9.96									
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	1.31	0.51	1.10	0.86	0.90	1.40	0.92	0.99	–	0.73	0.47	7.68	2.15	-0.95	5.43	1.55	8.72	0.32	0.81
3. आय वितरण (%) प्र.व	–		12.00	□ *f* 13.25	12.50	□ *f* 13.25	14.00	14.00	–	□ *f* 13.25	–	--							□ *f* 11.25
				¶12.50		¶12.50				¶12.50									¶10.75
4 प्रतिभूतियों में अंतरण (यदि कोई हो)	1.34	0.50	0.26	0.26	0.28	0.28	-0.02	0.99	–	0.49	0.47	7.68	2.07	-0.94	5.42	1.54	9.08	0.32	0.62
5. वर्ष के अंत में एनएवी	11.33	11.76	*f* 10.80	*f* 12.02	*f* 10.83	*f* 12.19	*f* 10.30	*f* 11.99	*f* 10.33	*f* 11.44	11.26	*25.11	*11.85	*13.36	*22.00	*9.59	*17.77	104.81	*f* 11.74
			□ 11.63	□ 11.24	□ 11.26	□ 11.04	¶10.30	¶11.95	□ 10.53	□ 11.67									□ 11.72
			¶10.21	¶10.61	¶10.41	¶10.91			¶9.96	¶10.28									¶10.93
6 वार्षिकीकृत आय (%)	13.30	12.28	Ψ*f* 16.10	*f* 21.22	Ψ*f* 16.42	*f* 24.77	Ψ*f* 10.00	28.38	Ψ*f* 5.46	Ψ16.79	Ψ 12.6	Ψ151.10	Ψ18.50	Ψ33.60	Ψ120.00	Ψ-4.10	Ψ77.70		Ψ*f* 17.40
			□ 16.30	□ 19.27	□ 12.60	□ 21.87	¶10.20	27.49	□ 5.30	□ 16.70									□ 17.20
			¶13.18	¶17.98	¶11.39	¶22.07			¶4.81	¶14.26									¶14.68
7 अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	0.25	0.29	1439.45	1501.62	948.89	998.44	1158.06	1359.77	882.07	953.00	3.91	8.46	19.58	21.29	281.65	8.15	11.86	315.38	3122.21
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात (%)	1.90	2.27	0.98	0.49	0.78	0.51	0.30	0.20	0.59	0.54	1.09	0.98	1.76	3.95	1.14	1.29	0.75	0.39	0.51

f संचयी विकल्प

& पूंजी वृद्धि विकल्प

Ψ इन योजनाओं ने 30 जून को एक वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं की है, अतः इनकी आय वार्षिकीकृत नहीं

$ आवधिक आय विकल्प

@ छिमाही विकल्प

* एनएवी यथा 29.12.1999

ii) ट्रस्ट की योजनाओं द्वारा उधार लेने की कोई घटना नहीं है।

□ वार्षिक आय विकल्प

¶ अ-संचयी विकल्प

31.03.98 तक 15%

£ 31.03.1999 तक 13%

££ ये खुली योजनाएं होने के कारण इनकी आरंभ की तिथि दी गई है।

△ एकल एनएवी परिकलित की गई है।

पूर्ववर्ती आंकड़े प्रति यूनिट

योजनाएं	30.04.2000 को एनएवी	वार्षिकीकृत आय (%)
यूबीएफ	12.7003	12.82%
एसआईएफ	12.58	13.58%
आईआईएसएफयूएस-96*	12.09	19.42%
आईआईएसएफयूएस-97*	11.97	17.30%
आईआईएसएफयूएस-97(II)*	11.49	14.44%
आईआईएसएफयूएस-98*	11.90	17.49%
आईआईएसएफयूएस-98(II) *		
- संचयी विकल्प	11.85	19.74%
- आय विकल्प	11.82	19.38%
यूएनएफ*		
-संचयी विकल्प	11.97	16.66%
- वार्षिक विकल्प	11.95	16.27%
एमएमएमएफ $	13.5129	9.81%
एमईपी-97*	12.64	7.92%
एमईपी-98*	13.87	17.09%
एमईपी-99*	22.20	127.28%
यूजीएस-10000*	12.15	20.06%
आईईएफ*	19.01	25.40%
एमवीयूपी*	18.93	41.95%
एमआईएफ*	14.49	22.58%
एमआईपी -96(III)		
- असंचयी विकल्प	10.14	14.59%
- संचयी विकल्प	17.35	16.62%
एमआईपी-96(IV)		
- असंचयी विकल्प	9.81	13.54%
- संचयी विकल्प	16.18	15.54%
एमआईपी-97		
- असंचयी विकल्प	9.29	12.70%
- संचयी विकल्प	9.84	13.89%
एमआईपी-97(II)		
- असंचयी विकल्प	9.32	12.65%
- संचयी विकल्प	10.08	14.84%
एमआईपी-97(III)		
- असंचयी विकल्प	9.79	13.05%
- संचयी विकल्प	10.26	14.53%

योजनाएं	30.04.2000 को एनएवी	वार्षिकीकृत आय (%)
एमआईपी-97(IV)		
- असंचयी विकल्प	9.82	12.56%
- संचयी विकल्प	10.36	14.47%
एमआईपी-97(V)		
- मासिक विकल्प	10.02	12.50%
- संचयी विकल्प	10.31	12.99%
- वार्षिक विकल्प	10.48	12.74%
एमआईपी-98		
- मासिक विकल्प	10.23	14.32%
- संचयी विकल्प	10.37	14.65%
- वार्षिक विकल्प	8.81	14.11%
एमआईपी -98(II)		
- मासिक विकल्प	10.02	13.33%
- संचयी विकल्प	10.14	13.45%
- वार्षिक विकल्प	11.12	13.38%
एमआईपी -98(III)		
- मासिक विकल्प	10.47	16.09%
- संचयी विकल्प	10.87	18.31%
- वार्षिक विकल्प	11.67	17.86%
एमआईपी-98(IV)		
- मासिक विकल्प	10.48	16.71%
- संचयी विकल्प	10.67	17.69%
- वार्षिक विकल्प	11.09	17.10%
एमआईपी-98(V)		
- मासिक विकल्प	10.25	15.37%
- संचयी विकल्प	10.41	16.02%
- वार्षिक विकल्प	10.61	15.37%
एमआईपी-99 #		
- मासिक विकल्प	10.51	14.95%
- संचयी विकल्प	10.75	17.52%
- वार्षिक विकल्प	11.86	18.60%
डीआईपी - 91		
- तिमाही आय विकल्प	10.38	14.79%
- आस्थगित विकल्प	11.33	15.62%
- वृद्धि विकल्प	17.86	17.77%

* 26.04.2000 को एनएवी, $ 10.05.2000 को एनएवी,
# इन योजनाओं ने एक वर्ष पूर्ण नहीं किया है, इसलिए आय वार्षिकीकृत नहीं है।

XXIII विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) के अंतर्गत आश्वासित आय वाली योजनाओं के संबंध में विवरण यथा दिनांक 31.03.2000

(रुपए करोड़ में)

योजना का नाम	अवधि से	तक	आश्वासित आय की दर %	निवेशयोग्य निधियां यथा 31.03.2000	शुद्ध आय	आय वितरण	प्रारक्षित निधि यथा 31.03.2000
एमआईपी 97	01.05.97	30.06.97			28.95	35.37	
	01 07.97	30.06.98	14.00		124.49	153.57	
	01.07.98	30.06.99			66.55	159.10	
	01.07.99	31.03.2000		1150.42	334.83	157.78	-15.13
एमआईपी 97 II	*	30.06.97			15 29	19.54	
	01.07.97	30.06.98	14.00		170.34	184.33	
	01.07.98	30.06.99			116.33	200.71	
	01.07.99	31.03.2000		1491.84	331.63	207.70	-52.17
आईआईएमएफयूएस 97	*	30.06.97			7.91	14.77	
	01.07.97	30.06.98	15.00		72.57	98.89	
	01.07.98	30.06.99			95.88	113.89	
	01.07.99	31 03.2000		729.24	157.11	0.00	105.49
एमआईपी 97 III	*	30.06.97			0.00	0.21	
	01.09.97	30.06 98	13.00		73.40	96.86	
	01.07.98	30.06.99			92.48	108.55	
	01.07.99	31.03.2000		851.77	150.72	101.64	-15.30
एमआईपी 97 IV	01.11.97	30.06.98	12.50		76.69	75.57	
	01.07.98	30.06.99			88.62	111.72	
	01.07.99	31.03.2000		833.45	156.08	108.32	0.70
एमआईपी 97 V	01.01.98	30.06.98	11.75		33.33	20.53	
	01.07.98	30.06.99			31.93	47.94	
	01.07.99	31.03.2000		469.08	94.93	47.11	23.50
आईआईएसएफयूएस 97 II	01.02.98	30.06.98	12.75		40.68	45.58	
	01.07.98	30.06.99			67.52	96.04	
	01.07.99	31.03.2000		662.19	80.96	0.00	48.30
एमआईपी 98	01.04.98	30.06.98	12.50		30.02	31.59	
	01.07 98	30.06.99			110.7	111.79	
	01.07.99	31.03.2000		975.83	145.01	108.36	8.28
आईआईएसएफयूएस 98	01.06.98	30.06.98	13.50		8.16	25.85	
	01.07.98	30.06.99			123.95	147.51	
	01.07.99	31.03.2000		938.31	129.05	0.00	90.82
एनआरआई फंड	01.06.98	30.06.98	13.50		0.25	0.65	
	01.07.98	30.06.99			8.30	8.81	
	01.07.99	31.03.2000		61.94	12.60	0.00	11.16

एमआईपी-98 (II)	*	30.06.98			2.42	8.19	
	01.07.98	30.06.99	12.50		85.04	109.96	
	01.07.99	31.03.2000		893.65	86.41	64.2	-14.76
एमआईपी 98 (III)	01.09.98	30.06.99	12.50		147.41	113.07	
	01.07.99	31.03.2000		1356.14	204.84	122.52	70.46
एमआईपी 98 (IV)	01.12.98	30.06.99	12.50		79.70	55.28	
	01.07.99	31.03.2000		851.40	175.52	86.42	72.54
आईआईएसएफयूएस 98 (II)	01.01.99	30.06.99	14.00		103.88	106.57	
	01.07.99	31.03.2000		1147.73	121.05	0.00	118.56
एमआईपी 98 (V)	01.02.99	30.06.99	12.50		29.48	29.65	
	01.07.99	31.03.2000		806.58	114.76	89.32	1.97
सीजीजीएफ	01.07.98	30.06.99	14.00		210.77	502.33	
	01.07.99	31.03.2000		3727.36	409.15	2.95	-60.56
आरयूपी	01.07.98	30.06.99	20 वर्षों में 1500 रुपए 21000 रुपए बन जाते हैं		31.63	--	--
	01.07.99	31.03.2000		552.10	68.11	0.00	174.69
एमआईपी 99	01.06.99	30.06.99	10.75		23.59	30.52	
	01.07.99	31.03.2000		2434.93	282.52	118.03	153.31
सीजीजीएफ 86 (पुनरारंभ)	01.07.98	30.06.99	12.00		-2 63	1.31	
	01.07.99	31.03.2000		128.42	16.56	--	8.89
आरयूपी 99 (पुनरारंभ)	01.07.98	30.06.99	20 वर्षों में 1500 रुपए 15000 रुपए बन जाते हैं		-1.91	--	
	01.07.99	31.03.2000		49.04	5.19	0.00	3.28
एमआईपी 99-II $	01.07.99	31.03.2000		1209.87	85.56	35.23	-10.45
एमआईपी 2000 $	01.07.99	31.03.2000		902.73	63.60	16.58	3.15
योग :				**22224.02**			

* प्रारंभिक बिक्री अवधि से।

$ आय वितरण आश्वासित नहीं है, योजना में निवेशित पूंजी को परिपक्वता पर सुरक्षित रखा जाता है।

प्रबंधन दृष्टिकोण : उपरोक्त योजनाएं वर्ष 2002 से वर्ष 2005 तक विभिन्न तिथियों को परिपक्व हो जाएंगी और बाजार की स्थितियों में परिवर्तन के साथ नीचले कार्य निष्पादन वाले सिक्रपों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने काल्पनिक मूल्यह्रास को प्रतिवर्तित करके उचित मूल्य हासिल करेंगे। इसके अलावा, डेट एवं इक्विटी में सक्रिय कारोबार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे योजनाओं के प्रतिदान के लिए उचित बनने से पहले अपने मूल्य में वृद्धि करेंगे।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाईन्स), मुंबई-400 020. टेलि : 206 8468.

आंचलिक कार्यालय

●**पश्चिमी अंचल :** 'जीएन' ब्लाक, बान्दरा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्दरा (पूर्व), मुंबई-400 051. टेलि : 6520850. ●**पूर्वी अंचल :** 4, फेयरली प्लेस, पहली मंज़िल, पोस्ट बॉक्स नं. 60, कलकत्ता-700 001. टेलि : 220 9391. ●**दक्षिणी अंचल :** यूटीआई हाउस, 29, राजाजी सलई, चेन्नई-600 001. टेलि : 523 0986. ●**उत्तरी अंचल :** जीवन भारती (मेगा सेन्टर), 124, 13वीं मंज़िल, टावर II, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110 001. टेलि : 331 5574.

पश्चिमी अंचल के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

मुंबई मुख्य शाखा कार्यालय

सेंटर -1, 29 वीं मंजिल, कफ परेड, कुलाबा, मुंबई-400 005 • टेलि. 218 1600 / 218 0057

शाखाएं जहां आवेदन पत्र भेजे जा सकते हैं

अहमदाबाद : बी जे हाऊस, 2री, 3री और 4थी मंजिल, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद-380009. टेलि. : 6583043. • **बड़ौदा :** मेघधनुष, चौथी और पांचवीं मंजिल, ऑफ प्रिमाइसेस नं. 4, ट्रान्स्पेक सर्कल, रेस कोर्स मार्ग, बड़ौदा-390007. टेलि. : 336962. • **भोपाल :** पहली मंजिल, गंगाजमुना कमर्शियल काम्प्लैक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल-1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462001. टेलि. : 558 308. • **इन्दौर :** सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी मार्ग, इन्दौर-452001. टेलि. : 535607, • **मुंबई : (1)** यूनिट सं. 2, ब्लाक 'बी', जेवीपीडी स्कीम, गुलमोहर क्रॉस मार्ग नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400049. टेलि. : 6201995. • **मुंबई : (2)** पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आंध्र बैंक के ऊपर, प्लॉट सं. 74, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई - 400705. टेलि. : 7892126. • **मुंबई : (3)** लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा मार्ग, बैकबे रिक्लमेशन, मुंबई-400020. टेलि. : 2850821. • **मुंबई : (4)** श्रद्धा शॉपिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस वी मार्ग, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-400092. टेलि. : 8980521. **मुंबई : (5)** सागर बोनांज़ा, पहली मंजिल, खोत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई- 400086. टेलि. : 5162256. • **कोल्हापुर :** दूसरी मंजिल, अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, केएच-1/2, 'ई' वार्ड, दाबोलकर कार्नर, स्टेशन मार्ग, कोल्हापुर-416001. टेलि. : 657315, • **नागपुर :** श्री मोहिनी काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग, किंग्सवे, नागपुर-440001. टेलि. : 536893. • **नासिक :** सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम.जी. मार्ग, नासिक-422001. टेलि. : 572166. • **पणजी :** ई.डी.सी. हाऊस, भूतल, डॉ. ए बी मार्ग, पणजी, गोवा-403001. टेलि. : 222472. • **पुणे :** सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183-ए, फर्ग्युसन कालेज मार्ग, शिवाजी नगर, पुणे - 411005. टेलि. : 5535954. • **राजकोट :** 3री, 4थी एवं 5वीं मंजिल, लल्लूभाई सेन्टर, लखाजी राज मार्ग, राजकोट-360001. टेलि. : 235112. • **सूरतः** भूतल, सैफी बिल्डिंग, डच मार्ग, ननपुरा, सूरत-395001. टेलि. : 474550. • **ठाणेः** यूटीआई हाउस, ऑटो रिक्षा स्टैण्ड के सामने, रेलवे स्टेशन के पास, ठाणे (प.) -400601. टेलि. : 5400905.
एनआरआई शाखा : 28 वीं मंज़िल, कामर्स सेंटर -1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई-400 005. • टेलि. : 218 4184

पूर्वी अंचल के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : 1ली एवं 2री मंज़िल, ओसीएचसी बिल्डिंग, 24, राम मंदिर के समीप, भुवनेश्वर - 751001. टेलि. : 410995. • **कलकत्ता :** 29, नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग, कलकत्ता 700001. टेलि. : 2434581. • **दुर्गापुर :** तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंज़िल, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर 713216. टेलि. : 546831. • **गुवाहाटी :** हिंदुस्तान बिल्डिंग, 1ली मंज़िल, एम एल नेहरू मार्ग, पानबाजार, गुवाहाटी 781001. टेलि. : 543131. • **जमशेदपुर :** 1-ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंज़िल, बिस्तूपुर, जमशेदपुर 831001. टेलि. : 425508. • **पटना :** जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवीं मंज़िल, एक्ज़िबिशन मार्ग, पटना 800001. टेलि. : 235001. • **सिलीगुड़ी :** जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल, गुरु नानक सारनी, सिलीगुड़ी - 734401. टेलि. : 535199.

दक्षिणी अंचल के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : रहेजा टॉवर्स, 26-27, 12वीं मंज़िल, पश्चिमी स्कंध, एम जी मार्ग, बंगलोर 560001. टेलि. : 5595091. • **कोचीन :** जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, पांचवीं मंजिल, एम जी मार्ग, एर्नाकुलम - 682011. टेलि. : 362354. • **कोयम्बतूर : 82,** चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्ट्स कालेज मार्ग, कोयम्बतूर 641018. टेलि. : 214973. • **हुबली :** कालबर्गी मेंशन, 4 थीं मंजिल, लेमिंगटन मार्ग, हुबली 580020. टेलि. : 363963. • **हैदराबाद :** पहली मंजिल, सुरभि आर्केड़, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, कोटी, हैदराबाद 500001. टेलि. : 461 1095. • **चेन्नई :** यू.टी.आई. हाउस, 29, राजाजी सालै, चेन्नई 600001. टेलि. : 5210357. • **मदुरई :** तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्द्रम मार्ग, मदुरई 625001. टेलि. : 738186. • **मंगलोर :** सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बाल-मत्ता मार्ग, मंगलोर-575001. टेलि. : 426290. • **तिरुअनंतपुरम :** स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. मार्ग, तिरुअनंतपुरम 695001. टेलि. : 331415. • **त्रिची :** 104, सलाई मार्ग, वोरेयूर, तिरुचिरापल्ली 620003. टेलि. : 760060. • **त्रिचूर :** 28/700, वेस्ट पल्लिथामाम बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार मार्ग, राउंड नॉर्थ, त्रिचूर 680020. टेलि. : 331495. • **विजयवाड़ा :** 27/44-8/2 ए, बन्दर मार्ग, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा 520002. टेलि. : 571134. • **विशाखापट्टनम् :** रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47/15/6, स्टेशन मार्ग, द्वारका नगर,विशाखापट्टनम 530016. टेलि. : 548121.

उत्तरी अंचल के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, सी ब्लाक, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी मार्ग, आगरा - 282002. टेलि. : 358046. • **इलाहाबाद :** यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर मार्ग, इलाहाबाद 211003. टेलि. : 400521. • **अमृतसर :** श्री द्वारकाधीश काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, क्विन्स मार्ग, अमृतसर-143001. टेलि. : 564463. • **चंडीगढ़ :** जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017. टेलि. : 703683. • **देहरादून :** दूसरी मंजिल, 59/3, राजपुर मार्ग, देहरादून 248001. टेलि. : 749112. • **फरीदाबाद :** बी-614-617, नेहरु ग्राउंड, एनआईटी, फरीदाबाद - 121001. टेलि. : 419156. • **गाजियाबाद :** 41, नवयुग मार्केट, सिंघानी गेट के समीप, गाजियाबाद - 201001. टेलि. : 790366. • **जयपुर :** आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र मार्ग, जयपुर 302001. टेलि. : 365212. • **जोधपुर :** मिनर्वा सेंटर, पहली मंज़िल, स्टेशन रोड, जोधपुर 342 001, टेलि. : 645229. • **कानपुर:** 16/79ई, सिविल लाईन्स, कानपुर 208001. टेलि. : 317278. • **लखनऊ :** रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क मार्ग, लखनऊ 226001. टेलि. : 238502. • **लुधियाना :** सूर्यकिरण, फेस II, 92, द माल, लुधियाना 141001. टेलि. : 441264. • **नई दिल्ली :** तीसरी और चौथी मंजिल, डेली तेज, 8बी बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. टेलि. : 3318638. • **शिमला :** फ्लैट नं. 401एवं 402, मुकेश अपार्टमेन्ट्स, फिंगास्क एस्टेट, होटल शील के समीप, शिमला - 171 002. टेलि. : 257803. • **वाराणसी :** पहली मंजिल, डी-58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी 221001. टेलि. : 358306.

यूटीआई एनआरआई शाखा

यूटीआई टॉवर, जीएन ब्लाक, बान्दरा कुर्ला काम्पलेक्स, बान्दरा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेलि. : 6528532 • फैक्स : 6528175 • ई-मेल : utinri@giasbm01.vsnl.net.in

दुबई प्रतिनिधि कार्यालय

पोस्ट बॉक्स नं. - 29288, 17, अल-मस्कान , करामा, दुबई - यू.ए.ई. • टेलि. : 00971 4 3356656 • फैक्स : 3356636

यूटीआई लंदन शाखा

यूटीआई (गर्नसे लि.), श्री प्रदीप कुमार, स्टेट बैंक हाउस, 1, मिल्क स्ट्रीट, लंदन ईसी2पी 2 जेपी. टेलि. 0044171 454 0415 • फैक्स : 0044171-454 0416.

ओमान इंटरनेशनल बैंक की नामित शाखाएं

एनआरआई सेंटर : पो. बॉक्स 1216, पोस्टल कोड 112, रुवी शाखा. **ओमान सल्तनत :**अल खुविर, पोस्ट बॉक्स 1216, रुवी-112. **बुरैमि** : पो. बॉ. 358, बुरैमि-512. **फहुद** :पो. बॉ. 54, मिना अल फहल-116. **मार्मुल** : पो. बॉ. 54, मिना अल फहल-116. **मिना अल फहल :** पो. बॉ. 54, मिना अल फहल-116. **मस्कर अल मुरतफा** : पो. बॉ. 559, सीपीओ सीब 111. **मुत्राह :** पो. बॉ. 117, मुत्राह 114. **निजवा :** पो. बॉ. 71, निजवा 611. **कुरुम** : पो. बॉ. 43, मिना अल फहल-116. **सालालाह** : पो. बॉ. 1453, सालालाह 211. **स्लीफ :** पो. बॉ. 11, इबरी 511. सुर : पो. बॉ. 651, सुर 411

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(केन्द्रीय कार्यालय)
14, भविष्य निधि भवन, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली 110066

दिनांक नई दिल्ली

अधिसूचना

सां का0 ....जहाँ मैं0 भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, 464, अन्ना सलाई, चैनई-605535 (तमिलनाडू) कोड नं0 टीएन/7835 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 (1 सी) के अन्तर्गत कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिए सलंग्न परिशिष्ट-I में जिनके नाम दर्शाये हैं, ने अपने 8 कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवेदन भेजें हैं ।

चूँकि मैं अजय सिंह, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि भारत सरकार पेंशन नियम (सी.सी.एस. पेंशन नियम) के अन्तर्गत परिवार पेंशन के रूप में लाभ जोकि उक्त स्थापना के कर्मचारियों पर लागू हैं, कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत उपबन्ध लाभ से अधिक अनुकूल हैं ।

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 1(सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं अजय सिंह, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त स्थापना के कर्मचारियों को जैसा कि इस अनुसूची-I में दिया गया है, जोकि उक्त स्थापना में आने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की नौकरी में थे तथा सी.सी.एस. पेंशन नियमों द्वारा शामिल थे, निम्नलिखित शर्तो पर अधिसूचना के जारी होने की तिथि से या नौकरी की अन्तिम तिथि से उन कर्मचारियों के संबंध में जो सरकार के 22.1.90 के आदेश के अनुसरण में 22.1.90 से 21.7.90 के बीच विकल्प देने के बाद सेवा निवृत हुए को कर्मचारी पेंशन स्कीम के सभी उपबन्धों को लागू करने से छूट प्रदान करता हूँ ।

(1) ये कर्मचारी छूट की तिथि से कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे ।

(2) कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिए एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा ।

(3) उक्त प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित नियोक्ता संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वे रिर्टन भेजेगा, वे लेख तैयार करेगा और निरीक्षण करने की वे सुविधाएं देगा जिसे समय समय पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निर्देश करेगा।

अनुलग्नक :उपरोक्त अनुसूची-I

(अजय सिंह)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं0[redacted]-1(147(91/बीएचईएल/टीएन/ 556 ~~ए.सा.~~ 7 अगस्त 2000

अधिसूची-I

स्थापना का नाम	मै0 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि0 464, अन्ना सलाई चैन्नई-605535 तमिलनाडू
कोड नं0	टीएन/7835

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	कोड नं0
1.	ऐ.ओ.पथरोस	टीएन/7835/4364
2.	वी.रामकृष्ण राव	टीएन/7835/5124
3.	ऐ.ऐ.गणपति	टीएन/7835/6039
4.	वी.एम.के.मेनन	टीएन/7835/5821
5.	पी.वी.सुब्रामणियम	टीएन/7835/4652
6.	ऐ.बालन	टीएन/7835/5820
7.	हरिकृष्ण	टीएन/7835/2259
8.	एस.श्रीराम	टीएन/7835/6347

(वी पी रमैया)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त(मुख्यालय)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(केन्द्रीय कार्यालय)
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066.

दिनांक: 9 अगस्त AUG 2000

अधिसूचना

सा०आ० केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र०सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	केआर/केके/17377	चिन्मान्या विद्यालय, वेट्टेकोड, मान्जेरी-676122. डि० मालापुरम, केरला।	1.6.99
2.	केआर/केके/17389	मै० महारानी टैक्सटाईल्स, बस स्टैण्ड रोड़, डाउन हिल(पी.ओ.) डि० मालापुरम-676519. केरला	1.8.99
3.	केआर/केसी/15514	मै० स्वीफ्ट लिंक्स (प्रा०)लि०. प्लॉट नं०.43, सीईपीजैड, कक्कानाड, कोची-30, (केरला)	2.9.96
4.	केआर/केके/17209	मै० सीना बस सर्विस, पी.ओ. पुथुर-676503.कोटाक्कल, तिरूरान्गढ़ तालुक, मालापुरम डि०.	1.7.98
5.	केआर/17300	मै कल्पाका प्रिंटर्स, एम.सी.ए. रोड़, कोजीकोड(केरला)	1.3.99
6.	केआर/16408	मै० अम्मनी एनर्जी सिस्टम्स प्रा०लि०. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, पप्पानाम्कोड, -19(केरला)	1.7.99

...जारी/-

7.	केआर/केके/17207	मै0 संगीथ सिनेमा, पी.ओ. पुन्नाथला, पुथानाथनी, ताल. तिरूर, मालापुरम- 676552 (केआर)	1.3.98
8.	केआर/केके/17211	मै0 पी.के. ब्रोदर बस सर्विस, कलारी, थोटूंगल, पी.ओ. ओजोकोड-676501. ताल. तिरूर, डि0. मालापुरम (केरल)	1.7.98
9.	केआर/केसी/19054	मै0 मडाथीलकलाथी फुट व्रीयर इंडस्ट्रीज, पालम-686007. डि0. कोट्टयम ।	1.10.99

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

सं0.के.भ.नि.आ. 1(4) के.आर. (1784)/2000 675

एस. रघुराम

(एस0 रघुराम)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066.

दिनांक: 9 अगस्त AUG 20..

अधिसूचना

सा०आ० केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र०सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	एएस/टीआर/2373	मै० साबरूम प्राइमरी मार्केटिंग को.आ.सोसायटी-लि०. पी.ओ.मनु बाजार, साबरूम, त्रिपुरा साऊथ (असम)	1.1.98
2.	एएस/टीआर/2393	मै० वोल्यून्ट्री हैल्थ एसोसिएशन ऑफ त्रिपुरा, सर्किट हाउस एरिया, अपो. टू बंगलादेश विजा आफिस, पी.ओ. कुंजाबान, अगरतला त्रिपुरा-799006.	1.4.99
3.	एएस/टीआर/2381	मै० टाकरजला लैम्पस लि०. पी.ओ. टकरजला, बिशालगढ़, वेस्ट त्रिपुरा (असम)	1.7.98
4.	एएस/टीआर/2392	मै० त्रिपुरा रेनेवाबले एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, बिजन भवन, सैकिंड फलोर गोरखाबस्ती, असम,	1.4.99
5.	एएस/टीआर/2387	मै० ब्लेस्ड आंद्रे इंगलिश मीडियम स्कूल, पी.ओ. बोधजुनगनगर, वाया-रमलघाट, त्रिपुरा (व०)-799210.	1.2.99
6.	एएस/टीआर/2265	मै० पटनीपारा अंचालिक लैम्प्स लि०. मनदईनगर त्रिपुरा (व०) असम।	1.12.97
7.	एएस/टीआर/2383	मै० लोलगा प्राथमिक कृषि सम्बे समिति लि०. पी.ओ. पालाटना, उदयपुर-799116.	1.11.98

...जारी/-

8.	एएस/3530	मै० टंगला इंगलिश मीडियम हाई स्कूल, पी. ओ. टंगला डि०. दररांग-784521.	1.1.99
9.	एएस/3547	मै० अरूणाचल प्रदेश स्टेट कांउसिल फॉर साईंस एण्ड टैक्नोलोजी, विवेक विहार, पी. ओ. आईटानगर, अरूणाचल प्रदेश-791111.	1.4.99

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

सं०. के. भ. नि. आ. 1(4) ए. एस. (1793)/2000

673

एस० रघुराम

(एस० रघुराम)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066.

दिनांक: 9 अगस्त AUG 2000

अधिसूचना

सा०आ० केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र०सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	एमपी/8758	मै० राजनेश कुमार ब्रिजेश कुमार, 736, जवाहार गंज, जबलपुर (एम.पी.)	1.1.96
2.	एमपी/8776	मै० मंडला को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी-लि०. मंडला (एम.पी.) आर.नं०.258.	1.1.92
3.	एमपी/11607	मै० दि छत्तीसगढ़ जनरल इंश्योरेन्स एम्पलाईज-को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०. रूम नं०.18, अभ्युदय कॉम्पलैक्स, नियर- (सिटी कोचि) रायपुर (एम.पी.)	1.11.98
4.	एमपी/5882	मै० ब्रिज बिहारी प्रसाद, (इंजीनियर्स एण्ड कांट्रैक्टर), गोंडपारा, बिलासपुर, (मध्य प्रदेश)	30.6.88

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

सं० के. भ. नि. आ. 1(4)/एम. पी. (1814)/2000 6724

एस. रघुराम

(एस० रघुराम)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
CENTRAL OFFICE
CENTRE I, WORLD TRADE CENTRE
CUFFE PARADE, COLABA
MUMBAI - 400 005

NOTIFICATION No. DNBS.141/CGM(VSNM)-2000 dated June 30, 2000

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposit (Reserve Bank) Directions, 1998, in exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K, 45L and 45MA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said directions contained in Notification No.DFC.118/DG(SPT)/98 dated January 31,1998 stand amended, with immediate effect, as follows, namely –

1. In paragraph 2, in sub-paragraph (1), in clause (xii), the existing sub-clauses after sub-clause (g) are re-numbered as (h) and (i) as under :

"(h) any amount received from a Mutual Fund which is governed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996;

(i) any amount received as hybrid debt or subordinated debt the minimum maturity period of which is not less than sixty months;"

2. In paragraph 2, in sub-paragraph (1), in clause (xii), the following new sub-clause shall be inserted, namely, -

"(j) any amount received from a relative of a director of an NBFC"

Note : The deposit shall be accepted only on an application made by the depositor containing therein that as on the date of deposit, he is related to the specific director in the capacity of a relative as defined under Companies Act, 1956 (1 of 1956)

3. First Schedule appended to the said Directions stands substituted by Return NBS 1 appended hereto.

(V.S.N. Murty)
Chief General Manager-In-Charge

Encls : As above

Form - NBS 1

Annual Return on Deposits as on 31, March 20. .
(To be submitted by all Non-Banking Financial Companies accepting / holding public deposits, and MNBCs - except Residuary Non-Banking Companies)

File Number	
ID Number	
Nature of business	
District Code	
State Code	
(To be filled in by RBI)	

Name of the Company: ....

Instructions for filling in the Return - General

1. This Return should be submitted by a Non-Banking Financial Company covered by Para 8(3) of Notification No.DFC.118/DG(SPT)-98 dated January 31, 1998 and by a Miscellaneous Non-Banking Company covered by para 11 of the Notification No.DNBC.39 / DG (H)-77 dated June 20, 1977 to the Regional Office of Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank of India where its Registered Office is situated, once a year, after March 31 and latest by September 30, **with reference to its position as on March 31**, irrespective of the date of closing of the financial year of the Company concerned. A Certificate from the Auditors of the Company should be appended to the Return as per format furnished herewith. However, only in respect of **Part-3,** the information should be furnished as per the latest balance sheet but preceeding the date of the return.

   N.B. *In terms of Notification No.DNBS.135/CGM\(VSNM)-2000, dated 13-1-2000, NBFCs shall prepare their balance sheets and profit and loss accounts as on March 31, every year with effect from its accounting year ending with 31st March 2001. Therefore with effect from accounting year ending 31st March 2001, the information in Part 3 of the return shall be as on the date of current balance sheet thus coinciding with the date of return.*

2. Submission of the Return should not be delayed for any reason such as the finalisation/ completion of the Audit of the annual Accounts. The compilation of the Return should be on the basis of the figures available in the books of account of the company and should be certified by its Statutory Auditors.

3. **The number of accounts** should be given in actual figures while **the amounts of deposits should be shown in lakhs of rupees.** The amount should be rounded off to the nearest lakh. Illustratively, an amount of Rs.4,56,100 should be shown as 5 and not as 4.6 or 5,00,000. Similarly, an amount of Rs.61,49,500 is to be shown as 61 and not as 61.5 or 61,00,000.

4. The Return should be signed by a Manager (as defined in Section 2 of the Companies Act, 1956) and if there is no such Manager, by Managing Director or any official of the Company who has been duly authorised by the Board of Directors and whose Specimen Signature has been furnished to the Reserve Bank of India for the purpose. In case the Specimen Signature has not been furnished in the prescribed card, the Return must be signed by the authorised official and his Specimen Signature furnished separately.

5. In case there is nothing to report in any part / item of the Return, the relevant part/ item may be marked ***'Nil'*** in the column meant for *"No. of accounts"* and ***00s*** may be indicated in the column meant for *"Amount"*

6. 'Subsidiaries' and 'Companies in the same group' mentioned in this Return have the same meanings assigned to them in Section 4 and Section 372 (11) respectively, of the Companies Act, 1956 as appearing prior to amendment to the Companies Act dated 31st October 1998.

7. In case this return is being filed through electronic media(internet), to the specified Web Server, a hard -copy of the same may be submitted to the concerned Regional Office duly signed .

Company Profile

1.	Name of the Company					
2.	Address of the Registered Office		PIN			
	Phone Nos.		Fax No.		e-mail address	
3.	Name of the State in which the company is registered					
4.	Address of the Corporate/ Head Office		PIN			
	Phone Nos.		Fax No.		e-mail address	
5.	Date of Incorporation					
6.	Date of Commencement of Business					
7.	Name and Residential Address of : i) Chairman					
	ii) Managing Director/ CEO					
8.	Is it a Government Company (Please tick) :		Yes		No	
9.	Status of the company (Please tick) :					
		(i) Public Ltd.			(ii) Deemed Public	
		(iii) Private Ltd.			(iv) Joint Venture	
10.	Financial Year of the Company					

11.	Nature of business	
12.	Status of registration with RBI i) Number and Date of Certificate of Registration if issued by RBI	
	ii) If not registered, indicate whether the application submitted for registration is rejected/ pending	
13.	Classification of the Company (if given by Reserve Bank as HP / Leasing / Loan / Investment/ MBC etc. and reference number and date of such classification)	
14.	**Credit rating** : i) Rating assigned	
	ii) Date of rating	
	iii) Name of the Rating Agency	
	iv) Whether any change has occurred since the last rating (details)	
15.	Number of Branches / Offices. (Please enclose a list of names and addresses thereof in the format given below as per Note 1)	
16.	If a subsidiary company, please indicate the name and address of the holding company	
17.	If the company is having subsidiaries / associate companies, number thereof. (Please enclose a list of names, addresses, Names of Directors and particulars of business activities thereof in the format given below as per Note 2)	
18.	If a Joint Venture, name and address of the promoting institution(s)	
19.	Name of the Company's statutory auditors with address and phone numbers	
20.	Name(s) of the company's Bankers with addresses and phone numbers.	

Note (1) : Format for detailing the branches:

Sr.No.	Name of the branch	Date of opening	Address	City	District	State	Amount of public deposit
	Total No. of Branches						Total Public Deposits of all the branches and Total Public Deposits as per Balance Sheet dated ....

Note (2) : Format for detailing the subsidiaries:

Sr. No.	Name of the subsidiary	Address	Name of the Directors	Business Activity

Details of Assets and Liabilities (as on March 31, 200--)

Part - 1

Public Deposits

(Amount in lakhs of Rupees)

Item No.	Particulars	Item Code	Number of Accounts	Amount
1.	Deposits received from public in the form of Fixed Deposits, Recurring Deposits etc.	111		
2.	(i) Deposits received from shareholders by a Public Limited Company (other than Nidhis).	112		
	(ii) Deposits received from Joint shareholders other than the first named shareholder by a Private Limited Company.	113		
3.	(i) Money received by issue of Non-convertible unsecured debentures (please see instruction No.1 given below)	114		
	(ii) Any other type of public deposits	115		
4.	**Total (111 to 115)**	**110**		
5.	Of the total Deposits at item 4 above, those Repayable (i) within 1 year	121		
	(ii) after 1 year but up to 2 years	122		
	(iii) after 2 years but up to 3 years	123		
	(iv) after 3 years but up to 5 years and	124		
	(v) after 5 years	125		
6.	**Total (121 to 125)**	**120**		
7.	Break up of public deposits at item 4 above, as per rate of interest (excluding brokerage, if any) (i) Below 10%	131		
	(ii) 10% or more but less than 12%	132		
	(iii) 12% or more but less than 14%	133		
	(iv) 14% or more but less than 16%	134		
	(v) At 16%	135		
	(vi) More than 16% but up to 18%	136		
	(vii) More than 18%	137		
8.	**Total (131 to 137)**	**130**		

9.	Break-up of Public Deposits according to the size i) Fixed deposits etc received from public (vide item No. 1 above)			
	a) upto Rs.10,000	141		
	b) over Rs.10,000	142		
	ii) Deposits from share holders in case of public limited companies (vide item No. 2 above)			
	a) upto Rs.10,000	143		
	b) over Rs.10,000	144		
	iii) Non-convertible unsecured debentures (vide item No.3 above)			
	a) upto Rs.10,000	145		
	b) over Rs.10,000	146		
10.	**Total of (141 to 146) [should tally with the amount shown against item 110]**	**140**		
11.	Of the deposits at item 4 above : i) Those which have matured but not claimed.	151		
	ii) Those which have matured, claimed but not paid (please see instruction No.2 given below) a) From public (vide item No.1 above)	152 153		
	b) From shareholders (vide item No. 2 above)	154		
	c) From debenture holders (vide item No. 3 above) (Please furnish details of (a) (b) and (c) in Annexure No.....)	155		
	iii) Those shown against item (ii) above where CLB has passed the orders for repayment	156		
12.	Public Deposits mobilised during the year by payment of brokerage	157		
13.	Brokerage paid	158		
14.	% of 13 to 12	159		
15.	Public deposits matured but remaining unclaimed for 7 years including the year in which they have matured	160		

Instructions:

1. In the case of partly convertible Debentures/Bonds, the convertible portion should be shown against item 9 of Part -2. The Non-convertible unsecured debentures should be included under this item.

2. The reasons for non-payment of each Deposit and the steps taken for repayment including compliance of CLB Order (if any) should be indicated in an Annexure.

Part - 2

Particulars of other borrowings

Item No.	Particulars	Item Code	Number of Accounts	Amount
1.	Money borrowed from the Central/State Government/Local Authority/ others the repayment of which is guaranteed by the Central/ State Governments	221		
2.	Money borrowed from: i) Foreign Government	222		
	ii) Foreign Authority	223		
	iii) Foreign Citizen or person	224		
	Total (222 to 224)	**225**		
3.	Borrowings from : (i) Banks	226		
	(ii) Other Specified Financial Institutions	227		
4.	Money borrowed from any other Company	228		
5.	Unsecured loans from Directors / Promoters	229		
6.	Money borrowed by a private Company from its shareholders	230		
7.	Money received from employees of the Company by way of security deposit and kept in joint accounts in the name of the Company and the employees with a scheduled bank or a post office	231		
8.	Money received by way of caution money, margin money from the borrowers, lessee, hirers or by way of security or advance from agents in the course of company's business or advance received against orders for supply of goods or properties or for rendering of services	232		
9.	Money received by issue of convertible or secured debentures/bonds (please see the instruction given below)	233		
9A.	Of the above, debentures subscribed by the banks/ other NBFCs.	234		

10.	Money received by way of subscription to shares, bonds or debentures pending allotment or money received by way of calls in advance on shares (not due for refinance).	235		
11.	Commercial Papers	236		
12.	Any others (Not treated as public deposits - Please specify)	237		
13.	**Total (221 + 225 + 226 to 233+235 to 237)**	**250**		

Instruction:

In the case of Partly Convertible Debentures/Bonds, only the convertible portion should be shown against item 9 of Part -2 above.

Part - 3

Net Owned Fund

[Figures to be furnished as per the latest balance sheet preceding the date of the Return or as per balance sheet as on the date of return –
[Balance sheet as on ....]

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Capital Funds : (i) Paid-up Equity Capital	311	
	(ii) Paid-up preference shares which are compulsorily convertible to Equity	312	
	(iii) Free Reserves (please see instruction No.1 given below)	313	
2.	**Total (311 +312 +313) = A**	**310**	
3.	(i) Accumulated balance of loss	321	
	(ii) Balance of deferred revenue expenditure	322	
	(iii) Other intangible assets (please specify)	323	
4.	**Total (321+322 +323) = B**	**320**	
5.	**Owned Fund (A - B) i.e.(310-320) = C**	**330**	
6.	Book value of investments in shares of : (i) Subsidiaries of the Company	341	
	(ii) Companies in the same group	342	
	(iii) all other Non-Banking Financial Companies (Details in Annexure No..........)	343	
7.	Book value of investments in debentures and bonds of : (i) Subsidiaries of the Company	344	
	(ii) Companies in the same group (Details in Annexure No.........)	345	
8.	Outstanding loans and advances including bills purchased/ discounted, inter-corporate deposits, hire purchase and lease finance, CPs with: (i) Subsidiaries of the Company	346	
	(ii) Companies in the same group (Details in Annexure No........) [please see instruction No.2 given below]	347	
9.	**Total (341 to 347) = D**	**340**	

10.	**D** in excess of 10% of **C** **(340 in excess of 10% of 330) = E**	**351**	
11.	**Net Owned Fund (330 - 351) = (C – E)**	**350**	
12.	Paid-up preference Share Capital not compulsorily convertible, as per latest balance sheet	361	
13.	Paid-up preference Share Capital not compulsorily convertible, as on the date of this Return	362	
14.	Total liabilities as per the latest balance sheet preceding the date of Return	363	
15.	Total liability as on the date of this Return	364	

Instructions:

1. **"Free Reserves"** mentioned under item 1(iii) above shall include the balance in the Share Premium Account, Capital and Debenture Redemption Reserves and any other Reserve shown or published in the Balance Sheet and created through an allocation of Profits (including credit balance of Profit & Loss Account) but not being :

(i) a Reserve created for repayment of any future liability or for depreciation of assets or for provision against non-performing assets / bad debts; or

(ii) a Reserve created by Revaluation of the Assets of the Company.

2. Hire Purchase and Lease Finance mean :

(i) in the case of hire purchase asset, the amount of future instalments receivable reduced by the balance of the unmatured finance charges; and

(ii) in the case of lease assets, the depreciated book value of the lease asset plus/minus the balance in the lease adjustment account;

Amount due but not received should be added in both the cases.

Part - 4

Outstanding loans and advances, including Inter-Corporate Deposits/ Commercial Papers

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Loans and advances etc. in subsidiaries of the company	411	
2.	Companies in the same group	412	
3.	Companies, Firms and Proprietary Concerns where Directors of the Company hold substantial interest / are interested. (please see instruction No.1 given below). [Details in Annexure No......]	420	
4.	Others:		
	(i) Companies not in the same Group	431	
	(ii) Directors / Promoters	432	
	(iii) Shareholders	433	
	(iv) Members of Staff	434	
	(v) Depositors	435	
	(vi) Others	436	
5.	**Total (411 +412 +420 +431 to 436)**	**400**	

Instructions:

(1) "Substantial interest" shall have the same meaning as assigned to it in Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998.

(2) Sundry Debtors, Tax paid in advance and other Recoverable items not in the nature of loans and advances should **not** be shown in Part-4 above.

(3) Fixed Deposit with other companies should be included under item 1, 2, 3 and 4 (i), as the case may be.

(4) Investment in unquoted debentures shall be treated as credit and not investment.

Part - 5 (i)

Investments (at book value)

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Investments in - (i) Fixed deposits with banks/certificates of deposits issued by banks	541	
	(ii) Balances in any other deposit accounts with bank(s)	542	
	(iii) Securities of Central/State Govts. and bonds guaranteed by Central/State Govts.	543	
	(iv) Units of Unit Trust of India	544	
	(v) Others (Please specify.........)	545	
2.	Investments in shares: (i) Quoted	511	
	(ii) Unquoted	512	
3.	Investments in debentures and bonds	515	
4.	Investments in shares of and debentures/bonds of companies where directors of the company hold substantial interest.(Please see the instruction No.1 of Part-4). (Details in Annexure No...........)	520	
5.	**Total [541 to 545 + 511 + 512 + 515 + 520]**	**500**	

Instructions:

(1) Details of shares, debentures and commercial papers held in investment account or by way of stock-in-trade should be included in this part.

(2) Fixed deposit with other companies should not be included here but should be shown in Part-4

(3) Investment in unquoted debentures / bonds shall be treated as credit and not investment.

Part - 5 (ii)

Quoted shares/debentures/bonds/commercial papers

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Book value	551	
2.	Market value	552	

Part - 6

Hire Purchase Business

Item No.	Nature of goods on hire	Item Code	Number of Accounts	Amount
1.	Automobiles :			
	(i) Heavy Commercial Vehicles	611		
	(ii) Light Commercial Vehicles including two wheelers	612		
	(iii) Others	613		
2.	**Total [611+612+613]**	**610**		
3.	Household durables	621		
4.	Data processing / office automation equipment	622		
5.	Agricultural implements (Tractors, Bulldozers, etc.)	623		
6.	Industrial machinery or tools or equipment for use in industries	624		
7.	All others	625		
8.	**Total [610+ 621 to 625]**	**600**		
9.	Of 8 above, dues from - Subsidiaries / Companies in the same group / Companies, firm and proprietary concerns where directors of the company hold substantial interest	691		

Part - 7

Equipment Leasing business

Item No.	Nature of Equipment on Lease	Item Code	Gross Leased Assets	Accumulated depreciation +/- Lease Adjustment Account	Net Leased Assets plus amounts due but not received
1.	Plant & Machinery	701			
2.	Data Processing/office equipment	702			
3.	Vehicles	703			
4.	Others	704			
5.	**Total (701+702+703+704)**	**700**			
6.	Of 5 above, dues from Subsidiaries / companies in the same group / companies, firms and proprietary concerns where directors of the company hold substantial interest / or are interested	791			

Part - 8

Bills business

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Bills purchased/discounted where the drawers, drawees or any endorsers are: (i) Subsidiaries of the company	801	
	(ii) Companies in the same group	802	
	(iii) Companies or firms in which any director of the company holds substantial interest or proprietary concerns owned by him	803	
2.	Bills purchased / discounted other than 1 above	820	
3.	**Total (801 + 802 + 803 + 820)**	**800**	

Part - 9

Particulars about other fixed assets

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Fixed assets (i) Land and Buildings for own use	901	
	(ii) Land and Buildings – others	902	
	(iii) Furniture and Fixtures	903	
	(iv) Vehicles	904	
2.	Other assets excluding intangibles	905	
3	**Total of other assets (901 + 902 + 903 + 904+905)**	**910**	
4.	**Total assets [excluding intangibles] (400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 910]**	**900**	

Part - 10

Business statistics / information for the year ended 31 March, 200–

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
	I. Disbursements (Fund based activities)		
1	Equipment leasing:		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	1001	
	(b) Total disbursement during the year	1002	
2	Hire purchase:		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	1003	
	(b) Total disbursement during the year	1004	
3	**Loans**		
	(a) Loans against shares to corporates:		
	(i) Outstanding balances as on the date of the return	1005	
	(ii) Total disbursement during the year	1006	
	(b) Loans against shares to individuals:		
	(i) Outstanding balances as on the date of the return	1007	
	(ii) Total disbursement during the year	1008	
	(c) Loans against shares to brokers:		
	(i) Outstanding balances as on the date of the return	1009	
	(ii) Total disbursement during the year	1010	
	(d) Loans to finance Initial Public Offerings (IPOs):		
	(i) Outstanding balances as on the date of the return	1011	
	(ii) Total disbursement during the year	1012	
	(e) Inter-corporate loans / deposits:		
	(i) Outstanding balances as on the date of the return	1013	
	(ii) Total disbursement during the year	1014	
	(f) Others	1015	
4	Bills Purchased/Discounted :		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	1016	
	(b) Total disbursement during the year	1017	
5	Of 4, bills rediscounted :		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	1018	
	(b) Total disbursement during the year	1019	
	II. Trading in shares / securities (quoted other than SLR)		
6	Purchases / sales of shares / debentures / commercial papers:		
	(a) Purchases	1020	
	(b) Sales	1021	

	III. Fee based activities		
7.	Guarantees issued for Capital Market Operations:		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	1022	
	(b) Total volume during the year	1023	
8.	Guarantees issued for other purposes:		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	1024	
	(b) Total volume during the year	1025	
9	Lease / Hire purchase syndicated during the year	1026	
10.	Loan / ICDs syndicated during the year	1027	
11	Bills syndicated during the year	1028	
12	Underwriting :		
	(a) Total amount underwritten	1029	
	(b) Amount devolved	1030	
	(c) Outstanding commitments	1031	

Part - 10(A)

Status of overdues

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1	Lease overdues more than 12 months	1041	
2	Lease overdues up to 12 months	1042	
3	Hire purchase overdues more than 12 months	1043	
4	Hire purchase overdues up to 12 months	1044	
5	Other overdues more than 6 months	1045	
6	Other overdues up to 6 months	1046	
7	**Total (1041 to 1046)**	**1040**	

Part - 11

Particulars of selected Income and Expenditure

(Please see instructions given below).

	Fund-based income :		
1	Gross lease income	1101	
2	Less : Depreciation on Assets on Lease + / - Lease Equalisation	1102	
3	Net lease income **(1101-1102)**	1103	
4	Hire purchase income	1104	
5	Bills discounting income	1105	
6	Investment income		
	(a) Dividend / interest	1106	
	(b) Profit / Loss (+ / -) on sale of shares / debentures / commercial papers	1107	

7	Interest income (a) Inter-corporate deposits / loans	1108	
	(b) Other loans and advances	1109	
8	Other fund based income	1110	
9	Total fund based income **(1103 to 1110)**	**1111**	
10	**Fee based income** Income from merchant banking activities	1112	
11	Underwriting commission	1113	
12	Income from syndication of bills, loans, ICDs, lease & hire purchase	1114	
13	Miscellaneous income	1115	
14	**Total fee-based income (1112 to 1115)**	**1116**	
15	**Total Income (1111 + 1116)**	**1100**	
16	**Interest and other financing costs** Interest paid on fixed deposits	1117	
17	Interest paid on ICDs	1118	
18	Brokerage	1119	
19	Reimbursement of expenses to brokers	1120	
20	Other financing costs	1121	
21	Bills rediscounting charges	1122	
22	**Total financing costs (1117 to 1122)**	**1123**	
23	**Operating expenses** Employee costs	1124	
24	Other administrative costs	1125	
25	**Total operating costs (1124 + 1125)**	**1140**	
26	Depreciation on own assets	1126	
27	Intangible assets amortised	1127	
28	Provision for diminution in value of investments	1128	
29	Provision against Non-Performing Assets	1129	
30	Other Provisions if any	1130	
31	**Total expenses (1123 +1140 + 1126 to 1130)**	**1150**	
32	**Profit before tax (1100 – 1150)**	**1160**	
33	**Tax**	**1170**	
34	**Profit after tax (1160 - 1170)**	**1180**	

Instructions :

(1) Particulars in this part should be for a full financial year. If the company closes its books on any date other than on 31st March, the date of closing of the books and the period should be indicated.

(2) "Gross lease income" includes lease rentals (net of rebate), lease management fees, lease service charges, up-front fees, profit on sale of leased assets and delayed / late payment charges relating to lease business (including interest/compensation charges on advance

payment for purchase of assets in respect of lease agreements entered into / finalised).

(3) 'Lease equalisation account' has the same meaning as in the Guidance Note on Accounting for Lease (revised) issued by ICAI.

(4) 'Hire purchase income' includes finance charges(net of rebate), hire service charges, delayed / late payment charges, up-front fees and other income relating to hire purchase business (including interest earned on advance payment for acquisition of hire purchase assets for identified hirers)

CERTIFICATE

1. Certified that the directions contained in the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998* (as amended from time to time)/ Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1977*, as the case may be, are being complied with.

2. Further certified that the particulars / information furnished in this Return have been verified and found to be correct and complete in all respects.

(* Please delete whichever is not applicable)

Signature of Manager / Managing Director / Authorised Official

Date:
Place:

Auditor's Report

We have examined the books of account and other records maintained by ------------------------ ------------- Company Ltd. in respect of the data furnished in this return and report that to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and shown by the records examined by us, the data furnished in this return are correct.

Place: Signature:

Date: Name of the Chartered Accountants

Enclosures to the return :

1. The following documents should be submitted along with the return in case they have not already been sent. Please tick in the box against the item for the documents enclosed and state the date of submission in other cases.

   (i) A copy of the audited balance sheet and profit and loss account dated nearest to the date of return.

   (ii) Specimen signature card.

   (iii) A copy of application form referred to in paragraph 4(12) of the Notification No.DFC.118/DG(SPT)-98 dated January 2, 1998 or paragraph 6 of the Notification No.DNBC.39/DG(H)-77 dated the 20th June 1977.

2. A list of Principal officers and the names and addresses of directors in the form enclosed is to be sent with this return.

Part - 12

List of principal officers and directors of --- Ltd.

I. Principal Officers

Sr. No.	Name	Designation	Address & Tel. No.	If director in any company / ies, name(s) of the company / ies

II. Directors

Sr. No.	Name	Address	% of equity shares of the company held by the director, his spouse and minor children	Names of other companies where he/she is a director

Signature of Manager / Managing Director / Authorised Official ____________________

Name : ____________________

Designation : ____________________

Place: ____________________

Date : ____________________

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
CENTRAL OFFICE
CENTRE I, WORLD TRADE CENTRE
CUFFE PARADE, COLABA
MUMBAI - 400 005

Notification No. DNBS. 142/CGM(VSNM)- 2000 dated June 30, 2000

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998, in exercise of the powers conferred by section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said directions contained in Notification No.DFC.119/DG(SPT)/98 dated January 31, 1998 stand amended, with immediate effect, as follows, namely -

1. In paragraph 8, sub-paragraph (2) is substituted by the following, namely,-

"Lease and hire purchase assets

(2) The provisioning requirements in respect of hire purchase and leased assets shall be as under:-

Hire purchase assets

(i) In respect of hire purchase assets, the total dues (overdue and future instalments taken together) as reduced by

(a) the finance charges not credited to the profit and loss account and carried forward as unmatured finance charges; and

(b) the depreciated value of the underlying asset ,

shall be provided for.

Explanation

For the purpose of this paragraph,

(1) the depreciated value of the asset shall be notionally computed as the original cost of the asset to be reduced by depreciation at the rate of twenty per cent per annum on a straight line method; and

(2) in the case of second hand asset, the original cost shall be the actual cost incurred for acquisition of such second hand asset.

Additional provision for hire purchase and leased assets

(ii) In respect of hire purchase and leased assets, additional provision shall be made as under :

(a) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue upto 12 months	Nil
Sub-standard assets :	
(b) where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 12 months but upto 24 months	10 percent of the net book value
Doubtful assets :	
(c) where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 24 months but upto 36 months	40 percent of the net book value
(d) where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 36 months but upto 48 months	70 percent of the net book value
Loss assets :	
(e) where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 48 months	100 percent of the net book value

(iii) On expiry of a period of 12 months after the due date of the last instalment of hire purchase/leased asset, the entire net book value shall be fully provided for.

NOTES :

(1) The amount of caution money/margin money or security deposits kept by the borrower with the NBFC in pursuance of the hire purchase agreement may be deducted against the provisions stipulated under clause (i) above, if not already taken into account while arriving at the equated monthly instalments under the agreement. The value of any other security

available in pursuance to the hire purchase agreement may be deducted only against the provisions stipulated under clause (ii) above.

(2) The amount of security deposits kept by the borrower with the NBFC in pursuance to the lease agreement together with the value of any other security available in pursuance to the lease agreement may be deducted only against the provisions stipulated under clause (ii) above.

(3) It is clarified that income recognition on and provisioning against NPAs are two different aspects of prudential norms and provisions as per the norms are required to be made on NPAs on total outstanding balances including the depreciated book value of the leased asset under reference after adjusting the balance, if any, in the lease adjustment account. The fact that income on an NPA has not been recognised cannot be taken as reason for not making provision.

(4) An asset which has been renegotiated or rescheduled as referred to in paragraph (2) (xvi) (b) of these directions shall be a sub-standard asset or continue to remain in the same category in which it was prior to its renegotiation or reschedulement as a doubtful asset or a loss asset as the case may be. Necessary provision is required to be made as applicable to such asset till it is upgraded.

(5) The balance sheet for the year 1999-2000 to be prepared by the NBFC may be in accordance with the provisions contained in sub-paragraph (2) of paragraph 8."

3. Format of half-yearly return referred to in paragraph 13 of the said Directions is substituted by the format NBS 2 appended hereto.

(V.S.N. Murty)
Chief General Manager-In-Charge

Encls : NBS-2

Form - NBS 2

Half yearly Statement of capital funds, risk assets/exposures and risk asset ratio etc., as at the end of March/September 200..

Name and address of the Non-Banking Financial Company

Company code number (as given by RBI) ____________
Registration number (as given by RBI) ____________
Classification of the company (as given by RBI) ____________

(Rupees in lakh)

PART - A

Item Name	Item Code	Amount
Capital Funds - Tier – I		
(i) Paid-up Equity Capital	111	
(ii) Preference shares to be compulsorily convertible into equity	112	
(iii) Free reserves		
(a) General Reserves	113	
(b) Share Premium	114	
(c) Capital Reserves (representing surplus on sale of assets held in separate account)	115	
(d) Debenture Redemption Reserve	116	
(e) Capital Redemption Reserve	117	
(f) Credit Balance in P & L Account	118	
(g) Other free reserves (to be specified)	119	
Total (111 to 119)	**110**	
(iv) Accumulated balance of loss	121	
(v) Deferred Revenue Expenditure	122	
(vi) Other Intangible Assets	123	
Total (121 to 123)	**120**	
(vii) Owned Funds (110 - 120)	**130**	
(viii) Investment in shares of :		
(a) Subsidiaries	141	
(b) Companies in the same Group	142	
(c) Other non-banking financial companies	143	

ix) The book value of debentures, bonds, outstanding loans and advances, bills purchased and discounted (including hire-purchase and lease finance) made to, and deposits with		
(a) Subsidiaries	144	
(b) Companies in the same Group	145	
(x) Total (141 to 145)	**140**	
(xi) Amount of Item 140 in excess of 10% of item 130 above	**150**	
(xii) Tier I Capital		
Net owned fund (130 -150)	**151**	

(Rupees in lakh)

PART - B

Item Name	Item Code	Amount
Capital Funds - Tier II		
(Para 2(1)(xx)(b) of Directions)		
(i) Preference Share Capital other than those compulsorily convertible into equity	161	
(ii) Revaluation reserves	162	
(iii) General provisions and loss reserves	163	
(iv) Hybrid debt capital instruments	164	
(v) Subordinated debt	165	
(vi) Aggregate Tier II Capital (Items 161 to 165)	**160**	
Total Capital Funds (151 + 160)	**170**	

(Rupees in lakh)

PART - C

Item Name	Item Code	Amount
Risk Assets and Off-Balance Sheet Items		
(i) Adjusted value of funded risk assets i.e. on-balance sheet items (To tally with Part D)	181	
(ii) Adjusted value of non-funded and off-balance sheet items (To tally with Part E)	182	
(iii) Total risk weighted assets/ exposures (181 + 182)	180	
(iv) Percentage of capital funds to risk weighted assets/exposures:		
(a) Tier I capital (Percentage of item 151 to item 180)	191	
(b) Tier II capital (Percentage of item 160 to item 180)	192	
(c) Total (Percentage of item 170 to item 180)	193	

(Rupees in lakh)

PART – D

Weighted assets i.e. on - balance Sheet Items

Item name	Item code	Book value	Risk weight	Adjusted value
I. Cash and bank balances including fixed deposits & certificates of deposits	210		0	0
II. Investments [see Para 6 of the Directions]				
(a) Approved securities as defined in Reserve Bank of India Act, 1934	221		0	0
(b) Bonds of public sector banks and FDs/CDs/bonds of public financial institutions				
(i) Amounts deducted in part `A' item (x) (Item code 150)	222		0	0
(ii) Amounts not deducted in part `A' item (x) (Item code 150)	223		20	
Sub-total(222+223)	**ST223**			
(c) Units of Unit Trust of India	224		20	
(d) Shares of all companies and debentures/ bonds/ commercial papers of companies other than in (b) above/units of mutual funds other than in (c) above				
(i) Amounts deducted in Part `A' Item (xi) (Item code 150)	225		0	0
(ii) Amounts not deducted in Part A	226		100	
Sub-total(225+226)	**ST226**			
III. Current Assets				
(a) Stock on hire (Please see Note 2 below)				
(i) Amounts deducted in Part A [Item (xi) Item code 150]	231		0	0
(ii) Amounts not deducted in part A	232		100	
Sub-total(231+232)	**ST232**			
(b) Inter-corporate loans/ deposits				
(i) Amounts deducted in Part `A' [Item (xi) item code 150]	233		0	0
(ii) Amounts not deducted in Part A	234		100	
Sub-total (233+234)	ST234			
(c) Loans and advances fully secured by company's own deposits	235		0	0
(d) Loans to staff	236		0	0
(e) Other secured loans and advances considered good				
(i) Amounts deducted in Part A [Item (xi) item code 150)]	241		0	0
(ii) Amounts not deducted in Part A	242		100	
Sub-total(241+242)	**ST242**			

(f) Bills purchased/discounted			
(i) Amounts deducted in Part A [Item (xi) Item code 150)]	243	0	0
(ii) Amounts not deducted in Part A	244	100	
Sub-total (243+244)	**ST244**		
(g) Others (to be specified)	245	100	
IV. Fixed Asset (net of depreciation)			
(a) Assets leased out			
(I) Amounts deducted in Part A [Item (xi) item code 150)]	251	0	0
(ii) Amounts not deducted in Part A	252	100	
Sub-total 251+252)	**ST252**		
Total credit exposure (ST232+ST234+236+ST242+ ST244+245+ST252)	**CT200**		
(b) Premises	253	100	
(c) Furniture & Fixtures	254	100	
V. Other assets	255	0	0
(a) Income-tax deducted at source (net of provisions)			
(b) Advance tax paid (net of provision)	256	0	0
(c) Interest due on Government securities	257	0	0
(d) Others (to be specified)	258	100	
Total weighted assets (Items 210 to 258 please exclude item codes prefixed by "ST")	200		

NOTES:

1. Netting may be done in respect of assets where provisions for depreciation or for bad and doubtful debts have been made.
2. Stock on hire should be shown net of finance charges i.e. interest and other charges recoverable.
3. Assets which have been deducted (item code 150) from owned fund to arrive at net owned fund will have a weightage of '0'.

PART - E

Weighted non-funded exposures/off-balance sheet items

Item Name	Item Code	Book value	Conversion factor	Equivalent value	Risk weight	Adjusted value
1. Financial & Other guarantees	310		100		100	
2. Share/debenture underwriting obligations	320		50		100	
3. Partly paid shares/ debentures	330		100		100	
4. Bills discounted/ rediscounted	340		100		100	
5. Lease contracts entered into but yet to be executed.	350		100		100	
6. Other contingent liabilities (To be specified)	360		50		100	
Total non-funded exposures (Items 310 to 360)	300		--		--	

Note: Cash margin/deposits shall be deducted before applying the conversion factor.

PART - F

Asset Classification

I. Aggregate of credit exposures categorised into:

Item name	Item code	Amount
(i) Standard assets	411	
(ii) Sub-standard assets :		
(a) Lease and hire purchase assets	412	
(b) Other credit facilities	413	
(iii) Doubtful assets	414	
(iv) Loss assets	415	
Total (411 to 415)	**410**	
Note: (item 410 should tally with CT200)		

II. Aggregate provisioning in respect of I above as per the Directions prescribed

Item Name	Item code	Provision required	Actual provision made
(A) Loans, advances and other credit facilities			
(i) Sub-standard assets :			
(a) entire amount taken to the credit of profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [Para 3(2) of the directions]	421		
(b) 10% of the balance of outstanding dues	422		
(ii) Doubtful assets :			
(a) entire amount taken to the credit of profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [Para 3(2) of the directions]	423		

Item Name	Item code	Provision required	Actual provision made
(b) 100% to the extent not covered by realisable value of security plus 20 to 50% of the secured portion for the period the asset has remained doubtful	424		
(iii) Loss assets :			
(a) entire amount taken to the credit of profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [Para 3(2) of the directions]	425		
(b) 100 % of the outstanding balance	426		
Total: (item No.421 to 426)	**ST426**		
(B) Hire purchase and Leased assets			
(i) Sub-standard assets : [Para 8(2) of the directions]			
Hire Purchase assets			
(a) entire amount taken to the credit of profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [Para 3(3) of the directions]	427		
(b) deficit between total dues and depreciated value [Para 8(2)(i) of the directions]	428		
(c) 10% of net book value [Para 8(2)(ii) of the directions]	429		
Leased Assets			
(d) net lease rentals credited to profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [Para 3(4) of the directions]	430		
(e) 10% of the net book value [Para 8(2)(ii) of the directions]	431		

Item name	Item code	Provision required	Actual provision made
(ii) Doubtful assets Hire Purchase assets			
(a) entire amount taken to the credit of profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [Para 3(3) of the directions]	432		
(b) deficit between total dues and depreciated value [Para 8(2)(i) of the directions]	433		
(c) 40% of net book value [Para 8(2)(ii) of the directions]	434		
Leased Assets			
(d) net lease rentals credited to profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [Para 3(4) of the directions]	435		
(e) 40% of the net book value [Para 8(2)(ii) of the directions]	436		
Hire Purchase assets			
(f) entire amount taken to the credit of profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [Para 3(3) of the directions]	437		
(g) deficit between total dues and depreciated value [Para 8(2)(i) of the directions]	438		
(h) 70% of net book value [Para 8(2)(ii) of the directions]	439		
Leased Assets			
(i) net lease rentals credited to profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [Para 3(4) of the directions]	440		
(j) 70% of the net book value [Para 8(2)(ii) of the directions]	441		

Item name	Item code	Provision required	Actual provision made
(iii) Loss assets			
Hire Purchase assets			
(a) entire amount taken to the credit of profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [Para 3(3) of the directions]	442		
(b) deficit between total dues and depreciated value [Para 8(2)(i) of the directions]	443		
(c) 100% of net book value [Para 8(2)(ii) of the directions]	444		
Leased Assets			
(a) net lease rentals credited to profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [Para 3(4) of the directions]	445		
(b) 100% of the net book value [Para 8(2)(ii) of the directions]	446		
Sub-Total: (item No.427 to 446)	**ST 446**		
Total provisions (ST426+ST446)	**420**		
III. Other provisions in respect of :			
(i) Depreciation in fixed assets	451		
(ii) Depreciation in investments	452		
(iii) Loss/intangible assets	453		
(iv) Provision for taxation	454		
(v) Gratuity/provident fund	455		
(vi) Others (to be specified)	456		
Total	**450**		

PART- G

Particulars regarding investments in and advances to companies/firms in the same group and other NBFCs

Item name	Item code	Amount
i) Book value of bonds and debentures and outstanding loans and advances to and deposits with subsidiaries and companies in the same group (Details to be enclosed in Appendix No.).	510	
ii) Investments in shares of subsidiaries and companies in the same group and all non-banking financial companies (Details to be enclosed in Appendix No.).	520	
iii) Investments by way of shares, debentures, loans and advances, leasing, hire purchase finance, deposits etc. in other companies, firms and proprietary concerns where directors of the company hold substantial interest (Details to be enclosed in Appendix No.).	530	

PART - H

Particulars regarding concentration of advances including off balance sheet exposure and investments to parties including those in Part G above

Item name	Item Code	Amount
i) Loans and advances including off-balance sheet exposures to any single party in excess of 15 per cent of owned fund of the NBFC. (Details to be enclosed in Appendix No.)	610	
ii) Loans and advances including off-balance sheet exposures to a single group of parties in excess of 25 per cent of owned fund of the NBFC. (Details to be enclosed in Appendix No.)	620	
iii) Investments in a single company in excess of 15 per cent of the owned fund of the NBFC. (Details to be enclosed in Appendix No.)	630	

Item name	Item Code	Amount
iv) Investments in the shares issued by a single group of companies in excess of 25 per cent of the owned fund of the NBFC	640	
v) Loans, advances to (including debentures/ bonds and off-balance sheet exposures) and investment in the shares of single party in excess of 25 per cent of the owned fund of the NBFC	650	
vi) Loans, advances to (including debentures/ bonds and off-balance sheet exposures) and investment in the shares of single group of parties in excess of 40 per cent of the owned fund of the NBFC	660	

Notes :

(1) All these exposure limits are applicable to the NBFC's own group as well as to the borrower/investee company's group.
(2) Investment in debentures for this purpose shall be treated as credit and not investment.

Part - I

Particulars regarding Investments in premises and unquoted shares

Item name	Item Code	Amount
(i) Investments in Premises, (Land and buildings) except for own use, (out of item code 253 in the return) held by the company in excess of 10 percent of the owned fund		
(a) Acquired by the company independently	710	
(b) Acquired in satisfaction of its debts.	720	
(ii) Investments in unquoted shares except those held in the subsidiaries and companies in the same group (vide item code 141 and 142) in excess of		
(a) 10 percent of the owned fund in case of equipment leasing and hire purchase finance companies	730	

(b) 20 percent of the owned fund in case of loan and investment companies"	740	

PART – J

Particulars on suit filed and decreed debts by the NBFC and against it

Item Name	**Item Code**	**Amount**
I.		
(i) Loans, advances, other credit facilities, leased assets and hire purchase assets for which the NBFC have filed suits in any Court of Law for recovery of its dues including the decreed debts :	810	
Pending for over 5 years	811	
Pending for 3 to 5 years	812	
Pending for 1 to 3 years	813	
Pending for less than one year	814	
(ii) Out of (i) above, the loans, advances, other credit facilities and hire purchase assets for which decree has been obtained by the NBFC	820	
(iii) Recoveries made in suit filed / decreed debts (including amounts deposited in the Court)	830	
II. Suit filed and decreed against the company	840	

CERTIFICATE

Certified that

(1) the data/information furnished in this statement are in accordance with the directions issued by the Reserve Bank of India relating to income recognition, accounting standards, asset classification, provisioning for bad and doubtful debts, capital adequacy and concentration of credit and investments. The statement has been compiled from the books of account and other records of the company and to the best of my knowledge and belief they are correct;

(2) Reserve Bank's classification of the company as a ....on the basis of its principal business as evidenced from its asset and income pattern continues/does not continue to hold good (delete whatever is not applicable);

(3) The company has accepted public deposit and the quantum of such deposit is within the limits applicable to the company;

(4) the company has not paid interest/brokerage on deposit beyond the ceiling prescribed under the directions;

(5) the company has not defaulted in repayment of matured deposit;

(6) the credit rating for fixed deposits assigned by the Credit Rating Agency viz.-- (Name of the Agency) at ------------------(rating level) is valid;

(7) the capital adequacy as disclosed in part C of the return after taking into account the particulars contained in part D, E and F has been correctly worked out;

(8) classification of assets as disclosed in part F of the return has been verified and found to be correct. No rollover/rephasement of loans, lease and hire purchase transactions and bills discounted beyond due dates has been observed. The sub-standard or doubtful or loss asset, if up-graded, has been done so, in conformity with the Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions 1998;

(9) investments in group companies as disclosed in part G of the return and exposures to individuals/firms/other companies exceeding the credit/investment concentration norms as disclosed in part H of the half-yearly return and classification of such assets is correct; and

(10) net owned fund as per tier-I capital of the company has been correctly worked out.

Place :

Date :

For and on behalf of
(Name of the company)

Managing Director/Chief
Executive Officer

Auditor's Report

We have examined the books of accounts and other records maintained by.................................... Limited in respect of the capital funds, risk assets/exposures and risk asset ratio etc. as on ....19... and statements herein above made by the Managing Director/Chief Executive Officer of the company or his authorised representative. We report that to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and as shown by the record examined by us the figures shown in Parts A, B, C, D, E, F, G and H of the statement herein above are correct.

Place :

Date :

Statutory Auditors

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
CENTRAL OFFICE
CENTRE I, WORLD TRADE CENTRE
CUFFE PARADE, COLABA
MUMBAI - 400 005

NOTIFICATION No. DNBS.143/CGM(VSNM)-2000 dated June 30, 2000

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987, hereby, in exercise of the powers conferred by Section 45J, 45K, 45L and 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the said Directions contained in Notification No.DFC.55/DG(O)-87 dated the 15th May 1987 stand amended, with immediate effect, as follows, namely :-

1. After paragraph 4 C, a new paragraph 4 D shall be inserted, -

"**Mandatory compliance with Prudential Norms**

4 D A residuary non-banking company shall not accept or renew deposits without complying with all the requirements of Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998 as contained in Notification No. DFC. 119 /DG(SPT)-98 dated January 31, 1998."

2. Paragraph 5 shall be substituted by the following, namely, -

"5. On and from July 1, 2000, the amount payable by way of interest, premium, bonus or other advantage, by whatever name called, by a residuary non-banking company in respect of deposits received from that date, shall not be less than the amount calculated -

(i) at the rate of 6 per cent per annum (to be compounded annually) on the amount deposited in lump sum or at monthly or longer intervals; and

(ii) at the rate of 4 per cent per annum (to be compounded annually) on the amount deposited under daily deposit schemes."

Provided that where at the request of depositor, a residuary non-banking company makes repayment of the deposit after the expiry of a period of one year but before the expiry of the period for which the deposit had been accepted, the amount payable by the company by way of interest, premium, bonus or other advantage on such deposit shall be reduced by one percentage point from the rate which the company would have ordinarily paid by way of interest, bonus, premium or other advantage, had the deposit been accepted for the period for which such deposit had run.

3. In paragraph 6, in sub-paragraph (1), the clause (b), the sub-clause (i), shall be substituted by the following, namely, -

(i) "not more than two percent of the aggregate amount of the liabilities to the depositors shall be invested in any scheme/s of a Mutual Fund which is governed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and the aggregate of such investment shall not exceed ten per cent of the aggregate amount of liabilities to the depositors:

Provided that the investment in any scheme/s of Unit Trust of India may be upto ten per cent of the aggregate amount of liabilities to the depositors."

4. Schedule A appended to the said Directions stands substituted by Return NBS 1A appended hereto.

(V.S.N. Murty)
Chief General Manager-In-Charge

Encls : As above

Form - NBS 1A

Annual Return on Deposits as on 31, March 20..
(To be submitted by all Residuary Non-Banking Companies)

File Number	
ID Number	
Nature of business	
District Code	
State Code	
(To be filled in by RBI)	

Name of the Company: ....

Instructions for filling in the Return - General

1. This Return should be submitted by a Residuary Non-Banking Company covered by para (14) of Notification No.DFC.55/DG (O)-87 dated 15th May 1987, to the Regional Office of Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank of India where its Registered Office is situated, once a year, after March 31 and latest by September 30, **with reference to its position as on March 31**, irrespective of the date of closing of the financial year of the Company concerned. A Certificate from the Auditors of the Company should be appended to the Return as per format furnished herewith. However, only in respect of **Part 3,** the information should be furnished as per the latest balance sheet but preceding the date of the return.

   N.B. *In terms of Notification No.DNBS.135/CGM(VSNM)-2000, dated 13-1-2000, RNBCs shall prepare their balance sheets and profit and loss accounts as on March 31, every year with effect from its accounting year ending with 31st March 2001. Therefore with effect from accounting year ending 31st March 2001, the information in Part 3 of the return shall be as on the date of current balance sheet thus coinciding with the date of return.*

2. Submission of the Return should not be delayed for any reason such as the finalisation/ completion of the Audit of the annual Accounts. The compilation of the Return should be on the basis of the figures available in the books of account of the company and should be certified by its Statutory Auditors.

3. **The number of accounts** should be given in actual figures while **the amounts of deposits should be shown in lakhs of rupees.** The amount should be rounded off to the nearest lakh. Illustratively, an amount of Rs.4,56,100 should be shown as 5 and not as 4.6 or

5,00,000. Similarly, an amount of Rs.61,49,500 is to be shown as 61 and not as 61.5 or 61,00,000.

4. The Return should be signed by a Manager (as defined in Section 2 of the Companies Act, 1956) and if there is no such Manager, by Managing Director or any official of the Company who has been duly authorised by the Board of Directors and whose Specimen Signature has been furnished to the Reserve Bank of India for the purpose. In case the Specimen Signature has not been furnished in the prescribed card, the Return must be signed by the authorised official and his Specimen Signature furnished separately.

5. In case there is nothing to report in any part / item of the Return, the relevant part/ item may be marked *'Nil'* in the column meant for *"No. of accounts"* and ***00s*** may be indicated in the column meant for *"Amount"*

6. 'Subsidiaries' and 'Companies in the same group' mentioned in this Return have the same meanings assigned to them in Section 4 and Section 372 (11) respectively, of the Companies Act, 1956 as appearing prior to amendment to Companies Act dated 31st October 1998.

7. In case this return is being filed through electronic media (internet), to the specified Web Server; or a floppy diskette (Floppy size 3.5"), a hard copy of the same may be submitted to the concerned Regional Office duly signed .

Company Profile

1.	Name of the Company						
2.	Address of the Registered Office						
			PIN				
	Phone Nos.		Fax No.		e-mail		
3.	Name of the State in which the company is registered						
4.	Address of the Corporate/ Head Office						
			PIN				
	Phone Nos.		Fax No.		e-mail		
5.	Date of Incorporation						
6.	Date of Commencement of Business						
7.	Name and Residential Address of : i) Chairman						
	ii) Managing Director/ CEO						
8.	Is it a Government Company (Please tick) :			Yes		No	
9.	Status of the company (Please tick) :						
		(i) Public Ltd.			(ii) Deemed Public		
		(iii) Private Ltd.			(iv) Joint Venture		
10.	Financial Year of the Company						
11.	Nature of business						

12.	Status of registration with RBI i) Number and Date of Certificate of Registration if issued by RBI	
	ii) If not registered, indicate whether the application submitted for registration is rejected/ pending	
13.	Number of Branches / Offices (Please enclose a list of names and addresses thereof in the format given below as per Note 1)	
14.	If a subsidiary company, please indicate the name and address of the holding company	
15.	If the company is having subsidiaries / associate companies, number thereof (Please enclose a list of names, addresses, Names of Directors and particulars of business activities thereof in the format given below as per Note 2)	
16.	If a Joint Venture, name and address of the Promoting institution(s)	
17.	Name of the Company's statutory auditors with Address and phone numbers	
18.	Name(s) of the company's Bankers with addresses and phone numbers	

Note (1) : Format for furnishing the details of branches :

Sr.No.	Name of the branch	Date of opening	Address	City	District	State	Amount of public deposit
	Total No. of Branches						Total Public Deposits of all the branches .....(Amount)
							Total Public Deposits as per Balance Sheet dated .... (Amount)

Note (2) : Format for furnishing the details subsidiaries:

Sr.No.	Name of the subsidiary	Address	Name of the Directors	Business Activity

PART - 1

Particulars of deposits outstanding as on 31st March, 200..

(Rupees in lakhs)

Item No.	Particulars	Item Code	Number of Certificates outstanding	Amount (Please see note 3)
1	Money received by issue of non-convertible and optionally convertible debentures/bonds (vide Note 1 below) : (i) Secured (ii) Unsecured	 111 112		
2.	Deposits received from: (i) Shareholders (ii) Others	 113 114		
3.	Total (111 to 114)	**110**		
4.	Deposits matured but not claimed as on the date of return	115		
5.	Deposits matured and not claimed and remaining outstanding for seven years including the year of maturity	116		

NOTES:

(1) In the case of partly convertible debentures/bonds, the non-convertible portion should be included under this item and the convertible portion should be shown against item 4 of Part-2.

(2) The amounts shown in Part-1 should not be shown in Part-2.

(3) The amount shown against item 2 should include interest accrued or payable to the depositors.

(4) The amount shown against item 5 should include the total amount of deposits received together with interest, bonus, premium or other advantage, accrued or payable to the depositors.

(5) Of the total deposits at item 2 above, deposits which are collected in lumpsum and/or by way of subscriptions in instalments under any scheme, the following break-up may be given scheme- wise/period-wise.

Break-up of deposits shown under Item 2 of Part - 1

I. Period - wise details of deposits

Period/ Denomination of Certificate	Item Code	PART - A Deposits accepted/ Certificates sold before 15.5.1987		PART - B Deposits accepted/ Certificates sold on and from 15.5.1987 to 11.4.1993		PART -C Deposits accepted/ Certificates sold on or after 12.4.1993		Total (A+B+C)	
		No. of Certificates outstanding	Total amount of deposits	No. of Certificates outstanding	Total amount of deposits	No. of Certificates outstanding	Total amount of deposits	No. of Certificates outstanding	Total amount of deposits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(a) Upto 5 years									
i) upto 5,000	141								
ii) 5,001 - 10,000	142								
iii) 10,001 - 15,000	143								
iv) 15,001 - 25,000	144								
v) 25,001 - 50,000	145								
vi) Above 50,000	146								
Total	140								
(b) Above 5 years & upto 7 years									
i) upto 5,000									
ii) 5,001 - 10,000	151								
iii) 10,001 - 15,000	152								
iv) 15,001 - 25,000	153								
v) 25,001 - 50,000	154								
vi) Above 50,000	155								
	156								
Total	150								
(d) Above 7 years									
i) upto 5,000	161								
ii) 5,001 - 10,000	162								
iii) 10,001 - 15,000	163								
iv) 15,001 - 25,000	164								
v) 25,001 - 50,000	165								
vi) Above 50,000	166								
Total	160								
Grand Total (140+150 +160)	170								

II. Rate of Interest - wise details of deposits

Period/ Denomination of Certificate	Item Code	Rate of Interest 4%	Rate of Interest 6%		Rate of Interest 8%	Rate of Interest 10%	Rate of Interest above 10%	Total
			Accepted prior to 30 June, 2000	Accepted after 30 June, 2000				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(a) Upto 5 years								
i) upto 5,000	141A							
ii) 5,001 - 10,000	142A							
iii) 10,001 - 15,000	143A							
iv) 15,001 - 25,000	144A							
v) 25,001 - 50,000	145A							
vi) Above 50,000	146A							
Total	140A							
(b) Above 5 years & upto 7 years								
i) upto 5,000								
ii) 5,001 - 10,000	151A							
iii) 10,001 - 15,000	152A							
iv) 15,001 - 25,000	153A							
v) 25,001 - 50,000	154A							
vi) Above 50,000	155A							
	156A							

Total	150A						
(c) Above 7 years i) upto 5,000 ii) 5,001 - 10,000 iii) 10,001 - 15,000 iv) 15,001 - 25,000 v) 25,001 - 50,000 vi) Above 50,000	 161A 162A 163A 164A 165A 166A						
Total	160A						
Grand Total (140 A+150A +160 A)	170A						

NOTES:

1. The amounts shown under columns 4, 6, 8 and 10 should represent the aggregate of the denominations of the certificates issued/deposits accepted and should **not** include the interest, bonus, premium and other advantages, accrued or payable to the depositors.

2. The period-wise classification of certificates issued/deposits accepted should be made according to the periods they have been originally issued/accepted/renewed and **not** according to the periods they have to run as from the 31st March, i.e. the date of this return.

3. Brief details of the types of savings schemes, face value, duration, number and amount of instalments payable and the amount payable by way of interest, premium, bonus or other advantage by whatever names called, may be given as annexure/s.

Details of defaults in respect of deposits shown at item 2 in Part I

Particulars	Item Code	Number of Certificates outstanding	Face value	Total amount of deposits in respect of column (3) as on **31.3.20.....**
A. Of the total deposits i) those which have matured/become payable but not claimed	181			
ii) those which have become payable/ surrendered/claimed but not paid :				
a) outstanding at the beginning of the year	182			
b) out of (a) above, repaid during the year	183			
c) matured/surrendered/claimed during the year but not paid i.e. additions during the year.	184			
d) outstanding at the end of the year	185			
e) out of (d) above, those involved in litigation.	186			
B. Of the total deposits i) Certificates sold/issued during the year	187			
ii) Certificates renewed/revived during the year.	188			

NOTE:

The reasons for non-payment of each deposit and the steps taken for repayment should be indicated in an annexure.

Part - 2

Particulars of exempted borrowings not counting as deposits in terms of section 45 I (bb) of the Reserve Bank of India Act, 1934

Item No.	Particulars	Item Code	Number of Accounts	Amount
1.	Borrowings from banks and other specified financial institutions	201		
2.	Money received from employees of the company by way of security deposits	202		
3.	Money received by way of security or advance from purchasing, selling or other agents in the course of company's business or advance received against orders for supply of goods or properties or for rendering of services	203		
4.	Money received by issue of convertible debentures/ bonds (See also item No.1 of Part-1)	204		
5.	Money received by way of subscription to any shares or convertible debentures/bonds pending allotment or money received by way of Calls in advance on shares in accordance with the Articles of Association so long as such amount is not repayable to the shareholders under the Articles of Association of the company.	205		
6.	Total (201 to 205)	**200**		

Part - 3

Net Owned Fund

[Figures to be furnished as per the latest balance sheet preceding the date of the Return or as per balance sheet as on the date of return]
[Balance sheet as on ....]

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Capital Fund i) Paid-up Equity Capital	311	
	ii) Free Reserves*	312	
2.	Total (311 + 312) – A	**310**	
3.	(i) Accumulated balance of loss	321	
	(ii) Balance of deferred revenue expenditure	322	
	(iii) Other intangible assets (please specify)	323	

4.	Total (321 to 323) – **B**	**320**	
5.	Owned Fund i.e. **C = (310 – 320) i.e. (A – B)**	**330**	
6.	Book value of investments in shares of		
	(i) subsidiaries of the company	341	
	(ii) companies in the same group	342	
	(iii) all other non-banking financial companies (Details in Annexure No.)	343	
7.	Book value of debentures and bonds of		
	(i) subsidiaries of the company	344	
	(ii) companies in the same group (Details in Annexure No.)	345	
8.	Outstanding loans and advances (including inter-corporate deposits, hire purchase and lease finance**) made to, and deposits with		
	(i) subsidiaries of the company	346	
	(ii) companies in the same group (Details in Annexure No.)	347	
9.	Aggregate of 341 to 347 = **D**	**340**	
10.	Amount of 340 in excess of 10% of 330 = **E**	**350**	
11.	Net Owned Fund (330 - 350) i.e. **F = (C - E)**	**300**	

NOTES:

* "Free Reserves" mentioned under item 1 of Part 3 shall include the balance in the share premium account, capital and debenture redemption reserves and any other reserve shown or published in the balance sheet and created through an allocation of profits (including credit balance of Profit & Loss Account) but not being :

(i) a reserve created for repayment of any future liability or for depreciation of assets or for provision against non-performing assets/bad debts; or

(ii) a reserve created by revaluation of the assets of the company.

** 'Hire purchase' exposures would mean stock-on-hire less unmatured finance charges. 'Lease finance' would mean written down value of Assets on lease +/- Lease Adjustment Account.

Part - 4

Particulars relating to security for depositors as at the preceding 30[th] September and 31[st] March, 20...., the date of this return

Name of the Designated Bank and Branch------- ---- --

Item No.	Particulars	Item Code	Prior to commencement of the Directions i.e. before May 15, 1987		After the commencement of the Directions i.e. on and from May 15, 1987	
			30.9.20...	31.3.20...	30.9.20...	31.3.20...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Total amount of deposits (please see note 1)	400				
2.	Investments in approved securities in terms of Section 45-IB of the RBI Act, 1934	410				
3.	**Security for deposits(Free from any charge or lien)**					
	(a) Fixed Deposits with and certificates of deposits issued by scheduled commercial bank/s and public Financial Institutions	411				
	(b) Investments(at Market Value) in securities of Central and /or State Governments, Government guaranteed bonds and other approved securities other than those reported at 2 above.	412				
	(c) Investment (at Market Value) in debentures /bonds/commercial paper, rated not less than AA+ or its equivalent, of:					
	i) Companies other than companies in the same group/subsidiaries	413				
	ii) Government company or public sector bank or public financial institution or any corporation established or constituted by Central or State enactments.	414				
	(d) Investment (at Market value) in Units of					
	(i) Unit Trust of India	415				

	(ii) Other Mutual Funds approved by SEBI (with Mutual Fund- wise break up)	416				

NOTES:

1. 'Total amount of deposits' would mean amount of deposits received together with interest, bonus, premium or other advantage, accrued or payable to the depositors. The aggregate of the amounts under columns 5 and 7 against item 1 of this Part should agree with item 2 of Part-1.
2. If the investments against items 3(a) and 3(b) above were less than the prescribed minimum in paragraphs 6(a) and (b) of Notification No. DFC.55/DG(O)-87 dated 15.5.1987, the company must explain in an accompanying letter the reasons therefor.
3. The name of the public sector bank with which the above securities are entrusted in terms of paragraph 6(3) of the above notification may be mentioned. If no such bank has been entrusted with the securities, the reasons therefor must be mentioned in an accompanying letter.
4. Please give full particulars of the fixed deposits/securities mentioned against items 2 and 3 above, indicating their book value and market value (in case of securities) in an Annexure (Annexure No.).

Part - 5

Statement showing investments at book value (other than those mentioned at items 6 & 7 of Part-3)

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Investments in shares of and debentures/bonds and commercial papers issued by companies and contribution to the capital of firms and proprietary concerns where directors of the company hold substantial interest. (Please see note 1) (Details in Annexure No.)	511	
2.	Shares, debentures/bonds and commercial papers of other companies	512	
3.	Other Investments:		
	(i) Fixed deposits with banks/certificates of deposits issued by banks (other than those included in Part-4)	513	
	(ii) Balances in any other deposit accounts with bank(s)	514	
	(iii) Others (Please furnish a list showing book value and market value)	515	
4.	Total (513 to 515)	520	
5.	Grand Total (511 + 512 +520)	**500**	

NOTES:

1. 'Substantial interest' means holding of a beneficial interest by an individual or his/her spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares of a company, the amount paid up on which exceeds ten per cent of the paid up capital of the company or total capital subscribed by all the partners of a partnership firm.

2. Details of shares, debentures and commercial papers held in investment account or by way of stock-in-trade should be included in this part.

3. Fixed deposits with companies should **not** be included here but should be shown in Parts 3 & 6.

Part - 6

Statement showing outstanding credit exposures viz., loans and advances, hire-purchase and equipment leasing, bills discounting, inter-corporate deposits (other than those mentioned at item 8 of Part - 3)

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Companies, firms and proprietary concerns where directors of the company hold substantial interest (Please see note 1 of Part-5). (Details in Annexure No.)	601	
2.	Others:		
	(i) Companies not in the same Group	611	
	(ii) Directors	612	
	(iii) Shareholders	613	
	(iv) Chief Executive Officer and other employees	614	
	(v) Purchasing, Selling and other Agents	615	
	(vi) Depositors	616	
	(vii) Others	617	
3.	Total (611 to 617)	620	
4.	Grand Total (601 + 620)	**600**	

NOTE:

Sundry debtors, tax paid in advance and other recoverable items not in the nature of loans and advances should ***NOT*** *be shown in this statement.*

Part - 7

Business statistics / information for the year ended 31st March, 20.....

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
	I. Disbursements (Fund based activities):		
1	Equipment leasing:		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	701	
	(b) Total disbursement during the year	702	
2	Hire purchase:		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	703	
	(b) Total disbursement during the year	704	

3	**Loans**		
	(a) Loans against shares to corporates:		
	(i) Outstanding balances as on the date of the return	705	
	(ii) Total disbursement during the year	706	
	(b) Loans against shares to individuals:		
	(i) Outstanding balances as on the date of the return	707	
	(ii) Total disbursement during the year	708	
	(c) Loans against shares to brokers:		
	(i) Outstanding balances as on the date of the return	709	
	(ii) Total disbursement during the year	710	
	(d) Loans to finance Initial Public Offerings (IPOs):		
	(i) Outstanding balances as on the date of the return	711	
	(ii) Total disbursement during the year	712	
	(e) Inter-corporate loans / deposits:		
	(i) Outstanding balances as on the date of the return	713	
	(ii) Total disbursement during the year	714	
	(f) Others	715	
4	Bills Purchased/Discounted:		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	716	
	(b) Total disbursement during the year	717	
5	Of 4 above, bills rediscounted:		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	718	
	(b) Total volume during the year	719	
	II. Trading in shares / securities (quoted other than SLR)		
6	Purchases / sales of shares / debentures / commercial papers:		
	(a) Purchases	720	
	(b) Sales	721	
	III. Fee based activities		
7.	Guarantees issued for Capital Market Operations:		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	722	
	(b) Total volume during the year	723	
8.	Guarantees issued for other purposes:		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	724	
	(b) Total volume during the year	725	
9.	Lease / Hire purchase syndicated during the year	726	
10.	Loan / ICDs syndicated during the year	727	
11	Bills syndicated during the year	728	
12	**Underwriting :**		
	(a) Total amount underwritten	729	
	(b) Amount devolved	730	
	(c) Outstanding commitments	731	

Part - 8

Status of overdues

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1	Lease overdues more than 12 months	801	
2	Lease overdues up to 12 months	802	
3	Hire purchase overdues more than 12 months	803	
4	Hire purchase overdues up to 12 months	804	
5	Other overdues more than 6 months	805	
6	Other overdues up to 6 months	806	
7	**Total 801 to 806)**	**810**	

Part - 9

Particulars of selected Income and Expenditure Parameters
(Please see instructions given below)

1	**Fund-based income :** Gross lease income, if any	901	Amount
2	Less : Depreciation on Assets on Lease + / - Lease Equalization	902	
3	Net lease income **(901- 902)**	**903**	
4	Hire purchase income, if any	904	
5	Bills discounting income	905	
6	Investment income (a) From fixed deposits / Certificate of Deposits	906	
	(b) From Government / approved securities	907	
	(c) Dividend / interest on other investments	908	
	(d) Profit / Loss (+ / -) on sale of shares / debentures / commercial papers	909	
7	Interest income (a) Inter-corporate deposits / loans	910	
	(b) Other loans and advances	911	
	(c) One- time charge from new depositor / subscriber towards cost of expenses for issuing brochure, application form and servicing of the depositor's account	912	
	(d) Bill discounting income (Net of rediscounting charges)	913	
8	Other fund based income (Please specify)	914	
9	Total fund based income **(903 to 914)**	**920**	

	Fee based income		
10	Income from merchant banking activities	921	
11	Underwriting commission	922	
12	Income from syndication of bills, loans, ICDs, lease & hire purchase	923	
13	Miscellaneous income	924	
14	**Total fee-based income (921 to 924)**	**930**	
15	**Total Income (920+930)**	**940**	
	Interest and other financing costs		
16	Interest paid on fixed deposits	941	
17	Interest paid on ICDs	942	
18	Brokerage / Agents' Commission	943	
19	Reimbursement of expenses to brokers / Agents	944	
20	Other financing costs	945	
21	Bills rediscounting charges	946	
22	**Total financing costs (941 to 946)**	**950**	
	Operating expenses		
23	Employee costs	951	
24	Other administrative costs	952	
25	**Total operating costs (951 + 952)**	**955**	
26	Depreciation on own assets	956	
27	Intangible assets amortised	957	
28	Provision for diminution in value of investments	958	
29	Provision against Non-Performing Assets	959	
30	Other Provisions if any	960	
31	**Total expenses (950 + 955 + 956 to 960)**	**970**	
32	**Profit before tax (940 – 970)**	**980**	
33	**Tax**	**990**	
34	**Profit after tax (980 – 990)**	**900**	

Instructions :

(1) Particulars in this part should be for a full financial year. If the company closes its books on any date other than on 31st March, the date of closing of the books and the period should be indicated.

(2) "Gross lease income" includes lease rentals (net of rebate), lease management fees, lease service charges, up-front fees, profit on sale of leased assets and delayed / late payment charges relating to lease business (including interest/compensation charges on advance payment for purchase of assets in respect of lease agreements entered into / finalised).

(3) 'Lease equalisation account' has the same meaning as in the Guidance Note on Accounting for Lease (revised) issued by ICAI.

(4) 'Hire purchase income' includes finance charges(net of rebate), hire service charges, delayed / late payment charges, up-front fees and other income relating to hire purchase business (including interest earned on advance payment for acquisition of hire purchase assets for identified hirers).

C E R T I F I C A T E

1. Certified that the directions contained in the Residuary Non-Banking Companies(Reserve Bank) Directions, 1987 (as amended from time to time) are being complied with.

2. Further certified that the particulars / information furnished in this Return have been verified and found to be correct and complete in all respects.

Signature of Manager / Managing Director / Authorised Official

Date :
Place:

Auditor's Report

We have examined the books of account and other records maintained by ---------------- --------- -----------------Company Ltd. in respect of the data furnished in this return and report that to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and shown by the records examined by us, the data furnished in this return are correct.

Place: Signature

Date: Name of the Chartered Accountants

Enclosures to the return:

1. The following documents should be submitted along with the return in case they have not already been sent. Please tick in the box against the item for the documents enclosed and state the date of submission in other cases.

   (i) A copy of the audited balance sheet and profit and loss account dated nearest to the date of return.

   (ii) Specimen signature card.

   (iii) A copy of application form referred to in paragraph 8 of the Notification No. DFC.55/DG(O)-87 dated 15th May, 1987.

2. A list of Principal officers and the names and addresses of the directors in the form enclosed is to be sent with this return.

Part - 10

List of principal officers and directors of ______________________ Ltd.

I. Principal Officers

Sr. No.	Name	Designation	Address & Tel. No.	If director in any company / ies, name(s) of the company / ies

II. Directors

Sr. No.	Name	Address	% of equity shares of the company held by the director, his spouse and minor children	Names of other companies where he/she is a director

Signature of Manager / Managing Director / Authorised Official ______________________

Name : ______________________

Designation : ______________________

Place: ______________________

Date : ______________________

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
CENTRAL OFFICE
CENTRE I, WORLD TRADE CENTRE
CUFFE PARADE, COLABA
MUMBAI - 400 005

NOTIFICATION No. DNBS.144/CGM(VSNM)-2000 dated June 30, 2000

In exercise of powers conferred under sub-section (2) of section 45-IB of the Res Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in partial modification of Notification No. 108/ED(JRP)-97 dated April 30, 1997, the Reserve Bank of India, on being satisfied it is necessary so to do, hereby directs that the forms for quarterly return I and II stand substituted, with immediate effect, by Returns NBS 3 and NBS 3A, as appe hereto.

(V.S.N. Murty)
Chief General Manager-In-Charge

Encls : As above

Form - NBS 3

Quarterly Return on Statutory Liquid Assets for the Quarter ended March/June/September/December, 20.....

(To be submitted by NBFCs vide Section 45-IB(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934 read with Reserve Bank of India (NBFC) Returns Specifications 1997)

1.	Name of the Company				
2.	Company Code				
3.	Address of the Registered Office		PIN		
	Phone Nos.		Fax No.		e-mail address
4.	Address of the Corporate/ Head Office		PIN		
	Phone Nos.		Fax No.		e-mail address
5.	Status of registration with RBI : i) Number and date of Certificate of Registration if issued by RBI				
	ii) If not registered, indicate whether the application submitted for registration is rejected/ pending				
6.	Classification of the Company (HP / Equipment Leasing / Loan / Investment etc.)				

Part A

Details of Public Deposits and Maintenance of Liquid Assets

I. Details of Public Deposits outstanding as at the end of preceding second quarter i.e. March/June/September/December 20.... (Please see Note 1 below):

(Rupees in lakhs)

Sr.No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Deposits received from public in the form of Fixed Deposits, Recurring Deposits etc.	111	
2.	(i) Deposits received from shareholders by a Public Limited Company (other than Nidhis).	112	
	(ii) Deposits received from Joint shareholders other than the first named shareholder by a Private Limited Company.	113	
3.	(i) Money received by issue of Non-convertible unsecured debentures (please see Note 2 below)	114	
	(ii) Any other type of public deposits	115	
4.	**Total (111 to 115)**	**100**	

II. Details of Liquid Assets maintained:

1.	Prescribed amount of Liquid Assets required to be maintained at ....% of public deposits shown against item code **100** above	121	
2.	Statutory Liquid Assets actually maintained: (a) Unencumbered approved securities (Please submit a list of the securities as per Annexure-1)		
	(i) Central Government	122	
	(ii) State Government	123	
	(iii) Deposits in scheduled commercial banks (Please enclose a list as per Annexure - 2 shown below)	124	
	(b) Others (please furnish details separately)	125	
	Total (122 to 125)	**120**	
3.	(a) Name of the designated bank and address where the securities are lodged (please furnish details separately at Annexure-3) (b) Amount of securities lodged		
	(i) Book Value	126	
	(ii) Market Value	127	

4.	(a) Whether the company has maintained the required statutory liquid assets on a daily basis during the quarter under report? (please tick)		Yes	
			No	
	(b) If not, please indicate the date-wise position of the shortfall during the quarter (please furnish details as per Annexure-4)		Yes	
			No	
5.	(a) Whether the requirement of SLR was complied with during the last quarter? (please tick)		Yes	
			No	
	(b) If not, whether demand for penal interest was made by RBI? (please tick)		Yes	
			No	
	(c) If yes,			
	(i) amount	128		
	(ii) date of payment thereof	129		

Part B

Information regarding compliance of Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998 (as amended from time to time)

(Rupees in lakhs)

1.	Net owned fund (as per the last audited balance sheet of the company)	131	
2.	Capital Adequacy Ratio (as per the last audited balance sheet of the company)	132	
3.	**Credit rating** :		
	i) Rating assigned	133	
	ii) Date of rating	134	
	iii) Name of the Rating Agency	135	
	iv) Whether any change has occurred since the last rating (Please furnish details separately)	136	
4.	Public deposits outstanding as at the close of business on December 18, 1998	137	
5.	Quantum of excess public deposits held, if any, by the company as on December 18, 1998	138	
6.	Public Deposits outstanding as on date of this return (i.e. last working day of the quarter to which this return relates)	139	
7.	Quantum of public deposits permissible as per the provisions of Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998 as on date of this return	140	
8.	Quantum of excess public deposits remaining to be regularised on the date of this return	141	
9.	Deposits accepted during the quarter under reference	142	
10.	Deposits renewed during the quarter under reference	143	
11.	Deposits matured but remained unpaid/ not renewed as on the date of this return:		
	(a) No. of accounts	144	
	(b) Amount	145	
12.	Of 11 above, those where Company Law Board orders have been received		
	(a) No. of accounts	146	
	(b) Amount	147	

13.	(a) Steps taken/being taken to regularise the excess public deposits within the time frame permitted under the Directions (please furnish details in a separate statement)		
	(b) Steps taken to comply with Company Law Board orders (please furnish details in a separate statement)		

Part C

Information relating to opening and closing of branches / offices for collection of deposits

(a) List of branches/offices opened:

Name and address of the branches/offices	Date of opening	Reference No. and date of communication to RBI	Remarks

(b) List of branches/offices closed:

Name and address of the branches/offices	Date of publicity	Date of closing	Reference No. and date of communication to RBI	Remarks

We declare that the above information is true and correct.

Place :

Date : Name and signature of the authorised official

NOTE:

1. For the purpose of this return, assets should be maintained on daily basis and should relate to the public deposit liabilities (including interest accrued thereon) as defined in paragraph 1(1)(xii) of the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions 1998 as on the last working day of the second preceding quarter. For example, the liquid assets to be maintained on each day during the quarter ended 30th June 2000 (i.e. 1.4.2000 to 30.6.2000) should relate to the public deposit liabilities as at the close of business on the last working day of the quarter ended 31st December 1999.

2. The non-convertible unsecured debentures/bonds including interest accrued thereon should be included under this item.

Annexure-1

List of approved securities held towards liquid assets requirement

(Rupees in lakhs)

Sr. No.	Name of the security	Amount (at market value or carrying cost as the case may be)	Interest collection dates

Annexure-2

List of deposits held with scheduled commercial banks

(Rupees in lakhs)

Sr. No.	Name of the bank	Address of the bank's branch	Amount (including interest accrued)

Annexure-3

Name and address of designated bank(s)

Sr. No.	Name of the bank	Name of the branch and address	Remarks (Reference no. of letters of information to RBI)

Annexure - 4

Details of shortfall in maintenance of liquid assets

(Rupees in lakhs)

Date			Amount required to be maintained	Amount actually maintained	Shortfall
From	To	No. of days			

❄

Form - NBS 3A

Quarterly Return on Statutory Liquid Assets for the quarter ended March/June/September/December, 200..

(To be submitted by Residuary Non-Banking Companies vide Section 45-IB(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934 read with Reserve Bank of India (NBFC) Returns Specifications, 1997]

1.	Name of the Company				
2.	Company Code				
3.	Address of the Registered Office				
			PIN		
	Phone Nos.		Fax No.		e-mail address
4.	Address of the Corporate/Head Office				
			PIN		
	Phone Nos.		Fax No.		e-mail address
5.	Status of registration with RBI: i) No. and date of Certificate of Registration if issued by RBI				
	ii) If not registered, indicate whether the application submitted for registration is rejected/pending				

Part A

Details of Public Deposits and Maintenance of Liquid Assets

I. Particulars of deposits outstanding as at the close of business on the last working day of the relevant second preceding quarter i.e. quarter ended March/June/ September / December 20..... (Please see Note No. 1 shown below):

(Rupees in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Item Code	Amount
1	Money received by issue of non-convertible, optionally convertible debentures/bonds [Please see Note No. 2 below]	111	
2	Deposits received from		
	(i) Shareholders	112	
	(ii) Directors	113	
	(iii) Companies	114	
	(iv) Others - including deposits received from public	115	
	(c) Total (111 to 115)	**100**	

II. Details of approved investments required to be maintained as a percentage of Deposits shown against item code **100** and actually maintained :

Sr. No.	Particulars	Item Code	Amount
1	Unencumbered approved securities (vide Section 45-IB of RBI Act) (minimum investment required to be maintained being 10% of the deposits shown against item code **100**) (Please attach a list of approved securities as per Annexure-1) (i) Amount required to be maintained	121	
	(ii) Amount actually maintained	122	
	(iii) % of 122 to 100	123	
2	Fixed deposits/ certificate of deposits of scheduled commercial banks or public financial institutions in terms of para 6 (1)(a) of Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987 (minimum investment required to be maintained being 10% of the deposits shown against item code **100**) [Please attach a list of fixed deposits / certificate of deposits as per Annexure-2] (i) Amount required to be maintained	124	
	(ii) Amount actually maintained	125	
	(iii) % of 125 to 100	126	

3	Bonds or debentures or commercial papers of a Govt. company/ public sector bank/ public financial institution/ corporations established or constituted under any State or Central enactments or any other company incorporated under the Companies Act, 1956 or in any approved securities or in the manner at (a) above in terms of para 6 (1)(b) of Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987 (minimum investment required to be maintained being 60% of the deposit shown against item code **100**) [please see instruction No.3 below] (i) Amount required to be maintained	127	
	(ii) Amount actually maintained	128	
	(iii) % of 128 to 100	129	
	(a) Of 3 above, investments in Schemes of UTI (maximum investment allowed being 10% of the amount shown against item code 128) (i) Amount required to be maintained	130	
	(ii) Amount actually maintained	131	
	(iii) % of 131 to 128	132	
	(b) Of 3 above, investments in bonds or debentures or commercial papers of companies incorporated under the Companies Act,1956 (not being a subsidiary company or holding company or a company in the same group of the reporting RNBC) or a Government company or a public financial institution. (maximum investment allowed being 10% of the amount shown against item code 128) (i) Amount required to be maintained	133	
	(ii) Amount actually maintained	134	
	(iii) % of 134 to 128	135	
4	Other investments as approved by the company's Board of Directors - maximum being 20% of deposits shown against item code 100 or 10 times of NOF whichever is less (i) Amount permitted to be invested	136	
	(ii) Amount actually invested	137	
	(iii) % of 137 to 100	138	

Part B

Details of NOF, compliance etc.

Sr.No.	Particulars	Item Code	Amount	
1.	NOF as per the last audited balance sheet of the company	141		
2.	(a) Name of the designated branch and address where securities are lodged (please furnish details in Annexure-3 separately)			
	(b) Amount of securities lodged (i) Book value	142		
	(ii) Market value	143		
3.	(a) Whether the company has maintained the required assets in unencumbered approved securities on a daily basis during the quarter [see Note No.1 given below]		Yes	
			No	
	(b) If not, please indicate the date- wise position of the shortfall during the quarter (a separate statement to be attached as per annexure-4)			
4.	(a) Whether SLR requirement complied with during the last quarter?		Yes	
			No	
	(b) If not, whether demand for penal interest was made by RBI?		Yes	
			No	
	(c) If yes,			
	(i) amount	144		
	(ii) date of payment thereof	145		
5.	Public deposits outstanding as per the last audited balance sheet	146		
6.	Deposits matured for repayment as at the end of the quarter to which this return relates	147		
7.	Of 6 above, those involving Company Law Board (CLB) orders for repayment	148		
8.	Steps taken/being taken to repay the Deposits matured but not repaid: (i) Those covered by CLB orders			
	(ii) Other than those covered by CLB order (Please attach separate statements showing position in respect of 8 (i) and (ii) above.			

Part C

Information relating to opening and closing of branches / offices for collection of deposits

(a) List of branches/offices opened:

Name and address of the branches/offices	Date of opening	Reference No. and date of communication to RBI	Remarks

(b) List of branches/offices closed:

Name and address of the branches/offices	Date of publicity	Date of closing	Reference No. and date of communication to RBI	Remarks

We declare that the above information is true and correct.

Place :

Date ; Name and signature of the authorised official

NOTE;

(1) For the purpose of this return, assets should be maintained on daily basis and should relate to the deposit liabilities as on the last working day of the second preceding quarter. For example, the liquid assets to be maintained on each day during the quarter ended 31st March 2000 (i.e. 1.1.2000 to 31.3.2000) should relate to the deposit liabilities as at the close of business on the last working day of the quarter ended 30th September 1999.

(2) The non-convertible portion of partly convertible debentures/bonds, together with the value of the optionally convertible debentures should be included under this item.

(3) Bonds or debentures should not be rated less than AA+ or its equivalent by any one of the approved credit rating agencies and Commercial Papers should be rated as required in Notification IECD No.1/87(CP)-89/90 dated 11.12.1989 issued by RBI.

(4) Particulars of the designated banker/bankers and details of shortfall in maintenance of the liquid assets may be furnished in Annexure-3 and Annexure-4 respectively.

Annexure-1

List of approved securities held towards liquid assets requirement

(Rupees in lakhs)

Sr. No.	Name of the security	Amount (at market value or carrying cost as the case may be)	Interest collection dates

Annexure-2

List of deposits held with scheduled commercial banks

(Rupees in lakhs)

Sr. No.	Name of the bank	Address of the bank's branch	Amount (including interest accrued)

Annexure-3

Name and address of designated bank(s)

Sr. No.	Name of the bank	Name of the branch and address	Remarks (Reference no. of letters of information to RBI)

Annexure - 4

Details of shortfall in maintenance of liquid assets

(Rupees in lakhs)

Date			Amount required to be maintained	Amount actually maintained	Shortfall
From	To	No. of days			

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
CENTRAL OFFICE
CENTRE I, WORLD TRADE CENTRE
CUFFE PARADE, COLABA
MUMBAI - 400 005

NOTIFICATION No. DNBS.145/CGM(VSNM)-2000 dated June 30, 2000

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1977, in exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said directions contained in Notification No.DFC.39/DG(H)- 77 dated June 20, 1977 shall stand amended with immediate effect, as follows, namely –

First Schedule appended to the said Directions stands substituted by Return NBS 1 appended hereto.

(V.S.N. Murty)
Chief General Manager-In-Charge

Encls : As above

Form - NBS 1

Annual Return on Deposits as on 31, March 20..
(To be submitted by all Non-Banking Financial Companies accepting / holding public deposits, and MNBCs - except Residuary Non-Banking Companies)

File Number	
ID Number	
Nature of business	
District Code	
State Code	
(To be filled in by RBI)	

Name of the Company: ....

Instructions for filling in the Return - General

1. This Return should be submitted by a Non-Banking Financial Company covered by Para 8(3) of Notification No.DFC.118/DG(SPT)-98 dated January 31, 1998 and by a Miscellaneous Non-Banking Company covered by para 11 of the Notification No.DNBC.39 / DG (H)-77 dated June 20, 1977 to the Regional Office of Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank of India where its Registered Office is situated, once a year, after March 31 and latest by September 30, **with reference to its position as on March 31**, irrespective of the date of closing of the financial year of the Company concerned. A Certificate from the Auditors of the Company should be appended to the Return as per format furnished herewith. However, only in respect of **Part-3**, the information should be furnished as per the latest balance sheet but preceeding the date of the return.

   N.B. *In terms of Notification No.DNBS.135/CGM\(VSNM)-2000, dated 13-1-2000, NBFCs shall prepare their balance sheets and profit and loss accounts as on March 31, every year with effect from its accounting year ending with 31st March 2001. Therefore with effect from accounting year ending 31st March 2001, the information in Part 3 of the return shall be as on the date of current balance sheet thus coinciding with the date of return.*

2. Submission of the Return should not be delayed for any reason such as the finalisation/ completion of the Audit of the annual Accounts. The compilation of the Return should be on the basis of the figures available in the books of account of the company and should be certified by its Statutory Auditors.

3. **The number of accounts** should be given in actual figures while **the amounts of deposits should be shown in lakhs of rupees.** The amount should be rounded off to the nearest lakh. Illustratively, an amount of Rs.4,56,100 should be shown as 5 and not as 4.6 or 5,00,000. Similarly, an amount of Rs.61,49,500 is to be shown as 61 and not as 61.5 or 61,00,000.

4. The Return should be signed by a Manager (as defined in Section 2 of the Companies Act, 1956) and if there is no such Manager, by Managing Director or any official of the Company who has been duly authorised by the Board of Directors and whose Specimen Signature has been furnished to the Reserve Bank of India for the purpose. In case the Specimen Signature has not been furnished in the prescribed card, the Return must be signed by the authorised official and his Specimen Signature furnished separately.

5. In case there is nothing to report in any part / item of the Return, the relevant part/ item may be marked ***'Nil'*** in the column meant for *"No. of accounts"* and ***00s*** may be indicated in the column meant for *"Amount"*

6. 'Subsidiaries' and 'Companies in the same group' mentioned in this Return have the same meanings assigned to them in Section 4 and Section 372 (11) respectively, of the Companies Act, 1956 as appearing prior to amendment to the Companies Act dated 31st October 1998.

7. In case this return is being filed through electronic media(internet), to the specified Web Server, a hard -copy of the same may be submitted to the concerned Regional Office duly signed .

Company Profile

1.	Name of the Company				
2.	Address of the Registered Office		PIN		
	Phone Nos.		Fax No.		e-mail address
3.	Name of the State in which the company is registered				
4.	Address of the Corporate/ Head Office		PIN		
	Phone Nos.		Fax No.		e-mail address
5.	Date of Incorporation				
6.	Date of Commencement of Business				
7.	Name and Residential Address of : i) Chairman				
	ii) Managing Director/ CEO				
8.	Is it a Government Company (Please tick) :	Yes		No	
9.	Status of the company (Please tick) :				
		(i) Public Ltd.		(ii) Deemed Public	
		(iii) Private Ltd.		(iv) Joint Venture	
10.	Financial Year of the Company				

11.	Nature of business	
12.	Status of registration with RBI i) Number and Date of Certificate of Registration if issued by RBI	
	ii) If not registered, indicate whether the application submitted for registration is rejected/ pending	
13.	Classification of the Company (if given by Reserve Bank as HP / Leasing / Loan / Investment/ MBC etc. and reference number and date of such classification)	
14.	**Credit rating** : i) Rating assigned	
	ii) Date of rating	
	iii) Name of the Rating Agency	
	iv) Whether any change has occurred since the last rating (details)	
15.	Number of Branches / Offices. (Please enclose a list of names and addresses thereof in the format given below as per Note 1)	
16.	If a subsidiary company, please indicate the name and address of the holding company	
17.	If the company is having subsidiaries / associate companies, number thereof. (Please enclose a list of names, addresses, Names of Directors and particulars of business activities thereof in the format given below as per Note 2)	
18.	If a Joint Venture, name and address of the promoting institution(s)	
19.	Name of the Company's statutory auditors with address and phone numbers	
20.	Name(s) of the company's Bankers with addresses and phone numbers.	

Note (1) : Format for detailing the branches:

Sr.No.	Name of the branch	Date of opening	Address	City	District	State	Amount of public deposit
	Total No. of Branches						Total Public Deposits of all the branches and Total Public Deposits as per Balance Sheet dated ....

Note (2). : Format for detailing the subsidiaries:

Sr. No.	Name of the subsidiary	Address	Name of the Directors	Business Activity

Details of Assets and Liabilities (as on March 31, 200–)

Part - 1

Public Deposits

(Amount in lakhs of Rupees)

Item No.	Particulars	Item Code	Number of Accounts	Amount
1.	Deposits received from public in the form of Fixed Deposits, Recurring Deposits etc.	111		
2.	(i) Deposits received from shareholders by a Public Limited Company (other than Nidhis).	112		
	(ii) Deposits received from Joint shareholders other than the first named shareholder by a Private Limited Company.	113		
3.	(i) Money received by issue of Non-convertible unsecured debentures (please see instruction No.1 given below)	114		
	(ii) Any other type of public deposits	115		
4.	**Total (111 to 115)**	**110**		
5.	Of the total Deposits at item 4 above, those Repayable (i) within 1 year	121		
	(ii) after 1 year but up to 2 years	122		
	(iii) after 2 years but up to 3 years	123		
	(iv) after 3 years but up to 5 years and	124		
	(v) after 5 years	125		
6.	**Total (121 to 125)**	**120**		
7.	Break up of public deposits at item 4 above, as per rate of interest (excluding brokerage, if any) (i) Below 10%	131		
	(ii) 10% or more but less than 12%	132		
	(iii) 12% or more but less than 14%	133		
	(iv) 14% or more but less than 16%	134		
	(v) At 16%	135		
	(vi) More than 16% but up to 18%	136		
	(vii) More than 18%	137		
8.	**Total (131 to 137)**	**130**		

9.	Break-up of Public Deposits according to the size i) Fixed deposits etc received from public (vide item No. 1 above)			
	a) upto Rs.10,000	141		
	b) over Rs.10,000	142		
	ii) Deposits from share holders in case of public limited companies (vide item No. 2 above)			
	a) upto Rs.10,000	143		
	b) over Rs.10,000	144		
	iii) Non-convertible unsecured debentures (vide item No.3 above)			
	a) upto Rs.10,000	145		
	b) over Rs.10,000	146		
10.	**Total of (141 to 146) [should tally with the amount shown against item 110]**	**140**		
11.	Of the deposits at item 4 above : i) Those which have matured but not claimed.	151		
	ii) Those which have matured, claimed but not paid (please see instruction No.2 given below) a) From public (vide item No.1 above)	152 153		
	b) From shareholders (vide item No. 2 above)	154		
	c) From debenture holders (vide item No. 3 above) (Please furnish details of (a) (b) and (c) in Annexure No.....)	155		
	iii) Those shown against item (ii) above where CLB has passed the orders for repayment	156		
12.	Public Deposits mobilised during the year by payment of brokerage	157		
13.	Brokerage paid	158		
14.	% of 13 to 12	159		
15.	Public deposits matured but remaining unclaimed for 7 years including the year in which they have matured	160		

Instructions;

1. In the case of partly convertible Debentures/Bonds, the convertible portion should be shown against item 9 of Part -2. The Non-convertible unsecured debentures should be included under this item.

2. The reasons for non-payment of each Deposit and the steps taken for repayment including compliance of CLB Order (if any) should be indicated in an Annexure.

Part - 2

Particulars of other borrowings

Item No.	Particulars	Item Code	Number of Accounts	Amount
1.	Money borrowed from the Central/State Government/Local Authority/ others the repayment of which is guaranteed by the Central/ State Governments	221		
2.	Money borrowed from:			
	i) Foreign Government	222		
	ii) Foreign Authority	223		
	iii) Foreign Citizen or person	224		
	Total (222 to 224)	**225**		
3.	Borrowings from :			
	(i) Banks	226		
	(ii) Other Specified Financial Institutions	227		
4.	Money borrowed from any other Company	228		
5.	Unsecured loans from Directors / Promoters	229		
6.	Money borrowed by a private Company from its shareholders	230		
7.	Money received from employees of the Company by way of security deposit and kept in joint accounts in the name of the Company and the employees with a scheduled bank or a post office	231		
8.	Money received by way of caution money, margin money from the borrowers, lessee, hirers or by way of security or advance from agents in the course of company's business or advance received against orders for supply of goods or properties or for rendering of services	232		
9.	Money received by issue of convertible or secured debentures/bonds (please see the instruction given below)	233		
9A.	Of the above, debentures subscribed by the banks/ other NBFCs.	234		

10.	Money received by way of subscription to shares, bonds or debentures pending allotment or money received by way of calls in advance on shares (not due for refinance).	235		
11.	Commercial Papers	236		
12.	Any others (Not treated as public deposits - Please specify)	237		
13.	**Total (221 + 225 + 226 to 233+235 to 237)**	**250**		

Instruction:

In the case of Partly Convertible Debentures/Bonds, only the convertible portion should be shown against item 9 of Part -2 above.

Part - 3

Net Owned Fund

[Figures to be furnished as per the latest balance sheet preceding the date of the Return or as per balance sheet as on the date of return – [Balance sheet as on ....]

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Capital Funds :		
	(i) Paid-up Equity Capital	311	
	(ii) Paid-up preference shares which are compulsorily convertible to Equity	312	
	(iii) Free Reserves (please see instruction No.1 given below)	313	
2.	**Total (311 +312 +313) = A**	**310**	
3.	(i) Accumulated balance of loss	321	
	(ii) Balance of deferred revenue expenditure	322	
	(iii) Other intangible assets (please specify)	323	
4.	**Total (321+322 +323) = B**	**320**	
5.	**Owned Fund (A - B) i.e.(310-320) = C**	**330**	
6.	Book value of investments in shares of :		
	(i) Subsidiaries of the Company	341	
	(ii) Companies in the same group	342	
	(iii) all other Non-Banking Financial Companies (Details in Annexure No..........)	343	
7.	Book value of investments in debentures and bonds of :		
	(i) Subsidiaries of the Company	344	
	(ii) Companies in the same group (Details in Annexure No.........)	345	
8.	Outstanding loans and advances including bills purchased/ discounted, inter-corporate deposits, hire purchase and lease finance, CPs with:		
	(i) Subsidiaries of the Company	346	
	(ii) Companies in the same group (Details in Annexure No........) [please see instruction No.2 given below]	347	
9.	**Total (341 to 347) = D**	**340**	

10.	**D** in excess of 10% of **C** **(340 in excess of 10% of 330) = E**	**351**	
11.	**Net Owned Fund (330 - 351) = (C – E)**	**350**	
12.	Paid-up preference Share Capital not compulsorily convertible, as per latest balance sheet	361	
13.	Paid-up preference Share Capital not compulsorily convertible, as on the date of this Return	362	
14.	Total liabilities as per the latest balance sheet preceding the date of Return	363	
15.	Total liability as on the date of this Return	364	

Instructions:

1. **"Free Reserves"** mentioned under item 1(iii) above shall include the balance in the Share Premium Account, Capital and Debenture Redemption Reserves and any other Reserve shown or published in the Balance Sheet and created through an allocation of Profits (including credit balance of Profit & Loss Account) but not being :

(i) a Reserve created for repayment of any future liability or for depreciation of assets or for provision against non-performing assets / bad debts; or

(ii) a Reserve created by Revaluation of the Assets of the Company.

2. Hire Purchase and Lease Finance mean :

(i) in the case of hire purchase asset, the amount of future instalments receivable reduced by the balance of the unmatured finance charges; and

(ii) in the case of lease assets, the depreciated book value of the lease asset plus/minus the balance in the lease adjustment account;

Amount due but not received should be added in both the cases.

Part - 4

Outstanding loans and advances, including Inter-Corporate Deposits/ Commercial Papers

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Loans and advances etc. in subsidiaries of the company	411	
2.	Companies in the same group	412	
3.	Companies, Firms and Proprietary Concerns where Directors of the Company hold substantial interest / are interested. (please see instruction No.1 given below). [Details in Annexure No......]	420	
4.	Others:		
	(i) Companies not in the same Group	431	
	(ii) Directors / Promoters	432	
	(iii) Shareholders	433	
	(iv) Members of Staff	434	
	(v) Depositors	435	
	(vi) Others	436	
5.	**Total (411 +412 +420 +431 to 436)**	**400**	

Instructions:

(1) "Substantial interest" shall have the same meaning as assigned to it in Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998.

(2) Sundry Debtors, Tax paid in advance and other Recoverable items not in the nature of loans and advances should **not** be shown in Part-4 above.

(3) Fixed Deposit with other companies should be included under item 1, 2, 3 and 4 (i), as the case may be.

(4) Investment in unquoted debentures shall be treated as credit and not investment.

Part - 5 (i)

Investments (at book value)

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Investments in - (i) Fixed deposits with banks/certificates of deposits issued by banks	541	
	(ii) Balances in any other deposit accounts with bank(s)	542	
	(iii) Securities of Central/State Govts. and bonds guaranteed by Central/State Govts.	543	
	(iv) Units of Unit Trust of India	544	
	(v) Others (Please specify.........)	545	
2.	Investments in shares: (i) Quoted	511	
	(ii) Unquoted	512	
3.	Investments in debentures and bonds	515	
4.	Investments in shares of and debentures/bonds of companies where directors of the company hold substantial interest.(Please see the instruction No.1 of Part-4). (Details in Annexure No..........)	520	
5.	**Total [541 to 545 + 511 + 512 + 515 + 520]**	**500**	

Instructions:

(1) Details of shares, debentures and commercial papers held in investment account or by way of stock-in-trade should be included in this part.

(2) Fixed deposit with other companies should not be included here but should be shown in Part-4

(3) Investment in unquoted debentures / bonds shall be treated as credit and not investment.

Part - 5 (ii)

Quoted shares/debentures/bonds/commercial papers

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Book value	551	
2.	Market value	552	

Part - 6

Hire Purchase Business

Item No.	Nature of goods on hire	Item Code	Number of Accounts	Amount
1.	Automobiles :			
	(i) Heavy Commercial Vehicles	611		
	(ii) Light Commercial Vehicles including two wheelers	612		
	(iii) Others	613		
2.	**Total [611+612+613]**	**610**		
3.	Household durables	621		
4.	Data processing / office automation equipment	622		
5.	Agricultural implements (Tractors, Bulldozers, etc.)	623		
6.	Industrial machinery or tools or equipment for use in industries	624		
7.	All others	625		
8.	**Total [610+ 621 to 625]**	**600**		
9.	Of 8 above, dues from - Subsidiaries / Companies in the same group / Companies, firm and proprietary concerns where directors of the company hold substantial interest	691		

Part - 7

Equipment Leasing business

Item No.	Nature of Equipment on Lease	Item Code	Gross Leased Assets	Accumulated depreciation +/- Lease Adjustment Account	Net Leased Assets plus amounts due but not received
1.	Plant & Machinery	701			
2.	Data Processing/office equipment	702			
3.	Vehicles	703			
4.	Others	704			
5.	**Total (701+702+703+704)**	**700**			
6.	Of 5 above, dues from Subsidiaries / companies in the same group / companies, firms and proprietary concerns where directors of the company hold substantial interest / or are interested	791			

Part - 8

Bills business

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Bills purchased/discounted where the drawers, drawees or any endorsers are:		
	(i) Subsidiaries of the company	801	
	(ii) Companies in the same group	802	
	(iii) Companies or firms in which any director of the company holds substantial interest or proprietary concerns owned by him	803	
2.	Bills purchased / discounted other than 1 above	820	
3.	**Total (801 + 802 + 803 + 820)**	**800**	

Part - 9

Particulars about other fixed assets

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Fixed assets		
	(i) Land and Buildings for own use	901	
	(ii) Land and Buildings – others	902	
	(iii) Furniture and Fixtures	903	
	(iv) Vehicles	904	
2.	Other assets excluding intangibles	905	
3	**Total of other assets (901 + 902 + 903 + 904+905)**	**910**	
4.	**Total assets [excluding intangibles] (400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 910]**	**900**	

Part - 10

Business statistics / information for the year ended 31 March, 200–

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
	I. Disbursements (Fund based activities)		
1	Equipment leasing:		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	1001	
	(b) Total disbursement during the year	1002	
2	Hire purchase:		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	1003	
	(b) Total disbursement during the year	1004	
3	**Loans**		
	(a) Loans against shares to corporates:		
	(i) Outstanding balances as on the date of the return	1005	
	(ii) Total disbursement during the year	1006	
	(b) Loans against shares to individuals:		
	(i) Outstanding balances as on the date of the return	1007	
	(ii) Total disbursement during the year	1008	
	(c) Loans against shares to brokers:		
	(i) Outstanding balances as on the date of the return	1009	
	(ii) Total disbursement during the year	1010	
	(d) Loans to finance Initial Public Offerings (IPOs):		
	(i) Outstanding balances as on the date of the return	1011	
	(ii) Total disbursement during the year	1012	
	(e) Inter-corporate loans / deposits:		
	(i) Outstanding balances as on the date of the return	1013	
	(ii) Total disbursement during the year	1014	
	(f) Others	1015	
4	Bills Purchased/Discounted :		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	1016	
	(b) Total disbursement during the year	1017	
5	Of 4, bills rediscounted :		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	1018	
	(b) Total disbursement during the year	1019	
	II. Trading in shares / securities (quoted other than SLR)		
6	Purchases / sales of shares / debentures / commercial papers:		
	(a) Purchases	1020	
	(b) Sales	1021	

	III. Fee based activities		
7.	Guarantees issued for Capital Market Operations:		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	1022	
	(b) Total volume during the year	1023	
8.	Guarantees issued for other purposes:		
	(a) Outstanding balances as on the date of the return	1024	
	(b) Total volume during the year	1025	
9	Lease / Hire purchase syndicated during the year	1026	
10.	Loan / ICDs syndicated during the year	1027	
11	Bills syndicated during the year	1028	
12	Underwriting : (a) Total amount underwritten	1029	
	(b) Amount devolved	1030	
	(c) Outstanding commitments	1031	

Part - 10(A)

Status of overdues

Item No.	Particulars	Item Code	Amount
1	Lease overdues more than 12 months	1041	
2	Lease overdues up to 12 months	1042	
3	Hire purchase overdues more than 12 months	1043	
4	Hire purchase overdues up to 12 months	1044	
5	Other overdues more than 6 months	1045	
6	Other overdues up to 6 months	1046	
7	**Total (1041 to 1046)**	**1040**	

Part - 11

Particulars of selected Income and Expenditure
(Please see instructions given below).

	Fund-based income :		
1	Gross lease income	1101	
2	Less : Depreciation on Assets on Lease + / - Lease Equalisation	1102	
3	Net lease income **(1101-1102)**	1103	
4	Hire purchase income	1104	
5	Bills discounting income	1105	
6	Investment income (a) Dividend / interest	1106	
	(b) Profit / Loss (+ / -) on sale of shares / debentures / commercial papers	1107	

7	Interest income (a) Inter-corporate deposits / loans	1108	
	(b) Other loans and advances	1109	
8	Other fund based income	1110	
9	**Total fund based income (1103 to 1110)**	**1111**	
10	**Fee based income** Income from merchant banking activities	1112	
11	Underwriting commission	1113	
12	Income from syndication of bills, loans, ICDs, lease & hire purchase	1114	
13	Miscellaneous income	1115	
14	**Total fee-based income (1112 to 1115)**	**1116**	
15	**Total Income (1111 + 1116)**	**1100**	
16	**Interest and other financing costs** Interest paid on fixed deposits	1117	
17	Interest paid on ICDs	1118	
18	Brokerage	1119	
19	Reimbursement of expenses to brokers	1120	
20	Other financing costs	1121	
21	Bills rediscounting charges	1122	
22	**Total financing costs (1117 to 1122)**	**1123**	
23	**Operating expenses** Employee costs	1124	
24	Other administrative costs	1125	
25	**Total operating costs (1124 + 1125)**	**1140**	
26	Depreciation on own assets	1126	
27	Intangible assets amortised	1127	
28	Provision for diminution in value of investments	1128	
29	Provision against Non-Performing Assets	1129	
30	Other Provisions if any	1130	
31	**Total expenses (1123 +1140 + 1126 to 1130)**	**1150**	
32	**Profit before tax (1100 – 1150)**	**1160**	
33	**Tax**	**1170**	
34	**Profit after tax (1160 - 1170)**	**1180**	

Instructions :

(1) Particulars in this part should be for a full financial year. If the company closes its books on any date other than on 31st March, the date of closing of the books and the period should be indicated.

(2) "Gross lease income" includes lease rentals (net of rebate), lease management fees, lease service charges, up-front fees, profit on sale of leased assets and delayed / late payment charges relating to lease business (including interest/compensation charges on advance

payment for purchase of assets in respect of lease agreements entered into / finalised).

(3) 'Lease equalisation account' has the same meaning as in the Guidance Note on Accounting for Lease (revised) issued by ICAI.

(4) 'Hire purchase income' includes finance charges(net of rebate), hire service charges, delayed / late payment charges, up-front fees and other income relating to hire purchase business (including interest earned on advance payment for acquisition of hire purchase assets for identified hirers)

C E R T I F I C A T E

1. Certified that the directions contained in the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998* (as amended from time to time)/ Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1977*, as the case may be, are being complied with.

2. Further certified that the particulars / information furnished in this Return have been verified and found to be correct and complete in all respects.

(* Please delete whichever is not applicable)

Signature of Manager / Managing Director / Authorised Official

Date:
Place:

Auditor's Report

We have examined the books of account and other records maintained by -- Company Ltd. in respect of the data furnished in this return and report that to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and shown by the records examined by us, the data furnished in this return are correct.

Place: Signature:

Date: Name of the Chartered Accountants

Enclosures to the return :

1. The following documents should be submitted along with the return in case they have not already been sent. Please tick in the box against the item for the documents enclosed and state the date of submission in other cases.

   (i) A copy of the audited balance sheet and profit and loss account dated nearest to the date of return.

   (ii) Specimen signature card.

   (iii) A copy of application form referred to in paragraph 4(12) of the Notification No.DFC.118/DG(SPT)-98 dated January 2, 1998 or paragraph 6 of the Notification No.DNBC.39/DG(H)-77 dated the 20th June 1977.

2. A list of Principal officers and the names and addresses of directors in the form enclosed is to be sent with this return.

Part - 12

List of principal officers and directors of -- Ltd.

I. Principal Officers

Sr. No.	Name	Designation	Address & Tel. No.	If director in any company / ies, name(s) of the company / ies

II. Directors

Sr. No.	Name	Address	% of equity shares of the company held by the director, his spouse and minor children	Names of other companies where he/she is a director

Signature of Manager / Managing Director / Authorised Official ____________________

Name : ____________________

Designation : ____________________

Place: ____________________

Date : ____________________

STATE BANK OF INDIA
ASSOCIATES & SUBSIDIARIES GROUP
MUMBAI

SBD NO. 7 /2000 August 19, 2000.

In terms of clause (c), Sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India hereby nominates Shri B.V.V. Rajeswara Rao, Dy. General Manager (Associate Banks), State Bank of India, Associates & Subsidiaries Group, Mumbai as a Director on the Board of State Bank of Patiala with effect from 1st October 2000.

(G.G. VAIDYA)
CHAIRMAN

UNITED BANK OF INDIA
HEAD OFFICE
CALCUTTA

NOTIFICATION

DATED THE 31ST JULY, 2000

No. 2/2000 In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of United Bank of India, in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1 (1) These Regulations may be called the United Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the United Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, (hereinafter referred to as the said regulation), in regulation 6, -

(i) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(3) Where it is proposed to hold an inquiry, the Disciplinary Authority shall, frame definite and distinct charges on the basis of the allegations against the officer employee and the articles of charge, together with a statement of the allegations, list of documents relied on along with copy of such documents and list of witnesses along with copy of statement of witnesses, if any, on which they are based, shall be communicated in writing to the officer employee, who shall be required to submit, within such time as may be specified by the Disciplinary Authority (not exceeding 15 days), or within such extended time as may be granted by the said Authority, a written statement of his defence.

"Provided that wherever it is not possible to furnish the copies of documents, disciplinary authority shall allow the officer employee inspection of such documents within a time specified in this behalf;

(ii) for sub-regulation (10), the following shall be substituted, namely:-

"(10) The Inquiring Authority while adjourning the case as in sub-regulation (9), shall also record by an order that the officer employee may for the purpose of preparing defence -

(i) complete inspection of the documents as in the list furnished to him immediately and in any case not exceeding 5 days from the date of such order if he had not done so earlier as provided for in the proviso to sub-regulation (3);

(ii) submit a list of documents and witnesses, that he wants for the inquiry;

(iii) give notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the Inquiring Authority may allow for the discovery or production of the documents referred to in item (ii)

Note : The relevancy of the documents and the examination of the witnesses referred to in item (ii) shall be given by the officer employee concerned

Foot Note - The amendments to the Principal Regulations were publised in the Gazette of India as per details given below -

Notification No.		Dated
1	NIL	
2		
3		
4.		

(D.K. BHATTACHARYYA)
GENERAL MANAGER
(PERSONNEL)

OFFICER EMPLOYEES (ACCEPTANCE OF JOBS IN PRIVATE SECTOR CONCERNS AFTER RETIREMENT) REGULATION, 2000

No. 3/2000 In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and in supercession of the notification published in the Gazette of India vide ....1/95........ dated 25.7.95, the Board of Directors of the **United Bank of India** in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely.-

SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:-

(1) These Regulations may be called **United Bank of India** Officer Employees (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2000.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. APPLICATION:-

These Regulations shall apply to all Officer Employees of the bank except:-

(i) Chairman of the bank;

(ii) Managing Director of the bank;

(iii) Whole time Director, if any;

(iv) Officer Employees covered under the Bank's (Employees) Pension Regulations, 1995;

(v) Those who are in casual employment or paid from contingency;

(vi) The Award Staff;

(vii) Officers on contract.

3. DEFINITION:-

In these Regulations unless the context otherwise requires:-

(a) 'Bank' means **United Bank of India**;

(b) 'Board' means the Board of Directors of the **United Bank of India**;

(c) 'Competent Authority' means the authority empowered by the Board for the purpose of these regulations;

(d) 'Employment in private concerns' means:-

(i) an employment in any capacity including that of an agent, under a company (including a banking company), co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business and includes also a directorship of such company (including a banking company) and partnership of such firm, but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government;

(ii) setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect which the person:-

(a) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or

(b) has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position, or

(c) has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the bank.

EXPLANATION:- For the purpose of this clause, the expression "employment under a co-operative society" includes the holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called in such society.

(e) 'Officer employee' means a person who has held a supervisory, administrative or managerial post in the bank or any other person who was appointed and/or has functioned as an officer of the bank at the time of his retirement by whatever designation called.

4. **ACCEPTANCE OF EMPLOYMENT AFTER RETIREMENT:-**

(1) If a person who immediately before his retirement was holding the post of an officer employee and wishes to accept any job in private concern before the expiry of two years from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the bank to such acceptance.

(2) Subject to the provision of sub regulation (3), the bank may by order in writing, on the application by a person, grant, subject to such conditions, if any, as it may deem necessary, permission, or refuse, for reasons to be recorded in the order, permission to such person to take up the job in private concern specified in the application.

(3) In granting or refusing permission under sub regulation (2) to a person for taking up any commercial employment the bank shall have regard the following factors, namely:-

(a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;

(b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with the bank;

(c) whether the officer employee while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to take employment as it might afford a reasonable basis for the suspicion that such person had shown favours to such employer;

(d) whether the duties of the commercial employment proposed involve liaison or contact work with bank;

(e) whether his commercial duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under bank could be used to give the proposed employer an unfair advantage;

(f) the emoluments offered by the proposed employer; and

(g) any other relevant factor.

(4) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under sub-regulation (2), the bank does not refuse to grant the permission applied for or does not communicate the refusal to the applicant, the bank shall be deemed to have granted the permission applied for;

Provided that in any case where defective or insufficient information is furnished by the applicant and it becomes necessary for the bank to seek further clarifications or information from him, the period of sixty days shall be counted from the date on which the defects have been removed or complete information has been furnished by the applicant.

(5) Where the bank grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the bank to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the bank may make such orders thereon as it deems fit;

Provided that no order other than an order canceling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub-regulation without giving the person making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

(6) Every order passed by the bank under this Regulation shall be communicated to the person concerned.

(D.K. BHATTACHARYYA)
GENERAL MANAGER
(PERSONNEL)

UNIT TRUST OF INDIA

MUMBAI

UT/DBDM/SPD-119-B/99-2000 **10th August, 2000**

The offer document of the Monthly Income Plan 2000 (Second) formulated under section 19(1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act, 1963(52 of 1963), in relation to the unit scheme, the Monthly Income Scheme 2000(Second) made under section 21 of the said Act, approved by the Executive Committee in the meeting held on January 18, 2000 is published herebelow.

S CHATTERJI
DEPUTY GENERAL MANAGER
BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKETING

Offer open from May 19, 2000 to June 24, 2000

The Monthly Income Plan 2000(Second) has been formulated under section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963), in relation to the unit scheme, the Monthly Income Scheme 2000(Second) made under section 21 of the said Act by the Board of Trustees of UTI. This offer document sets forth concisely the information about the scheme that a prospective investor ought to know before investing. The offer document should be retained for future reference.

The scheme particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, as amended till date, and filed with the SEBI, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the offer document.

Objective of the scheme

This is an income oriented Plan. The Plan aims at meeting the needs of investors by providing regular income on a monthly/ annual basis or cumulation of income over a period of 4 years and nine months.

HIGHLIGHTS

- A 4 years and nine months close end income plan.
- The plan is open to both Residents & Non-Residents.
- The plan offers three options: a) Monthly Income Option b) Annual Income Option & c) Cumulative Option.
- The face value of an unit is Rs.10/- and units will be sold at par.
- Minimum investment is Rs.10,000/- . There is no upper limit.
- Declaration of income distribution and despatch of income distribution warrants/ cumulation of income distribution under the three options will be as follows:

Option	Period applicable	Rate of income distribution	Warrant(s) despatch/ Cumulation of income
Monthly Income	July 2000 - March 2001	9.25 %p.a	With the Membership Advice
	April 2001 – June 2001	9.25% p.a.	March/April 2001
	July 2001 – March 2002	To be announced in March 2001	March/April 2001
	Each subsequent April – March till 2005	To be announced in March each year	March/April 2002 and so on
Annual Income	July 2000 - June 2001	9.65 % p.a.	June 2001
	July 2001 – March 2002	To be announced in March 2001	March/April 2002
	Each subsequent April – March till March 2005	To be announced in March each year	March/April 2003 and so on
Cumulative (income will be cumulated)	July 2000 - June 2001	9.65 % p.a.	June 2001
	July 2001 – March 2002	To be announced in March 2001	March/April 2002
	Each subsequent April - March till March 2005	To be announced in March each year	March/April 2003 and so on

- For the period from the date of acceptance of an application to 30th June , 2000, investors under all the three options will be paid income distribution @ 9.25 %p.a.
- At 22 centres income distribution will be made through ECS and at other places by issue of Income Distribution Warrants.
- Units of the scheme to be listed on the Wholesale Debt Segment of the NSE within six months from the date of closure of subscription.
- Repurchase under all the three options can be made from 1st July, 2003 at the NAV based repurchase price.
- **The capital invested in the scheme is protected at maturity when units will be redeemed at NAV or at par value, whichever is higher. The Development Reserve Fund (DRF) of the Trust guarantees this capital protection. There is no such guarantee for repurchases which may be made between 1st July, 2003 to 31st March , 2005 and repurchase price in such cases will be based on the prevailing NAV.**
- Income distribution and repurchase / redemption proceeds payable to NRI and OCB investors is fully repatriable, if they make investment by remittances from abroad or by debit to their NRE account or by a cheque/draft issued out of proceeds of the FCNR deposits and they continue to be NRI at the time of such payment / remittance.
- Currently income distribution, if any, received by all the categories of investors under all the schemes/plans of the Trust is totally free from tax under Section 10(33) of the Income Tax Act, 1961.
- Under the current tax laws, there is no deduction of tax at source from income distribution by UTI, for all categories of investors, irrespective of the amount of income received by an investor from the scheme. As per Finance Act 2000, the plan, is required to make an income distribution tax at 20% and surcharge of 10% thereon on the amount of income, if any, distributed by it after 01.06.2000 under Section 115R of the Income Tax Act, 1961.
- Value of investment in units under the plan is totally free from the levy of Wealth Tax.
- The Gift Tax Act, 1958 has abolished the levy of Gift Tax in respect of gifts made on or after 1st October, 1998. Thus, gifts of units of UTI will not attract any levy of Gift Tax.
- Capital gains arising from capital appreciation, if any, is currently subject to indexation / tax benefits under sections 48 & 112 of Income Tax Act, 1961.
- Eligible for investment of sale proceeds arising out of transfer of long term capital assets sold/ transferred till 31/3/2000, under section under section 54EA of the Income Tax Act, 1961 provided such investment is made within six months of such sale/transfer, units arising out of such investment can be repurchased/ transferred/ pledged only after the expiry of the lock-in period of three years from the date of commencement of the scheme.

II. DUE DILIGENCE CERTIFICATE

Due Diligence Certificate submitted to SEBI for MIP2000 (Second)

It is confirmed that :

I. the draft offer document forwarded to Securities and Exchange Board of India is in accordance with the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and the guidelines and directives issued by SEBI from time to time;

II. all legal requirements connected with the launching of the scheme as also the guidelines, instructions, etc. issued by the Government and any other competent authority in this behalf, have been duly complied with;

III. the disclosures made in the offer document are true, fair and adequate to enable the investors to make a well informed decision regarding investment in the proposed scheme;

IV. all the intermediaries named in the offer document are registered with SEBI and till date such registration is valid.

Sd/-

Date : 23.02.2000 **AJEET PRASAD**

Place : Mumbai *Compliance Officer*

With seal

III. DEFINITIONS

In the scheme and plan made thereunder unless the context otherwise requires:

(a) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is complete in all respects, accepts the same;

(b) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963).

(c) "Alternate applicant" in case of minor means the parent other than the parent who has made the application on behalf of the minor.

(d) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and plan made thereunder who is not a minor and shall include the alternate applicant mentioned in the application form when units are sold for the benefit of a mentally handicapped person and makes an application under Clause V of the plan.

(e) "Date of commencement" of the four year nine month term of the scheme/plan is 1st July, 2000.

(f) "Eligible institution" means an eligible trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(g) "Firm", "partner" and "partnership" have the meanings assigned to them in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), but the expression partner shall also include any person who being a minor is admitted to the benefits of the partnership.

(h) "Listed" means the listing of units for the purpose of trading on the Whole Sale Debt Market Segment of the NSE or any other stock exchange/segment as may be decided with the approval of SEBI.

(i) "Member" used as an expression under the scheme and plan made thereunder shall mean and include the applicant who has been allotted units under the scheme.

(j) "Mentally handicapped person" means any individual who suffers from mental disability of such a nature which prevents him from carrying out normal activities of life.

(k) "Non Resident Indian (NRI) ", means Non Residents of Indian nationality/origin. A person shall be deemed to be "person of Indian origin" if he/she or either of his parents or any of the grandparents, howsoever high in degree or ascent, whether of paternal side or maternal side, was born in India, as defined in the Government of India Act, 1935, as originally enacted.

(l) "Number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(m) "Overseas Corporate Bodies" (OCBs), include overseas companies, partnership firms, societies and other corporate bodies which are owned, directly or indirectly, to the extent of at least 60% by individuals of Indian nationality or origin resident outside India as also overseas trust in which at least 60% of the beneficial interest is irrevocably held by such persons.

(n) "Person" shall include an eligible institution as defined above.

(o) "Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrar and Transfer Agents under the scheme from time to time.

(p) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act.

(q) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(r) "Society" means a society established under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any State or Central law for the time being in force.

(s) "Trading" means the dealing in buying or selling units through the stock exchange after the first allotment of units.

(t) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(u) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.

(v) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(w) All other expressions not defined herein but defined in the Act/ Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/ Regulations.

(x) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa.

IV. RISK FACTORS

- Mutual Funds and securities investments are subject to market risks. There is no guarantee for protection of capital on repurchases between 1st July, 2003 to 31st March, 2005 as the repurchase price in such cases will be based on the then prevailing NAV.
- As with any investment in securities, the NAV of the units issued under the scheme can go up or down depending on the factors and forces affecting the capital markets.
- Performance of previous schemes/plans is not necessarily an indication of future results.
- Monthly Income Plan 2000 (Second) [MIP 2000(Second)] is only the name of the plan and does not in any manner indicate the quality of the plan.
- Like in all listed close end schemes there is a risk of

infrequent trading and possibility of market price of units being at a discount to NAV.

- **Derivatives:** Trading in derivative securities like options & futures is a highly specialised activity and entails greater than ordinary investment risks. Even though the plan intends to use the activity of investing in derivatives only for portfolio hedging purposes, the overall market in these segments could be highly speculative due to the actions of the other participants in this market. The success of dealing in derivatives depends upon the ability of the fund manager in predicting the future movement of the market and if the fund manager is incorrect in their prediction the performance of the fund could diminish compared to what it would have been if this investment strategy had not been used.
- **Investment in overseas market:** The success of investment in overseas market depends upon the ability of the fund manager in understanding of those market conditions and analysing the information which could be different from Indian markets. As this would involve operations in foreign markets there could be exchange rate fluctuations risk besides market risk.
- **Stock Lending:** It is one of the means of earning additional income for the plan with least risk. The risk could be in the form of non-availability of ready stock for sale during the period the stocks remain lent. The plan could also be exposed to risk through the possibility of default by the borrower/intermediary in repaying the securities. However, the risk would be adequately covered by taking in of suitable collateral from the borrower by the intermediary involved in the process. The Trust will have a lien on such collateral. The Trust will also have other suitable checks and controls to minimise any risk involved in the securities lending process.
- The Trust has been following the practice of paying returns under the MIP out of the unit capital and members who repurchase units before maturity may get a lower NAV on account of this practice. Therefore, during the period of the scheme, the return may be paid out of capital and to that extent NAV could be lower.
- The assurance of returns under this scheme is given on the basis of guarantee provided by the Development Reserve Fund (DRF) of the Trust. The size of the DRF as on 31.03.2000 was Rs. 941.85 crores as against investible funds of Rs. 22224.02 crores as on 31.03.2000 under 22 schemes that have assured returns with the guarantee of DRF. About 54.05% of the assets of DRF are in equities, 2.07% in debt and 43.88% are in Money Market instruments.

V. UNITS & OFFER

1. This scheme shall be called the Monthly Income Scheme 2000 (Second) [MIS'2000 (Second)] and the plan formulated under this scheme shall be called Monthly Income Plan 2000(Second).
2. The scheme shall be for a period of four years nine months from 1st July, 2000 to 31st March, 2005.
3. Units will be on sale from 19th May, 2000 to 24th June, 2000 for 37 days or such extended period not beyond 30th June 2000. Provided, however, the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust/Chairman may suspend the sale of units under the scheme earlier at any time in circumstances like war, disruption of trading in stock exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice through newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.
4. The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

5. **Application for units**

Application for units can be made by residents as well as NRIs as under

(i) a resident individual or a NRI either singly or jointly with another or up to two other individuals on joint/any one or survivor basis,

(ii) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident or a NRI minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly,

(iii) an eligible institution as defined under the scheme including Private Trust being irrevocable trust and created by an instrument in writing,

(iv) an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person,

(v) a society as defined under the scheme,

(vi) a registered co-operative society,

(vii) a body corporate including a company formed under the Companies Act, 1956 and banks,

(viii) a Hindu Undivided Family both resident and non-resident,

(ix) an Army/Navy/Air Force/Paramilitary Fund,

(x) a partnership firm,

(An application by a partnership firm shall be made by not more than three members of the firm and the first named person shall be recognised by the Trust for all practical purposes as the member.) and

(xi) an Overseas Corporate Body owned by NRIs to the extent of at least 60%.

6. **Minimum amount of Investment**

Application shall be made for a minimum of Rs.10,000/- under all options. There will be no upper limit. For investments not in multiple of Rs.10/-, units will be allotted in fractions up to three places after the decimal. In case of investment of Rs.50,000/- and

above, the resident or a NRI investing out of non-resident ordinary account is advised to furnish Income Tax P.A.N./ G.I.R. number and I T Circle address if he/ she is having so.

7. Target amount of the issue

Amount of Rs.50 crore is targeted to be raised under the scheme.

If the targeted amount is not subscribed, the Trust shall refund the entire amount collected under the scheme by account payee cheque/refund order not later than six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme. In such an event the investors will not be entitled to get the income distribution of 9.25% p.a. for the period from the date of acceptance to the date of closure of the scheme. In the event of failure to refund the amounts within the above period stipulated, the Trust shall be liable to pay interest to the applicants @ 15% p.a. from the 43rd day of the date of closure of sale of units till the date of refund.

8. Listing

The units issued under the scheme shall be listed on the Wholesale Debt Segment of the NSE or any other stock exchange/segment as may be decided with the approval of SEBI within six months from the date of closure of subscription. An application for listing shall be made to the stock exchange immediately on receipt of the approval of the scheme from SEBI as per Regulation 32 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. The marketable lot is 100 units of face value of Rs.10/- each.

9. Membership Advice

The Trust shall send a Membership Advice within 6 weeks from date of closure of sale of units under the plan. The member desirous of selling units through stock exchange or transfer the units may write to the Registrar for exchange of membership advice with unit certificate/s indicating whether the unit certificate/s are required in marketable lots or a single certificate. The unit certificate/s will be issued within 7 days from the date of receipt of such request by the Registrar.

An NRI applicant may choose any of the following options to receive the membership advice or unit certificate/s in exchange of the membership advice:

(i) At his Indian/foreign address OR
(ii) At his relative's address in India OR
(iii) At his banker in India for safe custody.

10. Transfer/Pledge/Assignment of Units

A membership advice is not transferable/pledgeable/ assignable. The member desirous of selling units through stock exchange or intending to transfer the units may write to the Registrar for exchange of the membership advice with unit certificate/s as mentioned in paragraph 9 above. The unit certificate/s so issued will be transferable/pledgeable/ assignable subject to the following terms:

(i) The transfer is in favour of categories of investors as mentioned under paragraph V (5) above.

(ii) Transfers is effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Trust shall not be bound to recognise any other transfer.

(iii) Duly stamped prescribed transfer deed with the relative unit certificate and unencashed income distribution warrants subsequent to and inclusive of the month of transfer (in case of monthly income option). Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrar.

(iv) Every instrument of transfer is signed by the transferor (all the transferors in case of joint holding) and the transferee (all the transferees in case of joint purchase) and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of members by the Registrar.

(v) The Registrar may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units.

(vi) The Registrar may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(vii) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate may be retained by the Registrars.

(viii) The Registrar recognising and registering a transfer may issue the original or fresh unit certificate or membership advice and income distribution warrants, if any, (in case of monthly income option) to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue a membership advice or unit certificate and warrants.

(ix) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge, then the Registrars shall, subject to the production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(x) Under special circumstances, holding of units by a company or other body corporate with

another company or body corporate or an individual/individuals, none of whom is a minor, will be considered by the Trust.

(xi) Subject to the provisions contained herein above, the Trust shall register the transfer and return the unit certificate along with income distribution warrants, if any, to the transferee within 30 days from the date of lodgement of the unit certificate together with the relevant instrument of transfer. In case of joint transferees, the unit certificate will be sent to and all payments in respect of the unit certificate will be made only in the name of the first member.

11. Termination/roll over/winding up of the scheme and plan made thereunder

(i) The scheme shall stand terminated at close of business on 31st March, 2005, the outstanding units of the members shall be redeemed and the members shall be paid the value of their units at the redemption price to be fixed by the Trust. The redemption will be at NAV or Rs.10/- whichever is higher. The Development Reserve Fund (DRF) will guarantee this capital protection. There will be no such guarantee for repurchases made between 1st July, 2003 to 31st March, 2005 and repurchase price in such cases will be based on the prevailing NAV. Besides receiving the repurchase/redemption price determined as above, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase/ redemption price or by way of income for any subsequent period to repurchase/redemption date shall accrue to the members.

(ii) However, the Trust with the prior approval of SEBI reserves the right to extend the scheme beyond 4 years and nine months. In such an event the member shall be given an option to either repurchase the units or to continue in the scheme. The Trust may also give the investor an option to convert the redemption proceeds into any other scheme launched by it or in operation at that time.

The extension of the period of the scheme beyond 4 years and 9 months years shall be in conformity with sub-regulation 4 of regulation 33 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. The provisions of the sub regulation are:

"A closed ended scheme shall be fully redeemed at the end of the maturity period.

Provided that a close ended scheme may be allowed to be rolled over if the purpose, period and other terms of the roll over and other material details of the scheme including the likely composition of assets immediately before the roll over, the net assets and net asset value of the scheme, are disclosed to the unit holders and a copy of the same has been filed with SEBI.

Provided further that such roll over will be permitted only in case of those unit holders who express their consent in writing and the unit holders who do not opt for the roll over or have not given written consent shall be allowed to redeem their holdings in full at net asset value based price."

(iii) The Trust may wind up the scheme and the plan made thereunder under the following circumstances:

(a) on the expiry of four year and nine months of the scheme i.e. on 31st March, 2005 or on the expiry of such date beyond four years nine months as may be decided by the Trust.

(b) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the scheme and the plan made thereunder to be wound up, or

(c) if 75% of the members of the plan pass a resolution that the scheme be wound up; or

(d) if the SEBI so directs in the interest of the members of the plan.

(iv) Where the scheme is wound up in pursuance of items (b), (c) and (d) of sub-clause (iii) above, the Trust shall give notice giving circumstances leading to the winding up of the scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least before a week the termination is effected.

(v) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall -

(a) cease to carry on any business activities in respect of the scheme.

(b) cease to create and cancel units in the scheme.

(c) cease to issue and redeem units in the scheme.

(vi) The Board of Trustees shall call a meeting of the members to consider and pass necessary resolution by simple majority of the members present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the scheme.

Provided that a meeting shall not be necessary if the scheme is wound up at the end of the maturity period of the scheme.

(vii) (a) The Board of Trustees or the person authorised under sub-clause (vi) shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the members of the scheme.

(b) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (vii) (a) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the members in proportion to their respective

interest in the assets of the scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(viii) On completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the members a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the members and a certificate from the auditors of the scheme.

(ix) Notwithstanding anything contained herein above, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue until winding up is completed or the scheme ceases to exist.

(x) After the receipt of the report referred to in item (viii) above, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

(xi) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the receipt of repurchase request (printed on the reverse of the membership advice/ unit certificate) duly discharged by the members at the Registrar's office and other procedural and operational formalities are complied with. The membership advice/unit certificate, the repurchase request for repurchase and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

(xii) In case of non-resident investors, repurchase/ redemption proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below:

(a) Where units have been purchased out of remittance in foreign exchange from abroad or from the proceeds of the member's FCNR deposits or from funds held in member's Non-Resident External(NRE) Account with a bank in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency or credited to NRE or Non-Resident Ordinary (NRO) account or paid to his relative in India.

(b) Where units have been purchased while the applicant was a resident in India or out of funds held in member's NRO Account, the maturity proceeds will be sent either to the investor's bankers in India for credit to his NRO account or to a relative of the investor in India.

VI. EXPENSES

(1) Initial Issue Expenses

(i) Initial issue expenses of the scheme are estimated to be as under:

Items	% of funds raised under the scheme
Printing & Postage	1.75
Publicity, Marketing and Sales Promotion	3.50
Registrars Charges	0.50
Bank Charges	0.25
Total	**6.00**

The total initial issue expenses would be within the limit of 6% of the funds collected in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. Thus for every Rupee invested by an investor, not less than 94 paise will be invested in the scheme.

(ii) Initial issue expenses for the schemes launched during the last financial year are as follows:

Scheme	Expenses (% of funds collected)
MIP 98 (III)	2.81
MIP 98 (IV)	2.95
IISFUS 98 (II)	0.14
MIP 98 (V)	3.06
MEP 99	34.08
CGGF (re-launch) *	7.82
RUP (re-launch) *	9.40
MIP-99	2.38
GSF Brand Value	5.55
GSF Pharma	4.84
GSF Software	4.83
GSF Petro	4.85
GSF Service	4.89

* These are pre- Sebi schemes with assured returns which were suspended and launched, after a considerable gap, taking in to account the falling interest rate scenario

(iii) The expenses borne by the Trust (by charge to DRF) in respect of schemes launched during the last financial year are:

Scheme	Expenses (% of funds collected)
MEP 99	28.08

(2) Recurring Expenses

(i) The following expenses will be charged to the scheme on a recurring basis. Estimated annual recurring expenses are as under:

Items	As% of average weekly NAV
Administrative Expenses	0.90
Custodial Fees	0.15
Contribution to DRF	0.25
Staff Welfare Fund	0.10
Registrars Fees & Processing Charges	0.85
Total	**2.25**

(ii) The above are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred.

(iii) The total annual recurring expenses of the scheme excluding amortisation of initial issue expenses and redemption expenses but including administrative expenses, contribution to DRF and Staff Welfare Fund shall be subject to the following limits :

(a) On the first Rs.100 crores of the average weekly net assets of the scheme – 2.25%

(b) On the next Rs.300 crores of the average weekly net assets of the scheme – 2.00%

(c) On the next Rs.300 crores of the average weekly net assets of the scheme – 1.75%

(d) On the balance of the assets of the scheme – 1.50%

(iv) Administrative expenses, contribution to DRF and contribution to Staff Welfare Fund will not exceed the limits specified under clause 2 of regulation 52 of SEBI (MFs) Regulations, 1996, namely:

(a) One and quarter of one percent of the weekly average net assets outstanding in each accounting year for the scheme as long as the net assets do not exceed Rs.100 crores, and

(b) One percent of the excess amount over Rs.100 crores, where net assets so calculated exceed Rs. 100 crores.

3) While UTI does not charge any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 it will ensure that the initial issue expenses and the annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

4) Development Reserve Fund (DRF) contribution

(i) A sum equal to 0.25% p.a. of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust . DRF contribution will be part of the recurring expenses.

(ii) The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular scheme itself. The Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific scheme, Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust as well as the issue expenses for no-load schemes.

5) Staff Welfare Fund (SWF) Contribution

A sum equal to 0.10% p.a. of weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution to the SWF. The Trust has instituted the SWF for the welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

VII. SALE OF UNITS

1. Sale contract/Issuance of Membership Advice

(a) The sale price of units during the period of offer shall be at par. The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant a membership advice. A membership advice issued by the Trust to the eligible institution, firm or body corporate shall be made out in the name of the eligible institution/firm/body corporate. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the membership advice so sent.

(b) Non-individual applications along with documents will be accepted only at UTI offices.

(c) The Trust shall send the membership advice not later than 6 weeks from the date of closure of sale of units under the plan.

2. Mode of Payment

(a) The payment for units by an applicant shall be made by him along with the application in cash, cheque or draft. Where application are submitted at UTI branch offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the UTI branch office at which the application is tendered, is situated.

Provided, however, individual investors who apply from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with a bank draft after deducting therefrom bank charges for purchasing a bank draft up to Rs.25/- or the actual amount incurred by him, whichever is lower. Bank draft commission charges paid by the individual investor in excess of Rs.25/- as stated above will have to be borne by the investor. The collection centre /franchise office/

agency bank are authorised to accept applications along with a cheque payable locally or a demand draft payable at places of the concerned branch office of UTI in which case an individual applicant may deduct bank commission charges to the extent of Rs.25/- or the actual amount incurred by him whichever is lower. The draft commission charges will form a part of the initial issue expenses of the plan.

(b) Where payment is made by a bank draft, by a non-individual applicant the entire commission charges for purchasing a draft will have to be borne by the applicant.

(c) However, in case of applications received along with local bank draft where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office/ agency bank, bank draft commission will have to be borne by the investors.

(d) If the payment is made by a cheque/draft, the date of receipt of the application will, subject to such cheque/draft being realised, be the date on which the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre.

(e) If the application amount is less than the *minimum investment under the plan, the entire* amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(f) NRIs/OCBs should submit their applications preferably at the NRI Branch, Mumbai or at any of the Branches of UTI along with NR(E)/NR(O) cheque or a rupee draft payable at the place where the application is submitted.

3) Mode of payment for investment on repatriation basis

The investment by NRIs/OCBs will carry the right of repatriation of capital invested, income distribution and capital appreciation (if any), as long as the investor continues to be a NRI and provided the investment is made by any one of the following modes:

(a) By a draft in rupees issued in favour of UTI by a bank/exchange house operating outside India drawn on their Indian correspondent bank.

(b) By a cheque drawn on the investor's NRE account maintained with a bank in India.

(c) By a cheque/draft issued out of the proceeds of FCNR deposits.

Note: Payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted.

4) Mode of payment for investment on non-repatriation basis

(a) Where the funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation (if any), will not qualify for repatriation out of India. Similarly, investments in units purchased in rupees while the investor was resident of India and becomes non-resident subsequently will not qualify for repatriation of repurchase proceeds of units.

(b) As per RBI circular A.D.(M.A. Series) No.18 dated August 19, 1994 the entire income distribution on investment during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation provided the member continues to be a non-resident. In such cases UTI will make payment in Rupees for credit to NRO A/C. Investors are advised to contact their bankers/ tax consultants if they desire remittance of the income distribution on units.

5) Application by and registration as a member of the plan of eligible institutions, minors, an applicant for the benefit of a mentally handicapped person etc.

(i) Eligible institutions, bodies corporate, and societies (including co-operative societies) may be registered as members.

(ii) Eligible institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and Articles of Association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and the authority granted to the officials signing the application form.

(iii) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and his capacity to hold and deal with units on behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application form without any further proof.

(iv) Where an application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the Trust shall act on the statements furnished and in doing so the Trust shall be deemed to be acting in good faith. The Trust shall be entitled to deal only with the applicant and in the event of his death, the alternate applicant for all practical purposes and any payment in respect of the units by the Trust to the said applicant or the alternate applicant shall be a good discharge to the Trust.

(v) A firm shall be registered as a member and the membership advice/unit certificate shall be made in the name of the firm.

6). **Right of the Trust to accept or reject application**

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the scheme and the plan made thereunder. The Trust shall reject an application for issue of units in the following circumstances:

(i) The application is received with less than the minimum investment of Rs.10,000/-.

(ii) The application has not been signed by the first applicant

(iii) The applicant is not eligible to invest in the scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the scheme and the plan made thereunder shall be final.

(iv) In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection without incurring any liability, whatsoever, for interest or other sum.

(v) Any application without the first applicants bank particulars will be liable to be rejected.

Refund in such rejected cases will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities without incurring any liability whatsoever for interest or other sum.

7) **Applicant to comply with requirements under the scheme before being issued units**

(a) Persons applying for units under the scheme and the plan made thereunder on behalf of a minor/mentally handicapped person shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements as laid down by the Trust such as submission of the Birth Certificate in case of minor/Oculist or Psychiatrist Certificate in case of Mentally Handicapped.

(b) Applications for units on behalf of bodies like Partnership Firms/Co-operative Societies/Bodies Corporate/Companies shall be accompanied by certified copy of Partnership Deed/Bye-Laws of the Society/Statute governing the Body Corporate/Memorandum and Articles of Association of the Company (if the same is already registered with any of the offices of the Trust it is sufficient to quote the document registration number) together with Resolution of the governing Body authorising investment in the scheme. At the time of repurchase of the units, resolution of the governing body authorising repurchase and authorisation of the concerned official(s) of the Body to comply with the formalities and collect the repurchase cheque will have to be submitted.

(c) Person who holds units under a false declaration/certificate shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted from the register of members.

(d) In aforesaid cases, Trust shall have the right to repurchase the units at par or NAV whichever is lower and deduct therefrom 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance. The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

8) **Nomination by members**

(i) Nomination facility is available to individuals applying on their own behalf i.e. singly or jointly up to two.

(ii) Only one person can be nominated.

(iii) Minors including a NRI minor can be nominated.

(iv) Nomination of NRIs is subject to requirements of the RBI prescribed from time to time.

(v) Nomination can be changed at any time during the currency of the investment.

(vi) Member being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution, societies, bodies corporate, HUF, partnership firms and an applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person shall have no right to make any nomination.

(vii) Other provisions will be to the extent provided in the regulations.

(viii) The facility of the statutory nomination is available to a member under Section 39A of the Unit Trust of India Act, 1963. Accordingly, where a nomination in respect of any unit has been made in accordance with the UTI General Regulations, 1964,, the unit shall, on the death of the member(s), vest in the nominee and the nominee shall be issued a membership advice in respect of the unit so vested subject to any charge or encumbrance over the said units. Payment made by the Trust as aforesaid shall be a full discharge to the Trust from all liability in respect of the said units.

VIII. REPURCHASE OF UNITS

1. There shall be no repurchase during the first three years of the scheme and plan made thereunder except for settlement of death claim cases. Repurchase of units under the plan will commence after three years from the date of commencement of the plan i.e. from 1st July, 2003 under all the three options. The repurchase price will be based on the NAV of units (on historic basis) and shall be issued to the press for publication six months from the date

of commencement of the plan i.e. on 1st January,2001 and thereafter on a weekly basis. The repurchase price valid for a week (Monday to Sunday) will be based on the NAV of the Wednesday of the preceding week. If Wednesday is holiday in the state of Maharashtra, then NAV as of immediate preceding working day will be considered. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 5% of the NAV per unit.

2. **Monthly Income Option**

(i) Repurchase will be effected on receipt of the repurchase request (printed on the reverse of the membership advice/unit certificate) duly discharged by the members at the Registrar's office.

(ii) Partial repurchase shall be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs.10,000/- (face value).

(iii) The member while making an application for repurchase shall be bound to surrender all the unencashed Income Distribution Warrants remaining outstanding subsequent to and inclusive of the month of repurchase to the Trust.

(iv) A member to be entitled to a full year's Income Distribution paid out on a monthly basis should have held the units for a full year. In the event of a member repurchasing units and his holding units for a part of the year he shall be entitled to receive only proportionate Income Distribution for the period of holding which shall always be full English Calendar months of holding, part of a month of whatever length being always ignored.

(v) In the event of repurchase in full the Trust shall not, on accepting the repurchase request (printed on the reverse of the membership advice/unit certificate) duly discharged, be bound to pay any Income Distribution on the units for the month of acceptance or future months nor shall any interest be payable on the repurchase proceeds provided such repurchase proceeds are paid within the time frame provided under Mutual Fund Regulations.

(vi) All the documents and the unencashed Income Distribution Warrants, if any, received shall be retained by the Trust for cancellation.

(vii) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses, the Trust shall be at liberty while repurchasing the units, in the event of failure of the member to surrender the Income Distribution Warrants which are then outstanding to deduct from the repurchase proceeds such amount representing the amount of the Income Distribution Warrant payable in future as have not been surrendered and pay the balance to the member. On acceptance of the repurchase request (printed on the reverse of the membership advice/unit certificate) duly discharged and in the event of full repurchase, the members' right to receive future Income Distribution including the Income Distribution for the month of acceptance will cease and the Trust shall have a claim on the amount represented by such outstanding Income Distribution.

(viii) In the event of partial repurchase, depending on the number of units retained by him, the member shall be issued a fresh membership advice/unit certificate and a fresh set of income distribution warrants for the remaining period including the month of acceptance. No interest shall be payable on the repurchase proceeds provided such repurchase proceeds are paid within the time frame provided under the Mutual Fund Regulations.

(ix) In the event of death of the member/s and on surrender to the Trust by the legal representative or nominee of the membership advice/unit certificate, together with a repurchase request for repurchase of the units outstanding to the credit of the deceased member and the unencashed Income Distribution Warrants outstanding to the deceased member, the Trust shall on compliance with the requirements laid down in connection with the recognition of claim, repurchase the units in the manner prescribed in sub clause (iv) and (vii) herein above in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust and pay the outstanding proportionate monthly income distribution up to the date of settlement of the claim.

3. **Annual & Cumulative Options**

Partial repurchase will be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs.10,000/- (face value) under both the options.

4. Payment for units repurchased by the Trust after the deductions, if any, shall be made within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the repurchase request (printed on the reverse of the membership advice/unit certificate) duly discharged and income distribution warrants, if any, at the centre where the repurchase requests are processed.

No interest shall, on any account, be payable on the amount of repurchase due to the applicant provided such repurchase proceeds are paid within the time

frame provided under Mutual Fund Regulations and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

5. In case of NRI/OCB investors, repurchase proceeds will be remitted outside India depending upon the source of investment as mentioned in paragraph V(11) (xii) above.

6. **Restrictions on repurchase of units**

Notwithstanding anything contained in any provision of the scheme and the plan made thereunder, the Trust shall not be under any obligation to repurchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (not exceeding 15 days) when the register of members remains closed for the purpose of updation of record and reconciliation of unit capital.

Explanation: For the purpose of this scheme and the plan made thereunder the term "working day" shall mean a day which has not been either

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or.

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will remain closed.

IX. INCOME DISTRIBUTION

(a) The member shall have the right to exercise an option to participate in :

1) Monthly Income Option OR

2) Annual Income Option OR

3) Cumulative Option

This shall be done at the time of investment in the scheme. In case no option is exercised in the application form at the first instance it will be deemed to be under monthly income option. The Trust reserves the right to permit investors to change of income distribution option (i.e. monthly to annual or cumulative option or vice-versa) on such terms and conditions as may be decided in future and the same will be communicated to investors in such manner as may be deemed appropriate.

1) **Monthly Income Option**

(i) Declaration of income distribution and despatch of income warrants under the monthly income option will be as follows:

Period applicable	Rate of income distribution	Warrant(s) despatch
July 2000 - March 2001	9.25% p.a	With the Membership Advice
April 2001 – June 2001	9.25% p.a.	March/April 2001
July 2001 – March 2002	To be announced in March 2001	March/ April 2001
Each subsequent April -March till March 2005	To be announced in March each year	March/April 2002 and so on

Based on the investment objectives and policies of the plan as also prevailing and likely yields from the instruments in which funds of the scheme will be invested, the scheme is expected to generate sufficient returns to pay assured income @ 9.25% p.a. payable monthly for the first year of the plan.

(ii) The income distribution for each month shall be made payable at the beginning of the following month and will be paid by the Trust by means of Income Distribution Warrants or by ECS or any instrument encashable at par at the branches of such bank as the Trust may specify under prepayment arrangements with the banks.

(iii) Depending upon the date of acceptance of the application one income distribution for the period upto 31st August 2000 and for the 7 months from September 2000 to March 2001 will be made by ECS or by Income Distribution Warrants sent along with the Membership Advice. The Income Distribution Warrant for the month of March will be dated 31st March every year.

(iv) Subject to the provisions of sub-clause (iii), the warrants for payment of income distribution on a monthly basis will be sent to the member in advance. The warrants will be so dated that the member shall encash each one of the warrants on becoming mature for payment. Every warrant shall have validity for three months.

(v) The Trust shall not be bound to pay interest in the event of any of the warrants not reaching the members before the expiry of the validity period or in the event of their becoming stale.

(vi) In the event of repurchase, the member upon non-surrender of unencashed warrants the amount represented by such Income Distribution Warrants shall be deducted from the repurchase proceeds and in that event the member shall be entitled to encash these warrants which are due for the subsequent months and remaining in the custody of the members on the dates of maturity of warrants.

(vii) In the event of the death of the member if the nominee/legal heir is eligible to hold units and desires to continue to hold the units, then the nominee/legal heir shall be bound to return all the unencashed warrants for the future months for necessary change in his favour. However, such a nominee/legal heir desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased member to those in favour of the newly admitted member.

(viii) In the event of death of an applicant where the application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the alternate applicant shall be bound to return all the unencashed Income Distribution Warrants for future months for necessary rectification. However, such alternate applicant shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased applicant to those in favour of the newly admitted applicant.

2) Annual Income Option

Declaration of income distribution and ECS payment or despatch of IDW under the annual income option will be as follows:

Period applicable	Rate of income distribution	Warrant(s) despatch
July 2000 – June 2001	9.65%	June 2001
July 2001 – March 2002	To be announced in March 2001	March/April 2002
Each subsequent April – March till March 2005	To be announced in March each year	March/April 2003 and so on

3) Cumulative Option

No income will be distributed under this option. Declaration of income distribution and cumulation of income under the cumulative option will be as follows:

Period applicable	Rate of income distribution	Cumulation of Income
July 2000 - June 2001	9.65% p.a.	June 2001
July 2001 – March 2002	To be announced in March 2001	March/April 2002
Each subsequent April – March till March 2005	To be announced in March each year	March/April 2003 and so on

Under all three options, the investor will be paid income distribution @ 9.25% p.a. from the date of acceptance of the application to 30th June, 2000 by means of cheque which will be sent along with the membership advice under all three options.

4) Justification of the return of 9.65% p.a. under the plan

(i) Assuming a collection of Rs.100 crores and initial expenses are 3% to be written off over a period of 4 years and 9 months, the investible funds available for the first year would be Rs.97 crores.

(ii) Further assuming that the scheme will be investing 70% in debt instruments, with a low to medium risk profile at a YTM in the range of 11% to 12.5%, the investment will earn the weighted average yield of 11.75% p.a.

(iii) The annualised return on 30% amount to be invested in equity by way of dividend and taking into account, appreciation/ depreciation in the value of equity portfolio and profits booked be around 16% p.a.

(iv) In the above example, the scheme is expected to earn a return of 13.03% in the first year shown below :

Instruments	% of Portfolio	Investible Funds	Return (%)
Debentures	70	67.90	11.75
Equity	30	29.10	16.00

(v) Weighted Avg. Yield on Portfolio $= \dfrac{67.90 * 11.75 + 29.10 * 16}{100.00} = 13.03\%$

(vi) Taking annual expenses and provisions as 1.25%, the income available for distribution would be 11.78%. This would be sufficient to pay income for the first year of the plan @ 9.25% p.a. under the monthly option and @ 9.65% p.a. under the annual & cumulative options, after tax payment of 22% p.a. on the income distribution under all the options

(vii) The above is illustrative and is based on market conditions at the time of launch of the plan with the following assumptions:

(a) There would be enough opportunities to deploy the entire funds mobilised in the shortest possible time say 1-2 months.

(b) The equity portfolio will consist of liquid scrips and adopt a reasonably active trading strategy.

(5) Bank particulars & Electronic Clearing Service (ECS)

(i) It is mandatory for an investor to give full particulars of his bank account, such as, nature of account, the account number and name and address of the bank branch along with the pin code at the appropriate place in the application form.

(ii) Reserve Bank of India has introduced ECS for direct credit of amounts to the bank accounts of the members. Currently, this facility is available to investors from Ahmedabad, Ballabhgarh/Faridabad, Bangalore, Baroda, Bhopal, Bhubaneshwar, Calcutta, Chandigarh, Chennai, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jamshedpur, Ludhiana, Mumbai, Nagpur, New Delhi Pune, Shimla, Siliguri Surat, and Thrissur (number of centres may be added/deleted progressively) for credit to their bank accounts maintained at the respective centres and where the amount of one single instrument does not exceed Rs.5,00,000/-.The investors will be given a statement giving details of credit to his bank account.

(iii) The bank branch of the investor will credit the investor's account and indicate the credit entry with "ECS" in his passbook/statement of bank account. The applicant residing at the aforesaid centres are required to furnish name and address of bank branch, nature and number of account, 9 digit bank and branch MICR code number in the application form.

(iv) In case the number of investors from the aforesaid cities are not sufficient enough or for any other reasons, the Trust may pay the income distribution by issue of income distribution warrants incorporating bank account details instead of paying income through "ECS" at any or all the above centres.

(v) **Income Distribution to Non Resident Indian Investor**

Income under the plan shall be paid as per the Exchange Control Regulations. The present position regarding payment of income is as follows:

(a) The warrant can be issued in the name of the member and sent to a relative who is resident in India for crediting the NRE/NRO account of the member, as the case may be. OR

(b) The warrant can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him for being credited to his account.

In case of an NRI investor where payment is required to be made in favour of his resident relative, the bank particulars of such relative's bank account should be furnished.

(vi) ECS facility is also available to NRI investors who have their own bank accounts in Mumbai. For those NRI investors who wish to credit Income Distribution to their resident relative's account, ECS facility could be extended to them at places as indicated in clause (ii) above.

X. INVESTMENT OBJECTIVES, POLICIES, STOCK LENDING & DERIVATIVES

1. Investment Objective

(i) Investment objectives of the scheme is to primarily provide regular income to members and also to endeavour providing capital appreciation on maturity of the scheme. Funds collected under the scheme after meeting all initial issue expenses shall generally be invested as follows:

(a) Not less than 70% of the funds in debt instruments including money market instruments of low to medium, risk profile.

(b) Not more than 30% of the funds in equities and equity related instruments. The risk profile of equity investments could be high.

(ii) Minimum and maximum asset allocation:

(a) Debt – Minimum 70%, Maximum 100%

(b) Equity – Maximum 30%

(iii) No fixed allocation will normally be made for money market instruments.

Investment in money market instruments will be kept to the minimum so as to be able to meet the liquidity needs of the plan. However, pending deployment of funds of the scheme in securities in accordance with its investment objective, as stated above, the Trust may invest in money market instruments.

(iv) The Trust retains the option to alter the asset allocation for a short term period on defensive consideration.

2. Fundamental Attributes

(i) "Fundamental attributes" mean the following.

(a) Type of scheme	:	Monthly Income Plan 2000 (Second) is a close end income fund.
(b) Investment objective	:	as provided under clause X of this offer document.
(c) Terms of issue	:	provisions in this offer document in respect of listing, repurchase of units and expenses.

(ii) Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out only with the consent of not less than three-fourths of the members.

Further, in the event of a change in the fundamental attributes those who do not give their consent will be allowed to redeem their unit holdings in the scheme.

(iii) The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and the plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette as required in terms of the UTI Act 1963.

(iv) Any change/amendment/modification of the fundamental attributes of the scheme will be made with the prior approval of the SEBI. In respect of other changes/amendments/ modifications not being of fundamental nature and not affecting the interest of the investor adversely, SEBI will be kept informed.

3. Investment Policies

(i) The scheme shall not invest more than 15% of its NAV in debt instruments issued by a single issuer which are rated not below investment grade by a credit rating agency authorised to carry out such activity under SEBI. Such investment limit may be extended to 20% of the NAV of scheme with the prior approval of the Board of Trustees. Provided that such limit shall not be applicable for investments in government securities and money market instruments.

(ii) The scheme shall not invest more than 10% of its NAV in unrated debt instruments issued by a single issuer and the total investment in such instruments shall not exceed 25% of the NAV of the scheme All such investments shall be made with the prior approval of the Board of Trustees.

(iii) No term loans will be advanced by this scheme.

(iv) The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance. Provided that mutual funds shall enter into derivatives transactions in a recognised stock exchange for the purpose of hedging and portfolio balancing in accordance with the guidelines issued by SEBI.

(v) The Trust shall, get the securities purchased by it transferred in its name.

(vi) Subject to requisite authorisations, UTI, in appropriate circumstances, may use techniques and instruments, such as futures and options and other derivatives subject to applicable regulations and counter-party risk assessment, as prescribed by SEBI from time to time. for the purposes of achieving the investment policy of the plan or hedging or minimising the risk.

(vii) (a) The scheme will participate in the stock lending programme, in accordance with the terms of securities lending scheme announced by SEBI. The activity shall be carried out through approved intermediary.

(b) The maximum exposure of the scheme to a single intermediary in the stock lending programme at any point of time would be 10% of the market value of the equity portfolio of the scheme or such limit as may be specified by SEBI.

(c) If mutual funds and UTI are permitted to borrow stocks the scheme may in appropriate circumstances borrow stocks in accordance with SEBI guidelines in that regard.

(viii) The scheme may invest in securities issued by overseas/foreign companies and listed abroad or securities issued by Indian Corporates to foreign/overseas investors and listed on foreign stock exchange directly by subscribing to such issues or purchasing them on the foreign stock exchanges in accordance with the SEBI/RBI guidelines issued in that regard from time to time.

(ix) The scheme shall not make any investment in;

(a) any unlisted security of an associate or group company of the Trust; or

(b) any security issued by way of private placement by an associate or group company of the Trust; or

(c) the listed securities of group companies of the Trust which is in excess of 25% of the net assets.

(x) As advised by SEBI purchase and sale of securities for the plan through UTI Securities Ltd during any block of three months shall not exceed 5% of aggregate purchase and sale of securities made by the plan.

(xi) Investment in non publicly offered debt: Depending upon the available yield the scheme would be investing in non-publicly offered debt securities.

(xii) Based upon the liquidity needs, the scheme may invest in Government of India/State Government Securities without any restriction on the extent to which such investment can be made.

(xiii) The scheme shall invest not more than 10% of its NAV in the equity shares or equity related instruments of any company.

(xiv) The scheme shall invest not more than 10% of

its NAV in the unlisted equity shares or equity related instruments of any company.

4. **Corporate Investment in the Trust's schemes and the Trust's Investments in these companies**

(i) List of schemes wherein companies have invested more than 5% of the net asset value of a scheme as on 31/12/99.

Sr. No.	Scheme Name	Name of Company holding > 5% of scheme assets
1.	IISFUS ' 97	HDFC
		Hindustan Lever Ltd
2.	IISFUS 97(II)	State Bank of India
		The Peerless General Finance & Investment Co. Ltd.
3.	IISFUS 98	The Peerless General Finance & Investment Co. Ltd.
4.	IISFUS 98 (II)	National Housing Bank
5.	MIP 97(IV)	Oriental Bank of Commerce
6.	MIF	The Peerless General Finance & Investment Co. Ltd.
		State Bank of India
7.	MVUP	IDBI
		S B I
8.	Growth Sector Fund (Brand Value)	Aranik Securities Pvt. Ltd.
		State Bank of Hyderabad
9.	Growth Sector Fund (Pharma)	State Bank of Hyderabad
10.	Growth Sector Fund (Services)	State Bank of Hyderabad
11.	G SEC	Union Bank of India
		State Bank of India
12.	UTI-MMF	Bennett, Coleman & Co. Ltd.
		UTI Bank Ltd.
		The Arvind Mills Ltd.
		Stock Holding Corporation of India Ltd.

(ii) Investment made by the above scheme or any other scheme of UTI in the above companies or their subsidiaries on an aggregate basis as on **31/12/99.**

Rs. crore

Company Name	Equity (Cost	Debt (Cost)	Deposits	Total
State Bank of Mysore	0.18	0.00	0 00	0.18
State Bank of Hyderabad	0 00	0.76	0.00	0.76
I D B I Bank	0.85	0.00	0.00	0.85
Stock Holding Corporation of India Ltd.	7.33	0.00	0.00	7.33
Hind Lever Chemicals Ltd. (HLL Subsidiary)	20.45	0.00	0.00	20.45
Oriental Bank of Commerce	29.07	0.00	0.00	29.07
SBI Capital Markets (SBI subsidiary)	0.00	35.45	0.00	35.45
Union Bank of India	0.00	50.00	0.00	50.00
The Arvind Mills Ltd.	58.35	1.07	0.00	59.42
SIDBI (IDBI Subsidary)	0.00	75.96	0.00	75.96
UTI Bank Ltd	89.12	0.00	0.00	89.12
HDFC	234.50	91.63	0.00	326.13
S B I	599.33	57.01	0.00	656.34
Hindustan Lever Ltd.	1782.16	0.00	0.44	1782.60
IDBI	352.73	2012.16	0.00	2364.89
TOTAL	**3174.07**	**2324.04**	**0.44**	**5498.55**

(ii) Investment made by the above scheme or any other scheme of UTI in the above companies or their subsidiaries on an aggregate basis as on **31/12/98.**

Rs. crore

Company Name	Equity (Cost	Debt (Cost)	Term Loan	Total
State Bank of Mysore	0.18	0.00	0.00	0.18
State Bank of Hyderabad	0.00	0.65	0.00	0.65
I D B I Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock Holding Corporation of India Ltd.	7.51	0.00	0.00	7.51
Hind Lever Chemicals Ltd. (HLL Subsidiary)		0.00	0.00	0.00
Oriental Bank of Commerce	31.66	0.00	0.00	31.66
SBI Capital Markets (SBI subsidiary)	0.00	0.00	0.00	0.00
Union Bank of India	0.00	0.00	0.00	0.00
The Arvind Mills Ltd.	97.76	2.24	0.00	100.00
SIDBI (IDBI Subsidary)	0.00	75.36	0.00	75.36
UTI Bank Ltd	89.12	0.00	0.00	89.12
HDFC	303.39	150.00	0.00	453.39
S B I	844.50	52.33	0.00	896.83
Hindustan Lever Ltd.	1082.68	6.60	0.87	1090.15
IDBI	363.39	1883.92	0.00	2247.31
TOTAL	**2820.19**	**2171.10**	**0.87**	**4992.16**

These investments were made by UTI in the normal course of its business activities.

XI. INTER-SCHEME TRANSFERS

Transfer of investments from /to this scheme to/from other schemes/plans of the Trust shall be done only if –

a) such transfers are on spot basis and are at the prevailing market price for quoted instruments.

   Explanation : "spot basis" shall have the same meaning as specified by the stock exchanges for spot transactions.

b) the securities so transferred are in conformity with the investment objective of the schemes/ plans to which such transfers are made; and

c) transfer of unlisted or unquoted investments from/to the plan to/from other schemes/plans of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

XII. ASSOCIATE TRANSACTIONS & BORROWINGS

1. The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase, redemption of units or payment of interest or income to the members.

   Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net asset of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months.

2. As per section 20 of the Unit Trust of India Act 1963 the Trust has the following borrowing powers:

   (i) The Trust may borrow, whether in India or outside India from any authority or person, not being Government or the Reserve Bank, against such security and on such terms and conditions as may be agreed upon.

   (ii) The Trust may borrow money from the Reserve Bank –

   (a) repayable on demand or on the expiry of a fixed period not exceeding ninety days from the date on which the money is so borrowed, against stocks, funds and securities (other than immovable property) in which a trustee is authorised to invest trust money by any law for the time being in force in India;

   (b) repayable on demand or within a period of eighteen months from the date on which the money is so borrowed, against the security of the bonds which the Trust may issue with the approval of the Central Government;

   (c) on such terms and conditions and against the security of such other property of the Trust as may be specified in this behalf by the Reserve Bank for the purposes of any scheme other than the first unit scheme:

   Provided that any amount borrowed under this clause and outstanding at any one time shall not exceed –

   (a) five crores of rupees in respect of each such scheme; and

   (b) ten crores of rupees in respect of all such schemes in the aggregate.

   (iii) The bonds issued by the Trust under sub-section (ii) of section 20 shall be guaranteed by the Central Government as to the repayment of principal and the payment of interest at such rate as may be fixed by the Central Government at the time the bonds are issued.

XIII. NAV DETERMINATION & VALUATION OF ASSETS

1. Computation and disclosure of NAV

The Net Asset Value of the units issued under the scheme shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. The NAV of the scheme shall be determined separately for the Monthly Income Option, Annual Income and the Cumulative Options. The NAVs (on historic basis) shall be issued to the press for publication within six months from the closure of subscription and on a weekly basis (applicable from next Monday to Sunday with valuation date being the previous Wednesday) thereafter.

2. Valuation of assets pertaining to this scheme

(i) Quoted investments including those under lock-in period, if any, but except government securities are valued at the closing market rates on the valuation date and in its absence, the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment.

(ii) Quoted government securities are valued at closing NSE market rates on the valuation date and in its absence the latest available quote within a period of seven days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of seven days prior to the valuation date the same are treated as unquoted government securities.

(iii) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any

(iv) Right entitlements for shares are valued at market rates, discounted for dividend element, wherever applicable.

(v) Unquoted preference shares/cumulative convertible preference shares are taken at cost.

(vi) Unquoted equity shares are valued on fair valuation basis as determined by the Board of Trustees from time to time.

(vii) Unquoted debentures, bonds and transferable notes are valued at yield to maturity, linked to the yield on GOI Securities (yield curve) along with a mark up approved by the Board of Trustees.

(viii) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(ix) Unquoted Government Securities are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates.

(x) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds is valued as in (vi) above. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is taken at cost.

(xi) Capital indexed bonds are valued on cost basis.

(xii) Valuation policies for Money Market instruments :-

(a) Money market instruments and other investments are taken at book value.

(b) The money invested in Inter bank call market is taken at cost.

(c) The money invested in discount/interest earning instruments is valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose the latest available quote within a period of two working days, prior to the valuation date is considered. When there are no quotes available in the last two working days, the instrument is valued at cost plus the difference between the face value and the cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument

(d) Other money market instruments, including unquoted debentures are valued at cost plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument.

Notwithstanding anything contained in respect of clauses X(3), XIII(1) and XIII(2) the investment policies, valuation of assets, computation of NAV, fixation of repurchase price and frequency of their disclosure of NAV, repurchase price/portfolio would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.

XIV. ACCOUNTING POLICIES

1. Income recognition

(i) Dividend Income on listed equity shares is accrued on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares and preference shares is accounted on receipt basis.

(ii) Interest on investments and commitment charges is accounted for on accrual basis.

(iii) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.

(iv) Profit or loss and premium on redemption of debenture/bonds are recognised on the due date.

(v) Underwriting commission is recognised as revenue on receipt basis when there is no devolvement. In case of devolvement, the full underwriting commission is reduced from the cost of such investments.

(vi) Front-end fee on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments.

(vii) The difference between purchase price and the maturity value, in respect of zero coupon bonds, deep discount bonds and other long-term discounted instruments is treated as income over the remaining life of the instrument on YTM basis.

(viii) Other income is accounted for on receipt basis.

2. Expenses

(i) Expenses are accounted for on accrual basis.

(ii) Certain common expenses incurred through Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act 1963.

(iii) Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers lease rent, on an approved basis, from other schemes for their usage of the said assets.

3. Deferred revenue expenditure

In accordance with the provisions of Section 25 (3) of the Unit Trust of India Act, 1963, certain expenses are deferred as under :

(i) The initial issue expenses including commission to agents, incurred by the close ended schemes are written off equally over the tenure of the schemes.

(ii) When units are repurchased/bought back, the deferred revenue expenses to be charged in that year, as also for the unexpired period, is suitably adjusted.

4. **Investments**

(i) Investments are stated at cost or written down cost.

(ii) In case of secondary market transactions investments are recognised on trade dates.

(iii) Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.

(iv) Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.

(v) Investment viz., debenture /bonds are transferred to current assets on the redemption/ due date.

(vi) The cost of investments include brokerage and service tax but does not include stamp fees which is charged to revenue.

5. **Provisions and Depreciation:**

(A) Provisions against the income considered doubtful:

Provision is made in respect of interest income remaining past due for two quarters or more. Provision is made in respect of dividend at the year end, where it remains outstanding for more than one year from the ex- dividend date.

(B) Depreciation in the value of investments

(i) The aggregate value of investments as computed in accordance with clause XIII(2) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to General Reserve/Unit Premium Reserve. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is added to Unit Premium Reserve/ General Reserve to the extent depreciation was previously adjusted.

(ii) In cases where unquoted equity or preference shares, were written off in the earlier years, the cost of such investment is written back to its cost, as and when a quote or fair value is available.

(iii) Assets where interest is remaining past due for two quarters or more are classified as non performing assets. Provision for such assets is made individually (as stated in the table below). Such provisions are not made for other performing assets of the same company.

Period for which asset remains non-performing	Percentage of Provision	
	Secured Asset	Unsecured Asset
Up to two years	10%	10%
Exceeding two years but up to three years	20%	100%
Exceeding three years but up to five years	30%	100%
Exceeding five years	50%	100%

(iv) Where principal repayment remains outstanding –

(a) for two quarters beyond the past due period in respect of the debt instruments with a balance maturity of not more than 3 years and

(b) for one year beyond the past due period in respect of debt instruments with a balance maturity of more than 3 years, provision is made for such outstanding instalments. The overall provision for such assets is limited to the percentage mentioned in the above table (up to 50% for secured and 100% for unsecured assets) or the amount in default whichever is higher.

Any subsequent instalments in such cases where the original default continues, are provided after 30 days from the respective due dates.

(v) In case of funding of interest by way of capitalisation of outstanding interest dues, the same is provided irrespective of the period of default.

(vi) Provisions for non-performing assets are charged to Unit Premium Reserve/General Reserve/ Revenue Account as the case may be.

(vii) Provisions made under paragraph 5(A) and 5(B) (iv) are written back on receipt or on restructuring of the assets. Provisions under 5(B) (v) are written back on receipt basis.

6. **Buy-back of units**

The units of schemes, listed on stock exchanges which are bought back for redemption through open market operations are accounted for on trade dates. The difference between the acquisition cost and the face value is charged to the Revenue Appropriation Account.

7. **Income Distribution**

(i) In respect of application money pending capitalisation, provision for income distribution

is made for schemes where units are sold at face value and for other schemes no such provision is made. The income distribution is charged to revenue appropriation account in the year of capitalisation.

(ii) Provision for income distribution is made on unit capital at rates approved by the Board of Trustees.

(iii) In respect of monthly income plans launched after 1st January 1997, where the income distribution is assured, the liability pertaining to Cumulative Option is provided for the period from April to March each year in the books of accounts

8. Publication of Financial Results

The unaudited financial results as on 31st December will be published within 2 months and audited annual results as on 30th June will be published within six months of finalisation of accounts in one English daily and one Marathi daily.

XV. TAX TREATMENT OF INVESTMENTS

Tax Treatment

1. Residents /NRIs /OCBs

(i) Taxation of income, if any, and capital appreciation, if realised, under the plan will be subject to prevalent tax laws.

(ii) Currently income, if any, received by all the categories of investors including NRIs/OCBs under all the schemes/plans of the Trust is totally free from tax under Section 10(33) of the Income Tax Act, 1961.

(iii) Under the current tax laws, there is no deduction of tax at source by UTI, for all investors, irrespective of the amount/income received by the investor from the scheme. As per Finance Act 2000 the plan is required to pay an income distribution tax at the rate of 20% and surcharge of 10% thereon under Section 115R of the Income Tax Act, 1961 on the amount of income distribution after 01.06.2000.

(iv) Currently, any long term capital gains arising out of investment in the scheme by residents and NRIs out of rupee originated or NRO funds will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961. At present an investor is required to pay tax @ 20% on long term capital gains after factoring the benefit of the Cost Inflation Index. As per Finance Act 2000, investor can instead opt to pay tax on such long term capital gains at the rate of 10% without indexation.

(v) The capital gains accruing to investments made through NRE accounts or by remittance of funds in foreign currency are not taxable.

(vi) Value of investment in units under the plan is completely exempt from Wealth Tax.

(vii) The Gift Tax Act, 1958 has abolished the levy of Gift Tax in respect of Gifts made on or after 1st October 1998. Thus, Gifts of Units of the plan are fully exempt from levy of Gift Tax.

2. Eligibility for Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA

As per Finance Act 2000, the capital gains tax exemption under section 54EA will be available only in respect of long term capital assets transferred before April 1, 2000, if the sale proceeds are invested in unit schemes of UTI within six months of such sale/transfer. Accordingly, investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital assets till March 31, 2000, in MIP-2000 (Second) will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to availability of repurchase/transfer/pledge of such units only after three years from the date of commencement of the scheme.

3. For Eligible Trusts

Units are approved securities under section 11(2)(b) of the Income Tax Act, 1961. Eligible Trusts investing in units will therefore, qualify for tax exemption in respect of income and corpus under Sections 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.

XVI. INVESTORS RIGHTS & SERVICES

1. Members under the plan have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of the plan and to the income declared by the plan.
2. The members have a right to ask the Trustees any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the members.
3. The members have the right to have the membership advices issued to them not later than 6 weeks from the date of closure of sales under the plan/unit certificates within 7 days from the date of receipt of request for issue of unit certificate in lieu of membership advice.
4. The members have the right to have the repurchase/redemption proceeds despatched to them within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the application at the office where the repurchase requests are processed.
5. An abridged annual report in respect of the Monthly Income Plan 2000(Second) shall be mailed to all members not later than six months from the date of closure of the relevant accounting year and made available for inspection at the Central Investors

Relation Cell and a copy shall also be made available to the members on request on payment of nominal fee, if any.

6. The investor shall be sent a complete statement of the scheme portfolio before the expiry of one month from the close of each half year. Provided that the statement of the scheme portfolio may not be sent to investors if it is published by way of an advertisement in one English daily circulating in the whole of India and one Marathi news paper
7. Any change in the fundamental attributes of the plan will be carried out only with the consent of not less than three-fourths of the members of the plan. Further, in the event of a change in the fundamental attributes, those who do not give their consent will be allowed to repurchase their holdings in the plan.
8. Under specified circumstances the approval of members will be sought by a Postal Ballot.
9. The members have the right to inspect the following documents at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No.1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai 400020.
   - The UTI Act
   - The General Regulations
   - The agreements with the custodians, registrars and collecting banks.
   - Copy of offer document of MIP2000(Second).

XVII. CONSTITUTION & MANAGEMENT OF UNIT TRUST OF INDIA

Constitution of UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under Unit Trust of India Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India. Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees *

1.	Shri P S Subramanyam	: Chairman, Unit Trust of India
2.	Shri G P Muniappan	: Executive Director, RBI
3.	Shri G P Gupta	: Chairman & Managing Director, IDBI
4.	Shri N S Sekhsaria	: Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
5	Shri Rajendra P Chitale	: Chartered Accountant
6.	Dr. Vishvanath V Desai	: Economist
7.	Shri G Krishnamurthy	: Chairman, L.I C
8.	Shri G G Vaidya	: Chairman, S.B.I.
9.	Shri K C Chowdhary	: Chairman & Managing Director, Central Bank of India
10.	Dr Rakesh Mohan	: Director General, National Council of Applied Economic Research

* **The other current directorships of the Trustees are as follows:**

1. **Shri P S Subramanyam** (i) Chairman & Director – The India Fund, (ii) Chairman & Director – India Growth Fund, (iii) Chairman & Director – India Access Ltd (iv) Chairman & Director – The India Public Sector Fund Ltd. (v) Chairman of Governing Council – UTI - Institute of Capital Markets, (vi) Chairman & Director – UTI Investment Advisory Services Ltd (vii) Chairman & Director – UTI Investor Services Ltd. (viii) Chairman - UTI-Securities Exchange Ltd. (ix) Director – UTI Bank Ltd. (x) Chairman & Director – Over-The-Counter Exchange of India (xi) Member – Life Insurance Corporation of India (xii) Director – Discount & Finance House of India Ltd. (xiii) Director – Securities Trading Corpn. of India Ltd. (xiv) Director – National Stock Exchange of India Ltd. (xv) Trustee – Indian Institute of Software Engineering
2. **Shri G P Gupta** – (i) Chairman – Small Industries Development Bank of India, (ii) Director – The India Fund (iii) Director- India Growth Fund, (iv) Director – Discount and Finance House of India Ltd. (v) Director – Export-Import Bank of India (vi) Director – Securities Trading Corpn. of India (vii) Director – Infrastructure Development Finance Co. of India Ltd, (viii) Director – Indian Airlines Ltd. (ix) Director – IDBI Bank Ltd. (x) Director – National Stock Exchange of India Ltd. (xi) Member – Life Insurance Corpn. of India, (xii) Member – General Insurance Corpn. of India (xiii) Director – South Asia Regional Fund, (xiv) Chairman – South Asia Development Fund, (xv) Council Member – Indian Institute of Bankers, (xvi) Member – Bankers Training College (RBI), (xvii) Member – Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (xviii) Member – Institute of Banking Personnel Selection (xix) Member – The Institute of Company Secretaries of India.
3. **Shri N S Sekhsaria** – (i) Director – Gruh Finance Ltd. (ii) Director – Radha Madhav Investments Ltd. (iii) Director – Home Trust Housing Finance Co. Ltd. (iv) Director – Ambuja Cement foundation (v) Director – Ambuja Educational Institute.

4. **Shri Rajendra P Chitale** – (i) Director – Small Industries Development Bank of India, (ii) Director – National Securities Clearing Corporation Ltd. (iii) Director – J M Capital Management Ltd. (iv) Director – Zurich Asset Management Company (India) Ltd. (v) Director – India Index Services and Products Ltd. (vi) Director – Association of Leasing and Financial Services Companies. (vii) Member – Executive Committee (Governing Board) of National Stock Exchange (viii) Member – India Advisory Board of Bank of America NT & SA (ix) Member – Investment Committee, Life Insurance Corporation of India.

5. **Shri V V Desai** – Advisor – ICICI Limited.

6. **Shri G Krishnamurthy** – (i) Chairman – LIC (International) EC, Bahrain (ii) Chairman – LIC Housing Finance Ltd. (iii) Director – General Insurance Corporation of India (iv) Director – Poysha Industrial Co. (v) Chairman, Governing Board – National Insurance Academy (vi) Director – National Housing Bank (vii) Director – UTI Bank Ltd. (viii) Director – Discount & Finance House of India (ix) Director – Kenindia Assurance Co. Ltd., Kenya (x) Director – ICICI Ltd. (xi) Chairman – Governing Body of Insurance Council.

7. **Shri G G Vaidya** – (i) Chairman – SBI Capital Markets Ltd., (ii) Chairman- SBI Funds Management Ltd., (iii) Chairman – SBI Gilts Ltd., (iv) Chairman – SBI Securities Ltd., (v) Chairman – SBI Factors & Commercial Services Ltd., (vi) Chairman – SBI European Bank Ltd., (vii) Chairman – State Bank of Indore, (viii) Chairman – State Bank of Saurashtra, (ix) Chairman – State Bank of Patiala, (x) Chairman – State Bank of Bikaner & Jaipur, (xi) Chairman – State Bank of Hyderabad, (xii) Chairman – State Bank of Mysore, (xiii) Chairman – State Bank of Travancore, (xiv) Chairman – State Bank of India (California), (xv) Chairman – State Bank of India (Canada), (xvi) Vice President of the Governing Council – Indian Institute of Bankers, (xvii) Director – National Bank for Agriculture and Rural Development, (xviii) Director – Export-Import Bank of India, (xix) Director – General Insurance Corporation, (xx) Member of the Governing Board & Chairman of Finance Committee – National Institute of Bank Management, (xxi) Member of the Governing Board, Chairman of the Finance Committee & Office Premises Committee & Committee of Administrators of IBPS Employees Pro. Fund – Institute of Banking Personnel Selection (xxii) Member – Institute for Developing & Research in Banking Technology, (xxiii) Director – Infrastructure Development Finance Corporation, (xxiv) Director- Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd., (xxv) Director – Export Credit Guarantee Corporation.

8. **Shri K C Chowdhary** – (i) Chairman – Small Group on Bank Audit, Indian Banks' Association (ii) Chairman – Banking Operations, Indian Banks' Association, (iii) Chairman – Small Group on Credit Related Matters, Indian Banks' Association (iv) Chairman – IBA Working Group for Interaction with Trade Bodies/Associations, (v) President – Indian Banks' Association, (vi) Member – Managing Committee, Indian Banks' Association, (vii) Chairman – Centbank Home Finance Ltd., (viii) Chairman – Centbank Financial & Custodial Services Ltd., (ix) Director – Agricultural Finance Corpn. of India, (x) Director – Mastercard Asia/Pacific Board, (xi) Director – The New India Assurance Co. Ltd.,(xii) Member – Task Force, Indian Banks' Association.

9. **Dr. Rakesh Mohan** – (i) Chairman – Expert Group on Railways, (ii) Member – Economic Advisory Council to the Prime Minister, (iii) Member – National Security Advisory Board, (iv) Part time member – Telecom Regulatory Authority of India, (v) Member – National Statistical Commission, (vi) Member – Committee on Competition Law & MRTP Act, (vii) Member – Board of Governors, Institute of Economic Growth, New Delhi, (viii) Member – Local Advisory Board, Dresdner Bank, (ix) Honorary Visiting Professor – Indian Institute of Technology, New Delhi, (x) Director – Infrastructure Development Finance Corporation, Chennai, (xi) Member – Board of Trustees, Economic & Social Research Foundation, Tanzania, (xii) Director – Small Industries Development Bank of India, Lucknow. (xiii) Member Secretary – Expert Committee on Small Scale Industry, Ministry of Industry, Government of India, 1996 (xiv) Member – Tariff Authority for Major Ports, Ministry of Surface Transport, Government of India, (xv) Chairman –Advisory Committee for National Accounts, Department of Statistics, Government of India, (xvi) Member – Bureau of Public Enterprises, Government of Rajasthan.

Management of the Fund :-

Shri A.V.S. Ramanujan, Manager will be the fund manager

Qualifications: M.Sc. (Tech), PGDM

Experience and Background:

Has been working with Department of Funds Management from June 1996 till date. The department is responsible for the management of domestic income oriented schemes.

Also worked as an Engineer with Reliance Industries Ltd. from July 1991 to July 1993.

XVIII. OTHER SERVICE PROVIDERS FOR THE SCHEME

1. **Custodians**

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Mumbai – 400021, have been functioning as custodian for all our

schemes and plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to schemes/funds/plans of the Trust and hold them in its custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer of and other dealings in the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust.

Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of securities belonging to the schemes/ funds/plans of the Trust.

The SEBI registration number of SHCIL is IN/CUS/011

Tariff structure of SHCIL is as under:

	Electronic	Physical
Dematerialisation	Rs. 5 per certificate	—
Purchase	5.5 basis points on the value of the transaction	Rs.100 per DIP
Sale	5.5 basis points on the value of the transaction	Rs.100 per DIS
Custody	1.5 basis points on the asset value in custody	8 basis points on the asset value in custody
Off market purchases	5.5 basis pointson the value of the transaction	—
Off market sales	5 5 basis points on the value of the transaction	—
Rematerialisation	Rs.15 per certificate or 15 basis points of conversion value whichever is higher	—

2. Auditors

M/s. Chaturvedi & Company, Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta 700 069 and M/s Batliboi & Purohit, Chartered Accountants, National Insurance Building, 204, D N Road, Fort, Mumbai 400 001. The auditors of the scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

3. Registrar and transfer agent :

(i) M/s UTI ISL Ltd. (SEBI Registration no.INR00000121) have been appointed as the Registrars.

(ii) It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, and repurchase requests, despatch of membership advices/unit certificates within the prescribed time frame and also handle investor complaints.

(iii) Processing of applications and after sales services will be handled from the following branches of the Registrars:

West Zone: Plot No.369, Marol Maroshi Road, Near Marol-Maroshi Bus Depot, Vijay Nagar , Andheri (East), Mumbai-400059.

East Zone: Bombay Mutual Building, 4th Floor, 9, B.T.M. Sarani, Brabourn Road, Opp. India Tea Board, Dalhousie square, Calcutta 700 001.

South Zone: 45 Justice Basheer Ahmed Syed Building, Second line Beach, Chennai 600 001.

North Zone (excluding Uttar Pradesh): 174/175, 1st Floor, Rajendra Bhawan, DDA, Rajendra Place, New Delhi 110 008.

Lucknow (For the State of Uttar Pradesh only): Shop No.8 & 9, 2nd Floor, Saran Chambers 2, No.5, Park Road, Lucknow 226 001.

4. Collecting and Paying Bankers:

(i) State Bank of India will act as collecting and paying bankers on all India basis. UTI Bank has been appointed for collection and local payments as well as for At par payments at restricted places..

(ii) Applications will also be accepted by UTI Branch Offices, CR Collection Centres, Franchise Offices. Addresses of UTI branch offices are given on the last page. The selected branches of Oman International Bank in the Sultanate Of Oman and UAE have been appointed for collection of applications from Non-Resident Indians.

Principal Business Addresses of the Banks:

State Bank of India
(Development & Personal Banking)
(INB 100000038)
Local Head Office,
Madam Cama Road,
P.B. No.10003,
Mumbai 400 021

UTI - Bank Ltd.
(INB 100000017)
Central Office,
Maker Tower-F,
13th Floor, Cuffe Parade,
Colaba, Mumbai 400 005.

Oman International Bank S.A.O.G.
1-A, Mittal Court,
Nariman Point,
Mumbai 400 021

XIX. INVESTORS' GRIEVANCE REDRESSAL

1. All investors could refer their grievances giving full particulars of investment to concerned Investors' Relation Cell at the following addresses:

WESTERN ZONE:

Ms. Tanvi Upadhye/
Shri.Prakash Sahasrabudhe
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Gn Block, Bandra - Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai 400 [illegible]1
Tel: 652 0[illegible]50

EASTERN ZONE:

Shri M O Panikkar
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
4, Fairlie Place,
1st Floor, Post Box No.60
Calcutta 700 001
Tel : 2203047

SOUTHERN ZONE

Ms. Jayasudha K
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Chennai 600 001
Tel: 5260146

NORTHERN ZONE

Shri D K Gandhi
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Herald House,
IInd floor,
5A, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi 110 002.
Tel : 332 1801/3315574

2. **Investor Complaints redressal record**

(i) Complaints received, redressed and pending for the last three years are:

Period	No. of Complaints			Pending to Total Received
	Received	Redressed	Pending	
01-04-96 to 31-03-97	470169	447495	22675	4.82%
01-04-97 to 31-03-98	551929	539318	12611	2.28%
01-04-98 to 31-03-99	287260	274580	12680	4.41%

(ii) Schemewise details of complaints received, redressed and pending for the period 01/04/99 to 31/03/2000 are given below :

Scheme	No. of Complaints			Pending to Total Received (%)
	Received	Redressed	Pending	
CCCF	673	663	10	1.49
CGGF	7671	7590	81	1.06
CGUS-91	45	44	1	2.22
CRTS	348	343	5	1.44
DIP-91	911	906	5	0.55
DIUP-93	2303	2282	21	0.91
DIUP-95	241	241	0	0.00
DIUS-90	113	113	0	0.00
DIUS-91	40	40	0	0.00
DIUS-92	65	61	4	6.15
E.O.F	54	52	2	3.70
E T.S Plan	22	19	3	13.64
GCGI	1832	1777	55	3.00
GMIS-91	456	437	19	4.17
GMIS-92(I)	103	96	7	6.80
GMIS-92(II)	420	415	5	1.19
GMIS-B-92	857	849	8	0.93
GMIS-B-92(II)	129	126	3	2.33
GRANDMASTER-93	609	594	15	2.46
GRIHALAXMI UNIT PLAN	1128	1099	29	2.57
HOUSING UNIT SCHEME	33	33	0	0.00
IEF-97	14	14	0	0.00
IISFUS-95,96,97	9	9	0	0.00
MASTER INDEX FUND	208	203	5	2.40
MASTER VALUE UNIT PLAN	5	5	0	0.00
MASTERGAIN-92	34513	33819	694	2.01
MASTERGROWTH-93	4488	4061	427	9.51
MASTERPLUS-91	56067	54642	1425	2.54
MASTERSHARE-86	17383	15132	2251	12.95
MEP-91	1656	1602	54	3.26
MEP-92	8576	8273	303	3.53
MEP-93	5514	5409	105	1.90
MEP-94	5345	5227	118	2.21
MEP-95	5462	5351	111	2.03
MEP-96	1982	1949	33	1.66
MEP-97	109	104	5	4.59
MEP-98	106	106	0	0.00
MEP-99	39	39	0	0.00
MIP 2000	6	6	0	0.00
MIP-93	1294	1282	12	0.93
MIP-94(I)	398	391	7	1.76
MIP-94(II)	621	615	6	0.97
MIP-94(III)	1950	1885	65	3.33
MIP-95	551	550	1	0.18
MIP-95(II)	441	439	2	0.45
MIP-95(III)	352	347	5	1.42
MIP-96	277	276	1	0.36
MIP-96(II)	630	629	1	0.16
MIP-96(III)	564	555	9	1.60
MIP-96(IV)	7386	7284	102	1.38

Scheme	No. of Complaints			Pending to Total Received (%)
	Received	Redressed	Pending	
MIP-97	784	779	5	0.64
MIP-97(II)	1105	1096	9	0.81
MIP-97(III)	1679	1664	15	0.89
MIP-97(IV)	904	883	21	2.32
MIP-97(V)	348	347	1	0.29
MIP-98	1972	1945	27	1.37
MIP-98(II)	1025	1010	15	1.46
MIP-98(III)	6268	6178	90	1.44
MIP-98(IV)	1573	1565	8	0.51
MIP-98(V)	6670	6624	46	0.69
MIP-99 (I)	934	919	15	1.61
MIP-99 (II)	388	359	29	7.47
MIS-B-93	432	426	6	1.39
MISG-90(I)	680	651	29	4.26
MISG-90(II)	1999	1983	16	0.80
MISG-91	2199	2169	30	1.36
MONEY MARKET FUND	2	2	0	0.00
N.R.I FUND	68	68	0	0.00
NIFTY	1	1	0	0.00
OMNI-PLAN	21	20	1	4.76
PRIMARY EQUITY FUND	1017	987	30	2.95
RAJLAKSHMI	2029	1944	85	4.19
RETIREMENT BENEFIT PLAN	1047	1021	26	2.48
SENIOR CITIZEN U.P.	311	295	16	5.14
UGS-10000	731	707	24	3.28
UGS-2000	2620	2522	98	3.74
UGS-5000	2027	1934	93	4.59
ULIP	11342	10996	346	3.05
US-64	38949	38493	456	1.17
US-92	857	852	5	0.58
UTI BOND FUND	503	478	25	4.97
UTI G-SEC FUND	126	120	6	4.76
UTI-GSF	721	680	41	5.69
TOTAL	**265331**	**257702**	**7629**	**2.88**

(iii) Reasons for pending complaints are :

(a) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(b) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(c) Change of address of investor not informed/not updated.

(d) Loss in transit.

(e) Postal delay.

(f) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(g) Incomplete details while forwarding the complaints.

(h) Non-receipt/ Delayed receipt of commission.

(i) Letters/Documents sent to the wrong office/ Registrars.

XX. PENALTIES, PENDING LITIGATIONS, MATERIAL FINDINGS OF INSPECTIONS/ INVESTIGATIONS

1. There are no cases relating to penalties awarded by SEBI under the SEBI Act or any of its regulations or by any Stock Exchanges (where the units of the schemes of UTI are listed) against the Unit Trust of India/Board of Trustees, or any of the Trustees or key personnel (specifically the fund managers).
2. There are no pending material litigation proceedings incidental to the business of the Unit Trust of India including the Board of Trustees or any of the trustees or key personnel. There are no pending criminal cases against the Unit Trust of India, Board of Trustees or any of the Trustees or key personnel.
3. Neither SEBI nor any other Regulatory Agency has specifically advised that any deficiency in the systems and operations of the Unit Trust of India be disclosed in the offer document.
4. There are no enquiry/adjudication proceedings under the SEBI Act and the Regulations made thereunder, against Unit Trust of India, Board of Trustees/Trustee or key personnel.

XXI. Y2K THE LEAP YEAR ROLLOVER

The IT systems in UTI have crossed yet another milestone – the leap year rollover. All the hardware and software have successfully rolled over to 29th February 2000 and then to 1st March 2000 at all the UTI Branches, Zonal Offices and the Corporate Office. The network connectivity is also working normally. All the Registrar and Transfer Agents have also reported normal working.

XXII. CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

The condensed financial information for the years 1996-97, 1997-98, 1998-99 and for the half year ending 31.12.1999 for all schemes launched during the last three years is annexed.

For and on behalf of the Board of Trustees
of the Unit Trust of India

Sd/-
(B.G. DAGA)
Executive Director
Business Development & Mktg.

Place : Mumbai
Date : 10.03.2000

CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

(i) HISTORICAL PER UNIT STATISTICS

Scheme (Date of Allotment)	MMMF (23.04.97) ££				MIP 96(II) (01.10.96)				DIP 91 (15.10.96)			
	1996-97	1997-98	1998-99	31-12-99	1996-97	1997-98	1998-99	31-12-99	1996-97	1997-98	1998-99	31-12-99
1. NAV at the beginning of the year	10.00	10.17	11.2316	12.47	10.00	ƒ 11.51 ¶ 10.21	ƒ 13.30 ¶ 10.13	ƒ 15.17 ¶ 10.06	10.00	@ 10.60 $ 11.42 & 11.38	@ 9.21 $ 12.65 & 12.59	@ 10.24 $ 13.43 & 15.77
2 Net income per unit	0.14	0.74	0.70	0.80	0.90	1.44	1.32	0.81	1.18	1.41	1.45	0.96
3. Income Distribution: (%) p.a.	—	—	—	—	15.00	# 13.00	£ 10.75	10.75	15.00	15.00	£ 10.85 $ 28.00	@ 10.85 $ 28.00
4. Transfer to reserves (if any)	—	0.79	0.70	0.80	-0.08	0.37	0.39	0.35	0.75	1.17	1.00	0.71
5. NAV at the end of the year	10.17	11.2316	12.4685	13.08	ƒ 11.51 ¶ 10.21	ƒ 13.30 ¶ 10.13	ƒ 15.17 ¶ 10.06	ƒ 16.81 ¶ 10.41	@ 10.60 $ 11.42 & 11.38	@ 9.21 $ 12.65 & 12.59	@ 10.24 $ 13.43 & 15.77	@ 10.52 $ 12.37 & 18.09
6. Annualised return (%)	Ψ 1.7	10.41	10.62		Ψ ƒ 15.10 ¶ 13.25	ƒ 17.75 ¶ 16.58	ƒ 16.39 ¶ 15.18	ƒ 17.33 ¶ 15.62	Ψ @ 16.63 $ 14.20 & 13.80	@ 10.87 $ 14.77 & 14.45	@ 15.59 $ 19.75 & 18.33	@ 15.75 $ 17.46 &20.27
7. Net assets end of the period (Rs. Crs)	37.99	105.39	302.29	202.5984	416.50	413.56	429.10	436.39	241.41	254.44	291.70	320.45
8. Ratio of recurring exp. To net assets (%)	0.001	0.002	0.11	0.27	0.008	0.010	1.04	0.52	0.007	0.009	0.82	0.37

Scheme (Date of Allotment)	ISFUS 96 (01.01.97)				MIP 96(IV) (01.01.97)				MEP 97 (31.03.97)			
	1996-97	1997-98	1998-99	31-12-99	1996-97	1997-98	1998-99	31-12-99	1996-97	1997-98	1998-99	31-12-99
1. NAV at the beginning of the year	10.00	11.09	10.60	10.85	10.00	ƒ 11.03 ¶10.21	ƒ 12.01 ¶ 9.45	ƒ 14.06 ¶ 9.66	10.00	12.09	9.70	11.67
2. Net income per unit	1.01	1.42	1.59	1.07	0.67	1.31	1.34	0.66	0.11	0.71	-1.88	1.27
3 Income Distribution: (%) p.a.	16.00	16.00	14.00	14.00	15.00	# 13.00	£ 10.75	10.75	—	—	—	—
4. Transfer to reserves (if any)	0.05	-0.16	0.15	0.37	0.02	0.27	0.52	0.25	—	0.82	-1.87	1.27
5. NAV at the end of the year	11.09	10.60	10.35	12.00	ƒ 11.03 ¶ 10.21	ƒ 12.01 ¶ 9.45	ƒ 14.06 ¶ 9.66	ƒ 15.55 ¶ 9.99	12.09	9.70	11.67	*14.98
6. Annualised return (%)	Ψ 19.90	20.04	18.59	21.00	Ψ ƒ 10.30 ¶ 9.60	ƒ 13.05 ¶ 11.97	ƒ 14.65 ¶ 13.53	ƒ 15.87 ¶ 14.30	Ψ 20.90	-2.37	7.11	15.84
7. Net assets end of the period (Rs. Crs)	206.50	174.06	178.07	197.54	891.29	841.61	888.93	929.93	88.69	71.14	85.55	110.96
8. Ratio of recurring exp. To net assets (%)	0.003	0.003	0.29	0.13	0.007	0.011	1.06	0.52	0.006	0.011	0.95	0.50

Scheme (Date of Allotment)	MIP 97 (01.05.97)				MIP 97(II) (01.07.97)				ISFUS-97 (01.07.97)			
	1996-97	1997-98	1998-99	31-12-99	1996-97	1997-98	1998-99	31-12-99	1996-97	1997-98	1998-99	31-12-99
1. NAV at the beginning of the year	10.00	ƒ 10.09 ¶ 9.85	ƒ 9.31 ¶ 9.06	9.17 8.59	10.00	10.09	ƒ 9.50 ¶ 9.25	ƒ 9.50 ¶ 8.73	10.00	10.14	9.48	9.74
2. Net income per unit	0.25	1.02	0.51	1.22	0.11	1.08	0.69	1.22	0.12	1.07	1.40	1.36
3 Income Distribution: (%) p.a.	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00
4. Transfer to reserves (if any)	-0.06	-0.29	-0.86	0.78	0.03	-0.08	-0.75	0.87	—	-0.49	-0.25	1.34
5. NAV at the end of the year	ƒ 10.09 ¶ 9.85	ƒ 9.31 ¶ 9.06	ƒ 9.17 ¶ 8.59	10.59 9.05	10.09	ƒ 9.50 ¶ 9.25	ƒ 9.50 ¶ 8.73	ƒ 11.31 ¶ 9.51	10.14	9.48	9.74	11.62
6. Annualised return (%)	Ψ ƒ 0.90 ¶ 0.83	ƒ 5.00 ¶ 6.40	ƒ 8.71 ¶ 8.33	12.94 11.47	—	ƒ 5.65 ¶ 6.96	ƒ 10.20 ¶ 8.45	ƒ 15.87 ¶ 13.03	—	9.05	13.80	18.15
7. Net assets end of the period (Rs. Crs)	1195.73	1118.75	1145.98	1261.64	1462.16	1478.46	1545.74	1771.24	685.15	640.48	666.05	805.70
8 Ratio of recurring exp. To net assets (%)	0.006	0.012	1.13	0.50	0.001	0.011	1.05	0.46	0.000	0.005	0.43	0.18

Scheme (Date of Allotment)	IEF (01.08.97)				MIP-97(III) (01.09.97)			MIP-97(IV) (01.11.97)		
	1996-97	1997-98	1998-99	31-12-99	1997-98	1998-99	31-12-99	1997-98	1998-99	31-12-99
1. NAV at the beginning of the year	10.00	10.00	9.33	14.94	—	ƒ 9.70 ¶ 9.38	ƒ 9.98 ¶ 9.40	—	ƒ 9.99 ¶ 9.53	ƒ 10.36 ¶ 9.67
2. Net income per unit	0.00	0.00	1.14	1.38	0.84	1.02	1.28	0.81	0.89	0.99
3. Income Distribution: (%) p.a.	—	—	—	—	13.00	13.00	13.00	12.50	12.50	12.50
4. Transfer to reserves (if any)	—	0.10	1.15	1.39	-0.26	-0.31	0.79	0.01	-0.34	0.60
5. NAV at the end of the year	10.00	9.33	14.94	* 19.56	ƒ 9.70 ¶ 9.38	ƒ 9.98 ¶ 9.40	ƒ 11.63 ¶ 10.10	ƒ 9.99 ¶ 9.53	ƒ 10.36 ¶ 9.67	ƒ 11.61 ¶ 10.08
6. Annualised return (%)	—	-6.70	23.26	30.61	Ψ ƒ 4.91 ¶ 4.63	ƒ 11.85 ¶ 10.51	ƒ 16.56 ¶ 14.23	Ψ ƒ 5.41 ¶ 3.64	ƒ 13.72 ¶ 11.27	ƒ 16.33 ¶ 13.62
7. Net assets end of the period (Rs. Crs)	31.28	30.91	49.48	65.76	829.79	873.84	965.19	924.40	997.61	1075.42
8. Ratio of recurring exp. To net assets (%)	0.001	0.017	1.13	0.41	0.011	1.04	0.50	0.007.	0.74	0.38

	MIP-97(V) (01.01.98)			MEP 98 (31.03.98)			ISFUS 97(II) (01.02.98)			MIP-98 (01.04.98)			MIP-98(II) (01.07.98)		
	1997-98	1998-99	31-12-99	1997-98	1998-99	31-12-99	1997-98	1998-99	31-12-99	1997-98	1998-99	31-12-99	1997-98	1998-99	31-12-99
1. NAV at the beginning of the year	—	ƒ 9.98 □ 10.27 ¶ 9.71	ƒ 10.08 □ 10.29 ¶ 9.64	—	8.35	11.59	—	9.74	10.14	—	ƒ 9.81 □ 9.74 ¶ 9.48	ƒ 10.41 □ 10.33 ¶ 10.09	—	—	ƒ 10.53 □ 10.06 ¶ 10.21
2. Net income per unit	0.70	0.65	0.88	0.23	-1.16	3.02	0.60	1.00	1.05	0.31	1.11	0.67	12.50	0.97	0.99
3. Income Distribution: (%) p.a.	11.75	11.75	¶ 11.75 □ 12.40	—	—	—	12.75	12.75	12.75	12.50	12.50	ƒ □ 13.25 ¶ 12.50	-0.07	12.50	ƒ □ 13.25 ¶ 12.50
4. Transfer to reserves (if any)	0.27	-0.55	0.25	0.23	-1.13	3.02	-0.07	-0.39	1.04	-0.02	-0.11	0.30	9.75	-0.28	-0.28
5. NAV at the end of the year	ƒ 9.98 □ 10.27 ¶ 9.71	ƒ 10.08 □ 10.29 ¶ 9.64	ƒ 11.73 □ 10.48 ¶ 10.47	8.35	11.59	* 15.91	9.74	10.14	11.29	ƒ 9.81 □ 9.74 ¶ 9.48	ƒ 10.41 □ 10.33 ¶ 10.09	ƒ 10.75 □ 10.67 ¶ 9.69	—	ƒ 10.53 ¶ 10.21 □ 10.06	ƒ 11.58 □ 11.07 ¶ 10.47
6. Annualised return (%)	Ψ ƒ 1.96 □ 2.70 ¶ 2.97	ƒ 10.22 □ 10.40 ¶ 9.98	ƒ 16.03 □ 14.66 ¶ 14.73	Ψ - 16.50	12.53	30.43	Ψ 2.10	13.47	15.85	Ψ ƒ -2.60 □ -1.90 ¶ -2.07	ƒ 14.11 □ 13.39 ¶ 14.03	ƒ 11.89 □ 11.55 ¶ 11.44	—	ƒ 15.65 □ 13.89 ¶ 15.51	ƒ 17.41 □ 16.01 ¶ 16.41
7. Net assets end of the period (Rs. Crs)	475.12	490.53	536.11	18.06	25.12	37.99	656.31	688.35	777.37	928.05	1019.42	1014.39	770.12	901.65	962.64
8. Ratio of recurring exp. to net assets (%)	0.008	1.02	0.48	0.012	2.63	0.69	0.004	0.41	0.19	0.01	1.03	0.56	—	1.03	0.49

Scheme (Date of Allotment)	NRI FUND (01.05.98)			ISFUS-98 (01.06.98)			UGS-10000 (1.06.98) £ £			UBF (18.06.98)) £ £			MYUP (01.07.98)	
	1997-98	1998-99	31-12-99	1997-98	1998-99	31-12-99	1997-98	1998-99	31-12-99	1997-98	1998-99	31-12-99	1998-99	31-12-99
1. NAV at the beginning of the year	—	Δ 9.94	ƒ 10.94 □ 10.92	—	9.64	10.23	—	9.57	14.08	—	9.93	11.58	10.00	14.34
2. Net income per unit	0.04	1.19	1.12	0.08	1.26	1.11	-0.41	1.29	2.09	-0.07	0.74	0.56	0.76	0.69
3. Income Distribution: (%) p.a.	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	—	—	—	—	—	—	—	
4. Transfer to reserves (if any)	-0.06	-0.15	1.13	-0.18	-0.22	1.12	-0.41	1.28	2.10	-0.07	0.76	0.56	0.76	0.69
5. NAV at the end of the year	Δ 9.94	ƒ 10.94 □ 10.92	ƒ 11.55 □ 11.53	9.64	10.23	11.95	9.57	14.08	* 18.12	9.93	11.58	12.09	14.34	* 22.50
6. Annualised return (%),	Ψ -0.60	ƒ 22.21 □ 21.05	ƒ 17.49 □ 17.08	Ψ -2.48	15.75	21.36	Ψ -4.30	37.66	54.46	Ψ -0.70	13.53	11.66	43.40	71.96
7. Net assets end of the period (Rs. Crs)	63.45	75.97	80.22	944.49	1007.21	1205.03	67.40	131.00	147.19	136.39	690.50	999.79	143.59	233.11
8. Ratio of recurring exp. to net assets (%)	0.01	0.91	0.41	0.00	0.41	0.18	0.05	2.08	1.18	0.01	1.10	0.81	1.19	0.36

Scheme (Date of Allotment)	MIF ££ (01.06.98)		SIF (08.07.98)		MIP-98(III) (01.09.98)		MIP-98(IV) (01.12.98)		ISFUS-98(II) (01.01.99)		MIP-98(V) (01.02.99)	
	1998-99	31-12-99	1998-99	31-12-99	1998-99	31-12-99	1998-99	31-12-99	1998-99	31-12-99	1998-99	31-12-99
1. NAV at the beginning of the year	9.89	12.75	9.89	11 33	—	ƒ 10.80 □ 11.63 ¶ 10.21	—	ƒ 10.83 □ 11.26 ¶ 10.41	—	10.30	—	ƒ 10.33 □ 10.53 ¶ 9.96
2. Net income per unit	0.09	3.41	1.31	0.51	1.10	0.86	0.90	1.40	0.92	0.99	—	0.73
3. Income Distribution: (%) p.a.	—		—		12.50	□ ƒ 13.25 ¶ 12.50	12.50	□ ƒ 13.25 ¶ 12.50	14.00	14.00	—	□ ƒ 13 25 ¶ 12 50
4. Transfer to reserves (If any)	0 17	3.41	1 34	0.50	0.26	0.26	0.28	0.28	-0.02	0.99	—	0 49
5. NAV at the end of the year	12.75	* 15.08	11.33	11.76	ƒ 10.80 □ 11 63 ¶ 10.21	ƒ 12.02 □ 11.24 ¶ 10.61	ƒ 10 83 □ 11.26 ¶ 10.41	ƒ 12.19 □ 11.04 ¶ 10.91	ƒ 10.30 ¶ 10 30	ƒ 11.99 ¶ 11.95	ƒ 10 33 □ 10 53 ¶ 9.96	ƒ 11.44 □ 11.67 ¶ 10.28
6. Annualised return (%) ,	25.38	31.60	13.30	12.28	Ψ ƒ 16.10 □ 16.30 ¶ 13.18	ƒ 21 22 □ 19.27 ¶ 17.98	Ψ ƒ 16.42 □ 12.60 ¶ 11.39	ƒ 24.77 □ 21.87 ¶ 22.07	Ψ ƒ10.00 ¶ 10.20	28.38 27 49	Ψ ƒ 5.46 □ 5.30 ¶ 4.81	Ψ ƒ 16.79 □ 16 70 ¶ 14.26
7. Net assets end of the period (Rs. Crs)	198 01	168.02	0.25	0.29	1439 45	1501.62	948.89	998.44	1158.06	1359 77	882 07	953 00
8. Ratio of recurring exp. to net assets (%)	2.14	0.89	1.90	2.27	0 98	0.49	0.78	0.51	0.30	0 20	0.59	0.54

Scheme (Date of Allotment)	MEP - 99 (31.03.99)		GSF-BRAND (27-05-99) ££	GSF-PHARMA (27-05-99) ££	GSF-SOFTWARE (27-05-99) ££	GSF-PETRO (27-05-99) ££	GSF-SERVICE (27-05-99) ££	G-SEC FUND (27-05-99) ££	MIP 99 (01.06.99)
	1998-99	31-12-99	31-12-99	31-12-99	31-12-99	31-12-99	31-12-99	31-12-99	31-12-99
1. NAV at the beginning of the year	—	11.26	10.02	9.94	10 08	9 99	9 99		10.09
2. Net income per unit	0.47	7.68	2 15	-0.95	5.43	1.55	8.72	0 32	0.81
3. Income Distribution: (%) p.a.	—	—							□ ƒ 11.25 ¶ 10.75
4. Transfer to reserves (if any)	0.47	7.68	2.07	-0.94	5 42	1.54	9.08	0.32	0.62
5. NAV at the end of the year	11.26	* 25.11	* 11 85	* 13.36	* 22.00	* 9 59	* 17.77	104.81	ƒ 11.74 □ 11 72 ¶ 10.93
6. Annualised return (%)	Ψ 12.60	Ψ 151.10	Ψ 18.50	Ψ 33.60	Ψ 120 00	Ψ -4 10	Ψ 77.70		Ψ ƒ 17 40 □ 17.20 ¶ 14.68
7. Net assets end of the period (Rs. Crs)	3.91	8.46	19.58	21.29	281.65	8 15	11.86	315 38	3122.21
8. Ratio of recurring exp. to net assets (%)	1 09	0.98	1.76	3.95	1.14	1.29	0.75	0.39	0.51

ƒ Cumulative Option,
¶ Non-Cumulative Option,
□ Annual Income Option,
$ Deferred Income Option,
@ Qtr Option,
* NAV as on 29.12.1999,

& Capital Growth Option,
# 15% up to 31.03.98,
£ 13% upto 31.03.99,
££ date of launch is given as they are open ended,
Ψ Return not anualised since scheme has not completed one year, as on 30th June/31st Dec.,
Δ A single NAV is calculated.

(ii) There are no instances of borrowing by schemes of the Trust.

HISTORICAL PER UNIT STATISTICS

Schemes	Nav As on 30.04.2000	Annualised Yield(%)
UBF	12 7003	12 82%
SIF	12.58	13.58%
IISFUS-96 *	12.09	19.42%
IISFUS-97 *	11 97	17 30%
ISSFUS-97(II) *	11.49	14 44%
IISFUS-98 *	11.90	17.49%
IISFUS-98(II) *		
– Cum Option	11.86	19.74%
– Income Option	11.82	19.38%
UNF *		
– Cum Option	11.97	16 66%
– Annual Option	11.95	16.27%
MMMF $	13 5129	9.81%
MEP-97 *	12.64	7.92%
MEP-98 *	13.87	17.09%
MEP-99 *	22.20	127 28%
UGS-10000 *	12.15	20.06%
IEF *	19.01	25.40%
MVUP *	18.93	41 95%
MIF *	14.49	22.58%
MIP-96(III)		
– Non Cum Option	10.14	14.59%
– Cum Option	17.35	16.62%
MIP-96(IV)		
– Non Cum Option	9.81	13.54%
– Cum Option	16 18	15.54%
MIP-97		
– Non Cum Option	9 29	12.70%
– Cum Option	9.84	13 89%
MIP-97(II)		
– Non Cum Option	9.32	12.65%
– Cum Option	10.08	14.84%
MIP-97(III)		
– Non Cum Option	9.79	13.05%
– Cum Option	10.26	14.53%
MIP-97(IV)		
– Non Cum Option	9.82	12.56%
– Cum Option	10.36	14.47%

Schemes	Nav As on 30.04.2000	Annualised Yield(%)
MIP-97(V)		
– Monthly Option	10 02	12.50%
– Cum Option	10 31	12.99%
– Annual Option	10 48	12.74%
MIP-98		
– Monthly Option	10.23	14.32%
– Cum Option	10.37	14.65%
– Annual Option	8 81	14.11%
MIP-98(II)		
– Monthly Option	10.02	13.33%
– Cum Option	10.14	13.45%
– Annual Option	11 12	13 38%
MIP-98(III)		
– Monthly Option	10.47	16.09%
– Cum Option	10.87	18.31%
– Annual Option	11.67	17.86%
MIP-98(IV)		
– Monthly Option	10 48	16.71%
– Cum Option	10.67	17.69%
– Annual Option	11.09	17.10%
MIP-98(V)		
– Monthly Option	10.25	15 37%
– Cum Option	10.41	16.02%
– Annual Option	10.61	15.37%
MIP-99 #		
– Monthly Option	10.51	14.95%
– Cum Option	10 75	17.52%
– Annual Option	11.86	18.60%
DIP-91		
– Qtr Inc Option	10.38	14.79%
– Defr Inc Option	11.33	15.62%
– Growth Option	17.86	17.77%

* NAV as on 26.04.2000 $NAV as on 10.05.2000

\# yield not annualised as the schemes have not completed 1 year.

XXIII. DETAILS REGARDING SCHEMES WHEREIN RETURNS ARE ASSURED UNDER DRF AS ON 31.03.2000

(Amt. in Crs)

NAME OF SCHEME	PERIOD FROM	PERIOD TO	% RATE OF RETURNS ASSURED	INVESTIBLE FUNDS AS OF 31.3.2000	NET INCOME	INCOME DISTRIBUTION	RESERVES AS OF 31.3.2000
MIP 97	01.05.97	30.06.97	14.00		28.95	35.37	
	01.07.97	30.06.98			124.49	153.57	
	01.07.98	30.06.99			66.55	159.10	
	01.07.99	31.3.2000		1150.42	334.83	157.78	-15.13
MIP 97 II	*	30.06.97			15.29	19.54	
	01.07.97	30.06.98	14.00		170.34	184.33	
	01.07.98	30.06.99			116.33	200.71	
	01.07.99	31.3.2000		1491.84	331.63	207.70	-52.17
IISFUS 97	*	30.06.97			7.91	14.77	
	01.07.97	30.06.98	15.00		72.57	98.89	
	01.07.98	30.06.99			95.88	113.89	
	01.07.99	31.3.2000		729.24	157.11	0.00	105.49
MIP 97 III	*	30.06.97			0.00	0.21	
	01.09.97	30.06.98	13.00		73.40	96.86	
	01.07.98	30.06.99			92.48	108.55	
	01.07.99	31.3.2000		851.77	150.72	101.64	-15.3

NAME OF SCHEME	PERIOD FROM	PERIOD TO	% RATE OF RETURNS ASSURED	INVESTIBLE FUNDS AS OF 31.3.2000	NET INCOME*	INCOME DISTRIBUTION	RESERVES AS OF 31.3.2000
MIP 97 IV	01.11.97	30.06.98	12.50		76 69	75.57	
	01.07.98	30.06.99			88.62	111.72	
	01.07.99	31.3.2000		833.45	156.08	108.32	0.7
MIP 97 V	01.01.98	30.06.98	11.75		33.33	20.53	
	01.07.98	30.06.99			31.93	47.94	
	01.07.99	31.3.2000		469.08	94.93	47 11	23.5
IISFUS 97 II	01.02.98	30.06.98	12.75		40.68	45.58	
	01.07.98	30.06.99			67 52	96.04	
	01.07.99	31.3.2000		662.19	80.96	0 00	48 30
MIP 98	01.04.98	30.06.98	12.50		30.02	31.59	
	01.07.98	30.06.99			110.7	111 79	
	01.07.99	31.3.2000		975.83	145.01	108.36	8.28
IISFUS 98	01.06.98	30.06.98	13.50		8.16	25.85	
	01.07.98	30.06.99			123.95	147.51	
	01.07.99	31.3.2000		938.31	129.05	0.00	90.82
NRI FUND	01.06.98	30.06.98	13.50		0.25	0.65	
	01.07.98	30.06.99			8.30	8.81	
	01.07.99	31.3.2000		61.94	12.60	0.00	11.16
MIP 98 (II)		30.06.98			2.42	8.19	
	01.07.98	30.06.99	12.50		85.04	109.96	
	01.07.99	31.3.2000		893.65	86.41	64.20	-14.76
MIP 98 III	01.09.98	30.06.99	12.50		147.41	113.07	
	01.07.99	31.3.2000		1356.14	204.84	122.52	70.46
MIP 98 IV	01.12.98	30.06.99	12.50		79.70	55.28	
	01.07.99	31.3.2000		851.4	175.52	86.42	72.54
IISFUS 98 II	01.01.99	30.06.99	14.00		103.88	106.57	
	01.07.99	31.3.2000		1147.73	121.05	0.00	118.56
MIP 98 V	01.02.99	30.06.99	12.50		29.48	29.65	
	01.07.99	31.3.2000		806.58	114.76	89.32	1.97
CGGF	01.07.98	30.06.99	14.00		210.77	502.33	
	01.07.99	31.3.2000		3727.36	409.15	2.95	-60.56
RUP	01.07.98	30.06.99	Rs.1500/- becomes Rs.21000/- in 20 yrs		31.63	—	
	01.07.99	31.3.2000		552.1	68.11	0.00	174.69
MIP 99	01.06.99	30.06.99	10.75		23.59	30.52	
	01.07.99	31.3.2000		2434.93	282.52	118.03	153.31
CGGF 86(RELAUNCH)	01.07.98	30.06.99	12.00		-2.63	1.31	
	01.07.99	31.3.2000		128.42	16.56	—	8.89
RUP 99 (RELAUNCH)	01.07.98	30.06.99	Rs. 1500/- becomes		-1.91	—	
	01.07.99	31.3.2000	Rs.15000/- in 20 yrs	49.04	5.19	0.00	3.28
MIP 99-II $	01.07.99	31.3.2000		1209.87	85.56	35.23	-10.45
MIP 2000 $	01.07.99	31.3.2000		902.73	63.60	16.58	3.15
TOTAL :				22224.02			

* From initial sale period.

$ ID is not assured, the capital invested in the scheme is protected on maturity.

Management's perception: The above schemes will mature on various dates from the years 2002 to 2005 with improvement in market conditions the underlying scrips are expected to discover their fair prices reversing the notional depreciation. Further, active trading in debt and equity is expected to add value before the schemes become due for redemption.

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg (New Marine Lines), Mumbai-400 020. Tel 2068468

ZONAL OFFICES

Western Zone: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051 Tel: 6520850. • **Eastern Zone:** 4 Fairlie Place, 1st Floor, Calcutta-700 001. Tel: 2200571. • **Southern Zone:** UTI-House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001 Tel. 5210347 • **Northern Zone:** Jeevan Bharati, 13th Floor, Tower II, Connaught Circus, New Delhi-110 001. Tel 3329860/3329858.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE JURISDICTION

MUMBAI MAIN BRANCH OFFICE

Centre-1, 29th Floor, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005 • Tel.: 218 1600 / 218 0057

BRANCHES WHERE APPLICATIONS CAN BE TENDERED

Ahmedabad: UTI House, Near Mithakhali Railway Bridge, Off Ashram Road, Ahmedabad-380 009. Tel 6580849. **Baroda:** 'Meghdhanush' 4th & 5th Floor, Transpek Circle, Race Course Road, Baroda-390 015. Tel 332481 **Bhopal:** 1st Floor, Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone I, Scheme 13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel: 558308 **Indore:** City Centre, 2nd Floor, 570, M G Road, Indore-452 001. Tel 535607. **Kolhapur:** Ayodhya Towers, C S No. 511, KH-1/2, 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Road, Kolhapur-416 001 Tel: 657315 **Mumbai** (1) Unit No 2, Block 'B', Opp JVPD Shopping Centre, Gul Mohar Cross Road No. 9, Andheri (W), Mumbai-400 049 Tel 6201995 (2) Lotus Court Building, 196, Jamshedji Tata Road, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020 Tel 2850821/822 (For Mumbai Main Branch Office) (3) Shraddha Shopping Arcade, 1st Floor, S.V. Road, Borivali (West), Mumbai-400 092. Tel. 8980521. (4) Sagar Bonanza, 1st Floor, Khot Lane, Ghatkopar (W), Mumbai-400 086 Tel 5162256 **Nagpur:** Shree Mohini Complex, 3rd Floor, 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg (Kingsway), Nagpur-440 001 Tel. 536893 **Nasik:** Sarda Sankul, 2nd Floor, M G Road, Nasik-422 001. Tel: 572166 **Panaji:** E D C House, Ground Floor, Dr A.B Road, Panaji, Goa-403 001. Tel. 222472 **Pune:** Sadashiv Vilas, 3rd Floor, 1183 Fergusson College Road, Shivaji Nagar, Pune-411 005 Tel. 5535951 **Raipur:** Vanijya Bhavan, Sai Nagar, Jail Road, Raipur-492 009 Tel: 551414 **Rajkot:** Lallubhai Centre, 3rd Floor, Lakhaji Raj Road, Rajkot-360 001. Tel 235112. **Surat:** Saifee Bldg., Dutch Road, Nanpura, Surat-395 001. Tel 474550. **Thane:** UTI House, Near Thane Post & Telegraph Office, Opp Rickshaw Stand, Station Marg, Thane (W)-400 601 Tel 5400905. **Vashi:** Persepolis Bldg, 3rd Floor, Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400 703. Tel 7892249

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar: OCHC Bldg., 1st & 2nd Floor, 24, Janpath, Kharvela Nagar, Nr Ram Mandir, Bhubaneshwar-751 001 Tel 410995 **Calcutta.** 29, Netaji Subhash Chandra Road, Calcutta-700 001 Tel 2434581. **Durgapur.** 3rd Administrative Bldg, 2nd Floor, Asansol Durgapur Dev. Authority, City Centre, Durgapur-713 216 Tel 546831. **Guwahati** Hindustan Bldg, 1st Floor, M L Nehru Marg, Panbazar, Guwahati-781 001 Tel 543131 **Jamshedpur** 1 A, Ram Mandir Area, Gr. & 2nd Floor, Bistupur, Jamshedpur-831 001 Tel 425 508. **Patna** Jeevan Deep Bldg, Gr. & 5th Floor, Exhibition Road, Patna-800 001 Tel. 235001. **Siliguri** Jeevan Deep, Ground Floor, Gurunanak Sarani, Siliguri-734 401 Tel: 424671

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore Raheja Towers, 26-27, 12th Floor, West Wing, M G Marg, Bangalore-560 001 Tel 5595691 **Chennai** UTI House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001 Tel. 517 101. **Cochin:** Jeevan Prakash, 5th Floor, M.G. Marg, Ernakulam-682 011 Tel: 362 354. **Coimbatore:** Cheran Towers, 3rd Floor, 6/25 Arts College Marg, Coimbatore-641 018. Tel 214973. **Hubli:** Kalburgi Mansion, 4th Floor, Lamington Marg, Hubli-580 020 Tel 363963 **Hyderabad** 1st Floor, Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 195 Tel 4611095 **Madurai** Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thirupparakundram Marg, Madurai-625 001 Tel: 738186. **Mangalore:** Siddhartha Bldg, 1st Floor, Bal-Matta Marg, Mangalore-575 001 Tel: 426290 **Thiruvananthapuram:** Swastik Centre, 3rd Floor, M G. Marg, Thiruvananthapuram-695 001 Tel 331415 **Trichy:** 104, Salai Marg, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003 Tel: 760060. **Trichur:** 28/700 West Pallithamam Bldg., Karunakaran Nambiar Marg, Round North, Trichur-680 020 Tel: 331259 **Vijaywada.** 27-37-156, Bunder Marg, Next to Hotel Manorama, Vijaywada-520 002 Tel: 571134 **Vishakhapatnam:** Ratna Arcade, 3rd Floor, 47/15/6, Station Marg, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-530 016. Tel 548121

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra Ground Floor, Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Marg, Agra-282 002 Tel 54408. **Allahabad** United Towers, 3rd Floor, 53, Leader Marg, Allahabad-211 003. Tel 400521 **Amritsar.** Shri Dwarkadhish Complex, 2nd Floor, Queen's Marg, Amritsar-143 001 Tel: 64398 **Chandigarh** Jeevan Prakash, LIC Bldg, Sector 17-B, Chandigarh-160 017. Tel: 703683. **Dehradun.** 2nd Floor, 59/3, Raipur Marg, Dehradun-248 001 Tel 746720 **Faridabad** B 614-617, Nehru Ground, NIT, Faridabad-121 001 Tel 219156. **Ghaziabad:** 41, Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad-201 001 Tel: 790366. **Jaipur:** Anand Bhavan, 3rd Floor, Sansar Chandra Marg, Jaipur-302 001 Tel: 365212. **Jodhpur:** Minerva Centre, 1st Floor, Station Road, Jodhpur-342 001 Tel 645229 **Kanpur.** 16/79-E, Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel. 317278. **Lucknow:** Regency Plaza Building, 5, Park Marg, Lucknow-226 001. Tel 238502 **Ludhiana** Surya Kiran Phase II, 92, The Mall, Ludhiana-141 001 Tel: 441264. **New Delhi** Gulab Bhavan, 2nd Floor, 6, Bahadurshah Jafar Marg, New Delhi-110 002.Tel. 3318638. **Shimla:** Flat No. 401, 402, 403, 405 Mukesh Apts., Fingask Estate, Near Hotel Sheel, Shimla-171 002 Tel. 257803. **Varanasi** 1st Floor, D-58 / 2A-1, Bhawani Market, Rathyatra, Varanasi-221 001 Tel 358306

UTI NRI Branch:

UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Tel.: 6528532 • Fax 6528175 • E-mail. utinri@bom2.vsnl.net in

Dubai Representative Office:

Post Box No 29288, 17, Al Maskan, Karama, Dubai, U.A.E. Tel: 00971 4 3356656 • Fax: 3356636.

UTI London Branch:

UTI (Guernsey Ltd.) Shri Pradeep Kumar, State Bank House, 1, Milk Street, London EC2P 2 JP. Tel. 0044171 454 0415 • Fax: 0044171-454 0416

DESIGNATED BRANCHES OF OMAN INTERNATIONAL BANK

NRI Centre: P.O. Box 1216, Postal Code 112, Ruwi Branch **Sultanate of Oman:** Al Khuwir, P.O. Box 1216, Ruwi-112. **Buraimi** P O Box 358, Buraimi-512. **Fahud** P O Box 54, Mina-Al-Fahal-116. **Marmul:** P O. Box 54, Mina-Al-Fahal-116. **Mina Al Fahal.** P.O. Box 54, Mina Al Fahal-116 **Muskar Al Murtaffa** P.O. Box 559, CPO Seeb 111: **Muttrah:** P.O. Box 117, Muttrah 114 **Nizwa:** P O Box 71, Nizwa 611 **Qurum:** P O Box 43, Mina Al Fahal-116 **Salalah:** P.O. Box 1453, Salalah 211 **Sleef:** P O Box 11, Ibri 511. **Sur:** P.O. Box 651, Sur 411

UCHITHA GRAPHIC 5/2000

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(Ministry of Labour, Govt. of India)
HEAD OFFICE, BHAVISHYA NIDHI BHAWAN
14 - BHIKAJI CAMA PLACE
NEW DELHI – 110 066

Dated: 7th August, 2000

NOTIFICATION

S.O. No. FP-I (147)/91/BHEL/TN/556 whereas M/s Bharat Heavy Electricals Limited, 47-1, Anna Salai, Nandanam, Chennai – 600035, Tamil Nadu, Code No. TN/7835 has forwarded 8 applications in respect of its employees whose names are reflected in Shedule-I annexed for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 under Section 17(1C) of Employees' Provident Fund & Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

And whereas, I, Ajai Singh, Central Provident Fund Commissioner am satisfied that the benefits in the nature of Family Pension under the Government of India Pension Rules (C.C.S. Pension Rules) applicable to these individual employees of the said establishment are more favourable than the benefit provided under the Employees' Family Pension Scheme, 1971.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1-C) of Section 17 of the said Act, I, Ajai Singh, Central Provident Fund Commissioner, hereby exempt, the above said individual employees of the said establishment who were under the employment of the Central Government before absorption in the above establishment and were governed by C.C.S. Pension Rules, from the operation of all provisions of the Employees' Family Pension Scheme, 1971 with effect from the date of issue of the Notification or from the last date of service of those who retired after exercising option from 22.01.90 to 21.07.90 in terms of Government Orders dated 22.01.90 on the following terms and conditions:

1. The employees will not be entitled to or claim any benefit(s) under the Employees' Family Pension Scheme, 1971 from the date of exemption.

2. Option once exercised for the grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme 1971 will be irrevocable.

3. The employer in relation to the said employees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

(AJAI SINGH)
Central Provident Fund Commissioner.

Encl:- As above

No. FP-1(147)/91/BHEL/TN 556 Dated: 7 अगस्त 2000

Schedule - I

Establishment Name	:	M/s Bharat Heavy Electricals Limited, 474, Anna Salai Nandanam, Chennai – 600035, Tamil Nadu.
Code No.	:	TN/7835.

S.No	Name of the Employees	Code No.
1.	Shri A.O. Pathrose	TN/7835/4364
2.	Shri V. Ramakrishna Rao	TN/7835/5724
3.	Shri A.A. Ganapathy	TN/7835/6039
4.	Shri V.M.K. Menon	TN/7835/5821
5.	Shri P.V. Subramanian	TN/7835/4652
6.	Shri A. Balan	TN/7835/5820
7.	Shri Hari Kishan	TN/7835/2259
8.	Shri S. Sriram	TN/7835/6347

(V.P. RAMAIAH)
R.P.F.C. (HQ)

EMPLOYEES' PROVIDENT PROVIDENT FUND ORGANISATION (CENTRAL OFFICE)

BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110066.

*****, **

NOTIFICATION

9 AUG 2000

Dated________

S.O.____________ Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the establishment.	Date of Coverage.
1.	KR/KK/17377	M/s. Chinmaya Vidyalaya, Vattekkode, Manjeri-676122 Dist. Malappuram, Kerala.	1-6-99
2.	KR/KK/17389	M/s. Maharani Textiles, Bus Stand Road, Down Hill (P.O.) Dist. Malappuram-676519 Kerala.	1-8-99
3.	KR/KC/15514	M/s. Swift Links (P) Ltd; Plot No. 43, CEPZ, Kakkanad, Kochi-30(Kerala).	2-9-96
4.	KR/KK/17209	M/s. Seena Bus Service, P.O. Puthur-676503 Kottakkal, Tirurangad Taluk, Malappuram Dist.	1-7-98

5.	KR/17300	M/s. Kalpaka Printers, YMCA Road, Kozhikode (Kerala).	1-3-99
6.	KR/16408	M/s. Ammni Energy Systems P. Ltd; Industrial Estate, Pappnamcode, Trivandrum-19(Kerala).	1-7-99
7.	KR/KK/17207	M/s. Sangeeth Cinema, P.O. Punnathala, Puthanathani, Tal. Tirur, Malappuram-676552(KR).	1-3-98
8.	KR/KK/17211	M/s. P.K. Brother Bus Service, Klari, Thottungal, P.O. Edarikode-676501 Tal. Tirur, Dist. Malappuram(Kerala).	1-7-98
9.	KR/KC/19054	M/s. Madathilkalathil Foot Wear Industries, Pallam-686007. Dist. Kottayam.	1.10.99

Now, therefore, in exerciseof the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

No. C.P.F.C. 1(4)/KR(1784)/2000/675

Sd/-

(S. RAGHURAM)

REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER(HQ.)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION (CENTRAL OFFICE)

BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110066.

****

NOTIFICATION

9 AUG 2000

Dated________

S.O.____________________Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the establishment.	Date of Coverage.
1.	AS/TR/2373	M/s. Sabroom Primary Marketing Coop. Society Ltd; P.O. Manu Bazar, Sabroom, Tripura South,	1-1-98
2.	AS/TR/2393	M/s. Voluntary Health Association of Tripura, Circuit House Area, Opp. To Bangladesh Visa Office, P.O. Kunjaban, Agartala, Tripura-799006.	1-4-99
3.	AS/TR/2381	M/s. Takarjala Lamps Ltd; P.O. Takarjala, Bishalgarh, West Tripura(Assam).	1-7-98
4.	AS/TR/2392	M/s. Tripura Renewable Energy Development Agency, Bijan Bhavan, 2nd Floor, Gorkhabasti, Assam.	1-4-99

5.	AS/TR/2387	M/s. Blessed Andre English Medium School, P.O. Bodhjungnagar, Via-Kamalghat, Tripura(W)-799210.	1-2-99
6.	AS/TR/2265	M/s. Patnipara Anchalik Lamps Ltd; Mandainagar, Tripura(W) Assam.	1-12-97
7.	AS/TR/2383	M/s. Lolanga Prathamik Krishi Samabay Samiti Ltd; P.O. Palatana, Udaipur-799116.	1-11-98
8.	AS/3530	M/s. Tangla English Medium High School, P.O. Tangla Dist. Darrang-784521.	1-1-99
9.	AS/3547	M/s. Arunachal Pradesh State Council for Science and Technology, Vivek Vihar, P.O. Itanagar, Arunachal Pradesh-791111.	1-4-99

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

No. C.P.F.S. 1(4)/AS(1793)/2000 673

(S. R. GHURAM)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER(HQRS.)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION (CENTRAL OFFICE)
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI 110066.

****

NOTIFICATION

9 अगस्त 2000 AUG

Dated ________

S.O. ________ Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the establishment.	Date of Coverage.
1.	MP/8758	M/s. Rajnesh Kumar Brijesh Kumar, 736, Jawaharganj, Jabalpur(M.P.)	1-1-96
2.	MP/8776	M/s. Mandla Co-operative Marketing Society Ltd; Mandla (M.P.) R.No. 258.	1-1-92
3.	MP/11607	M/s. The Chhattisgarh General Insurance Employees Co-op. Credit Society Ltd; Room No. 18, Abhyudaya Complex, Near (City Watch), Raipur(M.P.)	1-11-98
4.	MP/5882	M/s. BrijBihari Prasad, (Engineers and Contractor), Gondpara, Bilaspur(M.P.)	30-6-88

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

No. C.P.F.C. 1(4)/MP(1814)/2000/674

(S. RAGHURAM)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER(HQ.)

भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2000
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2000